Thursday, 24th February, 1983

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक हैं)

52 (21)
6. 9. 83.

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंक 5, गुरुवार, 24 फरवरी, 1983/5 फाल्गुन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61 से 65	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—201
तारांकित प्रश्न संख्या : 66 से 80	19—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 691 से 819 और 821 से 920	30—201
सभा पटल पर रखे गए पत्र	202—215
रेल बजट, 1983-84 प्रस्तुत किया गया	215—239
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	
भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम के बारे में	240—243, 264—272
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	243
गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता, चीनी मिलों द्वारा गन्ने की देर से पिराई और गन्ना उत्पादकों को समय पर गन्ने का मूल्य न दिया जाना	243
श्री हरिकेश बहादुर	243
श्री भागवत झा आजाद	247
श्री बी० डी० सिंह	251
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	256
श्री राजेश कुमार सिंह	261—264
नियम 377 के अधीन मामले	272—277
(एक) भयंकर शीत के कारण उत्तर भारत के लोगों को मृत्यु और पीड़ायें तथा पीड़ित लोगों को रोजगार आदि देने की आवश्यकता	272
श्री हरिकेश बहादुर	

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(दो) राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में शक्तिशाली आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता 273

श्री वृद्धि चन्द्र जैन

(तीन) दरभंगा (बिहार) में अशोक पेपर मिल्स को केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने की मांग 274

श्री राम विलास पासवान

(चार) प्याज उत्पादकों को आर्थिक सहायता 274

श्री रामसिंह यादव

(पांच) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन 275

श्री चिन्तामणि जैना

(छः) समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता 276

श्री सत्यनारायण जटिया

(सात) उत्तर प्रदेश में इटावा में लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को दण्ड देना 276

श्री रामसिंह शाक्य

(आठ) पश्चिम बंगाल को शरणार्थियों के लिए वित्तीय सहायता 277

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 278—301

श्री पी० नामग्याल 278

श्री अनन्त रामुलु मल्लु 281

श्री भोगेन्द्र झा 284

श्री रामस्वरूप राम 290

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी 295

श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल 297

श्री सुन्दर सिंह 298—301

सदस्य की रिहाई और पुनः गिरफ्तारी 301

(श्री राम प्रसाद अहिरवार)

लोक सभा

गुरुवार, 24 फरवरी, 1983/5 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

*61. †श्री मोहन लाल पटेल :

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की कमी के कारण प्रति वर्ष अनेक रेल सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष पश्चिम रेलवे में कितनी रेल सेवाएं रद्द की गईं;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोयले की कमी के कारण कोई रेल गाड़ी रद्द न की जाए; और

(घ) रेलवे की कोयले की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कोयले की कमी के कारण रेलों पर कुछ सवारी गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं।

(ख) 1982 के दौरान पश्चिम रेलवे पर कोयले की कमी के कारण किसी एक दिन रद्द

की गई सवारी गाड़ियों की निम्नतम तथा अधिकतम संख्या निम्न प्रकार थी :—

महीना	रद्द की गयीं गाड़ियां	
	निम्नतम	अधिकतम
जनवरी, 1982	18	24
फरवरी, ,,	14	20
मार्च, ,,	14	34
अप्रैल, ,,	6	14
मई, ,,	3	3
जून, ,,	—	—
जुलाई, ,,	—	—
अगस्त, ,,	18	113
सितम्बर, ,,	2	108
अक्तूबर, ,,	—	2
नवम्बर, ,,	—	—
दिसम्बर, ,,	—	—

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण कोई गाड़ी रद्द न की जाए।

(घ) रेलों पर सभी गाड़ी सेवाओं को चलाने हेतु रेलों को भाप कोयला पर्याप्त मात्रा में सुलभ कराने के लिए सप्लायरों और ऊर्जा मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

श्री मोहन लाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे मालूम होता है कि अगस्त में 113 ट्रेन्ज और सितम्बर में 108 ट्रेन्ज रद्द कर दी गई थीं। यह तो वैस्टर्न रेलवे की स्थिति है, पूरे हिन्दुस्तान में तो शायद इससे भी ज्यादा ट्रेन्ज रद्द की गई होंगी। यह हमारे देश के लिए एक बहुत गम्भीर मामला है—कई दफा ट्रेन्ज रद्द कर दी जाती हैं और उसकी कोई सूचना भी नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेन टर्मिनल स्टेशन से चलती है लेकिन बीच में कहीं रोक दी जाती है और मुसाफिरों को कह दिया जाता है कि कोयला नहीं है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा सकती।

माननीय मंत्री जी ने अपने एक स्टेटमेंट में जो ता० 21 दिसम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है, बतलाया है कि आगे से कोई भी ट्रेन कोयले की कमी की वजह से रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ सेंट्रल रेलवे में बहुत सी गाड़ियां रद्द की गयीं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या कोई ऐसी घटना घटी है जहां किसी बीच के स्टेशन पर ट्रेन के आने के बाद मुसाफिरों से कह दिया गया कि आप उतर जाइए, ट्रेन आगे नहीं जाएगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं—आने वाले दिनों में कोयले की कमी के कारण कोई ट्रेन रद्द न करनी पड़े—इसके लिए मंत्री महोदय क्या कोई कदम उठाना चाहते हैं, यदि हां, तो क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, प्रश्न पश्चिम रेलवे के बारे में है और हमने यह स्थिति सम्बन्धित विवरण में स्पष्ट कर दी है। दुर्भाग्य से कभी-कभी स्टीम कोयला उपलब्ध न होने से कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा किन्तु बाद में मंत्रालय ने नीति सम्बन्धी एक स्पष्ट निर्णय किया है कि कोयले की कमी के कारण कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की जाएगी। उसके पश्चात् यात्रियों को असुविधा न होने की दृष्टि से हमने ट्रेनों को चलाने के लिए आवश्यक स्टीम कोयले का प्रबन्ध कर लिया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण कोई ट्रेन रद्द न करनी पड़े।

श्री मोहन लाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह जवाब दिया है, ऐसा जवाब तो पहले भी कई बार इस सदन में दिया जा चुका है और यह आश्वासन भी दिया गया था कि भविष्य में कोई ट्रेन इस तरह से नहीं रुकेगी। अब भी मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसा होने ही वाला है। मैं यह समझता हूं कि जब तक हमारे इंजन कोयले से चलते रहेंगे, तब तक यह घटना घटती रहेगी और जब तक आप डीजल के इंजन नहीं लगाते, तब तक इस तरह की घटनाएं पूरे हिन्दुस्तान में होती रहेंगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोयले के इंजन के बजाए, जिनकी शक्ति पर किलोमीटर कोयले के इंजन से दुगनी है और जिससे पूरे रेलवेज की शक्ति दुगनी हो जाती है, क्या उनके पास कोई ऐसी योजना है कि पूरे हिन्दुस्तान में डीजल के इंजन लगाए जाएंगे और यदि ऐसी कोई योजना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारी नीति और हमारा दृष्टिकोण ट्रेनों की गति अधिक करने के लिए अधिक ट्रेनें डीजल और विद्युत से चलाने का है। यह यातायात की सघनता पर निर्भर करता है। जैसे ही धनराशि उपलब्ध हो जाएगी, हम डीजल और बिजली के इंजनों का उत्पादन आरम्भ कर देंगे। हमारी नीति यही रास्ता अपनाने की है।

श्री ए० के० राय : रेल मंत्री ने, जब वह कोयला मंत्री थे, एक वक्तव्य दिया था। कोयला मंत्री के नाते उन्होंने हमें उत्तर दिया था कि खान के मुहानों पर 180 लाख टन कोयला पड़ा है। मुहाने पर कोयले की कमी नहीं है फिर भी ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे कि—क्या रेलें पश्चिमी क्षेत्र में ही रद्द की जाएंगी। सिंगरौनी कोयला क्षेत्रों में हड़ताल थी। किन्तु क्या ऐसा कोई नियम है कि एक रेलवे विशेष किसी खदान विशेष से सम्बद्ध है ? क्या आप विभिन्न क्षेत्रों में डिपो बना सकते हैं ताकि किन्हीं खदानों में अशान्ति के कारण आपकी रेलवे को नुकसान न उठाना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रेल मंत्री को उनके द्वारा कोयला मंत्री होने के नाते दिए गए वक्तव्य से बांधना चाहते हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : हमें रेलों के लिए स्टीम कोयले की आवश्यकता है। हमें रेलों के लिए प्रति दिन 31,000 मीटरी टन कोयले की आवश्यकता है। यह सच है कि कोयला खदानों पर बहुत सारा कोयला पड़ा है। किन्तु रेलों के लिए कोयला ढोना भी पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रेलवे ने कोयले का पर्याप्त भण्डार बनाने के लिए पूरा ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने उचित ध्यान नहीं दिया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप रेलवे के प्रभारी हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने रेलों को निर्देश दे दिए हैं कि हमारे पास उचित मात्रा में कोयले का भण्डार होना चाहिए। जब हम 1980 में सत्ता में आए थे तो प्रायः शिकायतें होती थीं कि बिजली घरों में कोयले का स्टाक नहीं है। हमने कोयले का स्टाक तैयार किया। अब देश में ऐसा कोई बिजली घर नहीं है जहां पर पन्द्रह दिन से अधिक अथवा तीन सप्ताह का स्टाक न हो। हमें इसी प्रकार रेलवे के लिए भी भण्डार तैयार करना होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि समय सारणी में दी गई ट्रेनें कोयले की कमी के कारण रद्द न की जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कोयले के बिना गाड़ियां कैसे चला सकते हैं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : हवा से चलाओगे उसको।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : गाड़ियां रद्द तो करनी ही पड़ती हैं किन्तु उस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि गाड़ियां रद्द हो गई हैं। इसमें दो बातें हैं। एक यह कि गाड़ियां रद्द नहीं की जानी चाहिए और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले का भण्डार बनाना होगा। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि यदि एक अथवा किसी दूसरे अपरिहार्य कारण से हमें रेलगाड़ी रद्द करनी पड़े तो हमें उसकी सूचना जनता को उचित ढंग से देनी चाहिए।

श्री सुनील मैत्रा : इसका कारण क्या है?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका कारण नहीं बता सकते।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि 26 अक्तूबर के पश्चात् कोयले की कमी के कारण कोई यात्री गाड़ी रद्द नहीं की गई है। 27 अक्तूबर को जो आदेश दिया गया था उसके बाद एक घटना जब सिंगरौली कोयला क्षेत्र में हड़ताल के कारण दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत 41 रेलगाड़ियां रद्द की गई थीं को छोड़कर किसी भी रेलगाड़ी को रद्द नहीं किया गया है। मेरे निजी हस्तक्षेप के कारण उन गाड़ियों को भी शीघ्र पुनः चलाया गया। इससे पहले रेलवे प्रशासन कोयले की कमी के कारण बार-बार रेलगाड़ियां रद्द कर देता था 1981-82 वर्ष के दौरान 90531 ट्रेन ट्रिप (वे कहते हैं) रद्द की गईं। मैं उनकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। 1-4-1982 से 2-9-1982 की अवधि में 19718 रेल ट्रिप रद्द की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते। भूतपूर्व रेल मंत्री बनाम वर्तमान रेल मंत्री।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व सभापति और सदस्यों के साथ उनके संघर्ष के दौरान······(**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : यह इससे सम्बद्ध बात नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : वे कौन होते हैं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या अध्यक्ष की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो गया है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री दण्डवते, यह बात इसमें कैसे आती है?

प्रो० मधु दण्डवते : वे पहले मेरा प्रश्न सुनें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाय। मैं जानता हूं कि संगत बात कौन सी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भी जानता हूं कि रेलवे के सम्बन्ध में संगत क्या है। मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए ही मैं यह कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं। क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चैयरमैन रेल बोर्ड के सदस्य तथा अन्य अधिकारियों के साथ संघ रेल मंत्री के अभी हाल के संघर्ष के दौरान उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस में एक घोषणा की और एक आरोप लगाया कि आन्ध्र प्रदेश में कुछ रेलगाड़ियां विशेष रद्द करने के लिए अधिकारी उत्तरदायी थे तथा उन्हें उन रेलगाड़ियों को पुनः चलाना होगा? इन गाड़ियों को इसलिए रद्द करना पड़ा कि कुछ अन्य माल की ढुलाई को प्राथमिकता दी गई। यदि यह बात सच है तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि रेल मंत्रालय ने रेल द्वारा ढोए जाने वाले माल के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निर्धारित कर रखी हैं और रक्षा, खाद्य सामग्री और देश में बिजली घरों के लिए कोयले की ढुलाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है? चूंकि प्राथमिकता मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है और मंत्रिपरिषद् द्वारा उसकी पुष्टि की गई है, क्या प्राथमिकताओं के बारे में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों पर दायित्व डालना अनुचित बात नहीं है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट के लिए शान्त रहें। यह प्रश्न पश्चिम रेलवे में रेलगाड़ियों को रद्द करने के बारे में है।

प्रो० मधु दण्डवते : हां, यह प्रश्न रेलगाड़ियों को रद्द करने के बारे में है। मैंने आन्ध्र में रेल गाड़ियों को रद्द करने के बारे में प्रश्न उठाया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं । आप बैठ जाइये । यह आपका कार्य नहीं है । आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को प्रेरित करने का प्रयास मत करें ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह स्पष्ट करूंगा कि मेरा प्रश्न सही कैसे है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसका उत्तर देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य, जो कि पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है । अध्यक्ष महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश है **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : इसे दोहराना कोई गलत बात नहीं है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी मंत्री के साथ किसी अधिकारी का संघर्ष नहीं हो सकता । इस देश में जनता का राज है, अधिकारियों का नहीं··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या इस बात का निर्णय जनता करती है कि कौन सीं गाड़ियां रद्द की जानी हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सिक्के के दो पहलू होते हैं । एक पक्ष तो माल को लाने ले जाने, रक्षा आदि का है और दूसरा पक्ष यात्रियों को लाने ले जाने का है । हम किसी भी तर्क पर इस देश की जनता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । इसलिए ही मैंने यह कहा है कि सामान्य तौर पर गाड़ियों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए । इसका पूर्णतया कार्यान्वयन हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । रेल मंत्रालय ने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं । प्राथमिकताओं का निर्णय रेलवे अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता । यदि रेलवे अधिकारी मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन करते हैं तो उनका कोई दोष नहीं है । दोष मंत्रालय का है । मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं । मंत्री महोदय उत्तर न देने के लिए स्वतन्त्र हैं । किन्तु अध्यक्ष महोदय को उत्तर देने से बचने की बात को संरक्षण नहीं देना चाहिए । कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाने में मेरी सहायता करें ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, आप कृपया प्रश्न पढ़िए और अनुपूरक प्रश्न को देखिए । यह बिल्कुल असंगत है । **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : प्राथमिकताओं का निर्धारण कौन करता है। क्या प्राथमिकताओं का निर्धारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है अथवा अधिकारियों द्वारा। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। गाड़ियों को रद्द करने के सम्बन्ध में कौन प्राथमिकता निर्धारित करता है, मंत्रालय अथवा अधिकारी ? अपनी असफलताओं को अपने अधिकारियों पर मत डालिए।

अध्यक्ष महोदय : कोयले से बनने वाली स्टीम से सदन में भी स्टीम पैदा हो गई है।

रेल लाइनों का नवीकरण

*62. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी किलोमीटर रेल लाइनों के तत्काल नवीकरण की आवश्यकता है; और

(ख) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : 1-4-1982 को लिये गये जायजा के अनुसार लगभग 18,500 कि० मी० रेल पथ का नवीकरण बकाया था जिसमें से तत्कालिक आधार पर जरूरी समझे गये लगभग 8,000 कि० मी० रेल पथ का नवीकरण करने की स्वीकृति दी गयी है। रेल पथ नवीकरण का उत्पन्न होना और किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। रेल पथ का नवीकरण अग्रता और धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

श्री सुनील मैत्रा : देश में कुल 61,000 किलोमीटर रेल पथ में से लगभग 30 प्रतिशत पुराना पड़ चुका है जिसका नवीकरण किया जाना आवश्यक है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि रेल पथ नवीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह काम नियमित रूप से किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि 1968 में जहां 780 किलोमीटर रेल पथ पर गतिसीमा लागू की गई थी, वहां 1982 में गति सीमा 2,295 किलोमीटर रेल पथ पर लागू की गई ? पुराने रेल पथों के नवीकरण में रेल मंत्रालय की पूर्ण असफलता को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 में रेल पथ कितने स्थानों से टूटा था और 1980, 1981 और 1982 में कितने स्थानों से टूटा था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह लोगों की पार्टी है। केवल लोग जानते हैं। वह कैसे जान सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे पास यह जानकारी नहीं है। मैं इसे प्रस्तुत करूंगा।

श्री सुनील मैत्रा : यह जानकारी न दे सकने का कारण यह है कि रेल मंत्रालय रेल पथों का नवीकरण नहीं कर सका है। मेरा प्रश्न यह है कि कितने किलोमीटर रेल पथ टूटा है।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना उपलब्ध करा देंगे ।

श्री सुनील मैत्रा : वह सूचना उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं तैयार नहीं हूं ।

श्री सुनील मैत्रा : वह तैयार क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

श्री सुनील मैत्रा : यदि वह नहीं जानते तो यह कैसे प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे जानते हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : जी हां, यदि वह नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए रेलवे सुधार समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करता हूं जिसके निष्कर्ष अवश्य ही आपके पास होंगे । जहां तक पटरी में दरारों का सम्बन्ध है । 1967-68 में रेल पथ में 1181 जगह दरारें थीं ?

1981-82 में 4900 जगह दरारें थीं ? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1968-69 में लगभग 1000 फ्रेक्चर थे । अब लगभग 4500 फ्रेक्चर हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वह कैसे तैयारी करके आते हैं । डी० डी० ए के सभी मकान गिर गए हैं । वह तैयारी करके नहीं आ सकते । कोई आशा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे डी० डी० ए० का क्या सम्बन्ध है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारे पास धन की कमी की समस्या है । नवीकरण का काम चल रहा है ।

वर्ष	किलो मीटर
1979-80	975
1980-81	1096
(छठी योजना का प्रथम वर्ष)	
1981-82	1563
1982-83	1561
1983-84 लक्ष्य	2350

इससे पता चलता है कि हम नवीकरण में प्रगति कर रहे हैं और इसी कारण छठी योजना को पुनर्वास योजना कहा जा रहा है ।

श्री सुनील मैत्रा : छठी योजना के अन्त तक अर्थात 1985 तक आप नवीकरण का काम समाप्त नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन पर अधिक दबाव मत डालिए। वह आप पर अधिक कर लगा देंगे।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने पहले ही लगा दिए हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मूल उत्तर में आपने वही धन की कमी का आम तर्क दिया है। रेलवे वही तर्क देता रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसाधनों की कमी का तर्क निरन्तर दिया जा रहा है, क्या रेल मंत्री महोदय अपने बचकाना हट को छोड़ेंगे जो वातानुकूलित अतिथि गृहों का प्रदर्शन करते समय हमें उनमें दिखाई देता है···

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह असंसदीय नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : और इस धन को रेल पथों के नवीकरण पर खर्च करेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस प्रश्न से इस सवाल का कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, वित्तीय कठिनाई अधिक महत्वपूर्ण है।

परन्तु इसके बावजूद हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

श्री सुनील मैत्रा : यह कैसे है ?

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे रेल मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें इन्होंने 1.4.82 तक 18 हजार कि० मी० नयी रेल लाईन के सम्बन्ध में बताया है लेकिन इस वर्ष 8 हजार कि० मी० ही नयी रेल लाईन का निर्माण कराया जायेगा। मैं, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो नवीकरण की स्कीम अभी आप लाए हैं उसके अन्दर खासकर के जो उड़ीसा और बिहार के पठारी क्षेत्र है, उनको प्राथमिकता देंगे अथवा नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जहां कहीं रेल पथों की स्थिति खराब है और जहां कहीं इसकी आवश्यकता है, स्थिति की जरूरत के अनुसार इसे करने का प्रश्न है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सम्पूर्ण देश में रेल पथ का नवीकरण आवश्यक है····

अध्यक्ष महोदय : उस भगवे के स्थान पर आपको यह नीला मिला है। स्वामी भी रंग बदलते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अन्दर नहीं महोदय, केवल बाहर।

श्री रतन सिंह राजदा : बहरहाल यह लाल नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें ब्ल्यू स्वामी न कहिए, यह असंसदीय है।

अध्यक्ष महोदय : लाल उनके लिए लाल कपड़े के समान है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ब्ल्यू मेरे ब्ल्यु-रक्त की निशानी है।

एक माननीय सदस्य : स्वामी दादा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मास्टर ब्लयू-ब्लड। महोदय, यह अमरीका में बनता है। उन्हें यह मत बताइये, वे खीझ जाएंगे।

रेल पथ के नवीकरण के इस मामले को प्राथमिकता के दृष्टिकोण से देखना होगा। कुछ क्षेत्रों की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। रेलवे को सर्वाधिक राजस्व बम्बई क्षेत्र से प्राप्त होता है और उपनगरीय लाइनों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि रेल पथ कई स्थानों से टूटा हुआ है और पिछले 30 वर्षों से उनका नवीकरण नहीं किया गया है जबकि अन्य स्थानों पर यह किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि बम्बई शहर के साथ पक्षपात क्यों किया जाता है। क्या बम्बई उपनगरीय क्षेत्रों के रेल पथ के नवीकरण की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तरफदारी का स्पष्ट मामला है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए गनी खान चौधरी) : हम रेल की त्रुटियों का पता लगाने के के लिए अल्ट्रासोनिक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आवश्यकता तो है ही।

उड़ीसा की बांसपानी—जखपुरा रेल लाइन का निर्माण

***63. श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की बांसपानी-जखपुरा रेल लाइन (द्वितीय तथा तृतीय चरण) के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 1983-84 में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जखापुर-दैतारी नयी रेलवे लाइन (चरण-1) के पूरा होने पर और उसके माल यातायात के लिए खोल दिए जाने पर दैतारी और क्योंझरगढ़ (चरण-II) के लिए स्थान निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी और उसे शुरू किया गया था। सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण के पूरा हो जाने तथा परियोजना की विस्तृत जांच पड़ताल कर लिये जाने के बाद परियोजना के द्वितीय चरण का निर्माण शुरू करने के बारे में कार्रवाई शुरू की जायेगी बशर्ते संशोधन उपलब्ध हों और योजना आयोग की स्वीकृति हो जाये।

द्वितीय चरण के कार्य के पूरा हो जाने पर ही क्योंझरगढ़ से बांसपानी (चरण-III) परियोजना को हाथ में लेने पर विचार किया जायेगा।

श्री हरिहर सोरन : मुझे प्रसन्नता है कि दैतारी और क्योंझरगढ़ (चरण दो) के लिए स्थान निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दे दी गई है। और उस पर काम शुरू हो गया है। परन्तु इस द्वितीय चरण के निर्माण में विलम्ब से लागत में वृद्धि होगी। अतः क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1983-84 में कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि बताया गया है, हम सवक्षण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार सर्वेक्षण प्रतिवेदन मिल जाने पर हम आगे कार्यवाही करने की बात सोच सकते हैं।

श्री हरिहर सोरन : तृतीय चरण क्योंझर और बांसपानी के बीच तृतीय चरण की अभी स्वीकृति दी जानी है। चूंकि प्रस्तावित दैतारी इस्पात संयन्त्र के लिए, जिसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंझर स्थित सभी खानों का सम्पूर्ण लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क इस लाइन पर आ जाएगा इसलिए सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण आवश्यक है। अतः क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सम्पूर्ण परियोजना के निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण छठी योजना के अन्त तक हो जायेगा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस लाइन के मामले में यह समस्या है कि प्रथम चरण-जाखापुरा दैतारी अनुभाग यातायात के लिए खुला है विशेषरूप से पारादीप पत्तन तक अयस्क को ले जाने के लिए और उड़ीसा सरकार इसका भी लाभ नहीं उठा रही है। वे रोडवेज का लाभ उठा रहे। रेलवे और राज्य सरकार के बीच इस पर पर्याप्त चर्चा हुई है अब वे सहमत हो गए हैं। यातायात चलने पर और हमें पर्याप्त यातायात मिलने पर तथा अगला सर्वेक्षण करने पर ही, जो हम कर रहे हैं, हम इस पर विचार कर सकेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे विचार में माननीय मंत्री महोदय को पहले ही जानकारी है कि योजना आयोग ने जाखापुर-बांसपानी के द्वितीय चरण को 1981 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी और दैतारी से क्योंझर के द्वितीय चरण के लिए धन भी दिया गया था। मंत्री महोदय कह रहे थे कि अयस्क को इस पथ से परादीप नहीं भेजा जा सकता और राज्य सरकार ने इसे ट्रक से भेजा। मेरे विचार में इन सभी बातों पर रेलवे बोर्ड और मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई थी और जो कुछ भी त्रुटियां और कठिनाइयां थीं उनका राज्य सरकार के परामर्श से समाधान ढूंढा गया। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी और धन भी स्वीकृत किया गया और योजना आयोग ने भी अनुमोदन कर दिया है। अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा राज्य सरकार केन्द्र सरकार को राजी करने का प्रायः प्रयास करती रहती है और धन भी मंजूर कर दिया गया है। मैं समझ नहीं सका कि तब यह दूसरा सर्वेक्षण क्यों कराया जा रहा है जब अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है यह तीसरा और चौथा

सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है और इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस लाइन का निर्माण तेजी से क्यों नहीं किया जाता है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : तीसरा या चौथा कोई सर्वेक्षण नहीं है । लाइन बिछाते समय अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है । पहले केवल प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था । चूंकि धन उपलब्ध नहीं हैं इसलिए द्वितीय चरण पर कार्य आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री आर० एन० राकेश : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि एन० ई० रेलवे बनारस डिविजन के माधोसिंह रेलवे स्टेशन से चीलघाट, मिर्जापुर की मीटरगेज की लाइन पिछली बाढ़ में जो बुरी तरह से बह गई, मिर्जापुर घाट और चीलघाट रेलवे स्टेशन का स्टाफ बैठे-बैठे वेतन ले रहा हैं, इस ओर आपके मन्त्रालय का ध्यान क्यों नहीं गया । इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक इस ओर सरकार का ध्यान जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है ।

श्री आर० एन० राकेश : यह बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें, दोबारा करवायेंगे ।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मन्त्रालय को इस तथ्य का पता है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य 1975 में आरम्भ हुआ था । यह लाइन केवल एक उपमार्ग है और इसमें विलम्ब करने हेतु उन्होंने इसे तीन चरणों में बनाया है । यह रेल लाइन भीतरी प्रदेश, भारत के रूहर को, जो उड़ीसा और बिहार का खनिज क्षेत्र है, पारादीप बन्दरगाह से जोड़ने के लिए है जो देश की एक प्राकृतिक और गहरी बन्दरगाह है और जिसे अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह बनाया जा सकता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मन्त्रालय ने इस मामले को नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के साथ उठाया है कि लोहे, मैंगनीज और अन्य अयस्कों के निर्यात के लिए यह बन्दरगाह आवश्यक है । उड़ीसा में और यहां भी बार-बार यह घोषणा की गई है कि इस रेलवे लाइन का तुरन्त निर्माण किया जाना चाहिये । मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि धन नही है । यह बड़े आश्चर्य की बात है । जैसा कि मेरे मित्रों ने और अन्यों ने पूछा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय छठी पंचवर्षीय योजना में इस लाइन के निर्माण को पूरा करेगा और यदि नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या कठिनाईयां हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेलवे लाइनों के लिए मापदण्ड क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भाषण है न कि प्रश्न ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं पहले ही कह चुका हूं कि दैतरी से पारादीप की ओर लोह अयस्क का यातायात नहीं होता है । राज्य सरकार से बातचीत चल रही है ।

डा० कृपासिन्धु भोई : केन्द्रीय सरकार को यह करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतनी अल्प सूचना पर वह रेलवे के लिए धन जुटा नहीं पायेंगे।

डा० कृपासिन्धु भोई : यह केन्द्र का कर्त्तव्य है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : लोह अयस्क की ढुलाई के बारे में जो कुछ भी सूचना मेरे पास हैं और जो बातचीत हमने राज्य सरकार के साथ की है वह मैं सदन को पहले ही दे चुका हूँ। जहां तक लाइन को पूरी तरह पूरा करने का सम्बन्ध है, उसमें धन का अभाव एक अड़चन है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा हम यह पूरी कर देंगे।

एशियाई खेलों के दौरान राजधानी में पकड़े गए भिखारी

*64. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के अवसर पर राजधानी में कितने भिखारी पकड़े गए;

(ख) इन भिखारियों को विभिन्न गृहों में रखने पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया;

(ग) इनमें से कितने भिखारियों को उनके मूल राज्यों में भेजा गया तथा शेष भिखारियों को वापस न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राजधानी में भिक्षावृत्ति की बुराई को सदा के लिए समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भिखारियों को गिरफ्तार करना दिल्ली प्रशाशन का सामान्य कार्य है, जिसे बम्बई भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम, 1959 के उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 अप्रैल, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक 6,258 भिखारी पकड़े गए।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे भिखारी गृहों पर अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान कुल 61,61,468.63 रुपये की धनराशि खर्च हुई।

(ग) 487 भिखारियों को उनके मूल राज्यों को भेजा गया तथा और भिखारियों को अन्य राज्यों को भेजने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(घ) केन्द्र शासित के क्षेत्र प्रशासन वर्तमान कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के अलावा भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए वर्तमान अवस्थापना के विस्तार पर भी विचार कर रहा है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय अध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति इस देश के लिए केवल

एक समस्या ही नहीं है बल्कि वह इस देश के लिए एक शर्मनाक कलंक भी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे देश के कितने प्रतिशत भिखारी यहां दिल्ली में रहते हैं । वैसे तो कुछ इन्टरनेशनल भिखारी भी हैं—इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड की ओर मेरा इशारा है । वैसे तो बार-बार समाचार-पत्रों में छपा है और खास तौर से "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 25 दिसम्बर के अंक में यह छपा था कि दस हजार से अधिक भिखारी एशियाड के टाइम पर यहां दिल्ली से हटाए गए थे । उनकी व्यवस्था को लेकर और उनके खर्चे को लेकर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच काफी विवाद रहा कि उनके खर्चे को कौन उठाए तथा उनके पुनर्वास के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं हुई । मैं जानना चाहूंगा कि देश में जो बहुत बड़ी संख्या में भिखारी हैं—यहां दिल्ली में भी हैं—उनके पुनर्वास के लिए सरकार कौन से ठोस उपाय कर रही है ? भिक्षावृत्ति को कैसे रोका जाए और उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए—इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई ठोस योजना है और सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है—यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री पी० के० थुंगन : मैंने जैसा बताया है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने 61,61,468 रुपये खर्च किए हैं । जहां तक उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रश्न है, रिहैबिलिटेट प्रोग्राम्स को स्टेट गवर्नमेंट्स लुक-आफटर करती है । तीसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि खर्च के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई कन्फयूजन था । मैं कहना चाहता हूं कि कोई कन्फयूजन नहीं था । एशियाड के समय जितने बैगर्स को रिहैबिलिटेट किया गया, उसमें जो खर्चा देना चाहिए था, वह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा—जितने बैगर्स को एशियाड के साथ रिहैबिलिटेट किया गया, क्या सरकार की नीति उनको रिहैबिलिटेट करने की थी या केवल एशियाड में आए हुए हमारे मेहमानों की निगाह उन बैगरों पर न पड़े, इस उद्देश्य से उनको हटाया गया, क्योंकि देश के बैगरों को रिहैबिलिटेट करने के लिए अभी तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है । एशियाड के दौरान जिनको आपने रिहैबिलिटेट किया या दूसरे राज्यों को भेजा, क्या उनके रिहैबिलिटेशन का काम आज भी चल रहा है ? क्या अभी भी उनको उसी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं या अब आपने उस काम की छुट्टी कर दी है, उसको रोक दिया है ?

बच्चे, स्त्रियां और बुड्ढे जो विशेष रूप से भिक्षा-वृत्ति के शिकार हो रहे हैं, कुछ ऐसे गैंग्ज हैं जो उनको इस काम को करने के लिए बाध्य करते हैं । यहां तक शिकायतें मिली है कि दिल्ली में पुलिस के अफसर और कर्मचारी बैगरों को जगह एलाट करते हैं कि तुम यहां पर बैठकर भीख मांगोगे और रोजाना शाम को उनकी आमदनी में से हिस्सा ले लेते हैं । क्या ऐसी घटनाएं आपकी जानकारी में हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : बैगरों को रिहैबिलिटेट करने और बैगिंग को समाप्त करने का जो कार्यक्रम है, वह बहुत दिनों से चलता आ रहा है । दूसरी पंचवर्षीय योजना तक यह सैन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम थी, लेकिन उसके बाद एन० डी० सी० ने फैसला किया कि यह काम राज्यों के द्वारा किया जाना चाहिए । इसलिए अब इसे राज्यों के द्वारा किया जा रहा है ।

दूसरा सवाल आपने यह पूछा है कि क्या कोई पुलिस अफसर कमीशन लेता है—मेरे पास यह इन्फार्मेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे दे दीजिए, मैं देख लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, ऐसा लगता है कि भिखारियों की संख्या कई गुणा बढ़ रही है और विवरण के अनुसार उन्हें पकड़ना दिल्ली प्रशासन के सामान्य क्रियाकलाप हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने भिखारी काल-कलवित हो चुके हैं और विवरण के अनुसार 6258 गिरफ्तार किए गए थे। इस संख्या में से कितने किंग्जवे कैम्प के सेवी कुटीर में ठण्ड, भोजन के अभाव और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर गए। भिखारी सदन भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के भिखारी सदनों में व्याप्त वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए क्या कोई उच्च शक्ति प्राप्त जांच करायी जाएगी।

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य भिखारियों में से मृतकों की संख्या जानना चाहते थे। सम्भवतया यह एशियाई खेलों के समय से सम्बद्ध है। मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इनकी संख्या 4 थी और पकड़े गए भिखारियों की संख्या 1595 थी। जहां तक इसके लिए समिति गठित करने का सम्बन्ध है, अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती दण्डवते।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, बैगर्स की प्राब्लम जैसी दिल्ली में है, वैसी सारे देश की बड़ी-बड़ी स्टेट्स में है, बड़े नगरों की है और बम्बई शहर में बहुत से बैगर्स हैं और महाराष्ट्र के शासन ने बहुत बार कहा है कि 70 परसेंट से ज्यादा बैगर्स महाराष्ट्र के बाहर से हैं। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पूरे देश में बड़े-बड़े शहरों में जो बहुत बड़े पैमाने पर बैगर्स आते हैं, उनका जो सवाल है और उनकी जो समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए कोई कमीशन नियुक्त किया जाएगा जिससे देश के सारे शहरों में इस समस्या को हल करने में कुछ मदद मिले क्योंकि यह सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि पूरे देश का है और खास तौर पर बम्बई जैसे बड़े शहरों का है। बैगर्स अलग-अलग क्षेत्रों के हैं लेकिन वहां का प्रशासन उनकी जिम्मेदारी को मंजूर नहीं करता है। इसलिए इन सब बातों को देखने के लिए एक कमीशन नियुक्त होना चाहिए।

श्री पी० के० थुंगन : यह बिल्कुल सच है कि सारे देश में बहुत से बैगर्स हैं और इस प्राब्लम को हल करने के लिए करीब-करीब सभी स्टेट्स की काआपरेशन चाहिए और स्टेट्स चाहती भी हैं कि यह प्राब्लम हल हो। करीब 15 स्टेट्स ने यह लॉ बनाया है और 2 यूनियन टेरीटरीज ने भी एन्टी बैगरी ऐक्ट बनाया है। कमीशन बनाने के बारे में जो प्रश्न किया गया है, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह देश के लिए एक कलंक की बात है कि इस देश में ऐसे लोग हैं, जिनके पास न कोई घर है और न खाने का उनके लिए कोई प्रबन्ध है और यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस कलंक को मिटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार

कर रही है, जिससे उनको रोटी-रोजी मिल सके और वे भूखे न मर सकें और यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो क्यों नहीं सरकार ऐसी योजना बना रही है ?

श्री पी० के० थुंगन : यह सच बात है कि यह एक कलंक की बात है लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। यह एक सोशियो-एकोनामिक समस्या है और हर सैक्शन के लोगों के सहयोग की इसमें जरूरत है।

श्री राम नगीना मिश्र : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। सरकार का क्या व्यू है, इसका जवाब नहीं आया। क्या सरकार इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बता दिया गया है, आप न समझें तो क्या करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं भिखारियों के मौलिक अधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल ही माननीय सदस्य श्री स्पैरो ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में जाने और रहने का अधिकार है। भिखारी भी भारतीय नागरिक हैं। आप उन्हें बलपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दिल्ली से अन्य राज्यों को कैसे भेज रहे हैं ? क्या यह भिखारियों का मौलिक अधिकार नहीं है कि वे भी अन्य भारतीय नागरिकों की तरह देश के किसी भी भाग में रहें और उन्हें अन्य राज्यों में न भेजा जाए ?

दूसरे, जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है, देश में बड़ी संख्या में भिखारी हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है; यह वास्तव में हमारे समाज पर एक धब्बा है। महोदय, भिक्षावृत्ति एक ऐसा धन्धा है जो कि देश भ्रमण पर आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। महोदय, यह हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि यदि इस समस्या को हल करने की इच्छा हो तो यह हल हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, चीन में बहुत भिखारी थे। जो लोग चीन गये हैं उन्होंने लिखा है कि चीन ने बड़े प्रभावी ढंग से भिक्षावृत्ति को कम किया है और अब चीन की गलियों में कोई भिखारी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार, महोदय दक्षिणी वियतनाम में आप तो जानते ही हैं लाखों वैश्याएं थीं। परन्तु कुछेक वर्षों में ही वियतनाम सरकार ने इसको प्रभावी ढंग से हल करके उनको फिर से बसा दिया है। यदि इस दिशा में गम्भीर कदम उठाये जाएं तो भारत में भी समस्या हल हो सकती है। चूंकि राज्य सरकारों के पास धन का अभाव होता है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार योजना आयोग से, राज्यों के सहयोग से कोई ऐसी योजना तैयार करने के लिए कहेगी कि एक निश्चित अवधि में भिक्षावृत्ति का इस देश से उन्मूलन कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी कुछ ऐसी ही बातें पढ़ी हैं। एक व्यक्ति ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिसमें उसने रोजी-रोटी कमाने के एक हजार तरीकों का उल्लेख किया है। एक दिन वह गलियों में भीख मांग रहा था। आप जैसा भी कोई उसे जानता होगा। उसने उससे पूछा कि आपने तो एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिसमें रोजी-रोटी कमाने के एक सहस्र तरीके लिखे हुए हैं तो आप भीख क्यों मांग रहे हैं ? उसने उत्तर दिया कि रोजी-रोटी कमाने का यह सरलतम तरीका है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, हमारे समाज में यह समस्या इसलिए है क्योंकि हमारी धार्मिक वृत्ति इसी प्रकार की है। जब हमारे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वे भिखारियों को अधिकाधिक दान करना चाहते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसमें जनता के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरी बात प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में है अर्थात भिक्षावृत्ति को एकदम से समाप्त करना, तो माननीय सदस्य ने जो उपाय सुझाया है उसके लिए हम पहले ही योजना आयोग से कह चुके हैं कि वह अधिक धन का प्रावधान करें और राज्य सरकारों से सहयोग करें। माननीय सदस्य के सूचनार्थ हम इस मामले को पहले से ही योजना आयोग के पास भेज चुके हैं और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष तक यह एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना थी और उस योजना के अनुसार केन्द्र समस्या को हल करने के लिए राज्यों को धन जुटा रहा था। परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह अच्छा समझा और निर्णय लिया कि यदि राज्य सरकारें इसे लागू करें तो वह ठीक रहेगा। इसलिए इसे राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया। अब योजना आयोग राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में सीधे ही कार्यवाही कर रहा है।

यह भी सत्य है कि जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूं कि चूंकि भिक्षु सदनों का निर्माण करके दिल्ली प्रशासन भिक्षुओं को पकड़ने और उन्हें फिर से बसाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है और राज्य सरकारें भी यही कुछ कर रही हैं।

तीसरे, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, जहां तक चीन की बात है; मैं केवल इतना कहूंगा कि उनकी प्रणाली सर्वथा भिन्न है। अतः हम अपनी प्रणाली की उनकी प्रणाली के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : मोहतरम स्पीकर साहब, यह मसला एशियाड से शुरू हुआ था। मामला चूंकि कौमी है, इसलिए सारे दोस्तों ने इसको कौमी मसले के तौर पर डील किया है। मैं वजीरे मोहतरम से यह पूछना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में कहा कि एन० डी० सी० के फैसले के बाद से यह मामला सूबों को चला गया और सूबे की सरकारें इसको डील कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 1981-82 में सोशल सिक्योरिटी के तहत बिहार में अंधे, लंगड़े-लूले और अपाहिज वगैरहः वगैरहः के लिए कितने रुपये सरकार ने खर्च किये ? इसके आंकड़े चाहें तो अभी दे दें, नहीं तो बाद में दें, मगर दें जरूर।

अध्यक्ष महोदय : बाद में भिजवा देंगे।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं यही मान कर चलता हूं।

दिल्ली विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

*65. श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री सूरज भान : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक पिछले कुछ महीनों से हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो अध्यापन कर्मचारियों में असन्तोष होने के मुख्य कारण क्या हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसी हड़ताल हुई है; और

(ग) ऐसी स्थिति को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ताकि इससे छात्रों को नुकसान न उठाना पड़े ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 से 28 जनवरी 1983 तक हड़ताल पर थे।

(ख) और (ग) जिन मूल समस्याओं के कारण यह हड़ताल शुरू हुई थी, वे अध्यापकों के लिए अधिक आवास सुविधाएं तथा पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित थी। जबकि आवास सम्बन्धी मामला पहले ही निपटा दिया गया था, वहां पर पदोन्नति से सम्बन्धित अन्य मांग के लिए लम्बी बातचीत हुई।

हड़ताल 29 जनवरी, 1983 से निलम्बित हो गई है और अध्यापक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच हुई आपसी बातचीत तथा फैसले को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्यापन कार्यक्रम पुनः शुरू हो गए हैं। अध्यापन समय में हुई क्षति को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने समय सूची फिर से निर्धारित कर ली है। अध्यापन कार्य मई, 1983 के आरम्भ तक चलता रहेगा और परीक्षाएं मई के मध्य में शुरू होंगी। विश्वविद्यालय और कालेज का सत्र 30 जून, 1983 तक-रहेगा और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 अगस्त, 1983 को पुनः खुलेंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : यह देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इतिहास की सबसे लम्बी हड़ताल थी जिसने छात्रों को और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। अपने प्रश्न के भाग (ग) में मैंने पूछा था कि स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए और उठाने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के साथ हुए समझौते का ब्योरा क्या है और मांगों को पूरा करने के लिए कितना धन चाहिए।

श्री पी० के० थुंगन : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की मुख्य मांगें आवास समस्या और पदोन्नति के अवसरों को लेकर थीं। जहां तक इन समस्याओं और उनकी मांगों का सम्बन्ध है, हमने कई तरह की कार्यवाहियां की हैं और हम उनकी मांगों के प्रति कठोर रुख नहीं अपनाए हुए हैं। इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि हड़ताल 12 अक्तूबर, 1982 को आरम्भ हुई। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उनके मामले पर विचार किया है। मैं वह सब क्रमवार बताता हूं कि हमने क्या कार्यवाही की है और क्या कुछ दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19 अक्तूबर, 1982 को अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति की योजना पर भी विचार किया। 20 अक्तूबर को, मैंने संघ के अध्यापकों से हड़ताल

वापिस लेने की अपील की। 30 अक्तूबर को सरकार ने कुलपति महोदय को विभिन्न मामलों पर तुरन्त निर्णय लेने के सरकार के इरादे को स्पष्ट करते हुए एक पत्र लिखा।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं समझौते का ब्यौरा पूछ रहा हूं।

श्री पी० के० थुंगन : मैं आपको समझौते का ब्यौरा दे रहा हूं। वे चाहते थे कि आवास समस्या का समाधान किया जाए और वह समस्या लगभग हल हो गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं····(व्यवधान)।

श्री पी० के० थुंगन : हमने उनकी आवास समस्या को हल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को 3 करोड़ रुपये दिए हैं जो कि उनकी मांग थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले महाविद्यालय भी 6 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार आवास की समस्या हल हो सकती है।

जहां तक पदोन्नति के अवसरों का सम्बन्ध है, जो कि उनकी दूसरी मांग है, यह स्वीकार किया गया है कि जिन अध्यापकों का सेवाकाल 15 वर्ष तक हो गया है, उनका मूल्यांकन करने के बाद उनकी पदोन्नति दी जा सकती है। और जो अध्यापक दस वर्ष तक सेवा कर चुके हैं और पी० एच० डी० हैं, मूल्यांकन के बाद उनकी भी पदोन्नति दी जा सकती है। वे भी पदोन्नति के योग्य करार दिए जाने चाहिए। इन दो मुख्य मांगों को हमने इस प्रकार निपटाया है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल यात्रियों को सुविधाएं

*66. **श्री जैनुल बशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा उनकी आरामदेह यात्रा के सम्बन्ध में अपना असंतोष सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका वांछित प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यात्रियों की कठिनाइयां कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। रेल मंत्री ने कई अवसरों पर रेल यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रेलों ने यात्रियों से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में चिरस्थायी सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(क) 51 स्टेशनों पर गठित बहुउद्देश्यीय कृतिक दलों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि विभिन्न सुविधाएं संतोषजनक स्तर पर बनाई रखी जाती हैं और रेल उपयोगकर्त्ताओं को ईमानदार, शिष्ट और कुशल सेवा उपलब्ध होती है।

(ख) आरक्षण में कदाचार के विरुद्ध वर्ष के दौरान पर्याप्त उच्च स्तर पर जांच और सतर्कता बरतना तथा भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान व्यापक अभियानों के रूप में आवधिक जांच तेज करना।

(ग) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत रूप से सीटों पर कब्जा करने के विरुद्ध अतिरिक्त आवधिक अभियान चलाना।

(घ) ऐसे उपाय करना जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टेशन अधीक्षक अथवा कोई जिम्मेदार रेलवे अधिकारी लम्बी दूरी की गाड़ियों के छूटने के समय ड्यूटी पर हो ताकि यात्रियों की शिकायतों को, यदि कोई हों, दूर करने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

(ङ) महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन पर रेलवे बोर्ड कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी रखी जा रही है और महाप्रबन्धक गाड़ियों के समय पर चलने से सम्बन्धित मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं।

(च) यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सवारी गाड़ियों में विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि के समय सशस्त्र राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। अपेक्षित होने पर रेलवे सुरक्षा बल भी इस बारे में राजकीय रेलवे पुलिस की मदद करता है।

(छ) बिना पारी के यात्री सुविधा कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धकों के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं और अब वे इस प्रकार के प्रत्येक कार्य के लिए एक लाख रुपये की बजाय 2 लाख रुपये की मंजूरी दे सकते हैं।

तटीय नौवहन

*67. श्री रशीद मसूद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तटीय नौवहन में सराहनीय प्रगति नहीं हुई है और यह अवनति की ओर अग्रसर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में नौवहन उद्योग में व्याप्त बुराइयों का पता लगाया है जिससे इस उद्योग की प्रगति में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। तटीय नौवहन ने कोई विशेष प्रशंसनीय कार्य नहीं किया है तथापि पिछले दो वर्षों में उसके कार्यों में सुधार देखा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आवश्यक सूचना सहित एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

तटीय जहाजों और तटीय नौवहन को सुदृढ़ करने के लिए आठवें दशक में तटीय नौवहन के सम्बन्ध में सरकार उचित योजना बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही थी। अतः सरकार ने नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में सितम्बर, 1980 में योजना बनाने सम्बन्धी सुविधाओं का पता लगाने के लिए तटीय नौवहन पर एक समिति नियुक्त की थी। तटीय नौवहन समिति की कुछ सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई हैं जिनमें मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, 1958 में कोस्टिंग जहाज की परिभाषा को 'रिस्ट्रिकटेड होम ट्रेड शिप' के रूप में नई अवधारणा देना, इण्डियन कोस्टिंग वेसेल्स ऐक्ट, 1958 जो करीब-करीब मृतप्रायः है, के आधार पर एक नया कानून का निर्माण तटीय जलमार्गों से सम्बन्धित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए तटीय जलयानों में छूट। कस्टम आदि से उठने वाले वर्तमान अवरोधों से माल में छूट। पोर्ट की कार्यवाही, एक नियमित बंकर पोर्ट के रूप में टूटीकोरिन पोर्ट का विकास और नौवहन महानिदेशालय में इन कार्यों के संगठन और समन्वयन के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था शामिल है। तटीय नौवहन समिति की शक्ति के निर्धारण सम्बन्धी सिफारिशें, तटीय नौवहन द्वारा कोयला और नमक ढोने के लिए भाड़े की दरों में संशोधन और बढ़ी हुई ट्रीमिंग चार्जेज को पूरा करने के लिए समय-समय पर विशेष उपकर लगाने सम्बन्धी सिफारिशें भी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। परन्तु इसमें कुछ संशोधन किया गया है कि यह शिपिंग रेट्स एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर प्रस्तावित शक्ति का प्रयोग नौवहन और परिवहन मंत्रालय करेगा जिसके लिए वह नौवहन महानिदेशक की बजाय वित्त मंत्रालय से परामर्श करेगा। तथापि नौवहन महानिदेशक को तटीय नौवहन के द्वारा ढोये जाने वाले कोयला और नमक पर बंकर उपकर लगाने सम्बन्धी अधिकार दिया गया है जो इण्डस्ट्रीयल कोस्ट्स एण्ड प्राइसेस ब्यूरो के द्वारा निर्धारित सूत्रों के अनुसार होगा

और वह इस सम्बन्ध में शिपिंग रेट्स एडवाइजरी बोर्ड से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लेगा। तटीय नौवहन समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

इण्डस्ट्रीयल कोस्ट्स एण्ड प्राइसेस ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर तटीय परिचालन में आर्थिक सशक्तता की प्राप्ति के लिए 31-1-1983 से कोयला और नमक की भाड़ा दरों में संशोधन किया गया है।

रेलवे समय-सारणी में गलतियां

*68. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1982 में जारी किए गए रेलवे समय सारिणियों में काफी गलतियां हैं और इसमें कुछ रेलगाड़ियों के रवानगी वाले दिन तथा समय गलत दिखाए गए हैं और कुछ संसद सदस्यों ने रेल मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है परन्तु कोई सफलता नहीं मिली है और लोगों ने भी समाचार पत्रों के माध्यम से इस मामले को उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो गलत जानकारी वाली समय सारणियां जारी करने के क्या कारण हैं और गलतियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) महोदय, सार्वजनिक हित में क्षेत्रीय रेलों की समय सारणियां मुद्रित किए जाने के पश्चात् गाड़ियों के दिनों और समय में कुछ परिवर्तन करने पड़े, इसलिए अन्तिम समय किए गए इन परिवर्तनों को उनमें शामिल नहीं किया जा सका। बहरहाल, इन परिवर्तनों को 'गाड़ियां एक नजर में' में शामिल करने के प्रयास किए गए थे। अन्तिम क्षणों में किए गए परिवर्तनों को समाचार पत्रों, स्टेशन नोटिस बोर्डों आदि के माध्यम से भरपूर प्रचार किया गया ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हावड़ा स्टेशन पर केवल दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए टर्मिनल बनाना

*69. श्री नीरेन घोष : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे का विचार अपने लिए एक पृथक् टर्मिनल बनाने का है जो इस समय पूर्व रेलवे के हावड़ा स्टेशन का उपयोग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) महोदय, कलकत्ता में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर एक अलग कोचिंग टर्मिनल का प्रश्न विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों का एक कृतिक बल गठित कर दिया गया है जो इसकी जांच करके अपनी रपट प्रस्तुत करेगा। व्यवस्था के सम्बन्ध में आगे का विवरण कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध कराया जाएगा।

गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक में चर्चित विषय

*70. श्री माधव राव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में मानेगुआ में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों की समन्वय ब्यूरो की पूर्व बैठक में बड़े देशों द्वारा हाल में लेटिन अमेरिकी क्षेत्र के देशों में अस्थिरता फैलाने और उनके शोषण के प्रयासों में वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निकारगुआ और अन्य लेटिन अमेरिकी नेताओं द्वारा प्रकट की गई चिन्ता के संदर्भ में है जिसे उन्होंने इन देशों के विरुद्ध अमेरिका की 'आक्रामक नीतियां' कहा है;

(ग) सम्मेलन में अमेरिका और अन्य बड़ी ताकतों की ओर से तनाव और अस्थिरता पैदा करने वाली किन विशेष घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) 10 से 14 जनवरी, 1983 तक मानागुआ में समन्वय ब्यूरो की मंत्री-स्तरीय बैठक में निकारागुआ और अन्य लातीनी अमरीकी नेताओं ने अपने देशों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका की कथित "आक्रामक नीति" पर चिंता व्यक्त की। निकारागुआ द्वारा प्रस्तावित मसौदा विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि उक्त क्षेत्र के राज्यों के आन्तरिक मामलों में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढ़ जाने के कारण लातीनी अमरीकी क्षेत्र की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है।

(ग) मानागुआ में स्वीकार की गई अन्तिम विज्ञप्ति में, इस बात का उल्लेख किया गया है कि निकारागुआ के खिलाफ धमकियां दी जा रही हैं और आक्रामक तथा प्रच्छन्न गतिविधियों के लिए वित्त की व्यवस्था की जा रही है, प्रति क्रान्तिकारी शक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए अभी भी अमरीकी प्रदेश का तथा निकारागुआ के पड़ौसियों के प्रदेश का इस्तेमाल किया जा रहा है और अमरीका के विमानों तथा जहाजों द्वारा निकारागुआ के वायु क्षेत्र और प्रादेशिक समुद्र का उल्लंघन किया जा रहा है और इन तमाम बातों के परिणामस्वरूप आतंककारी गतिविधियां और सशस्त्र आक्रमण होते हैं, पुल उड़ाए गए हैं और क्रान्तिकारी सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से अन्य विध्वंशक कार्रवाइयां की गई हैं, जिनके कारण 1979 में 400 से अधिक निकारागुआई मारे गए हैं, घायल हुए हैं अथवा/और अपहृत हुए हैं और इस सबकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था को गम्भीर सामग्रीगत क्षति तो पहुची ही है।

(घ) यह विज्ञप्ति, जो कि निकारागुआ द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित थी, आम राय से स्वीकार की गई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल भी इस मतैक्य में शामिल था।

मद्रास-बीच और ताम्बरम के बीच मीटर-गेज उपनगरीय रेल प्रणाली को बड़ी लाइन में बदलना

*71. श्री ईरा अनबारासू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-बीच और ताम्बरम के बीच विषुपुरम तक उपनगरीय छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के प्रस्ताव को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस योजना में उसे शामिल करने तथा उसका काम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ताम्बरम से चिंगलपुट तक रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मद्रास-बीच और विषुपुरम के बीच मीटर लाइन का आमान परिवर्तन करने या ताम्बरम् और चेंगलपुट के बीच दोहरी लाइन बिछाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा को दी गई केन्द्रीय चिकित्सा सहायता

***72. श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दूर दराज स्थानों में उड़ीसा राज्य को पानी से होने वाले रोग, उदर रोग, जुकाम और बुखार अतिसार, सर्पदंश आदि रोगों के इलाज के लिए केन्द्रीय सहायता की अब भी जरूरत है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विद्यमान बाढ़ और सूखे की स्थिति को देखते हुए उस राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पहली सितम्बर, 1982 को उड़ीसा में बड़ी तेज बाढ़ आई थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कलकत्ता स्थित मेडिकल स्टोर डिपो से राज्य सरकार को तत्काल दवाइयां, वैक्सीनें और रोगाणुनाशक भेज दिए गए। अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय चिकित्सा-दल ने 9 सितम्बर, 1982 को राज्य का दौरा किया और उसने इस बाढ़ के फलस्वरूप लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी राहत कैसे-कैसे पहुंचायी जाए इसके बारे में राज्य प्राधिकारियों का आवश्यक मार्गदर्शन किया। इस राज्य को चिकित्सा राहत कार्यों के लिए 39 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार से चिकित्सा राहत के लिए फिर किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता को कोई और अनुरोध नहीं आया।

न्यू आजादपुर और बादली रेलवे स्टेशनों के बीच गायब पाई गई फिश प्लेटें

***73. श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 दिसम्बर, 1982 को अथवा उसके आसपास न्यू आजादपुर और बादली रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पटरी से अनेक फिश प्लेटें गायब पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने पर अपराधियों का पता चला है; और

(ग) 1982 की अन्तिम तिमाही के दौरान भारतीय रेलों में कितनी और कहां-कहां इस प्रकार की तोड़-फोड़ की घटनाएं हुईं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां । 30-11-82/1-12-82 की रात को न्यू आजादपुर और बादली रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पथ से 12 फिश प्लेटें, 24 बोल्ट और 6 चाबियां गुम पाई गई थीं ।

(ख) जी नहीं, अभी तक नहीं ।

(ग) न्यू आजादपुर और बादली रेलवे स्टेशनों के बीच घटित मामले के अलावा, अक्तूबर से दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान रेलों पर रेल पथ से फिश प्लेटें आदि गुम होने की इसी प्रकार की 5 अन्य घटनाएं, जिनमें पुलिस को तोड़-फोड़ का संदेह था, नोटिस में आई थीं । ये घटनाएं इन स्टेशनों के बीच हुई थीं—(i) जखोरा और दिलवाड़ा स्टेशन (मध्य रेलवे), (ii) आलमबाग और अमौसी स्टेशन (उत्तर रेलवे), (iii) डेकिया जूली और बेलसीरी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे), (iv) बालोद और कुसुमकसा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) और (v) लालापेट स्टेशन के निकट (दक्षिण रेलवे) ।

करूर-डिंडीगल रेलवे लाइन का निर्माण

***74. श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने करूर-डिंडीगल-तूतीकोरीन-तिरुनेलवेल बड़ी लाइन के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण करके दक्षिण रेलवे को सौंप दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही प्रगति पर है ।

(ग) धन की अत्यधिक तंगी को देखते हुए समस्त परियोजना के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों/कालेजों का खोला जाना

***75. कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :

श्री गुफरान आजम : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श किए बिना विश्वविद्यालय और कालेज न खोले जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों में अधिक विश्वविद्यालय तथा कालेज खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय सोचे गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि नये विश्वविद्यालयों के स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/अथवा केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त परामर्श किया जाना चाहिए। कालेजों के खोलने के सम्बन्ध में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से गुजरात में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव की आयोग में जांच की जा रही है। एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को हाल ही में सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई, 1982 में उसी राज्य में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए गए प्रस्ताव को आयोग स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था।

फ्रांस द्वारा परमाणु इंधन की सप्लाई

***76. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर बिजली संयंत्र के लिए ईंधन की सप्लाई के बारे में भारत और फ्रांस के बीच अंतिम करार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस 1963 के भारत-अमरीका करार के ही अन्तर्गत संवर्द्धित यूरेनियम की सप्लाई करने को सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तिम करार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस करार पर संयुक्त राज्य अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), (ख), (ग) 26 नवम्बर, 1982 को भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते से अनुसार फ्रांस ने यह स्वीकार किया कि 1963 के भारत-अमरीका समझौते और 1971 के भारत, अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण के बीच सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौते की रूपरेखा के अन्तर्गत अमरीका के बदले वह तारापुर परमाणु बिजली घर को समृद्ध यूरेनियम सप्लाई करने के लिए तैयार है। ईंधन की

वास्तविक सप्लाई के लिए भारत और फ्रांस के बीच इस समय वाणिज्यिक संविदा के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

(घ) 30 नवम्बर 1982 को अमरीकी सरकार ने अपने राजदूतावास के माध्यम से भारत सरकार को सूचित किया कि अमरीका इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने इस अधिकार को छोड़ता है कि भारत सरकार को तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने के वाले समृद्ध यूरेनियम की सभी आवश्यकताएं अमरीका से खरीद कर पूरी करनी होगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों के स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा की अवहेलना

*77. श्री के० लकप्पा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा की अवहेलना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों ने इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य कार्यों में लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

+2 स्तर पर व्यावसायीकरण की स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में वकालत की गई है। 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने संरचना और पाठ्यचर्या दोनों को ध्यान में रखते हुए 10+2 प्रणाली लागू की है। इनमें से 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र व्यावसायीकरण की उपेक्षा कर रहे हैं। जबकि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने 10+2 प्रणाली के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया किन्तु प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कुछ मामलों में इसको वास्तविक रूप से अपनाने में विलम्ब हो गया है।

2. व्यावसायीकरण के महत्व की सराहना करते हुए जून, 1981 में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया है कि +2 स्तर पर व्यावसायीकरण के अभाव में शिक्षा की नई पद्धति अपनाना शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए कारगर नहीं होगा और

+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शीघ्र लागू करने के लिए कहा गया। योजना आयोग ने भी वार्षिक योजना (1983-84) के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं में उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 1983-84 की वार्षिक योजना में इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधि निर्धारित करने के लिए भी लिखकर अनुरोध किया। 5-6 जनवरी, 1983 को हुए शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई। सम्मेलन ने सिफारिश की कि जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर व्यावसायीकरण लागू नहीं किया है, उसे उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने के लिए तुरन्त उपाय करने के वास्ते आग्रह किया जाए।

कलकत्ता बन्दरगाह के लिए नया कन्टेनर टर्मिनल

*78. **प्रो० रूपचन्द्र पाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह के लिए नया कन्टेनर टर्मिनल बनाने का को प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन कलकत्ता में परिष्कृत कंटेनर हैंडलिंग की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। पोर्ट ट्रस्ट ने कलकत्ता में कंटेनर हैंडलिंग की सुविधाओं के सुझाव देने के लिए परामर्श को नियुक्त किया था। इन परामर्शकों ने हाल में अपनी रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट पोर्ट ट्रस्ट के विचाराधीन है। पोर्ट ट्रस्ट से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन पर संभावित व्यय

*79. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयो-करने का निर्णय किया है;

(ख) नई दिल्ली में इस सम्मेलन के आयोजन पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) क्या कुल व्यय का कोई अंश भाग लेने वाले देशों द्वारा वहन किया जाता है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस समय खर्च के सही-सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है। सम्मेलन की तैयारी के लिए सरकार के विभिन्न विभाग प्रबन्ध कर रहे हैं।

(ग) पिछले सम्मेलनों की प्रथा के अनुसार प्रतिनिधि मंडल के नेता को (यदि उनकी पत्नी साथ हो तो उन्हें भी) तथा प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के पांच अतिरिक्त प्रतिनिधियों को और प्रत्येक प्रेक्षक एवं अतिथि प्रतिनिधि-मंडल से दो–के अतिरिक्त प्रतिनिधियों को अतिथि माना जाएगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले देश सिर्फ सम्मेलन के सचिवालय पर होने वाले खर्च को आंशिक रूप से वहन करेंगे।

एशियाई खेलों के लिए उपलब्ध की गयी अतिरिक्त बसें

*80. **श्री निहाल सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए 19 नवम्बर, 1982 से कितनी अतिरिक्त बसें उपलब्ध की गयीं और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी कम्पनियों से पृथक-पृथक कितनी बस प्राप्त की गयीं, और

(ख) एशियाई खेलों के लिए प्राप्त की गयी इन बसों के लिए कितनी धनराशि दी गयी तथा इनसे कितनी आमदनी हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) एशियाई खेलकूद के दौरान कुल 590 अतिरिक्त बसें शहर में लगाई गयी थीं जो निम्नलिखित हैं :—

(I) दिल्ली परिवहन निगम की बसें	209
(II) दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण में प्राइवेट बसें।	42
(III) हरियाणा रोडवेज	200
(IV) उत्तर प्रदेश रोडवेज	139
	590

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को अपनी बसों के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ी। प्राइवेट बसें दिल्ली परिवहन निगम के किलोमीटर स्कीम के अन्तर्गत चल रहे थे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों के लिए उन लोगों के साथ एक करार हुई थी कि वे प्रत्येक दिन की बिक्री अपने पास रखें। इसके अलावा, सिटी रूट पर उनके चलने वाली बसों को दिल्ली परिवहन निगम एक रुपया प्रति किलोमीटर अदा करेगी। उन्हें अदा करने वाली राशि करीब 12.34 लाख रुपये होगी। दिल्ली परिवहन निगम की बसें और इसके तहत प्राइवेट आपरेटरों की बसों से आय दिल्ली परिवहन निगम की कुल आय है। करार के अनुसार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा बसों से कोई आय नहीं हुई।

कैरिज और वैगन फैक्ट्रियों की क्षमता

691. श्री अशफाक हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न कैरिज और वैगन फैक्ट्रियों की फैक्ट्री-वार क्षमता कितनी है,

(ख) पिछले तीन सालों में वर्ष-वार कैरिज और वैगन फैक्टरियों का फैक्ट्री-वार उत्पादन कितना हुआ,

(ग) जोनल रेलों ऐशिया और अफ्रीका के देशों में विभिन्न किस्म के कैरिजों और वैगनों की कितनी मांग है,

(घ) क्या चालू फैक्ट्रियों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) भारत में विभिन्न सवारी और माल डिब्बों कारखानों की क्षमता तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार एवं कारखानावार सवारी और माल डिब्बों का उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) रेलों के लिए सवारी और माल डिब्बों की आवश्यकता का आकलन केवल अखिल रेलवे आधार पर ही किया जाता है और इसकी व्यवस्था वार्षिक चल स्टाक कार्यक्रमों में की जाती है जो कि रेलवे बजट का एक अंग होते हैं । चालू वर्ष 1982-83 के दौरान सवारी एवं माल डिब्बों के लिए मोटी किस्मवार की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :—

सवारी डिब्बे			माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)			
पी०सी०पी०	ओ०सी०वी०	ई०एम०यू०	खुले	बन्द	टकीं	विशेष किस्म के
765	23	कुछ नहीं	13000	214225	340	30

जहां तक एशिया और अफ्रीका के देशों द्वारा की जाने वाली मांग का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि रेलवे क्षेत्र अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर में निर्मित किये जाने वाले सवारी डिब्बों का वाणिज्य मंत्रालय के अधीन प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा निर्यात किया जा रहा है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर प्राप्त होने वाले विशिष्ट आदेशों की पूर्ति स्वरूप किया जाता है । भावी वर्षों में निर्यात किये जाने वाले सवारी डिब्बों की संख्या की भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं होगा । रेलवे क्षेत्र में उत्पादित किये जाने वाले माल डिब्बों का निर्यात नहीं किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

रेलवे क्षेत्र तथा सावजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सवारी एवं माल डिब्बा निर्माण करने वाली इकाइयों को वार्षिक स्थामित क्षमता तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला विवरण।

सवारी डिब्बों का उत्पादन (बिजली गाड़ियों सहित)

उत्पादन इकाई/फर्म का नाम	स्थापित क्षमता	वर्षवार वास्तविक उत्पादन 79-80	80-81	81-82
1. स० डि० का० मद्रास	750	712	720	730
2. बी० ई० एम० एल, बेंगलूर	300	250	176	300
2. जेस्रुप्स, कलकत्ता	350	62	26	43

माल डिब्बों का उत्पादन (चौपहियों के हिसाब से)

	उत्पादन इकाई/फर्म का नाम	स्थापित क्षमता	79-80	80-81	81-82
सर	1. बी०डब्ल्यू०ई० एल/मुजफ्फरपुर (बिहार)	10.0	402	438	649
कारी	2. बी० डब्ल्यू० ई० एल/मोकामा (बिहार)	1500	202	312.5	652.5
उप	3. ब्रेथवेट (पश्चिम बंगाल)	3000	812	303	1302
क्रम	4. बर्न/बर्नपुर (प० बंगाल)	3911	1525.5	1767.5	2332.5
	5. बर्न/हावड़ा (प० बंगाल)	4750	942	1920	2505
प्रा	6. जेस्सप/(प० बंगाल)	3279	—	7	305
ई	7. जिम्को (राजस्थान)	2000	1795	952.5	2419
वेट	8 एच० जी० आई० (दिल्ली)	1000	129	54.5	322
	9. माडर्न इण्डस्ट्रीज (उ० प्र०)	2000	588	835	752.5
	10. टेक्समैको (प० बंगाल)	3600	2777	3864.5	5044.5
	11. जोड़ रेलवे कारखाने	1600	1654	1610	1078

गरवा स्टेशन पर रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करना

692. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गरवा रोड स्टेशन और गरवा स्टेशन के बीच 12 कि० मी० की दूरी है;

(ख) क्या यह सच है कि अमृतसर एक्सप्रेस और चण्डीगढ़ एक्सप्रेस गरवा रोड स्टेशन पर रुकती है परन्तु गरवा स्टेशन पर नहीं रुकती है;

(ग) क्या यह सच है कि गरवा रोड जंक्शन के आस-पास कोई आबादी नहीं है और गरवा रोड स्टेशन से जाने में लोगों को बहुत अधिक मुसीबतें उठानी पड़ती हैं;

(घ) क्या सरकार इन दो रेल गाड़ियों के गरवा रोड स्टेशन में रुकने के समय को कुछ कम करके गरवा स्टेशन में भी इन रेलगाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) गरवा और गरवा रोड जंकशन के बीच लगभग 10 कि० मी० की दूरी है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) गरवा रोड एक जंकशन स्टेशन है जहां से यात्री तीन दिशाओं में यात्रा करते हैं अथवा गाड़ियां बदलते हैं। गरवा टाउनशिप के यात्रियों को फास्ट गाड़ियां पकड़ने के लिए गरवा स्टेशन की तुलना में गरवा रोड जंकशन तक 3 कि० मी० अधिक यात्रा करनी पड़ती है। गरवा रोड जंकशन का भी विकास हो रहा है। श्रू यातायात की मात्रा को देखते हुए फास्ट गाड़ियों को इन दोनों स्टेशनो पर ठहराने का औचित्य नहीं है।

यात्री रेलगाड़ियों के डिब्बों की कमी

693. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यात्री रेल गाड़ियों के डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कुल यात्री डिब्बों की कमी, बदले जाने वाले डिब्बों की संख्या, वर्ष 1982 में सामान्य बदले जाने वाले डिब्बों की संख्या और देश में उत्पादित किए गए डिब्बों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह कमी ह्वील्स और एक्सिलस की है यदि हां, तो तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मौजूदा सवारी डिब्बों की संख्या वर्तमान सेवाओं को बनाए रखने के लिए ही पर्याप्त है, लेकिन बदलाव के लिए अपेक्षित सवारी डिब्बों की संख्या बहुत अधिक है। पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण छठी योजना में 5,680 सवारी डिब्बों का प्रावधान आवश्यकता पर आधारित 14, 141 सवारी डिब्बों की आवश्यकता से, जिसमें गतायु सवारी डिब्बों के बदलाव के लिए 7, 742 सवारी डिब्बे तथा गैर-अनुपनगरीय यात्रा यातायात में 5.5% की वार्षिक वृद्धि को सम्हालने के लिए 7, 742 सवारी डिब्बे शामिल हैं, कम हैं। 31-3-82 को यात्री कोचिंग वाहनों और अन्य कोचिंग वाहनों सहित गतायु सवारी डिब्बों की संख्या बड़ी लाइन पर 1912 तथा मीटर लाइन पर 1152 थी। 1981-82 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए 32 सवारी डिब्बों को छोड़कर, 1167 सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया तथा उन्हें सेवा में लगाया गया।

भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों के लिए पहियों एवं धुरों की कोई कमी नहीं है।

रेलवे सुधार समिति की पांचवीं रिपोर्ट

694. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुधार समिति ने सरकार को पेश की गई पांचवीं रिपोर्ट में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) सरकार ने उनको लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क), (ख) और (ग) रेल सुधार समिति की पांचवीं रिपोर्ट रेल इंजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के उत्पादन और अनुरक्षण से सम्बन्धित है। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1982 के अन्त में मिल गई थी और उसमें की गई अनेक सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है। इस बीच रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

डी० ए० वी० डिग्री कालेज वाराणसी और आर्य महिला डिग्री कालेज वाराणसी के अध्यापकों को वेतन का भुगतान न होना

695. **श्री जैनुल बशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को डी० ए० वी डिग्री कालेज, वाराणसी और आर्य महिला डिग्री कालेज, वाराणसी के अध्यापकों को वेतन का भुगतान न होने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कालेजों के अध्यापकों को वही सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है जो सुविधाएं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापकों को मिली हैं; और

(ग) सरकार ने कालेजों को वेतन का भुगतान करने हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) प्राप्त अभ्यावेदन यह दर्शाते हैं कि इन कालेजों को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन पर किए गए खर्च को वहन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) यद्यपि ये कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में आते हैं, फिर भी इन कालेजों का अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उपलब्ध सभी सुविधाएं इन कालेजों के शिक्षकों को भी प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ये कालेज चूंकि अपने अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, अतः राज्य सरकार से उन्हें दी जाने वाली सहायता की मात्रा में समुचित वृद्धि करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ताकि उनकी वर्तमान वित्तीय कठिनाइयां दूर हो सकें।

हुगली पर दूसरा पुल

696. **श्री नारायण चौबे :**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता में हुगली पर दूसरे पुल का निर्माण कार्य धन की कमी के कारण लगभग ठप्प पड़ा है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की है, ताकि राष्ट्रीय महत्व के इस पुल का निर्माण किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस अनुरोध के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(घ) कलकत्ता में हुगली पर दूसरा पुल बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा गया था;

(ङ) सबसे पहले की अनुमानित लागत कितनी थी;

(च) पुल के लिए वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है और अब तक इस पर कितना खर्च हो गया है और अभी इसमें कितना प्रतिशत किया जाना बाकी है; और

(छ) सरकार इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हाल में राज्य सरकार से ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि यह एक राज्य परियोजना है, इसलिए उनसे ही संबंधित है।

(ख) से (छ) तक : कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिए सिर्फ 57.13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने पर सहमत हुई थी, यदि इससे अधिक खर्च करना पड़े तो उसे राज्य सरकार स्वयं वहन करे। 57.13 करोड़ रुपये के वायदे में से 31-3-82 तक 42.57 करोड़ रुपये निर्गत किए गए और 1982-83 में 14.56 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए बजट में व्यवस्था की गई थी। तथापि अब तक राज्य सरकार ने 14.56 करोड़ रुपये की राशि नहीं ली है और उन्होंने अब तक सिर्फ 9.42 करोड़ रुपये निकाले हैं। इस प्रकार 31-3-83 तक 5.14 करोड़ रुपये की राशि निर्गत करने के लिए उपलब्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में धन की किसी भी मांग का मामला केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है।

तथापि, राज्य सरकार अलग से यह लिखती रही है कि परियोजना पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और वह चाहती हैं कि खर्च में इस बढ़ोतरी को भी केन्द्रीय सरकार पूरा करे। तथापि, राज्य परियोजना होने के नाते और आर्थिक बाधाओं तथा केन्द्रीय सरकार के 57.13 करोड़ रुपये के वायदे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। अतः अगली कार्रवाई करना उनका काम है। लगभग 67% काम अभी शेष है। अब तक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कार्यक्रम में पुल के दिसम्बर, 1986 तक पूरा होने की परिकल्पना की गयी है।

राज्य सरकार ने 1969 में इस पुल की कल्पना की थी, उस समय उन्होंने स्वयं इस पर 16.52 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान किया था। बाद में राज्य सरकार ने इस अनुमान को संशोधित करके 74.63 करोड़ रुपये कर दिया जिसमें से केन्द्र सरकार ने अनुदेय मदों को छोड़कर 57.13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने की बात स्वीकार कर ली।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सुझाव

697. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने दुर्घटना प्रवण सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या उन्होंने कोई यातायात नियंत्रण उपाए सुझाए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) भारतीय सड़क कांग्रेस वैज्ञानिक आधार पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की समस्या पर लगातार विचार करता रहा है और उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राजमार्ग सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं की सिफारिशें सभी राज्य लोक निर्माण विभागों को मार्गदर्शन और क्रियान्वयन के लिए भेज दी गई है। भारतीय सड़क कांग्रेस, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन को भी ध्यान में रखता है। तथापि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने यातायात नियंत्रण उपाय से संबंधित उनके सुझावों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई लिखित रूप में अनुरोध नहीं किया। इसलिए इस बारे में कोई ब्यौरा देने का प्रश्न नहीं होता।

एशियाई खेलों के दौरान डी० टी० सी० की आमदनी

698. **श्री एन० ई० होरो : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों के दौरान डी० टी० सी० की संचालन क्षमता ने नए मानदण्ड स्थापित किए और कारपोरेशन ने 'अच्छी ख्याति' कायम रखी;

(ख) यदि हां, तो खेलों के दौरान हुई कुल दैनिक आमदनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी० टी० सी० की बसों की आमदनी में किसी प्रकार की कमी आई है क्योंकि कुछ बसों को अन्तर्राज्यीय रूटों से हटाकर शहर में चलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो एशियाड 82 के दौरान हुई आमदनी का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जहां तक बसों के अधिकतम इस्तेमाल, बसों के प्रति किलोमीटर चलने आदि का संबंध है, एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की दक्षता में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

(ख), (ग) और (घ) खेलों के दौरान शहर में बसों के चलने से कुल दैनिक आय 12.89 लाख रुपये से बढ़कर 13.28 लाख रुपये हो गई। अन्तर्राज्यीय प्रचालन में 186 बसों के प्रचालन से 2.55 लाख रुपये की जो आय होती थी, वह एशियाई खेलों के दौरान घटकर 57 बसों से 1.55 लाख रुपये रह गई। तथापि, अन्तर्राज्यीय रूटों पर प्रति बस दैनिक आय जो अक्तूबर, 1982 में 1373 रुपये थी, वह एशियाई खेलों के दौरान बढ़कर 2720 रुपये हो गयी।

दिल्ली में चल रही डीलक्स बसों और मेटाडोर गाड़ियों की संख्या

699. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में प्रति ट्रिप एक रुपया फ्लैट रेट पर चलने वाली डीलक्स बसें कितनी हैं;

(ख) दिल्ली में एक रुपया प्रति यात्रा पर चलने वाली मेटाडोर कितनी बसें हैं;

(ग) दिल्ली में एक पाइंट से दूसरे पाइंट तक एक रुपया फ्लेट रेट पर चलने वाली कितनी बसें हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अनेक डीलक्स बसें सीमापुरी आदि जैसे स्थानों से चलती हैं जहां अल्प आमनदनी की श्रेणी के लोग रहते हैं और जिन्हें इन बसों में चलना भारी पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति पर पुनर्विचार करने और ऐसे स्थानों से और अधिक सामान्य बसें चलानै का है;

(च) क्या एक पाइंट से दूसरे पाइंट तक चलने वाली बसें अधिकांश उन स्थानों से चलती हैं जहा से दूसरी बसें भी उपलब्ध हैं और उनमें अधिक यात्री नहीं चलते; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रास्ते में महत्वपूर्ण पाइंटों पर इन बसों को रोकने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) आज की तिथि तक दिल्ली परिवहन निगम के पास 367 डीलक्स बसें हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने कांट्रेक्ट कैरेज परमिट आधार पर 344 माइक्रो मिनी बस (मेटाडोर) जारी की और यह एक रुपया के फ्लेट रेट पर एक प्वांइट से दूसरे प्वांइट तक चलती है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की 12 बसें एक प्वांइट से दूसरे प्वांइट तक प्रतिदिन 24 सिंगल ट्रिप चलती है।

(घ) और (ङ) 367 डीलक्स बसों में से केवल 40 बसें पुनर्वास और जे० जे० कालोनी से चलती हैं जो सामान्य बसों के अतिरिक्त हैं। विभिन्न रेसिडेनशियल एसोसियेशन के भारी मांग पर ये बसें चलाई गई हैं। पुनर्वास कालोनियों में चलने वाली सामान्य बसों की संख्या यातायात की आवश्यकतानुसार समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।

(च) उन स्थानों से जहां से अन्य बसें उपलब्ध होती हैं, प्वांइट से प्वांइट बसें चलाने का उद्देश्य यात्रा समय को कम करना है। यात्रियों का कहना है कि ये सेवाएं अच्छी हैं।

(छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ और सीतापुर के बीच डीजल रेल कार चलाना

700. **श्री रामलाल राही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-बरेली सैक्शन, पूर्वोत्तर रेलवे, में लखनऊ तथा सीतापुर के बीच अथवा कानपुर तथा लखनऊ के बीच बरास्ता सीतापुर एक 'नान स्टाप' डीजल रेल कार चलाने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक 'नान-स्टाप' डीजल कार चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस समय लखनऊ और कानपुर के बीच चल रही दो जोड़ी डीजल रेल कारें मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती हैं। लखनऊ और सीतापुर तथा लखनऊ और कानपुर के बीच अविरामी डीजल रेल कार चलाने से मध्यवर्ती स्टेशनों से/तक यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होगी।

(ख) जी नहीं।

पुनर्वास कालोनियों में क्षय रोग के मामलों की खोज के लिए सर्वेक्षण

701. **श्री नवीन रावणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली की पुनर्वास कालोनी "मंगोलपुरी" में क्षय रोग के मामलों की खोज करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है तथा प्रति हजार 13.4 मामले पाए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण अन्य पुनर्वास कालोनियों में भी किए गए हैं यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) मामलों की बढ़ती हुई संख्या के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रोग को रोकने तथा मरीजों के इलाज के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्यों ने मंगोलपुरी कालोनी के "पी" और "क्यू" ब्लाक में क्षयरोग से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक सीमित सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह पता चला कि प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 14.3 व्यक्ति (12 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के) फेफड़े के क्षयरोग से पीड़ित थे।

(ख) नहीं।

(ग) मंगोलपुरी कालोनी में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम वही थे जो पिछले वर्षों में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद द्वारा किये गये राष्ट्रीय नमूना क्षयरोग सर्वेक्षण में पाये गए थे। क्षयरोग की व्यापकता दर कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली संघ शासित क्षत्र में स्थित 12 क्षय-रोग क्लिनिकों के जरिये रोगियों को मुफ्त नैदानिक इलाज और रोग-निरोधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लोगों को जानकारी देने और प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं जिनमें उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्षयरोग के क्लिनिकों के जरिये क्षयरोग से पीड़ित रोगियों को क्षयरोग रोधी औषधियों सहित निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

266 अप 265 डाउन जोधपुर भिल्दी एक्सप्रेस का अहमदाबाद तक बढ़ाना

702. **श्री विरधा राम फुलवारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 266 अप 265 डाउन जोधपुर-भिल्दी एक्सप्रेस को सीधे अहमदाबाद तक बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय 65 ए/66 ए भुज-अहमदाबाद पैसेंजर से मेल लेती हुई 265/266 जोधपुर-भीलड़ी एक्सप्रेस गाड़ी के सात यान जोधपुर-अहमदाबाद के बीच चल रहे हैं। ये सवारी डिब्बे भीलड़ी के रास्ते थ्रू यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त पाये गये हैं। मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की भारी तंगी के कारण 265/266 एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक चलाना भी व्यावहारिक नहीं है।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र का लापता होना

703. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला सोवियत राष्ट्र का बदले में आया (एक्सचेंज) एक छात्र एकाएक लापता हो गया;

(ख) क्या सोवियत रूस की सरकार ने भारत सरकार से लापता छात्र का पता लगाने का अनुरोध किया है; और

(ग) उक्त छात्र का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) एक रूसी राष्ट्रिक श्री दमित्रीव एलेक्सी इगरविच, जिसने भारत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1981-82 के अन्तर्गत भारत सरकार के एक अध्येता के रूप में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में कार्य करना शुरू किया था, अगस्त, 1982 से लापता है। नई दिल्ली स्थित सोवियत रूस के दूतावास से सूचना प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया। गृह मंत्रालय की जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि अध्येता मिल नहीं रहा है। फिर भी उसका अतापता लगाने के लिए उनके द्वारा और प्रयास किए जा रहे हैं।

समाजवादी और अन्य देशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों के लिए मानदण्ड

704. श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ वहां पर भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए कोई समझौता किया गया था और जिसे कुछ समय पहले रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसे रद्द करने और अभी तक उसे पुनः लागू न करने के क्या कारण हैं क्या उसे पुनः शुरू किया जायेगा; और

(ग) अध्ययन के लिए समाजवादी देशों में जाने वाले और यू० के० तथा अमेरिका जाने वाले छात्रों पर लागू किए जाने वाले मानदण्ड में क्या अन्तर है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। केवल अवर स्नातक स्तर पर ही पाठ्यक्रमों को रद्द किया गया था।

(ख) अवर स्नातक अध्ययनों के लिए भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसलिए सोवियत रूस सहित विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रों को प्रायोजित करना भारत सरकार के लिए आवश्यक नहीं है।

सोवियत रूस तथा अन्य देशों में सेवा कालीन प्रशिक्षण सहित अवर स्नातक स्तर के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय छात्रों को भेजा जाना पुनः शुरू करने के प्रश्न पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था लेकिन यह निर्णय किया गया था कि बिदेशों में अवर स्नातक स्तर के अध्ययनों के लिए छात्रों को प्रायोजित न किया जाए।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशों में अवर स्नातक अध्ययनों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। छात्रवृत्ति की सभी योजनाओं के लिए मानदण्ड एक जैसे ही हैं और उसमें देश – प्रति देश कोई अन्तर नहीं है।

कोरापुट से रायगदा तक रेल लाइन

705. श्री गिरधर गोमांगो : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमन गोडी अल्यूमिना संयंत्र से होकर कोरापुट से रायगदा तक की नई रेल लाइन भारत सरकार ने अल्यूमिना/अल्यूमिनियम संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट भी एक घटक के रूप में मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो रेल लाइन को निर्माण के लिए अब तक नेल्को और उनके मंत्रालय ने कितना धन दिया है और अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या रायगदा से दमनगोडी तक कार्य शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 1983-84 में व्यवस्था की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) दामनजोड़ी के रास्ते कोरापुट से रायगड़ा तक नयी लाइन के निर्माण का काम एक रेल परियोजना के रूप में शुरू किया गया है और "नालको" द्वारा रेलवे के पास कोई धन-राशि जमा नहीं करायी जा रही है।

मांचिलीगुडा तक कोरापुट-रायगड़ा नयी रेल लाइन के प्रथम चरण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। मचिलीगुडा से रायगड़ा तक चरण दो के लिए अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है और जैसे ही अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा, धन की उपलब्धता के अनुसार इस खण्ड पर 1983-84 के दौरान कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

राज्यों में पाठ्यपुस्तकों में धार्मिक अवतारों के उल्लेख पर विवाद

706. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में हाल ही में पाठ्यपुस्तकों में कुछ धार्मिक अवतारों के उल्लेख के सम्बन्ध में अनेक विवाद उठ खड़े हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए पाठ्यपुस्तकों के संकलन के सम्बन्ध में कुछ केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाएंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हैं।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इतिहास तथा भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण संबंधी एक कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित मार्गदर्शी रूपरेखाओं तथा उपस्करों के आधार पर राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण करा रहे हैं। पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं के विकास की सम्भावना का पता लगाया जायेगा ताकि इस प्रकार के पुनरीक्षणों से किसी पद्धति का निर्माण किया जा सके।

हरपेटिक अल्सर से पीड़ित लोग

707. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक लोग लाइलाज बीमारी हरपेटिक अल्सर से पीड़ित हैं और वे अपनी नजर खो बैठे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अनुसन्धान संस्थाएं इस रोग के कारणों का पता लगाने और इसका इलाज ढूढ़ने में सफल हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) से (घ) हरपेटिक अल्सर देश में अन्धेपन के कारणों में से एक है। यह एक विष्मणु जनित रोग है। इस रोग के इलाज के लिए भारत में कुछ विषाणु-रोधी औषधियां उपलब्ध हैं। अधिकांश रोगियों में उनके परिणाम अच्छे निकले हैं। शेष रोगियों का आपरेशन करके उनका उपचार किया जाता है।

मलेरिया उन्मूलन

708. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालम है कि उड़ीसा, के होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में मलेरिया के उन्मूलन के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा अपनाई गई पद्धति को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) उड़ीसा के होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा मलेरिया के उन्मूलन के लिए किए जा रहे अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । वैसे, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1979 में दो अनुसंधान यूनिटें एक भुवनेश्वर में तथा दूसरी पुरी में स्थापित की थी । "मलेरिया पर क्लीनिकल अनुसंधान" नामक विषय उनको सौंपा गया है । वहां पर यह कार्य अभी भी चल रहा है।

राजधानी में बच्चों तथा बाल-गृहों का शोषण

709. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश भर में तथा राजधानी में भी हो रहे बच्चों के भारी शोषण की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो सरकार ने क्या रचनात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) की रिपोर्ट की ओर भी दिलाया गया है जिसमें लाखों भारतीय बच्चों के जानबूझकर तथा बेईमानी करके किये जा रहे शोषण होने तथा उनके सुरक्षण हेतु समुचित कानून के न होने का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि राजधानी में बाल गृहों की दशा अत्यन्त खराब है जिसके फलस्वरूप अनैच्छित बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि शारदा अधिनियम के बावजूद भी बाल विवाह सामान्य रूप से हो रहे हैं और उक्त स्थिति का मुकाबला करने हेतु सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार को इस बात का पता है कि राजधानी में तथा इस देश के अन्य भागों में बच्चों का शोषण होता है। इसलिए बाल अपराधियों तथा अपराध की ओर प्रेरित करने वाली परिस्थितियों में पाए जाने वाले ऐसे ही अन्य उपेक्षित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पालन पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास से सम्बन्धित कार्यक्रम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा चलाए जाते हैं। बाल अधिनियमों में उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवस्थापना बनाने के लिए उपबन्ध किया गया है। इस समय नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने-अपने बाल अधिनियम अधिनियमित कर लिए हैं।

भारत सरकार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को प्रेरित कर रही है कि वे अपने-अपने बाल अधिनियमों के उपबन्धों को कारगर रूप से लागू करें। बाल अधिनियम, 1960, जैसा कि उसे 1978 में संशोधन किया गया, केन्द्र शासित प्रदेशों पर, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, लागू हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल अधिनियम के अधीन स्थापित की गई संस्थाओं में सेवाओं के कुछ न्यूनतम मानदण्डों के लिए भी उपबन्ध किया गया है।

बच्चों और कानून के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन दिल्ली में 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1982 तक किया गया। बच्चों की सुरक्षा, समाज रक्षा तथा बाल श्रमिकों के बारे में इस सेमिनार ने अनेक सिफारिशें की हैं। यह सिफारिशें उपयुक्त प्राधिकारियों को विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रकाशित नहीं किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि लाखों भारतीय बच्चों का जान-बूझ कर और बेईमानी से शोषण किया जा रहा है तथा उनकी सुरक्षा के लिए समुचित कानून नहीं हैं। फिर भी, सरकार को पता है कि भारत में बच्चों का शोषण होता है।

दिल्ली में चलाए जा रहे बाल गृह इस देश के सर्वोत्तम बाल गृहों में से हैं। फिर भी, इन बाल गृहों में और सुधार के लिए गुंजाइश है।

इस बात के पक्ष में हाल में कोई आंकड़े नहीं मिले हैं कि भारत में बाल विवाह सामान्य रूप से हो रहे हैं। फिर भी सरकार ने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से दहेज, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों से भी निवेदन किया गया है कि वे सामाजिक कानूनों को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर कारगर प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करें तथा इन बुराइयों के विरुद्ध मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक जागरूकता भी उत्पन्न करें। इस प्रयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों और जन प्रचार साधनों का सक्रिय उपयोग किया जाए।

मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए पौष्टिक आहार और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था

710. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले बस्तर के अबू झांबर, क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कब तक लागू किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार बस्तर जिले के समूचे आदिवासी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लागू करने पर विचार करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को सरकार सभी विकास खण्डों में कब तक लागू करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस देश में पिछड़े ग्रामीण, जनजातीय और शहरी गन्दे क्षेत्रों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा माताओं को समेकित रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य की जांच, निर्देशक सेवाएं, स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रों का चुनाव राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के स्थानों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में मंजूर की गयीं 70 परियोजनाओं में से 43 जनजातीय हैं, जिनमें से 8 बस्तर जिले में हैं। अबू झांबर खण्ड को अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

(घ) वर्ष 1981-82 तक 300 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की गयी थीं। वर्ष 1982-83 में 320 और परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले 380 और समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी, जिनसे परियोजनाओं की कुल संख्या 1000 हो जाएगी।

वार्ता हेतु अधिकारियों का चीन का दौरा

711. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिनिधियों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल में चीन का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों, शिष्टमंडलों अथवा प्रतिनिधि मण्डलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय में सचिव श्री के० एस० बाजपेयी के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल ने चीन के साथ सीमा के प्रश्न और द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास से सम्बन्धित सरकारी वार्ता के तीसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चीन की यात्रा की।

कोयला ढोने के लिए मालगाड़ी से डिब्बों के आवंटन की नीति

712. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पक्षपात या भेदभाव की किसी प्रकार की शिकायतों के अवसरों को समाप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए कोयला ढोने वाली माल-गाड़ियों के डिब्बों के आवंटन के लिए कोई ठोस नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या यह लागू की जा चूकी है और यदि हां, तो इसकी क्या उपलब्धियां हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस नीति की घोषणा कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलें ग्राहकों के साथ किसी पक्षपात अथवा भेदभाव के बिना कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बा आवंटन करने के सम्बन्ध में बहुत पहले से ही एक ठोस नीति का अनुशरण करती आ रही है।

(ख) कलकत्ता स्थित निदेशक, संचलन (रेलवे) प्रत्येक वर्ष के अक्तूबर महीने में सभी राज्य और केन्द्रीय प्रायोजित प्राधिकारियों को पत्र लिखते हैं जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता वर्गों के लिए उच्चतम सीमा निश्चित की जाती है। इसके बाद प्रायोजित प्राधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता के लिए उच्चतम सीमा के अन्तर्गत आगामी कलैंडर वर्ष के लिए कोटे की सिफारिश करते हैं। निदेशक, संचलन (रेलवे) सम्बन्धित कोयला कम्पनी के साथ परामर्श करके इन कोटों की जांच करते हैं और यथा आवश्यक संसोधनों सहित स्वीकृत किए जाते हैं। निदेशक, संचलन (रेलवे) तब सभी सम्बन्धित कम्पनियों के लिए स्वीकृति जारी करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित प्राथमिकताओं और कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रख कर इन स्वीकृतियों के लिए दैनिक आधार पर माल डिब्बों का आवंटन किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता सर्कुलर रेल के बारे में 'रेलवे इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड' की रिपोर्ट

713. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता सर्कुलर रेल के बारे में अनेक विशेषज्ञ समितियों और आयोगों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें पेश की हैं;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में रेलवे इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) की रिपोर्ट के बारे में मालूम है;

(ग) क्या सरकार ने 'राइट्स' की रिपोर्ट सहित उन सभी रिपोर्टों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो 'राइट्स' की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को मान लिया है अथवा मानने जा रही है; और

(च) यदि हां, तो ये कब और कैसे लागू की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) जी हां। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर हाल ही में एक तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किया है और उन्होंने इसे तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक लेकिन वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाया। अभी यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है। बहरहाल, जब तक कलकत्ता महानगर क्षेत्र के लिए दमदम से टालीगंज तक मेट्रो रेलवे परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक कलकत्ता क्षेत्र में किसी अन्य परियोजना को वित्तीय तंगियों के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है।

त्रिभाषा फार्मूले का कार्यान्वयन

714. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा त्रिभाषा फार्मूले का कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहीं रहा है और वस्तुतः यह कुछ सीमा तक कम रहा है;

(ख) क्या मूल विचार के अनुसार यह फार्मूला छात्रों को ऐसे राज्य की भाषा सीखने के लिये प्रोत्साहित करके, जो भौगोलिक दृष्टि से दूर हों, उनमें अन्तर्क्षेत्रीय एकता बढ़ाने तथा उससे उत्तर के लोगों में दक्षिण के प्रति तथा पूर्व के लोगों में पश्चिम के प्रति एकता की भावना पैदा करके और इस प्रकार देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करने के लिए तैयार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो यह उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(घ) भिन्न-भिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना-कितना धन नियत किया गया और क्या उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जा सका और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) से (घ) अधिकांश राज्यों ने सिद्धान्ततः त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया है। तमिल नाडु ने राज्य विधान मण्डल द्वारा 1968 में पारित संकल्प के अनुसार दो भाषा सूत्र को अपना लिया है और पाण्डिचेरी तथा कराइकल क्षेत्र उसी सूत्र का अनुसरण करते हैं जो तमिलनाडु में लागू है। तथापि, कुछ राज्य वहां की शैक्षिक आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रहे हैं। एकता की भावना को बढ़ावा देने तथा देश के विभिन्न भागों के लोगों के बीच सम्पर्क को सुकर बनाने के लिए एक

नीति के तौर पर त्रि भाषा सूत्र तैयार किया गया है ताकि देश की भावात्मक एकता को प्राप्त किया जा सके।

बुनियादी तौर पर त्रि भाषा सूत्र का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतः निधि के आबंटन का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार इस सूत्र के उपर्युक्त कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापकों के प्रशिक्षण के वास्ते कुछ केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं संचालित कर रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य योजनाएं ये हैं :

(i) आगरा में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान तथा दिल्ली, हैदराबाद और गोहाटी में इसके केन्द्र स्थापित करना।

(ii) स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता;

(iii) आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) दूसरी भाषा के अध्यापन तथा भाषा अध्यापन पर साहित्य और सामग्री के निर्माण के लिए बुनियादी तौर पर स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण में सहायता करने के वास्ते मैसूर, पूना, भवनेश्वर, पटियाला और सोलन में पांच क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के साथ केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की स्थापना करना।

केनिंग से गोलाबारी तक रेल लाइन

715. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के पिछड़े इलाके को केनिंग से गोलाबारी तक किसी भी स्तर पर रेल लाइन बिछा कर विकसित करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिआवश्यक रेल सम्पर्क पर आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) केनिंग से गोलाबारी (20 कि० मी०) तक एक बड़ी लाइन के लिए कुछ दिन पूर्व यातायात एवं मोटे तौर पर टोह सर्वेक्षण कराने से यह पता चला कि प्रस्तावित लाइन अर्थक्षम नहीं होगी। इसलिए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक के बीच हाट-लाइन सम्पर्क

716. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच "हाट लाइन" स्थापित करने और दोनों देशों के मध्य संचार सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस तरह की "हाट लाइन" कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच "हाट लाइन" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच संचार-सम्पर्क मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें लाहौर और अमृतसर के बोच कोएक्सियल के तार बिछाना और बम्बई तथा कराची के बीच पूर्णत: स्वचालित टेलेक्स सेवाएं एवं उपग्रह संचार सेवाएं स्थापित करना सम्मिलित हैं।

एकलाक्षी-बालूरघाट रेल लाइन

717. **डा० गोलाम याजदानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में एकलाक्षी-बालूरघाट रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या काम शुरू हो गया है और यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा लागू की गई वृद्धावस्था पेंशन

718. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन भुगतान शुरू हो गया है;

(ख) उन राज्यों में किस तारीख अथवा वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन दी गई है;

(ग) अब तक वृद्धावस्था पेंशन की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) उड़ीसा में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	वर्ष जब लागू की गयी	प्रतिमास पेंशन की दर (रुपयों में)	1981-82 लाभ प्राप्त-कर्ताओं की संख्या	1981-82 दी गयी राशि (लाख रुपयों में)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1977	30	उपलब्ध नहीं	3.46*	*बजट प्रावधान की राशि
2.	असम	×	×	×	×	लागू नहीं की गयी
3.	बिहार	1974	30	22,86,202	6400.00	सामाजिक सुरक्षा योजना में वृद्ध शामिल हैं ।
4.	गुजरात	1978	30	13,333	150.00	वृद्ध कृषि मजदूर/किसानों को अलग कवर किया जाता है ।
5.	हरियाणा	1964	60	14,987	86.21	अप्रैल, 1964 से मार्च, 69 के दौरान योजना समाप्त की गयी थी ।
6.	हिमाचल प्रदेश	1974	50	44,979	177.94	पेंशन की दर को 1974 में अन्तिम बार संशोधित किया गया था ।
7.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	60	5,464*	उपलब्ध नहीं	1981-82 तक के लाभ प्राप्तकर्ता
8.	कर्नाटक	1965	40	3,42,595	1700.00	

1	2	3	4	5	6	7
9.	केरल	1973	55	उपलब्ध नहीं	339.90	वृद्ध कृषि मजदूरों के लिए अलग योजना है।
10.	मध्य प्रदेश	1981	60	उपलब्ध नहीं	406.24	सामाजिक सुरक्षा योजना 1981 में वृद्ध भी शामिल हैं।
11.	महाराष्ट्र	1979	60	1,54,000	1367.00	संजय गांधी निर्धन अनुदान योजना 1979 में वृद्ध भी शामिल हैं।
12.	मणिपुर	×	×	×	×	लागू नहीं की गई।
13.	मेघालय	1981	60	243	उपलब्ध नहीं*	आंकड़े 1980-81 के लिए हैं।
14.	नागालैंड	1982	60	700	0.85	
15.	उड़ीसा	1975	40	82,200	281.00	
16.	पंजाब	1964	50	1,06,960	409.69	
17.	राजस्थान	1964-65	40	55,000	200.00*	आंकड़े 1978-79 के लिए हैं।
18.	सिक्किम	1981	60	207	उपलब्ध नहीं	
19.	तमिलनाडु	1962	35	1,89,349*	485.30*	इन आंकड़ों में वृद्ध (सामान्य) कृषि मजदूर, विकलांग और विधवाएं शामिल हैं।
20.	त्रिपुरा	1979-80	30	5,426	19.87	
21.	उत्तर प्रदेश	1957	60	42,769	270.00	
22.	पश्चिम बंगाल	1979	30	24,640	91.79	

ईस विवरण में उड़ीसा के बारे में ब्योरे भी उपलब्ध हैं।

परमाणु अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारत की प्रारूप सन्धि का पुनरीक्षण

719. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने परमाणु अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली अपनी प्रारूप संधि का पुनरीक्षण किया है और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी समिति के पटल पर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी दूसरे विशेष अधिवेशन में, जो न्यूयार्क में जून-जुलाई, 1982 में बुलाया गया था, भारत ने पहली बार "नाभिकीय हथियारों का प्रयोग न करने से सम्बद्ध एक अभिसमय" का प्रारूप रखा था। बाद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 37वें नियमित अधिवेशन ने जो सितम्बर—दिसम्बर, 1982 में हुआ था, भारत द्वारा प्रायोजित वह संकल्प 13 दिसम्बर, 1982 को 17 के मुकाबले 117 मतों से स्वीकार किया जबकि 8 ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिसमें निरस्त्रीकरण समिति से यह अनुरोध किया गया था कि वह भारत द्वारा रखे गए अनुबद्ध अभिसमय के प्रारूप को आधार मानते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर सहमति हासिल करने के उद्देश्य से अग्रता के आधार पर बातचीत शुरू करे जिसमें किसी भी परिस्थिति में नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देने का निषेध हो। स्वीकृत संकल्प संख्या 37/100 सी और उससे अनुबद्ध अभिसमय प्रारूप की प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 5907/83] भारत ने पहले जो अभिसमय-प्रारूप एस० एस० ओ० डी०-11 में रखा था उसमें कोई भी परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया। इस अभिसमय-प्रारूप की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके संभावित पक्षकार देश यह "विश्वास करते हुए कि नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और मानवता के विरुद्ध अपराध है", "निष्ठापूर्वक वचन देते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही प्रयोग करने की धमकी देंगे।"

एशियाई खेलों में अरुणाचल के नृत्य प्रस्तुत किए जाने पर चीन की प्रतिक्रिया

720. श्री अनन्त रामुलु मुल्लु :
श्री दौलत राम सारण :
श्री बी० बी० देसाई :
श्री एम० रामगोपाल रड्डी :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सुभाष यादव :
श्री एडआर्डो फैलीरो :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1982 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' 'अरुणाचल डांस इक्स चायना' शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि चीन ने भारत-चीन सीमा पर के भू-भाग पर अपना दावे का प्रचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन को प्रयोग करने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में चीन से विरोध प्रकट किया है और भारत के मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है और इस सम्बन्ध में अपने रुख को स्पष्ट किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां, इस अखबार ने नवचीन समाचार एजेंसी की एक टिप्पणी को उद्धृत किया है।

(ख) नवचीन समाचार एजेंसी की यह टिप्पणी जब सरकार की नजर में आई तो आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया था जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1. एशियाई खेलों के समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य को शामिल किए जाने के संबंध में नवचीन समाचार एजेंसी के समाचार का पूरा पाठ भारत सरकार को अभी हाल ही में उपलब्ध हो गया है।

2. सरकार इस अनुचित आक्रमण के विषय और स्वर, दोनों पर खेद व्यक्त करती है जो कि चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी के माध्यम से किया गया है।

3. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि चीन सरकार की एक आधिकारिक समाचार एजेंसी भारत के इस भाग की एक नृत्य मण्डली के शामिल होने जैसी सामान्य घटना पर आपत्ति करेगी जो कि एक ऐसे समारोह में शामिल हो रही थी जिसमें कि देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व था। ऐसे अवसर पर, जबकि हमारी द्विपक्षीय वार्ता का क्रम इस स्थिति तक पहुंच गया है, ऐसा करना निःसंदेह बहुत बुरा है।

4. सरकार नवचीन समाचार एजेंसी की टिप्पणी पर खास तौर पर इसलिए खेद व्यक्त करती है कि इन खेलों में चीनी खिलाड़ियों के दल का इतना हार्दिक स्वागत किया गया था और भारतीय जनता ने उनके खेलों की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

5. 14 हजार वर्गमील से अधिक भारतीय प्रदेश चीन के गैर-कानूनी कब्जे में है। भारत की पहल पर सीमा के प्रश्न को लेकर अधिकारी स्तर पर बातचीत शुरू हुई और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इस सवाल का तय

होना बहुत जरूरी है। बातचीत के लिए एक परस्पर स्वीकार्य आधार तलाश करने और सीमा के सवाल के समाधान के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक सृजनात्मक और रचनात्मक रवैया अख्तियार किया है।

6 सरकारी चीनी समाचार एजेंसी का यह वक्तव्य सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की मार्गदर्शी भावना के विपरीत है। हम नवचीन समाचार एजेंसी की इस टिप्पणी और इसके निहितार्थों को अस्वीकार करते हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत

721. **श्री उत्तम राठौर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की थी जब वे हाल ही में कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों की यात्रा के दौरान दिल्ली में रुके थे; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) 1 नवम्बर को प्रधान मंत्री के साथ अपनी मुलाकात में राष्ट्रपति जिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त आयोग की स्थापना पर सहमति व्यक्त की थी। दिसम्बर, 1982 में इस आशय के एक समझौते पर आद्यक्षर किए गए जिस पर मार्च, 1983 में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों शासनाध्यक्षों ने शान्ति, मित्रता और सहयोग संबंधी संधि पर भारत के मसौदे तथा पाकिस्तान के अनाक्रमण से संबंधित मसौदे पर विचार करने के लिए अपने-अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। दूसरे आपसी मामलों पर भी बातचीत हुई। कुछ सार्वभौम और प्रादेशिक मसलों की भी समीक्षा की गई। उसके बाद, दोनों देशों के बीच सचिव स्तर पर सरकारी सतही वार्ताओं के दो दौर पूरे हो चुके हैं।

गर्भावस्था परीक्षण करने की हानिकारक औषधियों की बिक्री रोकने हेतु किए गए उपाय

722. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1982 के "पैट्रियट" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि प्राइवेट डाक्टरों द्वारा आस्ट्रोजोन प्रोजोस्टरेन फार्मूलेशन की बड़ी खुराक से गर्भावस्था परीक्षण की प्रतिबन्धित औषधि खुले तौर पर रोगियों के लिए लिखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे कितने मामलों का पता चला है जिसमें उपरोक्त प्रतिबन्धित गर्भावस्था परीक्षण औषधि प्राइवेट डाक्टरों द्वारा रोगियों के लिए लिखी गई थीं; और

(ग) इस प्रकार की औषधियों के विपणन को रोकने के लिए क्या सख्त उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेत एम० जोशी) : (क) और (ग) सरकार को इस समाचार की जानकारी है जो 28 दिसम्बर, 1982 के "पैट्रियट" में "गर्भधारण संबंधी परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाओ" शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सरकार ने देश में आस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टीरीन की निश्चित खुराक वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने और 31-12-82 से उनका निर्माण तथा 30-6-83 से उनकी बिक्री बन्द करने का निर्णय लिया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं के सम्बन्ध में एक समिति का गठन

723. **श्री चतुर्भुज** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों की समस्याओं को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया गया था और इस समिति ने क्या सिफारिशें कीं और यदि नहीं तो सरकार इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कब समिति गठित करेगी; और

(ख) देश में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की औसत संख्या कितनी है और उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों की संख्या कितनी है और इस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच कराने हेतु जनवरी, 1982 में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति का कार्य चल रहा है। सरकार के पास इस समय देश के सभी विश्वविद्यालयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 1-1-1983 तक की यथास्थिति के अनुसार 120 विश्वविद्यालय और 13 विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं थीं। शैक्षिक वर्ष 1981-82 के दौरान 118 विश्वविद्यालयों और 13 विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं में कुल नामांकन 29.52 लाख था। उस वर्ष के दौरान जो कुल नामांकन हुआ उसमें कुछ मामलों में सैकड़ों में और कुछ अन्य मामलों में एक लाख से भी अधिक भिन्नता थी। परीक्षकों की नियुक्ति के मानदण्ड विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों की संख्या से सम्बन्धित सूचना व अन्य ऐसे ब्योरे सरकार द्वारा न तो एकत्र किए जाते हैं और न ही उन्हें रखा जाता है।

पूर्व रेलवे के आसनसोल में स्थित केरिज और वैगन विभाग में चोरी

724. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बल की मिलीभगत से कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा पूर्व रेलवे के आसनसोल स्थित केरिज और वैगन विभाग में मशीनों के पुर्जों, फर्नीचर आदि की संगठित एवं नियमित रूप से चोरी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो रेल सम्पत्ति और सरकारी धन की इस प्रकार की भारी हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। 1982 और 1983 (16 फरवरी तक) के दौरान 21-12-82 को केवल एक ऐसे मामले का पता चला था, जिसमें सवारी व माल डिब्बा फोरमैन आसनसोल के अधीन कार्यरत 3 श्रमिक चोरी छुपे ब्रास बियरिंग के 5 टुकड़े ले जाते पाए गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस मामले में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों की मिली-भगत होने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। मण्डल अपराध आसूचना कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्व रेलवे मुख्यालय द्वारा संदिग्ध रेल कर्मचारियों पर निगरानी रखी जा रही है।

ब्रिटिश पोत स्वामियों द्वारा ब्रिटिश ध्वजयुक्त जहाजों पर कार्य कर रहे भारतीय नाविकों की मंजूरी में अन्तर की राशि को रोके रखना

725. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**
श्री सुधीर कुमार गिरि :
श्री अजित कुमार साहा :
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल यूनियन आफ सीमेन आफ द यू० के० एण्ड इण्टरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ब्रिटिश पोत स्वामियों द्वारा ब्रिटिश फ्लैगशिप्स पर कार्य कर रहे भारतीय नाविकों की इस समय रोके रखी गई मजूरी में अन्तर की 25 करोड़ रुपये की धनराशि का अन्तरण करने के विचार का संयुक्त रूप से विरोध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार भारतीय नाविकों के हितों की किस प्रकार रक्षा करेगी; और

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले को उठाने का सरकार का कोई विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क), (ख) और (ग) सरकार को नेशनल यूनियन आफ सीफरर्स आफ इण्डिया और नेशनल यूनियन आफ सोपेन, यू० के० बीच चल रही बातचीत की जानकारी है। 12-1-1983 को लंदन में इन दोनों यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। विचार-विमर्श के बाद दोनों यूनियनों के प्रतिनिधियों ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस आशय पत्र के अनुसार शीघ्र ही उन लोगों के बीच जल्दी ही आगे बातचीत होगी। सरकार इस विषय में आगे की कार्रवाई पर निगरानी रख रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मांगें

726. श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने पिछले दो आन्दोलनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मांगें क्या थीं; और

(ख) सरकार द्वारा उनके साथ क्या वायदे किए गए थे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत मांगों की सूची संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5908/83]

(ख) उनकी अधिकांश मांगें, जो विश्वविद्यालय के अधिकार में थीं उन पर विचार किया गया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर उनमें से कुछ कार्यान्वित की जा चुकी हैं, जबकि कुछ अन्यों को कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है। कुछ प्रमुख मांगें अर्थात् आवास सुविधाओं में सुधार, पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जहां जरूरी हुआ सरकार के परामर्श से और पारस्परिक सहमति से यथा स्वीकृत रूप में स्वीकार कर ली गई है।

होम्योपैथी की शिक्षा और व्यवसाय के बारे में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

727. श्री बी० डी० सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी की शिक्षा और व्यवस्था को नियमित करने के लिये सरकार द्वारा बनायी गई केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ने दो वर्ष से भी अधिक पहले अपनी सिफारिशें पेश कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषता क्या है;

(ग) क्या परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम 1973 की धारा 33 के तहत केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आमतौर पर यह विनियम बना सकती है ।

इस अधिनियम के इन उपबन्धों के अनुसरण में परिषद् ने निम्नलिखित शैक्षिक और व्यावसायिक विनियम बनाए :—

(क) शिक्षा को विनियमित करने सम्बन्धी विनियम

(1) होम्योपैथिक (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम

(2) होम्योपैथिक (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम

(3) होम्योपैथिक (ग्रेडिड डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम

(4) होम्योपैथिक (शिक्षा के न्यूनतम स्तर) विनियम

(ख) व्यवसाय को विनियमित करने सम्बन्धी विनियम

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (रजिस्ट्रेशन) विनियम

(ग) और (घ) सरकार ने पहले ही उपर्युक्त विनियमों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने इन विनियमों को अमल में लाने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (इंडियन मेडिकल काउंसिल) से परामर्श किए बिना मेडीकल कालेजों को कथित मान्यता

728. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा ।

श्री एच० एन० नंजे गौडा :

श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में देश में कुछ मेडिकल कालेजों को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में कुछ ऐसे मेडिकल कालेजों को मान्यता दी गई है जिनकी मान्यता अप्रैल 1982 में इण्डियन मेडिकल काउंसिल द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

(घ) यदि हां, तो इण्डियन मेडिकल काउंसिल ने किन कारणों से इन मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त की थी; और

(ङ) सरकार ने इण्डियन मेडिकल काउंसिल से परामर्श किये बिना किस तरह ऐसे मेडिकल कालेजों को मान्यता दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1982 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा किसी भी मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

त्रिचूर से दिल्ली तक हाथियों को लाने के लिए वैगन

729. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर से दिल्ली और वापस दिल्ली से त्रिचूर तक हाथियों को लाने ले जाने के लिए वैगनों/वैगनों और प्रथम श्रेणी के डिब्बों सहित सवारी डिब्बों वाली पूरी ट्रेन की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किराये पर लेने वाली पार्टी को ये वैगन आदि कब उपलब्ध कराये गए थे, उस पार्टी का क्या नाम है और उससे वापसी यात्रा हेतु कितनी धनराशि वसूल की गई थी,

(ग) वापसी यात्रा के लिये वैगनों आदि को दिल्ली में रोके रखने के लिए कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) क्या ये वैगन आदि किराये पर लेने वाली पार्टी द्वारा सभी अधिभारों का भुगतान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अधिभारों को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 30-10-82 को जिला कलक्टर त्रिचूर, केरल राज्य, के अनुरोध पर माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये थे। त्रिचूर से नयी दिल्ली तथा नयी दिल्ली से त्रिचूर तक यात्रा

के लिए पार्टी से किराये के रूप में 15,22,265 रुपये की राशि वसूल की गयी थी। नयी दिल्ली में माल डिब्बों की रूकौनी के कारण पार्टी से 2,10,000 रुपये वसूल किये गये थे। बहरहाल, रेल मंत्रालय ने विशेष मामले के रूप में वसूल की गयी राशि में से 50/- राशि वापस करने का विनिश्चय किया है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन-भारत वार्ता

730. श्री के० राममूर्ति :
श्री पी० एम० सईद :
श्री चित्त महाटा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चित्त बसु :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री पी० नामग्याल :
श्री भीकू राम जैन :
श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री बी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री उत्तम भाई एच० पटेल :
श्री झारखंडे राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापार सम्बन्ध के बारे में बातचीत के कितने दौर हुए हैं और बातचीत का ब्योरा क्या है; और

(ख) उसके क्या परिणाम रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) चीन के साथ अधिकारी-स्तर की बातचीत के अभी तक तीन दौर हुए हैं; पहला पीकिंग में 10 से 14 दिसम्बर, 1981 तक; दूसरा दिल्ली में 17 से 20 मई, 1982 तक और तीसरा पीकिंग में 29 जनवरी से 2 फरवरी, 1983 तक।

(ख) अधिकारी-स्तर की बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा प्रश्न पर अपनी-अपनी मूलभूत स्थिति भली-भांति प्रस्तुत किया और अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया गया; जो अभी भी व्यापक ही बने हैं। वे संस्कृति एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग के उपायों का भी पता लगाने में आगे हुए हैं।

मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के प्लेटफार्मों पर लोगों के आने-जाने पर पाबंदी

731. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के प्लेटफार्मों पर लोगों के आने-जाने पर कोई पाबन्दी लगायी है,

(ख) यदि हां, तो यह पाबन्दी कब से और किन कारणों से लगायी गई,

(ग) उपरोक्त पाबन्दी का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या अपने सगे सम्बन्धियों को विदा करने हेतु प्लेटफार्मों पर जाना चाहने वाले लोगों तथा सहायता की आवश्यकता वाले वृद्ध स्त्री-पुरुषों को इन पाबन्दियों के परिणामस्वरूप असुविधा हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो इन पाबन्दियों की पुनरीक्षा की जायेगी और समुचित रूप से संशोधित किया जायेगा अथवा समाप्त कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण रेलवे ने 15 जी० टी० एक्सप्रेस के छूटने से पहले मद्रास सेन्ट्रल के केवल प्लेटफार्म संख्या 1 पर यात्रियों से इतर व्यक्तियों के आने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

(ख) 27-1-1983 से उपर्युक्त कदम मुख्यत: परीक्षण के तौर पर लोगों की अत्यधिक भीड़ को नियन्त्रित करने तथा अनधिकृत व्यक्तियों का डिब्बों में प्रवेश रोकने के लिए उठाये गये हैं ताकि सदाशयी यात्रियों को असुविधा न हो। अधिकांश संख्या में यात्रियों के मित्र एवं रिश्तेदार भी गाड़ियों में घुस जाते हैं और सदाशयी यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों पर बैठ जाते हैं। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा शौचालय की सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा था और गाड़ी के छूटने से पहले ही सवारी डिब्बों में पानी समाप्त कर देते थे।

(ग) और (घ) इस योजना के अधीन बच्चों, महिलाओं, विकलांग रोगियों और वृद्ध यात्रियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति है।

(ङ) इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर इस योजना को समाप्त करने अथवा इसमें आशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा के स्तर में कथित गिरावट

732. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री मोती भाई आर० चौधरी :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिर रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तत्काल उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है,

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई समिति गठित की है, और

(घ) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) तथा (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कुछ मेडिकल कालेजों में अपने निर्धारित स्तरों में कुछ कमियां पायी हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए परिषद् ने सम्बन्धित संस्थाओं/विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकारों को लिखा है।

(ग) "सन् 2000 ईसवी तक सब के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने पर विचार करने तथा सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 1981 में एक चिकित्सा पुनरीक्षा समिति बनाई।

(घ) इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

महाकोशल आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, जबलपुर द्वारा दी जाने वाली ए० बी० एम० एस० उपाधि को मान्यता न दिया जाना

733. **स्वामी इन्द्रवेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महाकोशल आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, जबलपुर द्वारा दी जाने वाली ए० बी० एम० एस० उपाधि को मान्यता न दिए जाने के बारे में 4 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1979 में प्राप्त हुआ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में ए० बी० एम० एस० उपाधि को शामिल किए जाने का मामला भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को कब भेजा गया था; और

(ख) अपना उत्तर शीघ्र भेजने के लिए कितनी बार परिषद् को स्मरण कराया गया था और ये उत्तर कब तक मिल जाने की सम्भावना है और सरकार की उपरोक्त अधिनियम में उपरोक्त योग्यता को शामिल करके ए० बी० एम० एस० उपाधि को कब तक मान्यता देने का विचार है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ए० बी० एम० एस० उपाधि को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का मामला भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को 19-3-1981 को भेजा गया था।

(ख) परिषद् को 12 बार स्मरण कराया गया था। 24-1-1983 को परिषद् से उत्तर प्राप्त हुआ और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए आमंत्रित देशों के नाम

734. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री उत्तम राव पाटिल :
श्री रामजी भाई मावणी :
श्री राम विलास पासवान :
श्री एडुआर्डो फलेरो :
श्री आर० पी० गायकवाड :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शीघ्र ही होने वाले गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में किन-किन देशों को आमंत्रित किया गया है और किन-किन देशों को आमंत्रित नहीं किया गया है; और

(ख) उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है जिनको गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है और इस मामले में भारत सरकार का क्या रवैया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सातवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के मेजबान के नाते भारत सरकार ने देशों और संगठनों को सदस्य, प्रेक्षक अथवा अतिथि के रूप में मान्य उनके स्तर के आधार पर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होने का निमन्त्रण भेजा है। इसलिए उन देशों की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता जिन्हें आमन्त्रित नहीं किया गया है।

11-2-83 तक आमंत्रितों सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राष्ट्र	क्रम सं०	राष्ट्र
1.	अफगानिस्तान	2.	अल्जीरिया
3.	अंगोला	4.	अर्जेन्टीना
5.	बहरीन	6.	बंगलादेश
7.	बेलीज	8.	बेनिन
9.	भूटान	10.	बोलीविया
11.	बोटसवाना	12.	बुरूंडी
13.	केमेरून	14.	केप वरडे

क्रम सं०	राष्ट्र	क्रम सं०	राष्ट्र
15.	मध्य अफ्रीका गणराज्य	16.	छाद
17.	कामरोस	18.	कोंगो
19.	क्यूबा	20.	साइप्रस
21.	जिबूती	22.	मिस्र
23.	इक्वाडोर	24.	इक्यूटोरियल गिनी
25.	इथियोपिया	26.	गेबोन
27.	गेम्बिया	28.	घाना
29.	ग्रेनाडा	30.	गिनी
31.	गिनी बिसाऊ	32.	गुयाना
33.	इंडोनेशिया	34.	ईरान
35.	इराक	36.	आइवरी कोस्ट
37.	जमाएका	38.	जोर्डन
39.	कीनिया	40.	कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य
41.	कुवैत	42.	लाओस लोकतांत्रिक जन गणराज्य
43.	लबनान	44.	लेसेथो
45.	लाइबीरिया	46.	लीबिया
47.	मेडागास्कर	48.	मलावी
49.	मलेशिया	50.	माल द्वीप
51.	माली	52.	माल्टा
53.	मारितानिया	54.	मारिशस
55.	मोरक्को	56.	मोजाम्बीक
57.	नेपाल	58.	निकारागुआ
59.	नाईजर	60.	नाइजीरिया
61.	ओमान	62.	पाकिस्तान
63.	फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन	64.	पनामा
65.	पेरू	66.	कातार
67.	रुआंडा	68.	साए टोम और प्रिंसी पे
69.	सेनेगाल	70.	सऊदी अरब
71.	सेशेल्स	72.	सियरा लियोन

क्रम सं०	राष्ट्र	क्रम सं०	राष्ट्र
73.	सिंगापुर	74.	सोमालिया
75.	स्वापो	76.	श्रीलंका
77.	सूडान	78.	सूरीनाम
79.	स्वाजीलैंड	80.	सीरिया
81.	तन्जानिया	82.	टोंगो
83.	त्रिनिदाद और टोबागो	84.	ट्यूनीशिया
85.	युगांडा	86.	संयुक्त अरब अमीरात
87.	अपर वोल्टा	88.	वियतनाम
89.	यमन अरब गणराज्य	90.	यमन, लोकजन गणराज्य
91.	यूगोस्लाविया	92.	जाईर
93.	जाम्बिया	94.	जिम्बावे
95.	सैंट लूसिया		

बहमास द्वारा सदस्यता के लिए दिए गए आवेदन पत्र को समन्वय ब्यूरो में स्वीकार कर लिया गया है शिखर सम्मेलन में निर्णय होने पर उन्हें निमन्त्रण भेजा जाएगा।

प्रेक्षक भी देखें।

अतिथियों की सूची

1. आस्ट्रिया
2. फिनलैंड
3. पुर्तगाल
4. रुमानिया
5. सान मारियों
6. स्पेन
7. स्वीडन
8. स्विटजरलैंड
9. एसकैप
10. एफ० ए० ओ०
11. अंकटाड
12. यू० एन० डी० पी०

13. यूनेस्को
14. यूनिडो
15. फिलीस्तीनी जनता के अविच्छेद्य अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समिति
16. रंगभेद विरोधी विशेष समिति
17. नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद्
18. वि-उपनिवेशन सम्बन्धी विशेष समिति
19. विश्व स्वास्थ्य संगठन
20. विश्व खाद्य परिषद्
21. आई० सी० आर० सी०
22. होली सी
23. नामीबिया के संयुक्त राष्ट्र कमिश्नर
24. महासचिव, फिलिस्तीन के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

डोमीनिकन गणराज्य को अतिथि रूप में निमन्त्रित करने के लिए सिफारिश की गई है। शिखर सम्मेलन द्वारा निर्णय लिए जाने पर उन्हें निमन्त्रित किया जाएगा।

प्रेक्षक सूची

1. बारबडोस
2. ब्राजील
3. कोलम्बिया
4. कोस्टारिका
5. डोमिनिका
6. इल सल्वाडोर
7. मेक्सिको
8. पापुआ न्यू गिनी
9. फिलीपीन
10. उरूग्वे
11. वेनेजूएला
12. अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस (ए० एन० ऐ०)
13. अफ्रीकी एशियाई जन एकजुटता संगठन
14. अरब लीग

15. इस्लामिक कांफ्रेंस
16. अफ्रीकी एकता समिति
17. पान अफ्रीकी निस्ट अजानिया कांग्रेस
18. प्यूरटो रिको समाजवादी पार्टी
19. संयुक्त राष्ट्र संघ

बारबडोस और कोलम्बिया का पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन पत्र समन्वय ब्यूरो द्वारा स्वीकृत हो गए हैं। शिखर सम्मेलन में इस संबंध में निर्णय होने पर वे सदस्य के रूप में भाग लेंगे।

एण्टीगुआ और बारबुदा को अतिथि रूप निमन्त्रित करने के लिए सिफारिश की गई है। शिखर सम्मेलन में इस संबंध में निर्णय होने पर उन्हें निमन्त्रित किया जाएगा।

नवम्बर, 1982 में नाविकों की हड़ताल

735. श्री ई० बालानन्द :
श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नाविकों ने फोरवार्ड सीमेन्स यूनियन के आह्वान पर अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नवम्बर, 1982 में तीन दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या मांगें रखी हैं; और

(ग) समझौता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) फोरवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया ने 25 नवम्बर से 27 नवम्बर, 1982 तक तीन दिन की टोकन हड़ताल का आह्वान किया। इस आह्वान के उत्तर में कुछ नाविकों ने जिसमें से अधिकतर नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्टर्ड हैं, उक्त तीन दिन हड़ताल की।

(ख) मांगें निम्न प्रकार हैं :—

1. रोजगार की नैमित्तिक पद्धति को समाप्त करना और पूरे वर्ष भारतीय नाविकों के लिए रोजगार की गारण्टी।
2. बेरोजगारी के समय 700 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता।
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम मजदूरी 115 स्टर्लिंग पाउण्ड प्रतिमाह।
4. दोहरी डाक्टरी जांच को समाप्त करना और पारिवारिक चिकित्सा सहायता।

5. टनेजवार मैनिंग वेतनमान।

6. व्यापारिक नौवहन अधिनियम और करार में नाविक विरोधी सभी खण्डों को समाप्त करना।

7. 'गुप्त मतदान' द्वारा यूनियन को मान्यता।

8. सभी के लिए 'वार्षिक मजदूरी लाभ' की योजना और 20% बोनस देना।

9. नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण और पोर्ट पर भारतीय तथा ब्रिटिश जहाज मालिकों के एकाधिकार और उनके नौकरों द्वारा अन्यान्य घिनौने नाविक विरोधी क्रियाकलाप को पूर्णरूपेण समाप्त करना।

10. तत्काल नन्दा समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का क्रियान्वयन।

(ग) भूतपूर्व नौवहन और परिवहन मंत्री ने 22-12-1982 को जहाजमालिकों और नाविकों की एक बैठक बुलाई थी। सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ़ने के लिए विचार-विमर्श जारी है।

पटना में दीघा-पहलेजा में गंगा पुल की प्रगति

736. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में दीघा-पहलेजा में बनाए जा रहे गंगा पुल की इस समय क्या प्रगति है; और

(ख) इस पुल के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पटना के निकट पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में नमूना परीक्षण किए जा रहे हैं। पुल के लिए तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन, जिसे 1981-82 के बजट में शामिल किया गया था, करने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण भी प्रगति पर है। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जाए तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा इसकी जांच कर लिए जाने के बाद इस परियोजना को हाथ में लेने के लिए बिहार सरकार के साथ परामर्श करके कोई अन्तिम निर्णय लिया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाए।

कलकत्ता और अमृतसर के बीच ग्रांड ट्रंक रोड पर क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की योजना

737. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न राष्ट्रीय राजपथों की हालत संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से अमृतसर तक बनी हुई है लगभग 60 प्रतिशत स्थानों पर पूर्णतया क्षतिग्रस्त है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी पूरी मरम्मत के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी कब तक मरम्मत की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारत सरकार को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सामान्य हालत की जानकारी है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों के विकास और अनुरक्षण की उनकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम होता रहता है। इन कार्यों के लिए जितनी धनराशि मिलती है, उसके अन्तर्गत सड़कों को यातायात के योग्य बनाए रखने के लिए इनकी मरम्मतें निरन्तर होती रहती हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। परन्तु भारी वर्षा और बाढ़ों आदि के कारण सड़कों की टूट-फूट होती रहती है। जहां कहीं भी सड़कों की टूट-फूट होती है वहां तुरन्त मरम्मत करवाई जाती है ताकि उपलब्ध समस्त धनराशि के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को यायायात के योग्य बनाए रखा जा सके।

"एक्स" अनुसूची (शिड्यूल) में सम्मिलित औषधियों और केमिस्टों तथा ड्रगिस्टों का अभ्यावेदन

738. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एक्स" अनुसूची में सम्मिलित औषधियों के नाम क्या हैं और उनकी बिक्री के लिए सरकार ने क्या-क्या निदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट्स ने अपने अभ्यावेदन में "एक्स" अनुसूची में सम्मिलित औषधियों की बिक्री में हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में बताया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उन साइकेगेट्रापिक औषधियों, जिनके बारे में संसद में और अन्य जगहों पर चिन्ता व्यक्त की गई है, जिसके बढ़ते हुए दुरुपयोग और उसे रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित औषधियों अनुसूची "एक्स" में शामिल की गई हैं :—

1. एमोबार्बिटल
2. एम० फेटेमाइन
3. बार्बिटल
4. साइक्लोबार्बिटल

5. डेक्सेम्पेटेमाइन
6. एथक्लोराइनोल
7. ग्लूटेथाइमाइड
8. मेपरोवेमेट
9. मेथाम्पेटेमाइन
10. मेथाक्वेलोन
11. मिथाइलफेमीडेट
12. मेथाइलफेनोबार्विटल
13. पेन्टोबार्विल
14. फेनसाइलीडाइन
15. फेनमेट्राजीन
16. फैनोबार्विटल
17. सेकोवार्बिटल

अनुसूची "एक्स" में दी गई साइकोट्रापिक औषधियों के आय, निर्माण तथा बिक्री के लिए आयात, निर्माण और बिक्री लाइसेसों का एक नया सेट लागू कर दिया गया है। अनुसूची "एक्स" में दी गई साइकोट्रापिक औषधियों के विक्रेताओं के लिए दिए जाने वाले नये, लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है :—थोक लाइसेंस अथवा औषधियों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस। थोक अथवा खुदरा विक्रेताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे रजिस्टर रखें जिनमें औषधियों के वाउचरों के साथ उनकी खरीद और बिक्री के सम्बन्ध में सभी आवश्यक विवरण दिया गया हो ताकि निरीक्षण के समय पर शेष बची सभी औषधियों की मात्रा का हिसाब लगाया जा सके। खुदरा विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि वह पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर के नुस्खे पर जो दो प्रतियों में होगी तथा जिसकी एक प्रति दो वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंसधारी द्वारा रखी जाएगी, अनुसूची "एक्स" में दी गई औषधियों की बिक्री करे। अनुसूची "एक्स" में दी गई औषधियों के नुस्खे की दूसरी प्रति पर जोर देने का कारण यह है कि इससे नुस्खे की प्रमाणिकता सुनिश्चित हो जाती है। विक्रेता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अनुसूची "एच" अथवा अनुसूची "एक्स" की औषधियां पंजीकृत चिकित्सकों, अस्पतालों, औषधालयों, उपचर्या गृहों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित पर्चियों पर ही दें। ये पर्चियां लाइसेंसधारी को दो वर्ष तक सम्भाल कर रखनी होगी।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय कैमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन के प्रतिनिधि अपने अध्यक्ष के साथ औषध नियंत्रक (भारत) से मिले थे और उन्हें इन उपबन्धों पर पालन करने की दिशा में होने वाली अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया था। विचार-विमर्श के दौरान औषध नियंत्रक (भारत) ने अनुसूची "एक्स" की औषधियों पर नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय लागू करने के बारे में औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के कुछेक उपबन्ध स्पष्ट किए थे। औषध नियन्त्रक (भारत) ने यह भी कहा कि कैमिस्टों और ड्रगिस्टों को चाहिए कि वे संशोधित उपबन्धों को

अमल में लाएं और यदि उन्हें अमल में लाते समय कोई व्यावहारिक कठिनाइयां आएं तो उन्हें दूर किया जा सकेगा ।

नये रेल यान कारखाने के लिये प्रस्ताव

739. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने नये रेल यान कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कहां पर होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक नये सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने के प्रस्ताव को योजना आयोग ने फरवरी 1982 में सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित नये सवारी डिब्बा कारखाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अनुमान तैयार करने, स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण करने आदि के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। परियोजना रिपोर्ट, स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आदि तैयार हो जाने पर सवारी डिब्बा कारखाने के स्थान-निर्धारण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा। योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए विशिष्ट राशि आवंटित कर दिये जाने पर सवारी डिब्बे की स्थापना करने के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जायेगी।

विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में सन्धिवातीय ज्वर तथा आर० डी० एच०

740. **श्री भीकू राम जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली में विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में संधिवातीय ज्वर और आर० डी० एच० से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रोगों से बच्चों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय सुझाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ने 1972—75 में दिल्ली, आगरा, एल्लप्पी, हैदराबाद और बम्बई में 5 से 15 वर्ष तक की आयु के स्कूली बच्चों पर पांच अध्ययन किए थे। उस सर्वेक्षण से पता चला कि दिल्ली में स्कूल जाने वाले एक हजार बच्चों में से 11 को आमवातिक हृदयरोग तथा पांच को आमवातिक ज्वर की शिकायत है।

(ग) आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदयरोग स्ट्रैप्टोकोकाई संक्रमण, विशेषकर गले के स्ट्रैप्टोकोकाई संक्रमण के कारण होता है। गले की सूजन का उपयुक्त और समय पर इलाज करने से इन बीमारियों को रोका जा सकता है।

शिशु मृत्यु दर

741. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिदिन लगभग 40,000 शिशु कुपोषण संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा के कारण मर जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु तथा माता की स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए योजना तैयार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) नमूना पंजीयन पद्धति के माध्यम से महापंजीयक (भारत) द्वारा संकलित किए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19¯8 में देश की शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों के पीछे 127 है जबकि कुपोषण संक्रमण तथा अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हर रोज मरने वाले बच्चों की सही सही संख्या एकत्र करना सम्भव नहीं है, लेकिन यह सच है कि वे सभी बातें उच्च शिशु मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) और (घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं या जो उठाने का विचार है, वे नीचे दिए गए हैं :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों, नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों की स्थापना करके जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बुनियादी ढांचे का विस्तार कर दिया गया है और किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में शुरू की गई स्वास्थ्य गाइड योजना जिसका उद्देश्य प्रति हजार जन-संख्या के लिए एक कार्यकर्ता की व्यवस्था करना है, लोगों को स्वास्थ्य बढ़ाने, रोगों को रोकने और रोगों का इलाज करने के सम्बन्ध में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी।

परम्परागत दाइयों, जो गांवों में प्रसव के दौरान सहायता करती हैं, के प्रशिक्षण को तेज कर दिया गया है ताकि प्रत्येक एक हजार ग्रामीण जनसंख्या को एक प्रशिक्षित दाई मिल जाए जो प्रसव सुविधाएं प्रदान करे।

सभी प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वाथ्य की जांच के लिए विशेष क्लिनिक आयोजित किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करने के अतिरिक्त ये क्लिनिक रोगों के रोकने

की सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी शिक्षा भी देते हैं।

गर्भवती महिलाओं को टैटनस का टीका लगाया जाता है, ताकि प्रसव के समय तथा इसके बाद होने वाले टैटनस को जो देश के कई भागों में बच्चों की मृत्यु का कारण होता है, रोका जा सके। नवजात शिशुओं को क्षयरोग, डिपथीरिया, काली खांसी तथा टैटनस से बचाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चों को खसरा, टाईफाइड तथा पोलियों से बचाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इन बीमारियों से बचाने के कार्यक्रम को हर वर्ष तेज किया जा रहा है।

अपोषण, अरक्तता गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के बीच काफी फैला हुआ है। महिलाओं और बच्चों को इससे बचाने की एक योजना चल रही है। बच्चों में अतिसार रोग के कारण पानी की जो कमी हो जाती है उसे दूर करने के लिए इलैक्ट्रोलाइट घोल पिलाने का एक कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को चुनिंदा जिला मुख्यालय अस्पतालों में प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी योजनाओं के बारे में शिक्षण सामग्री/शिक्षा निदेश तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों को बांटा जाता है।

उपकेन्द्रों में कार्यरक्षा, सभी सहायक नर्सें, धात्रियों द्वारा महिलाओं को पोषण सम्बन्धी जानकारी दी जाती है।

नवजात शिशुओं की परिचर्या-नवजात शिशुओं की यथेष्ट परिचर्या प्रदान करने के लिए जोरदार-कदम उठाए गए हैं जिनमें परम्परागत दाइयों, धात्रियों, नर्सों आदि को प्रशिक्षण देना, प्रसवकालीन न्यूनतम परिचर्या निर्दिष्ट करना, नवजात शिशुओं की परिचर्या में डाक्टरों के दलों को प्रशिक्षण देना और बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए खास उपकरण प्रदान करना शामिल है।

बाल चिकित्सा एकक—तीन सौ इक्कीस जिला अस्पतालों और 20 सब डिवीजन अस्पतालों में बाल चिकित्सा एकक खोल दिए गए हैं और इन सभी एककों को खास खास उपकरण सप्लाई कर दिए गए हैं।

मां का दूध पिलाने की बात को बढ़ावा देने के अलावा डाक्टरों को स्तनपान और मां का दूध छुड़ाने सम्बन्धी समस्याओं के इलाज में सेवा कालीन प्रशिक्षण देने के लिए एक पाठ्यचर्या तैयार कर ली गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 200 विकास खण्डों में एक विशिष्ट एकीकृत शिशु विकास सेवा परियोजना शुरू की गई है। आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में चलाई जाने वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और

6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 1000 खण्डों में इस परियोजना का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है।

4-1-1983 को शंकर रोड क्षेत्र में उलट गयी दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बस

742. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत रूट संख्या 750 पर चलने वाली प्राइवेट बस के 4 जनवरी, 1983 को अचानक पिछले पहिए निकल जाने के कारण यह बस शंकर रोड क्षेत्र में उलट गयी जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए; और

(ख) यदि हां, तो मोटर यान अधिनियम में नवीनतम संशोधन के अनुसार घायल व्यक्तियों को अदा किए गए मुआवजे का ब्योरा क्या है और बस मालिक के विरुद्ध बस को सड़क पर चलने लायक न रखने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और ऐसी कितनी और बसें हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रायवेट आपरेटरों के साथ जो करार हुआ है, उसमें यह तय किया गया है कि दुर्घटना होने पर प्रायवेट आपरेटर को मुआवजा देना होगा या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। यह मुआविजा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बीमा कम्पनी के मार्फत विधि सम्मत रीति से मिलेगा। यह दुर्घटना जिस बस से हुई थी उसे 15 दिन के लिए निलम्बित रखा गया और जो ड्राइवर दोषी था, उसके स्थान पर दूसरा ड्राइवर तैनात किया गया था। दिल्ली परिवहन निगम उन्हीं बसों को अपने इस्तेमाल में लाता है जिनके बारे में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह प्रमाणपत्र जारी होते है कि अमुक बस सड़क पर चलाये जाने योग्य है।

जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए "यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पापुलेशन एक्टिविटीज" के दृष्टिकोण

743. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पापुलेशन एक्टिविटीज" (यू० एन० एफ० पी० ए०) के अनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए समन्वित केन्द्रीय अंग होना चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए यू० एन० आफ० पी० ए० के दृष्टिकोणों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यू० एन० एफ० पी० ए० के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त दृष्टि को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना तथा मूल्यांकन करना प्रारम्भ से ही इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग रहा है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि के साथ एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत इस देश में जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए परस्पर निर्धारित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है। जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि की सहायता से जो मुख्य-मुख्य परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वे इस प्रकार हैं :—नसबन्दी कार्यक्रम का समर्थन खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के लिए कच्चे माल की सप्लाई, कापराटी (गर्भशयी गर्भनिरोधकों) की सप्लाई, निरोधों की सप्लाई, राजस्थान में सहायता प्राप्त परियोजना तथा बिहार और राजस्थान में आधारभूत ढांचा।

1 नवम्बर, 1982 और 2 फरवरी, 1983 के दौरान रेल दुर्घटनाएं

744. **श्री रामजी भाई मावाणी :**
श्री रास बिहारी बहेरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1 नवम्बर, 1982 और 2 फरवरी, 1983 के दौरान गुजरात तथा रेलवे के विभिन्न अन्य जोनों में अनेक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(घ) जो इनके लिए उत्तरदायी पाये गये हैं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनमें से प्रत्येक दुर्घटना में जन धन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या इनमें कोई तोड़-फोड़ हुई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1 नवम्बर, 1982 से 2 फरवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे जो गुजरात राज्य के क्षेत्रों से गुजरती हैं, तथा अन्य भारतीय सरकारी रेलों पर घटित गाड़ी दुर्घटनाओं का कोटिवार ब्यौरा

नीचे दिया गया है :—

कोटि	पश्चिम रेलवे	अन्य रेलें
टक्कर	2	14
गाड़ियों का पटरी से उतरना	9	147
समपारों पर घटित दुर्घटनाएं	4	17
गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं	—	1
जोड़	15	179

दुर्घटनाओं के राज्यवार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रथम दृष्टया कारणों सहित इन दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिए गए हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(क) रेल कर्मचारियों की गलती	84
(ख) रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती	16
(ग) उपस्कर की खराबी	
(1) यांत्रिक खराबी	27
(2) रेलपथ की खराबी	8
(घ) संयोगवश	6
(ङ) जिन कारणों की जांच की जा रही है	53

(घ) कुछ मामलों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदावनति, वेतन वृद्धि रोकने तथा सुविधाएं समाप्त करने जैसी अनुशासनिक कार्यवाई की गई गयी है और अनुशासन और अपील नियमों के अधीन जांच की जा रही है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं में 33 व्यक्ति मारे गए थे। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल सम्पत्ति को लगभग 2.3 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(च) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार है :—

(1) रेल कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति उच्चतर जागरूकता पैदा करना।

(2) क्षेत्र निरीक्षणों को तेज करना।

(3) गतायु परिसम्पत्तियों के नवीकरण की गति बढ़ाना।

(4) रेलपथ, चलस्टाक और उपस्करों के अनुरक्षण के बकाया काम को पूरा करना।

(5) आपातकाल में संलग्न रलपथ पर ड्राइवरों को सावधान करने के लिए डीजल/बिजली रेल इंजनों में कौंधक प्रकाश की व्यवस्था।

(6) रेल इंजन कर्मियों के लिए श्वास परीक्षण शुरू करना ताकि उन्हें शराब के नशे में ड्यूटी पर आने से रोका जा सके।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से भारतीय मूल के नागरिकता विहीन व्यक्तियों की स्थिति

745. श्री पी० एम० सईद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में भारतीय मूल के तीन लाख लोगों का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि ऐसे लोगों को न तो भारत द्वारा और न ही श्री लंका द्वारा स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत/सरकार ने श्रीलंका में नागरिकता विहीन भारतीयों के भाग्य का निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या 1974 के शास्त्री श्रीमाओ समझौते को पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(घ) क्या श्रीलंका सरकार इस प्रश्न पर भारत के साथ कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) श्रीलंका में भारतीय मूल के राजविहीन व्यक्तियों से संबंधित 1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका समझौतों के कार्यान्वियन के लिए निश्चित अवधि 30 अक्तूबर, 1981 को समाप्त हो गई। वर्तमान आकलन के अनुसार राज्यविहीन व्यक्तियों की संख्या लगभग 300,000 है।

भारत सरकार राज्यविहीनता से सम्बद्ध शेष मसलों के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क बनाये हुई है और हमें आशा है कि इस प्रश्न का एक व्यापक समाधान खोज लिया जाएगा। जिसमें इससे सम्बन्धित लोगों की इच्छाओं को भी यथोचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

"मंकी फीवर" के कारण मौतें

746. श्री डी० आर० शमन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि एक घातक विष्णु-रोग, "मंकी फीवर" के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस घातक रोग की विभीषिका पर नियन्त्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) ऐसा लगता है कि इस संदर्भ का आशय किसनूर फारेस्ट डिजीज (के० एफ० डी०) से है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कर्नाटक से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार के एफ डी दक्षिण कर्नाटक जिले के वेल्थांगडी तालुक के 6 गांवों में महामारी के रूप में फैला। फरवरी 1983 के हपले सप्ताह के अन्त तक 238 रोगियों की सूचना मिली है जिनमें से 24 की मृत्यु हो गई है।

इस मामले से सम्बंधित सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद के अधीन कार्यरत एक संस्था है, के विशेषज्ञ दलों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, अण्वेषणात्मक उद्देश्यों के लिए एकत्र किए और क्षेत्रीय स्टाक को संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के संबंध में सलाह दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने निगरानी उपायों को तेज कर दिया है, चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया है, संक्रमण से प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए दो गश्ती दलों का गठन किया है और इस वाइरल रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार टिक्स के विरुद्ध कीटनाशी औषधियों का प्रयोग किया जा रहा है।

विभिन्न दुर्घटना जांच समितियों की सिफारिशों का क्रियान्वयन

747. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित विभिन्न दुर्घटना जांच समितियों द्वारा की गई अनेक सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई हैं जबकि सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना जांच समितियों द्वारा की गई उन सिफारिशों की मुख्य बात क्या है जिन्हें सरकार द्वारा अभी क्रियान्वित किया जाना है, और

(ग) उनको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) कुंजरु समिति और वाचू समिति की स्वीकृति सिफारिशों को किसी हद तक लागू कर दिया गया है। सीकरी समिति की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

इन समितियों की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित थी :—रेलों पर विशेष संरक्षा संगठन का सृजन करना, एक रेलवे पर एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, मेल/एक्सप्रेस गाड़ी इन्जनों पर गति अभिलेखियों की व्यवस्था, रेलपथ सवारी डिब्बा, माल डिब्बे और इन्जन जैसी परिचालनिक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण में बकायों को कम करना, रेलवे कारखानों की क्षमता बढ़ाना समपारों के पहुंच-स्थलों पर पट्टियां/उभारों की व्यवस्था; अधिकारी-कर्मचारी अनुपात में सुधार, कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार, बिना चौकीदारों के नये समपारों

पर प्रतिबन्धों की व्यवस्था और वर्तमान चौकीदार वाले समपारों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के बिना अतिरिक्त गाड़ियां न चलाना मानवीय सतर्कता में सहाय्य सिगनल सहायता की व्यवस्था करना आदि।

बहुत-सी सिफारिशों को लागू करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके लिए बहुत अधिक पूंज निवेश अपेक्षित है और इसलिए संसाधनों-दोनों धन और सामग्री के आधार पर इन्हें विभिन्न चरणों में लागू करना आवश्यक होता है।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाईयों की बिक्री रोकने के लिए कार्यवाही

748. **प्रो० पी० जे० कुरियत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन अनेक दवाइयों पर अमरीका तथा अन्य देशों में रोक लगी हुई है वे देश में खुले रूप से बिक रही हैं।

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी दवाइयों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम जोशी) : (क) से (ग) सरकार को अभी तक 20 औषधियों के बारे में सूचना मिली है जिन पर कुछ देशों में प्रतिबन्ध लगाया गया है। बाजार से हटायी गई है। इनमें से 16 औषधियों पर या तो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है या देश में इनकी बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। शेष चार औषधियों अर्थात (1) नाइट्रोफरन कम्पाउंड्स (2) फेनफोर्मिन (3) हेलोगिनेटेड हाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन्स और (4) अधिक खुराक वाले लाइनेस्ट्रेनोल उत्पादों को देश में बेचने के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि इन औषधियों की बिक्री की अनुमति दी जाए परन्तु उनके लेबल/पैकेज पर सावधानी स्वरूप यह चेतावनी अंकित की जाए कि उनके सेवन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि कुछ देशों में इन चारों औषधियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, फिर भी अनेक विकसित देशों में ये अभी भी बेची जा रही हैं और ये सभी औषधियां नामतः फेनफोर्मिन-बी० पी० (ब्रिटिश फार्माकोपियां) 1980, क्लियोक्विनोल-बी० पी० 1980 लाइनेस्ट्रेनोल और नाइट्रोफरन कम्पाउन्ड्स बी० पी० 1980 और यू० एस० पी० (यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया) भेषज संहिता में उल्लिखित औषधियां हैं।

राज्यों में आंगन-बाड़ी योजना का लागू किया जाना

749. **श्री भीम सिंह** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए आंगन्-बाड़ी योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों में यह योजना लागू करने सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना में गत तीन वर्षों में हुई प्रगति ब्योरा क्या है; और

(घ) इस योजना के लिए गत वर्ष बजट में नियत की गई राशि में से कितनी राशि अप्रयुक्त पड़ी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम समूचे देश में पिछड़े ग्रामीण, आदिवासी और शहरी गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 1981-1982 तक 300 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की गई थी। 1982-83 के दौरान 320 अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और 380 परिजानाएं मंजुर की जाएंगी। 1000 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन-वार वितरण दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध 'क' में दिया गया है।

[ग्रंथालय रखा में गया, देखिए संख्या एल० टी० 5909/83]

(ग) दिसम्बर, 1980, दिसम्बर, 1981 और दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग परियोजनाओं का ब्योरा और उनके अन्तर्गत लाभान्वित हुए लोगों की संख्या अनुबन्ध "ख" में दी गई है।

ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5909/ 83]

(घ) जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, योजना के अन्तर्गत अवांटित की गई समूची राशि का उपयोग किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

750. **श्री जय नारायण रोट :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के इतिहास तथा संस्कृति पर पांडुलिपियों के संग्रह, परिरक्षण, सूचीकरण, विषय सूचीकरण, संपादन तथा प्रकाशन हेतु किसी परियोजना के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान विश्वविद्यालय को अब तक कितनी राशि दी गई और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान विश्वविद्यालय को फरवरी, 1981 में 91,000 रु० का अनुदान संस्वीकृत किया गया था। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर, 1982 तक 92,976 रु० की राशि खर्च की गई थी।

हज समिति अधिनियम में संशोधन

751. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान हज समिति अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और संशोधन विधेयक संसद् में कब तक प्रस्तुत किया जायेगा; और

(ग) क्या बोर्ड में प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने का विचार है ताकि देश के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : नये कानून का उद्देश्य होगा (1) हज समिति को अधिक व्यापक आधार प्रदान करना ताकि जिन राज्यों में काफी बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, (2) हज समिति के कार्यपालक और परामर्शी कार्यों को अलग-अलग करना और (3) समिति को चल और अचल सम्पत्ति प्राप्त करने, पास रखने और बेचने के और धर्मार्थ न्यास या वक्फ बनाने के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करना। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य हज और जियारत के प्रबंधों को कारगर बनाना और इस तरह भारतीय हज यात्रियों को बेहतर सहूलियतें प्रदान करना भी है।

इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल ही में एक उप समिति बनाई गई है और उससे मार्च, 1983 के अन्त तक अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है। नया कानून सम्बन्धित सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों से सलाह-मशवरा करने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा संसद् में पेश कर दिया जाएगा।

सुभाष चन्द्र बोस और आई० एन० ए० का इतिहास रिकार्ड करने के लिए जापान के साथ मिलकर एक आयोग का गठन

752. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आई० एन० ए० का प्रामाणिक इतिहास रिकार्ड करने और नेताजी को भारत और एशिया के स्वतन्त्रता सेनानी के रुप में मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार जापान सरकार के साथ मिलकर एक आयोग का गठन करने के लिए तैयार है; और

(ख) क्या सरकार टोकयो मुकदमों में बहुमत निर्णय को अस्वीकार करने के लिए ग्रन्त-र्राष्ट्रीय कार्यवाही की संभावनाओं की जाँच हेतु एक संयुक्त अध्ययन का दल गठन करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) स्वतन्त्र सेनानी के रूप में नेताजी का स्थान और प्रतिष्ठा पूर्णतः स्थापित और सर्वमान्य है। नेताजी के इतिहास और उनकी मृत्यु से सम्बद्ध परिस्थितियों के बारे में जपान की सरकार के साथ मिलकर किसी तरह का संयुक्त अध्ययन करने की कोई योजना नहीं है।

मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में नये रेलवे स्टेशन/हाल्ट

753. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री जगपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के लिए कितने नए रेलवे स्टेशन/हाल्ट मंजूर किए गए थे, और आगामी वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए कितने रेलवे स्टेशन/हाल्ट विचाराधीन हैं;

(ख) सामान्य रेलवे स्टेशन/हाल्ट उपलब्ध कराने पर खर्च की गई कुल अनुमानित धन-राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन पर तापरी और मनानी रेलवे स्टेशनों के बीच मल्हीपुर में एक नया रेलवे हाल्ट मंजूर किया है;

यदि भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो वहां गाड़ियां कब रुकनी शुरु हो जाएगी और वहां रुकने वाली गाड़ियां के नाम तथा उनका समय क्या है; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार को ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

रल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान दो हाल्ट स्टेशनों अर्थात् चन्दौसी-अलीगढ़ खण्ड पर गोधा और हरदुआ गंज के बीच सुनामई और मुरादाबाद-गाजियाबाद खण्ड पर कुचेसर रोड और सिम्भोली स्टेशनों के बीच सिखेरा हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था करने पर आने वाला आवर्ती खर्च स्टेशन दर स्टेशन अलग-अलग होता है जो गाड़ियों के ठहरावों की लागत, हाल्ट एजेन्टों आदि को भुगतान किये जाने वाले कमीशन पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक हाल्ट स्टेशन पर आने वाला अनावृति खर्च 25000 रुपये से 50,000 रुपये तक होता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शाहदरा और सहारनपुर खण्ड पर यातायात अभी तक स्थिर नहीं हुआ है और इस प्रकार टापरी और मनानी स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशनों के खोलने की आर्थिकता का वास्तविक मूल्यांकन इस चरण पर नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, इस खण्ड पर यातायात का प्रतिमान स्थिर हो जाने के पश्चात् उत्तर रेल प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

कृष्णा नदी पर "फोर लेन" (चार मार्गों वाला) दूसरा पुल

754. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री श्री सुभाष यादव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा नदी पर (चार मार्गों वाले) "फोरलेन" दूसरे पुल को स्वीकृति प्रदान कर दी हैं, जिसका प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रखा है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (*श्री जियाउर्र-रहमान अंसारी*) : (क) और (ख) कृष्णा नदी के ऊपर, 692 लाख रुपये की लागत से जून, 1981 में पहुंच मार्गों सहित दो लेनों के केवल एक पुल की स्वीकृत दी गई थी। दो लेनों के एक पुल के निर्माण का निर्णय यातायात के आंकड़ों पर आधारित था और यह पुल मोजूदा दो लेनों वाले रेगुलेटर-कप-रोड ब्रिज के अतिरिक्त हैं। कार्य पर अब 15 करोड़ रु० से भी अधिक खर्च आने का अनुमान है जो पुल के लिए टेंडर की दरों पर आधारित है। अतः केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता है जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे में सतर्कता निरीक्षकों और कार्य अध्ययन निरीक्षकों के नियमित अवधि वाले पद

755. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता निरीक्षकों और कार्य अध्ययन निरीक्षकों के पद निश्चित अवधि वाले (टेन्योर) पद है और यदि हां, तो निश्चित अवधि क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड कार्यालय में बड़ी संख्या में सतर्कता निरीक्षण और कार्य अध्ययन निरीक्षक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने पदों पर बने हुए है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें उनकी सम्बन्धित शाखाओं/विभागों में भेजने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलवे बोर्ड में कार्य अध्ययन निरीक्षक का केवल एक पद है जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सतर्कता

निरीक्षकों के पद सामान्यतया निर्धारित अवधि के होते हैं जिनकी अवधि 4 वर्ष होती है और जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा आपवादिक मामलों में 6 वर्ष से अधिक तक बढ़ाये जा सकते हैं। लेकिन जनवरी 1979 के रेलवे बोर्ड में सृजित किए गए सतर्कता विशेष दस्ते के सम्बन्ध में उन निरीक्षकों को, जिन्होंने सतर्कता विभाग में पहले ही 6 वर्ष पूरे कर लिए है, छूट दी गई थीं और उन्हें विशेष दस्ते में रखा जा सकता था क्योंकि सतर्कता विशेष दस्ते को नये सिरे से गठित किया गया था और उसमें कर्मचारियों की तैनाती करनी थी।

(ख) उत्तर रेलवे में तीन सतर्कता निरीक्षक तथा एक कार्य अध्ययन निरीक्षक निर्धारित अवधि के बाद भी कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त (क) के उत्तर को देखते हुए रेलवे बोर्ड में निर्धारित अवधि/बढ़ायी गयी समयावधि के बाद कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है।

(ग) जी हां। लेकिन जहां कहीं प्रशासनिक हित में उनकी समयावधि बढ़ानी होती हैं वहां उन्हें बढ़ाई गयी समयावधि पूरी कर लेने पर ही वापस भेजा जाता है।

एफ-16 हवाई जहाज खरीदने के लिए साऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को ऋण

756. **श्री आर० आर० भोले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका से एफ-16 हवाई जहाज खरीदने के लिए साऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1500 लाख डालर का ऋण दिया;

(ख) साऊदी अरब द्वारा दी जाने वाली सहायता के में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिससे कि उप-महाद्वीप में हथियारों की होड़ बढ़ रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के सैनिक साऊदी अरब की सैनिक कार्य-वाहियों की बड़े पैमाने पर देखभाल कर रहे है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि एफ-16 विमनों के नकद भुगतान के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब ने धन दिया होगा।

(ख) इस क्षेत्र में अत्युन्नत अद्यतन आक्रमणकारी क्षमता के नये स्तर कायम होने के बारे में हमारी चिन्ता सर्वविदित है।

(ग) सरकार को सऊदी अरब में पाकिस्तानी रक्षा कार्मिकों की उपस्थिति की रिपोटों की जानकारी है।

दिल्ली-इटारसी मार्ग का विद्युतीकरण

757. **श्री एन० के० शेजवलकर ।** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-इटारसी मार्ग के विद्युतीकरण के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कार्य पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दिल्ली-इटारसी मार्ग के विद्युतीकरण की प्रगति इस प्रकार है :—

(1)	दिल्ली-मथुरा खण्ड	53.35 प्रतिशत।
(2)	मथुरा-झांसी खण्ड	14.3 प्रतिशत।
(3)	झांसी-बीना खण्ड	— प्रारम्भिक निर्माण कार्य चालू है।
(4)	बीना-इटारसी	— ,, ,, ,,

(ख) इटारसी तक का काम सम्भवत: मार्च, 1986 तक पूरा कर लिया जाएगा।

"यूनाइटेड नेशन फण्ड फॉर पापूलेशन एक्टीविटीज" (यू० एन० एफ० पी० ए०) द्वारा भारत को सहायता

758. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशनल फण्ड फॉर पोपूलेशन एक्टीविटीज (यू० एन० एफ० पी० ए०) ने भारत को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

759. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है और अब राज्य सरकार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विद्यालय खोलने संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो विद्यालय की मंजूरी किस तारीख को दी गई थी और यह विद्यालय कब तक खुलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विद्यालय में कब तक कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने के स्थानों का निर्णय शैक्षिक सत्र के शुरू होने के समय किया जाता है। वर्ष 1983-84 के सत्र के लिए हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ विचाराधीन है।

दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे में वृद्धि करने सम्बन्धी रेलवे सुधार समिति की सिफारिश

760. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुधार समिति ने सरकार से दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह सिफारिश कब तक लागू कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दुर्घटना क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये की वर्तमान अधिकतम सीमा का निम्नानुसार संशोधित करने की सिफारिश की गयी है :—

(i) 12 वर्ष और अधिक आयु का यात्री	1 लाख रुपये
(ii) 12 वर्ष से कम आयु का यात्री	50,000 रुपये

चोटों के लिए क्षतिपूर्ति को भी यथोचित संशोधन सहित संशोधित करने की सिफारिश की गई है। बहरहाल, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पाकिस्तान में अमेरिकी इलेक्ट्रानिक विशेषज्ञों की नियुक्ति

761. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ अनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रारम्भिक कार्य करने हेतु अमेरिका के 60 इलैक्ट्रानिक और निगरानी उपकरणों के विशेषज्ञों को पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस खबर में दिए गए ब्यौरे की जानकारी नहीं है लेकिन सरकार भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखती है।

रेलवे स्टेशनों पर हांकरों की संख्या में वृद्धि

762. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर हांकरों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वे उत्पात मचाते हैं और चिल्ला-चिल्ला कर यात्रियों की शांति भंग करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) स्टेशनों और गाड़ियों में अनधिकृत फेरी वालों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली परेशानी को रोकने के लिए नियमित जांच की जाती है। पकड़े जाने पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत मुकदमा चलाए जाने जैसी उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

परिवार नियोजन की राज्य-वार उपलब्धि

763. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में परिवार कल्याण (सन्तती निग्रह) कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम निकले हैं और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम निष्पादन संबंधी कोई पुनरीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) जी हां चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत उत्साहजनक कार्य हुआ है और गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले अब तक की उपलब्धि नसबंदी आपरेशनों के संबंध में 43 प्रतिशत आई० यू० डी० पहनाने के संबंध में 35 प्रतिशत अधिक रही है। इस कार्यक्रम की हर महीने नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। चालू वर्ष में कार्यक्रम के लक्ष्यों से संबंधित नवीनतम राज्यवार उपलब्धियों तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों की उपलब्धियां अनुबंध 1 से 4 में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5910/83]

पटना में राजेन्द्र नगर-मीठापुर क्रासिंग पर ओवर ब्रिज

764. श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजेन्द्र नगर-मीठापुर रेलवे क्रासिंग, पटना, बिहार पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 1982 में शुरु किया जाना था ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस रेलवे क्रासिंग हर प्रतिदिन घंटों यातायात रुका रहता है;

(ग) पटना शहर के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार है; और

(घ) ये योजनाएं कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) समपार सं० 76 बी पर सड़क यातायात की अवरुद्धता को देखते हुए, रेलवे और राज्य सरकार ने पटना जंकशन और पटना साहिब स्टेशनों के बीच इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाए जाने पर सहमत हो गयी हैं। यह परियोजना रेलवे के 1982-83 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल की गयी थी।

(ग) उपर्युक्त के अतिरिक्त, चिलखोरा और यारपुर में ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कार्य भी रेलवे के 1982-83 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(घ) राज्य सरकार द्वारा सड़क पहुंच मार्ग पूरा कर दिये जाने पर, पटना जंकशन और पटना साहिब के बीच ऊपरी सड़क पुल के 1985 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। शेष दोनों ऊपरी सड़क पुलों के लिए निविदा मांगी गयी है। अभी कोई निर्धारित तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

हजीरा में एक शिपयार्ड की स्थापना

765. श्री छीतु भाई गामित :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारी, गुजरात में एक शिपयार्ड स्थापित करने का निर्णय अब तक न किए जाने के क्या कारण है;

(ख) इस शिपयार्ड की राष्ट्रीय आर्थिक महत्ता को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना का शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है और यह निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) उसके ले-आउट और इस पर होने वाले खर्च सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मध्यावधि समीक्षा के समय छठी योजना के मामले की समीक्षा करने का प्रस्ताव था जो उपलब्ध संसाधन, मौजूदा शिपयार्ड की प्रगति और भारत में जहाज निर्माण की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(ख) अभी मौजूदा शिपयार्ड के विस्तार और आधुनिकीकरण पर अधिक बल दिया जा रहा है जिससे वे अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। बाद में नये शिपयार्ड के प्रस्ताव पर वित्तीय संसाधन आदि उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

(ग) अभी प्रश्न नहीं होता।

रैंगिग रोकने के लिए कानून

766. श्री मूल चन्द डागा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रैंगिग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रैंगिग के कारण कितने छात्रों ने आत्महत्या की है तथा कितने छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है तथा इसके कारण कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में रैंगिग को रोकने के लिए जून, 1982 में विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की थीं। इनका उपयोगी प्रभाव पड़ा था। सरकार ने रैंगिग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) अनेक संस्थाओं से नये छात्रों की उनके वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैंगिग किए जाने की घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। सरकार को 1982 के शुरू में किसी छात्र द्वारा तथाकथित रैंगिग के कारण आत्महत्या करने की भी सूचना मिली थी। उन छात्रों की सही संख्या, जिन्होंने आत्महत्या की अथवा इस कारण से अपना अध्ययन छोड़ दिया, उपलब्ध नहीं है।

रेल गाड़ियों में डूंगरपुर के यात्रियों के लिए आरक्षण कोटा

767. श्री भीखा भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद से चलने वाली रेलगाड़ियों में डूंगरपुर के यात्रियों के लिए अहमदाबाद से बम्बई के आरक्षण कोटे में वृद्धि के प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) क्या प्रतिदिन 2 रेलवे बर्थ के स्थान पर 12 रेलवे बर्थ करने की जनता की मांग से रेलवे बोर्ड सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मांग के वर्तमान स्तर की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए डूंगरपुर स्टेशन को आबंटित मौजूदा कोटा पर्याप्त है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और इसके कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता

768. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया और इसके कर्मचारियों के बीच अन्तिम दीर्घावधि समझौता कब हुआ था;

(ख) क्या उसकी अवधि समाप्त हो गई है;

(ग) क्या शिपिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन, कलकत्ता सहित कर्मचारियों के संगठनों ने नया मांग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(घ) मांग-पत्र के आधार पर दीर्घावधि समझौता करने के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया और मंत्रालय ने क्या कदम उठाए है; और

(ङ) यह समझौता कब तक होने की संभावना है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 20 मई, 1971।

(ख) हां।

(ग), (घ) और (ङ) शिपिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन कलकत्ता सहित कर्मचारियों के संगठनों ने भारतीय नौवहन निगम के प्रशासन को 14-1-1975 को नया मांग पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया था और यह 11-8-1976 को अनुमोदित किया गया था। यह अनुमोदन भारतीय नौवहन निगम को सूचित किया गया था। लेकिन भारतीय नौवहन निगम के शोर एम्पलाइज यूनियन ने भारतीय नौवहन निगम के साथ संशोधित करार पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उन्हें नई शर्तें मंजूर नहीं थी। भारतीय नौवहन निगम प्रशासन तब से लगातार इस अड़चन को दूर करने के लिए अनेकों प्रयास किये हैं।

अभी हाल ही में सरकारी उद्यम कार्यालय और इस मंत्रालय के बीच हुई बातचीत के आधार पर भारतीय नौवहन निगम ने एक संशोधित प्रस्ताव तैयार किया और इसे 8-7-1982 को अपने यूनियनों को प्रस्तुत किया। भारतीय नौवहन निगम ने भारतीय नौवहन निगम एम्पलाइज यूनियन के प्रतिनिधियों से भी बम्बई और कलकत्ता में संशोधित प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। यूनियन ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया क्योंकि डी० ए० फार्मूला उन्हें मंजूर नहीं था

जिससे कि फिर बाधा उत्पन्न हो गई। जब कभी यूनियन, डी० ए० फर्मूला पर राजी होगी एक करार होना संभव हो सकेगा जो कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होता है।

भारत में कैलोरीज की प्रति व्यक्ति खपत

769. **श्री अमल दत्ता :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका/यूरोप में प्रति व्यक्ति 3000 कैलोरीज की खपत की तुलना में भारत में यह खपत 2000 प्रति व्यक्ति है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में पशु उत्पाद, फल, सब्जियां, चर्बी और तेल जैसे भोजन की खपत अमेरिका/यूरोप में होने वाली खपत का पांचवां हिस्सा है; और

(ग) क्या जनसंख्या मे वृद्धि के कारण दूध सहित खाद्यन्नों भोजन, सब्जियों और पशु उत्पादों की वार्षिक अतिरिक्त आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषण कार्यालय द्वारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश राज्यों में किए गये सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि भारत में केलोरियों की प्रति व्यक्ति औसत खपत इस प्रकार है :—

वर्ष	केलोरीज की औसत खपत
1977	2306
1978	2341
1979	2366
1980	2404

वर्ष 1980 में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन की छठी रिपोर्ट के अनुसार यूरोप और अमेरीका में, 1975 में केलोरीज की प्रति व्यक्ति औसत खपत 3000 से अधिक थी।

भारत में पशु उत्पाद, फल, सब्जियां, चर्बी और तेल जैसे भोजन की खपत यूरोप और अमेरीका में, होने वाली खपत की तुलना में कम है। 1969 में नेशनल ब्यूरो द्वारा 10 राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति औसत खपत इस

प्रकार है :—

खाद्य पदार्थ	भारत ग्राम
कुल अन्न	522
दालें	37
सब्जियां	122
चर्बी और चिकनाई	12
फल	13
आमिष खाद्य	12
दूध	90

अमेरिका/यूरोप के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जन संख्या में वार्षिक वृद्धि के कारण खाद्य-उत्पादन को बढ़ाने के अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा लगाए जाते हैं। निम्नलिखित सारणी से यह पता चलता हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है :

वर्ष	खाद्यान्न	फल	दूध	मछली
	(मिलियन टन)	(हजार टन)		
1977-78	126.4	18337	28355	2311
1978-79	131.3	19646	29208	2306
1979-80	109.7	20111	30204	2343
1980-81	129.8	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2423

स्वैच्छिक संगठनों के लिए पर्यवेक्षी कर्मचारी

770. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक संगठनों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षी कर्मचारी दिए जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन संगठनों को पर्यवेक्षी कर्मचारी देगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में एक केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना

771. **श्री राम अवध :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भोपाल में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह वहां कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) को खोलने के लिए स्थानों का निर्णय शैक्षिक सत्र के शुरू होते समय किया जाता है। भोपाल में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोलने वाले प्रस्ताव पर अगले शैक्षिक सत्र अर्थात 1983-84 के शुरू होने के समय अन्य इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा।

भारत-चीन संयुक्त आयोग

772. **श्री हरीश रावत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन के साथ सीमा वार्ता के संदर्भ में एक भारत-चीन संयुक्त आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर किए उसके दावे का इस समय हो रही भारत-चीन वार्ता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर चीन का दावा निराधार है। सीमा के सवाल पर अधिकारी स्तर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को दोहराया था।

"इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस" को अनुदान

773. **श्री आनन्द पाठक :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् प्रतिवर्ष "इन्डियन हिस्ट्री कांग्रेस" को उसकी बृहत वार्षिक कार्यवाहियों तथा शोध-पत्रों के प्रकाशन के लिए अनुदान देता था;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित अनुदान इस तर्क पर रोक दिया गया है कि अनुदान दिए जाने से पहले कांग्रेस से समस्त पांडुलिपि अवलोकन के लिए प्राप्त नहीं हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह शर्त इस कांग्रेस के प्रारम्भ होने पर लागू की गई थी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। भारतीय इतिहास कांग्रेस को दिसम्बर, 1981 में हुए 42वें सम्मेलन की कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा 25,000 रु० का प्रकाशन अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

263 अप तथा 264 डाउन गाड़ियों की गति बढ़ाना

774. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के बीरमगाँव और मेहसाना के बीच 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 263 अप तथा 264 डाउन गाड़ियों द्वारा इन दिनों पहले की अपेक्षा कितना समय लगता है;

(ख) इस गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) बीरमगाव और मेहसाना के बीच इस लाइन पर कितने स्टेशन हैं तथा इस लाइन पर कितने यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 263/264 मेहसाना-बीरमगाव पैसेन्जर 1-4-82 से पूर्व के 3 घण्टे और 40 मिनट की तुलना में अब क्रमशः 4 घण्टे 50 मिनट और 5 घण्टे 5 मिनट समय लेती है।

(ख) दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 263/264 एक मिश्रित गाड़ी है जिसके साथ चौपहिये माल डिब्बों भी चलते हैं। रेल सुरक्षा दल ने सुरक्षा की दृष्टि से इसकी 36.5 कि०मी० प्र० घंटा की निर्धारित गति को घटाकर 27.5 कि०मी० प्र० घंटा करने की सिफारिश की है। अतएव, अब उनका यात्रा समय में कमी करना व्यवहारिक नहीं है।

(ग) मेहसाना और बीरमगाव के बीच 9 स्टेशन हैं। इन गाड़ियों में यात्रियों की औसत संख्या 263 अप में 239 और 264 डाउन में 285 है।

लाजपतनगर रेलवे क्रासिंग के समीप दीवार का गिराया जाना

775. **श्री डी० पी० यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाजपतनगर रेलवे क्रासिंग के समीप एक दीवार को गिराए जाने के समाचार की जांच कराई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा कथित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) लाजपत नगर रेलवे समपार के पहुंच मार्ग के बीच की दीवार गिराए जाने के संबंध में सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस, नयी दिल्ली को रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी। बन्द समपार में से यातायात के गुजरने को रोकने के लिए सड़क के आर-पार उपयुक्त टाई बार की बाड़ लगा दी गयी थी।

बिहार में स्मारकों की संख्या

776. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्र द्वारा अनुरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पुरातत्व विभाग द्वारा कितने प्राचीन स्मारकों को अपने अधिकार में लिया गया है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान उन पर किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के गिरीडीह तथा हजारीबाग जिलों में कुछ नए स्थानों का पता चला है तथा सरकार द्वारा वहां खुदाई कराई गई है तथा क्या उसके परिणामस्वरूप कई प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुन्गन) : (क) और (ख) बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों की संख्या 75 हैं। गत पांच वर्षों में उनके संरचनात्मक रखरखाव पर व्यय की गई राशि निम्नलिखित अनुसार है :—

77-78	...	3,31,586
78-79	...	4,31,844
79-80	...	2,94,519
80-81	...	2,80,001
81-82	...	3,26,284
कुल		16,74,234

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य के पुरातत्व विभाग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर नरकटिया गंज-रक्सौल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

777. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर से नरकटिया गंज तथा रक्सौल तक रेल लाइन का कोई सर्वेक्षण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को संभवतः कब तक मीटर लाइन में बदल दिया जायेगा; और

(ग) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षणों से पता चला है कि मुजफ्फरपुर से रक्सौल और बेतिया तथा नरकटिया गंज के रास्ते सगौली से बगाहा तक की आमान परिवर्तन परियोजनाएं अर्थक्षम नहीं होंगी। अतएव, इन परियोजनाओं को विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों की तंगी को देखते हुए छोड़ दिया गया है।

कुष्ठ रोग के इलाज का नया तरीका

778. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कुष्ठ रोग के इलाज का एक नया तरीका निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या क्या ब्योरा है; और

(ग) उस तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) यह पता चला है कि रिफम्पीसिन और क्लोफेजिमीन के साथ डेप्सोन का सम्मिश्रण अधिक प्रभावी होता है तथा यह संक्रमित रोगियों के उपचार की अवधि को लगभग दो वर्ष कम कर सकता है, जबकि केवल डेप्सोन का प्रयोग करने से इस रोग को ठीक होने में 5-10 वर्ष लग जाते हैं। केवल सख्त क्लिनिकल देखरेख में ही बहु-औषध-पद्धति की चिकित्सा करनी होती है और औषधि लेने, उपचार की प्रगति एवं विषमता आदि की जाँच प्रयोगशालाओं के परीक्षणों के जरिए विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से करानी होती है।

(ग) बहु-औषध-पद्धति की चिकित्सा प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बहु-औषध-पद्धति की परियोजनाएं केवल उन जिलों में शुरू की गई हैं, जहा

कुष्ठरोग स्थानिक रूप से अधिक है। आरम्भ में बहु-औषध-पद्धति परियोजनाएं वर्धा (महाराष्ट्र) और पुरलिया पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थीं और अब इन्हें चार जिलों में और शुरू किया गया है अर्थात् श्री काकुलन और विजय नगरम् (आन्ध्र प्रदेश), गंजम (उड़ीसा) तथा उत्तर अर्काट (तमिलनाडु)।

रेलवे में नैमित्तिक मजदूर

779. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में कितने नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से जोन-वार कितने मजदूर नियमित कर दिए गए हैं; और

(ग) सभी मजदूरों को नियमित करने की क्या योजना है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) लगभग 2.08 लाख।

(ख) 1981-82 के दौरान नियमित किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है। 1982-83 के दौरान नियमित किए गए नैमित्तिक श्रमिकों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध श्रेणी योजना बनाना संभव नहीं है। प्रथमतः में उनका समाहन इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, दूसरे नैमित्तिक श्रमिक को विभिन्न स्थानों पर मौसमी तौर पर तथा सीमित अवधि के लिए नियोजित किया जाता है। इसलिए रेलों को देश व्यापी स्तर पर बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक रखने ही पड़ते हैं।

विवरण

रेलवें	1981-82 के दौरान नियमित किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या
मध्य	2615
पूर्व	1488
उत्तर	6179
पूर्वोत्तर	2655
पूर्वोत्तर सीमा	400
दक्षिण	471
दक्षिण-मध्य	3633
दक्षिण-पूर्व	2773
पश्चिम	3305
जोड़	23519

काम के अनुपयुक्त रेल लाइनों के सम्बन्ध में रेल सुधार समिति की रिपोर्ट

780. **श्री शांति भाई पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने टिप्पणी की है कि देश की 20 प्रतिशत रेल लाइनें शीघ्र ही बेकार हो जायेंगी; और

(ख) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेल सुधार समिति ने अपनी सिफारिशों में से एक सिफारिश में यह निष्कर्ष निकला है कि अन्य बातों के साथ-साथ रेलों की पूंजीगत परिसम्पत्तियां वर्षानुवर्ष कम होती जा रही है और जब तक नवीकरण की गति को बढ़ाया नहीं जाता तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में सम्पूर्ण रेलपथ का 20% से अधिक रेलपथ परिचालन के अयोग्य हो जायेगा।

(ख) रेलपथ नवीकरण की गति को पहले ही बढ़ा दिया गया है। 1980-81 में 1096 कि० मी० रेलपथ नवीकरण के स्तर को बढ़ाकर 1982-83 में प्रतिवर्ष लगभग 1560 कि०मी० तक पहले ही बढ़ाया जा चुका है। 1983-84 में इस कार्य को आगे और बढ़ाकर लगभग 2350 कि०मी० तक करने की संभावना है। इसके लिए अधिक धन के आबंटन हेतु सभी प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं।

महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता

781. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता के कार्यककण का पुनर्विलोकन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि परियोजना के पूरा होने में बिलम्ब के कारण कलकत्ता नगर क्या इसके निवासियोंको गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) मेट्रो रेल परियोजना, कलकत्ता के कार्य को समीक्षा तथा देखभाल करने के लिए बोर्ड कार्यालय में एक निदेशक के अन्तर्गत एक विशेष सेल बनाया गया है।

(ख) जी हां, सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली की इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहें हैं। एसप्लेनेड से टालीगंज और दमदम से श्याम बाजार तक के चरण-1 को 1985 तक और शेष श्याम बाजार से एसप्लेनेड खण्ड के चरण-2 को 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य है। एसप्लेनेड से भवानीपुर तक के खण्ड के कुछ भाग को लक्ष्य तिथि से पहले शीघ्रातिशीघ्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों का कल्याण

782. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के विकास तथा कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : 20-सूत्री कार्यक्रम के शिक्षा सम्बन्धी सूत्र संख्या 16 के कार्यान्वयन में मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं तथा कृषि श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों के अन्य व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के विशेष उपाय किए हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के कार्यक्रम में बस्तियों के निकट स्कूल शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों, वर्दियों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को मध्याह्न भोजन जैसे अन्य प्रोत्साहनों की व्यवस्था पर बल दिया गया है। दाखिला के सम्बन्ध में लड़कियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, भूमिहीन श्रमिकों तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों जैसे लक्षित अन्य समूहों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा व्यापक पैमाने पर शुरू की गई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में उन अनौपचारिक कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य 9—14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों को शामिल करना है, के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अध्ययन की विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम अवधि, स्थान तथा घन्टों के सम्बन्ध में ये कार्यक्रम लक्षित वर्गोन्मुख और विकेन्द्रीकृत हैं। इसके अलावा पाठ्यचर्या सुधार, महिला शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल में शारीरिक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भी समाज के कमजोर वर्गों के प्रौढ़ों के दाखिला को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकारों को इन समुदायों को प्राथमिकता देने तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा नई शिक्षा योजना

783. **श्री टी० एस० नेगी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा देश में एक नई शिक्षा योजना ओपन स्कूल आरम्भ की गई है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले से गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या के कारण शेष देश की तुलना में बहुत कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए है; और

(ग) क्या सरकार पौढ़ी, जामलाखाल तथा श्रीनगर जैसे स्थानों में नए केन्द्र खोलने के कदम उठाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए ओपन स्कूल ने 1981-82 में नवसाक्षरों को दाखिल करना प्रारम्भ कर दिया था। "ओपन स्कूल" दिल्ली में स्थित है लेकिन देश के किसी भी भाग अथवा विदेश के व्यक्तियों को भी नवसाक्षर के रूप में पात्र व्यक्ति पंजीकृत किया जा सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है, और जो पढ़ और लिख सकता है, प्रवेश पाने का पात्र है।

"ओपन स्कूल" दूरवर्ती शिक्षण तकनीक को अपनाकर औपचारिक स्कूली शिक्षा के प्रति गैर औपचारिक दृष्टि कोण को लागू करता है। स्कूल, स्वतः स्पष्ट और स्वत: शैक्षिक पाठों के रूप में विभिन्न शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था करता है। स्कूल का, देश के विभिन्न भागों में, जहां नवसाक्षर पर्याप्त मात्रा में केन्द्रित हैं, संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि अंशकालिक आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए उनकी सहायता की जा सके। कैसेट्स, विशेष चार्ट तथा नक्शे आदि जैसे दृश्य-श्रृव्य सहायक-साधन भी इन केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। नवसाक्षर इन केन्द्रों से शिक्षण-सामग्री उधार ले सकेंगे। बाद में इस "ओपन स्कूल" का रेडियो/दूरदर्शन साधनों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

किसी पत्राचार पाठ्यक्रम की तरह, इस प्रणाली में भी नवसाक्षर अपने स्थान तथा अपने ही समय में अध्ययन कर सकते हैं। किन्तु "ओपन स्कूल" इस अर्थ में पत्राचार पाठ्यक्रम से भिन्न है कि नवसाक्षरों को दी गई सूची में से विषय चुनने की स्वतन्त्रता होती है; इसमें विषयों के संयोजन में कोई कठोर नियम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, नवसाक्षर को विषयवार अंक एकत्र (जमा) करने का विकल्प होता है; नवसाक्षरों के लिए एक ही समय में विषयों के किसी समूह में पास होना अनिवार्य नहीं होता। पांच वर्षों की अवधि में पांच विषयों में अंकों के संचयन से नवसाक्षर केन्द्रीय बोर्ड से माध्यमिक स्कूल परीक्षा पास करने का प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा।

(ख) इसमें कोई शक नहीं कि गढ़वाल जिले से नवसाक्षरों की संख्या कम है किन्तु यह परीक्षा केन्द्रों की कमी के कारण नहीं है जिन्हें दाखिले के 8 महीने के बाद अधिसूचित किया गया था।

(ग) इन स्थानों पर, परीक्षा केन्द्रों के खोलने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है यदि वहां से पर्याप्त संख्या में छात्र दाखिला लें।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा अधिक भुगतान

784. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा "यूनएन्जाइम टेबलेट" तथा "बी० सी० फोर्ट कैपसूलों के लिए कुछ फर्मों को अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना, नई दिल्ली के सतर्कता एकक को जांच के लिए सूचना भी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो मामले में की गई जांच का क्या परिणाम रहा तथा इसका वित्तीय अनौचित्य क्या था; और

(ग) मामले में सरकार को होने वाली वित्तीय हानि के लिए अपराधी अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारिती करने तथा सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) से (ग) सी० जी० एच० एस० मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा इन दवाइयों के सम्बन्ध में किसी फर्म को अधिक भुगतान करने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता बरतने का कोई मामला नहीं हुआ। तथापि, फर्मों द्वारा ये दवाइयां देर से सप्लाई करने का एक मामला ध्यान में आया था। इसकी जांच-पड़ताल की गई और उसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों को भविष्य में सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है।

स्कूल जाने वाले बच्चों में आमवातिक रूमेटिक ज्वर तथा अमावातिक हृदय रोग

785. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों में आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग काफी पाये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रोग के कारण सुनिश्चित किए गए हैं तथा स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग सम्बन्धी अपने दस्तावेज में यह कहा है कि भारत में स्कूल जाने वाले 5 से 15 वर्ष की आयु के प्रतिहजार बच्चों में से 6 को आमवातिक हृदय रोग होता है।

आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग का कारण बीटा ही मोलीटिक स्ट्रैप्टोकोकाई बताया जाता है। ग्रुप "ए" बीटा ही मालीटिक स्ट्रैप्टोकोकाई अधिकांशतया आम कारण हैं। अन्य ग्रुपों में ग्रुप जी और ग्रुप सी हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद ने आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग के विद्यमान होने तथा उसके साथ जुड़े हुए महामारी विज्ञान सम्बन्धी पहलुओं पर अध्ययन किया था।

स्कूल जाने वाले बच्चों में आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग के प्रति गौण प्रतिरोधी शक्ति के सम्बन्ध में एक बहुकेन्द्रीय अध्ययन भी किया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग की व्याप्तता तथा दिल्ली के स्कूलों में इसके इलाज पर एक अध्ययन किया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध वर्तमान स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का प्रयोग करते हुए लोगों में आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोग की रोकथाम करने के लिए प्रमाणन मापांक पर भी एक अध्ययन आरम्भ किया है।

खाद्य सामग्री में अपशिष्ट कीटनाशी तत्व

786. **श्री चित्त बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 17 जनवरी के स्टेट्समैन (दिल्ली) में एक समाचार के अनुसार कलकत्ता तथा इसके आस-पास के विभिन्न बाजारों में याहृच्छिक रूप से एकत्रित खाद्य सामग्री में खाद्य अपमिश्रण निवारक नियम, 1968 द्वारा खाद्य सामग्री में निर्धारित सहतीय सीमा से कहीं अधिक अविशिष्ट कीटनाशी तत्व पाया गया, और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सहतीय सीमा से नीचे लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले यह रिपोर्ट दी थी कि कुछ खाद्य पदार्थों में कीटनाशी तत्व की मात्रा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत निर्धारित "सहनीय स्तर" से कहीं अधिक है।

(ख) सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय समय पर यह परामर्श दिया जाता रहा है कि वे कीटनाशी अविशिष्टों की जांच करने सम्बन्धी अपने कार्यकलापों को तेज करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी मात्रा सहनीय स्तर से अधिक न हो। कृषि मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया था कि वे इस दिशा में उचित कार्यवाई करें।

गया तथा मुगलसराय स्टेशनों के बीच विशेष स्थानीय रेलों को आरम्भ करना

787. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के गया तथा मुगलसराय स्टेशनों के बीच विशेष स्थानीय रेलें चलाने की मांग की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मांग पर विचार किया गया है तथा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) अतिरिक्त ठहराव वाली यात्री गाड़ियां चलाने के लिए निरन्तर मांग की जा रही हैं।

(ख) लाइन क्षमता की तंगी के कारण ग्रेंड कार्ड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है जिन्हें कोयले के संचलन के लिए सुरक्षित रखना होता है।

दिल्ली परिवहन निगम तथा राजस्थान सड़क परिवहन निगम के बीच एक दूसरे के क्षेत्र में बसें चलाने पर विवाद

788. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम और राजस्थान सड़क परिवहन निगम के बीच एक दूसरे के क्षेत्र में बसें चलाने पर कोई विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो विवाद का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम या राजस्थान सड़क परिवहन निगम मोटर गाड़ी अधिनियम या सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों से यात्रियों को बिठाने का निषेध कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली और राजस्थान के बीच आने जाने वाले यात्रियों को अपनी अपनी बसें लाने ले जाने के बारे में परस्पर विचार विमर्श के न होते रहने के कारण इन बसों में पकड़ा पकड़ी की कुछ घटनाएं हुई थीं। यह मामला सन्तोष पूर्ण रीति से हल कर लिया गया है :

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

पुणे को शिमला संस्थान का स्थानान्तरण

789. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला संस्थान को उसके वर्तमान स्थान से पुणे स्थानान्तरित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे स्थानान्तरित करने के लिए निश्चित तिथि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो शिक्षा मन्त्रालय शिमला संस्थान को अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियां आरम्भ करने की अनुमति देने में कितना समय लेगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थूंगन) । (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संस्थान में पहले से ही कार्यरत दो फैलो के अनुसन्धान कार्यक्रमों में प्रगति हो रही है । नये शैक्षिक कार्यक्रमों और क्रिया-कलापों को संस्थान के विभिन्न प्राधिकारियों के नियुक्त/गठन होते ही, जिसके लिए कार्रवाई शुरू करदी गई है, यथाशीघ्र आरम्भ कर दिए जाने की आशा है ।

इलाहाबाद मण्डल से अधिकारियों का स्थानान्तरण

790. श्री बाला साहिब पंवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल में कितने अधिकारी वहां पिछले पांच वर्षों अथवा अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन अधिकारियों को इलाहाबाद मण्डल से किसी अन्य मण्डल अथवा मुख्यालय को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : इलाहाबाद मंडल में पिछले 5 वर्षों या अधिक समय से कुल 37 अधिकारी कार्य कर रहे हैं । इनमें से 30 डाक्टर हैं जिन्हें आमतौर पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाता जब तक इन्हें उच्चतर ग्रेड के पदों पर न भेजा जाना हो, जो पद इस मण्डल पर नहीं हैं ।

जहां तक शेष 7 अधिकारियों का सम्बन्ध है वे इस मण्डल पर प्रशासनिक हित में कार्यरत हैं ।

शिशु-मृत्यु की राष्ट्रीय औसत दर कम करने के लिये कदम

791. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970—1980 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में कोई पर्याप्त कमी नहीं आयी है; यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में के ग्रामीण शिशु मृत्यु की औसत दर के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई "भारत का शिशु स्वास्थ्य एवं मृत्यु मानचित्र" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में शिशु मृत्यु के आंकड़े, 122 प्रति 1000 की राष्ट्रीय औसत दर की तुलना में बहुत अधिक हैं; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की सिफारिश की है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही मां एवं शिशु स्वास्थ्य निदान की समेकित योजना अधिक लोगों पर लागू की जानी चाहिए, और इसके उपचार में अधिक रुचि ली जानी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो खासतौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु की राष्ट्रीय औसत दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1970—80 दशक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। भारत के महापंजीयक की नमूना जांच पद्धति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1976, 1977 और 1978 के दौरान शिशु मृत्यु दर क्रमशः 139, 140 और 137 है।

(ख) हां।

(ग) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर सम्पूर्ण देश की शिशु मृत्यु दर जो 1978 में गांव और शहर को मिलाकर प्रति 1000 जीवित जन्म के पीछे 127 है, से अधिक है। आन्ध्र प्रदेश में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। पिछले तीन वर्षों के जिन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनकी दरें इस प्रकार हैं :—

राज्य	1976	1977	1978
आन्ध्र प्रदेश	122	125	117
मध्य प्रदेश	138	148	143
उड़ीसा	127	147	133
राजस्थान	142	142	140
उत्तर प्रदेश	178	168	177

(घ) और (ङ) नहीं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों की समग्र स्वास्थ्य परिचर्या के एक अंग के रूप में माताओं और शिशुओं को मिली-जुली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना करके, जिला/सब-डिविजन, तालुकों में बाल-चिकित्सा यूनिटों की स्थापना करके, बीमार नव जात शिशुओं के लिए बालरोग चिकित्सा यूनिट खोलकर, डाक्टरों, बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं, दाईयों, स्वास्थ्य गाइडों आदि को प्रशिक्षण देकर माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं देने सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए उपाय किए गए हैं। सन् 2000 ईसवी तक शिशु मृत्यु दर को लगभग 50 प्रतिशत कम करने की योजना है।

रेलवे के विकास और संस्थापन पर हुआ खर्च

792. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में अब तक रेलवे की संस्थापना और विकास पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) केरल में इन कार्यों पर कितना व्यय किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 31-3-1982 के अन्त तक रेलों पर किये गये कुल निवेश का ब्यौरा निवेश के विभिन्न स्रोतों के अनुसार संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान निवेश की राशि वार्षिक लेखों के बन्द होने और तत्पश्चात् रेलों के ब्लाक लेखे तैयार होने के बाद ही मालूम होगी।

(ख) निवेश के आंकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं, न कि राज्यवार। इसलिए केरल पर खर्च की गयी राशि के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

31-3-82 के अन्त तक, निवेश के विभिन्न स्रोतों से रेलों पर किया गया कुल निवेश निम्नलिखित है :—

	करोड़ रुपये
पूंजी	6866.13*
मूल्यह्रास आरक्षित निधि (केवल सुधार तत्व)	559.81
विकास निधि	605.95
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	38.68
चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	257.44
विविध	4.37
जोड़	8332.38

*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के 168.08 करोड़ रुपये शामिल हैं।

औषध विक्रेताओं द्वारा हड़ताल

793. **श्री रेणुपद दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के औषध विक्रेताओं द्वारा औषध, नियंत्रण अधिनियम, 1982 में नये संशोधन के विरोध में 8 जनवरी, 1983 को समूचे भारत में सांकेतिक हड़ताल करने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में रेल परियोजनाओं में पूंजी निवेश

794. श्री रास बिहारी बेहरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में चालू रेल परियोजनाओं में कुल कितना धन लगाया गया है और परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान किन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ़) : (क) उड़ीसा राज्य में रेल परियोजनाओं के नाम तथा चालू रेल परियोजनाओं पर प्रत्याशित निवेश निम्नलिखित हैं :—

	करोड़ रुपये में
1. कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन	112.10
2. जखापुरा-बांसपानी रेलवे लाईन	75.00
3. कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिणी सिरे पर वर्तमान समपार के स्थान पर दोहरे यातायात वाले उपरी सड़क पुल की व्यवस्था	2.42
4. भुवनेश्वर-एक नये सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना	18.97
5. बोंडामुंडा-के लिए एकीकृत योजना :	3.47
(क) 50 बिजली रेल इंजनों को ठहराने योग्य एक नये बिजली रेल ईंजन शेड का निर्माण	
(ख) दो वर्तमान डीजल लोको शेडों को 100 डीजल इंजन ठहराए जाने योग्य बनाने के लिए बढ़ोतरी	
6. बोंडामुंडा-बीच की सिक लाइन पर अधिक स्थान और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था	0.02
7. खोरधा रोड से वाल्तेरु तक पलासा में ड्राप चैनल सुविधा सहित दिशा निर्धारित रेडियो बहु सरणि संचार व्यवस्था (माइक्रोवेव) का विस्तार	1.71

	करोड़ रुपये में
8. वाल्तेरु-किरन्दुल खण्ड पर सिमलोगुडा से किरन्दुल तक और श्री हरिकोटा तथा मालिविड्ू आदि 34 स्टेशनों पर बहुआणमी बत्ती सिगनल व्यवस्था करना	1.50
9. कोट्टावालसा-किरन्दुल लाइन के 29 मार्गवर्ती स्टेशनों पर पैनल अन्तर्पाशन	1.36
जोड़	216.55

(ख) मद संख्या 5 से 9 तक सूचीबद्ध रेल परियोजनाओं का 1983-84 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पारमुगाओं पत्तन न्यास द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों की उपेक्षा करके भारती किया जाना

795. **श्री एडुआर्डो फैलोरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा के लोगों की इस तथ्य पर उत्पन्न प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी है कि पारमुगाओं पत्तन न्यास के प्रबन्ध स्थानीय उम्मीदवारों की उपेक्षा करके संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के लोगों की भरती कर रहे हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान मारमुगाओं पत्तन न्यास द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के कितने लोगों की भरती की गई और उसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) पोर्ट ट्रस्ट में भर्ती उन नियमों के अनुसार की जाती है, जो सक्षम अधिकारियों ने समय समय पर बनाए है। श्रेणी III और Iv में जो रिक्तियां होती है वे रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाती है और वे रिक्तियां केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से भरी जाती है जिनके नाम रोजगार कार्यालय भेजता है। रोजगार कार्यालय में जब उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं।

(ख) 1-2-78 से 31-1-83 तक, मार्मगाव पत्तन न्यास में विभिन्न पदों के लिए 828 व्यक्ति सीधे भर्ती किए गये। इनमें से 590 स्थानीय व्यक्ति हैं। बाकी के 238 व्यक्तियों में से, 51 अनुसूचित जाति/जनजाति के थे, ऐसे उम्मीदवार जो आमतौर से वहां उपलब्ध नहीं हुए। रोजगार कार्यालय ने जो सूची भेजी थी, उसमें उन उम्मीदवारों के नाम भी भेजे गये जो गोवा निवसी नहीं थे। उनमें से कुछ का योग्यता और गुणावगुण के, आधार पर चयन समिति ने चयन कर लिया। जब उपयुक्त स्थानीय उमीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो स्किल्ड और तकनीकी पदों पर कुछ ऐसे व्यक्ति रख लिए गये जो गोवा निवासी नहीं थे।

नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने हेतु प्रावधान

796. **श्री तारिक अनवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के लिए बजट में नई रेल लाइनों के सर्वेक्षणों हेतु कोई प्रावधान रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के किन भागों में सर्वेक्षण किये जाते हैं और उनके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन कारणों से यह सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है और उनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। 1982-83 के बजट में चार नई रेल लाइनों के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवम्-यातायात सर्वेक्षण शामिल किये गये थे।

(ख) से (घ) इन नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में पड़ते हैं। वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के कारण इन सर्वेक्षणों को अब तक पूरा किया जाना संभव नहीं हो पाया। इनके पूरा होने के लिए कोई निर्धारित तिथि निश्चित नहीं की गयी है, क्योंकि यह अन्य सर्वेक्षणों पर हो रहे कार्य के महत्व और निधियों की उपलब्धतता पर निर्भर करेगा।

राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में हुई प्रगति

797. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र अपनाया था; और

(ग) राज्यों ने इस सूत्र को क्रियान्वित न कर सकने के लिए क्या कारण दिए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5911/83]

(ग) अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने, सिद्धान्त रूप में त्रिभाषा सूत्र स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु ने, 1968 में राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार द्विभाषा सूत्र स्वीकार कर लिया है। और पाण्डिचेरी तथा करायक्ल क्षेत्र, तमिलनाडु में अपनाए जा रहे, सूत्र का ही पालन करते हैं। तथापि, कुछ राज्य शैक्षिक आवश्यकताओं तथा वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, कुछ संशोधनों के साथ त्रिभाषा को कार्यान्वित कर रहे हैं।

प्रवेशार्थ शुल्क पर रोक लगाया जाना

798. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या शिक्षा और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "आन्ध्र बैन्स कैपिटेशन फी" शीर्षक के अन्तर्गत 31 जनवरी 1983 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में प्रवेशार्थ शुल्क पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) संसद् में इस विषय पर विधेयक लाने में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से व्यावसायिक कालेजों में दाखिला के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया था। सभी राज्य सरकारों ने इस सुझाव का स्वागत किया है। तथापि आन्ध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक तथा बिहार जहां पर ऐसी तथा कथित संस्थाएं विद्यमान है, की राज्य सरकारें कुछ कानूनी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इस प्रथा को अभी तक नहीं रोक सकी हैं। इस विषय पर एक विधेयक संसद् में तथा शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता

799. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जारकारी है कि नौवहन उद्योग मन्दी के दौर से गुजर रहा है और इसलिए इसका अपने अस्तित्व के लिए वित्तीय सहायता हेतु सरकार पर निर्भर रहना आवश्यक है,

(ख) क्या यह सच है कि कुछ गैर नौवहन कम्पनियां ऐसे अवसर पर जब नौवहन उद्योग संकटावस्था में है इस क्षेत्र में आने के लिए अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थापित नौवहन कम्पनियों को सहायता देने और इस उद्योग में नई कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ गैर-जहाजी कम्पनियों ने जहाज खरीदने के लिए सरकार से अनुमति माँगी है। परन्तु इस समय यह हालत है कि नौवहन उद्योग में वर्तमान मन्दी को ध्यान में रखते हुए, गैर जहाजी कम्पनियां भी नये जहाज खरीदने में आना-कानी कर रही है।

(ग) जहाजी कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। इस सहायता का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। जहाज खरीदने के लिए नई कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

800. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति किन क्षेत्रों में बहुत अच्छी नहीं रही है; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए उन क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी, 1983 की अवधि में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तंगत जो उपलब्धियां हुई हैं वे 1981-82 की इसी अवधि के दौरान नसबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत मणिपुर और राजस्थान को छोड़ सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में हुई उपलब्धियां तथा आई० यू० डी० पहनाने के बारे में मेघालय राजस्थान और चण्डीगढ़ को छोड़ सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों से ज्यादा हैं।

(ख) जो राज्य इस कार्यक्रम में पिछड़ गए है, उनके बारे में क्षेत्र विशेष नीति अपनाई जा रही हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तंगत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सूक्ष्म निरीक्षण और अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को दिया गया प्रस्ताव

801. **श्री बाबूराम परांजपे :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आवास चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं और पदोन्नति की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ख) उन पर प्रति वर्ष कितना अनुमानित व्यय आएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाओं, उन्हें उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और शिक्षकों के लिए पदोन्नति की योजना में सुधार का प्रस्ताव पिछले कुछ महीनों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन था। सरकार से परामर्श करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसके अधीन जमा भविष्य निधि के एक भाग को विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। भविष्य जमा निधि में से ऋण लेने के लिए प्रारम्भिक संसाधन में वृद्धि करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लौटाए गए/लौटाए जाने योग्य लगभग 1 करोड़ रुपए का उपयोग करने के लिए भी आयोग विश्वविद्यालय से सहमत था। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 3 करोड़ रु० उपलब्ध कराए जाएंगे।

जहां तक कालेज कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आयोग ने 1 करोड़ रु० का प्रारम्भिक परिव्यय संस्वीकृत करने की सहमति दी है यदि सम्बन्धित प्रबन्ध समान राशि का अंशदान करने के लिए सहमत हो। इस 2 करोड़ रु० के प्रारम्भिक परिव्यय के साथ-साथ कालेज भविष्य निधि निवेश में से लगभग 4 करोड़ रु० का ऋण ले सकते हैं, इस प्रकार कालेज कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु कुल 6 करोड़ रु० का खर्च करने योग्य राशि सुलभ हो जाती है। इन दोनों मामलों में भविष्य निधि निवेश से लिया गया ऋण तथा इस पर देय ब्याज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही सुलभ कराना होगा।

इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम हेतु आवर्ती निधि के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से चालू वर्ष के अनुदान को 10 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० कर दिया गया है।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पहले से ही दो स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। आयोग आवश्यक पूरक स्टाफ, औषधियों की व्यवस्था तथा अन्य खर्चों सहित दो और स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है।

विश्वविद्यालय और कालेज के शिक्षकों के लिए पदोन्नति की योजनाओं को आयोग द्वारा क्रमशः नवम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1982 में अन्तिम रूप दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के शिक्षक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आयोग को योजना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। शिक्षकों के साथ विस्तार से बात-चीत करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोग की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुछ रूप रेखाओं की सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखे दिल्ली विश्वविद्यालय के 28-1-1983 के पत्र का उद्धरण संलग्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन सिफारिशों को इस विश्वास पर स्वीकार कर लिया कि शिक्षण कार्य पुनः शुरू हो जाएगा।

उपर्युक्त प्रबन्धों को कार्यान्वित करने में निहित यथार्थ वार्षिक खर्च अभी तैयार नहीं किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5912/83]

सऊदी अरब में सिखों के प्रवेश पर रोक

802. **श्री जी० एस० पाटिल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सउदी अरब में सिखों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया;

(ख) क्या किसी अन्य देश में भारतीयों के किसी वर्ग पर रोक लगाई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या सऊदी अरब का क्या प्रत्युत्तर है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सऊदी अरब में सिखों के प्रवेश पर निषेध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा में अपनी संपत्ति छोड़कर आने वाले भारतीयों को मुआवजा

803. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में अपनी संपत्ति छोड़कर आने वाले भारतीयों से मुआवजे का भुगतान करने के लिए बर्मा सरकार के साथ सरकार की हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इन भारतीयों को अपनी संपत्ति के लिए दावों का भुगतान कब तक मिलेगा;

(ग) क्या ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश नागरिकों द्वारा बर्मा में छोड़ी गई सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और उन ब्रिटिश नागरिकों के दावों का भुगतान कर दिया था जो बर्मा में अपनी संपत्ति को छोड़कर आ गये थे;

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इसी प्रकार की कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या का हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अनिवासी भारतीय दावेदारों को क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के मामले को भारत सरकार औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से भी बर्मा की सरकार के साथ उठाती रही है। इस सिलसिले में बर्मा की

सरकार से पिछली बार जुलाई 1982 में उत्तर प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने सम्बद्ध प्राधिकारियों से इस मामले से शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में बर्मा के प्राधिकारियों को समय-समय पर स्मरण दिलाया गया है।

(ख) इस मामले में बर्मा सरकार को हम बराबर याद दिलाते रहते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे इसके बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लेंगे।

(ग), (घ) और (ङ) सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार और बर्मी प्राधिकारियों के बीच यह समझौता हो गया है कि बर्मा में ब्रिटिश नागरिकों के नाम में जो अनिवासी अवरुद्ध बैंक खाते हैं, वे रंगून स्थित ब्रिटिश राजदूतावास को हस्तान्तरित कर दिए जायें। ऐसा समझा जाता है कि इन बैंक खातेदारों को उनके नाम जमा रकम के बराबर स्टर्लिंग यू० के० सरकार द्वारा उन्हें दे दिए जाएंगे। बर्मा के प्राधिकारी से अपनी बातचीत में हमने इस पहलू को ध्यान में रखा है।

दिल्ली में दन्त चिकित्सा कालेज

804. श्री जेवियर अराकल : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई दन्त चिकित्सा कालेज नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनता की इस आवश्यक मांग को देखते हुए सरकार का विचार एक दन्त चिकित्सा कालेज खोलने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में 20 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाला एक दन्त विभाग खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस दन्त विभाग को स्थापित करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में ऊपरी पुल

805. श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का उड़ीसा में 1983-84 के दौरान कुल कितने ऊपरी पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का उपरोक्त वित्तीय वर्ष में जाजपुर-क्योंझर रोड रेल स्टेशन पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसमें अनुमानित कितनी राशि व्यय होगी और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उसका ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) उड़ीसा राज्य में बोलगीर, बरगढ़, बालासौर, नरगुंडी और कटक में पांच ऊपरी सड़क पुलों का काम प्रगति पर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बहादुरशाह जफर के अवशेषों को वापस लाया जाना

806. **श्री झारखण्डे राय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के वीर स्वतन्त्रता सेनानी बहादुरशाह जफर के अवशेषों को बर्मा सरकार के साथ बातचीत करने के उपरान्त भारत सरकार उसे फिर लाल किले की भारतीय भूमि पर दफनाने के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) पिछले एक वर्ष में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की परिक्रमा रेल से हुआ घाटा

807. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिक्रमा रेल में प्रतिदिन कितनी गाड़ियां चलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल को चालू करने से लेकर 31 दिसम्बर, 1982 तक कुल कितने रुपये का घाटा हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दिल्ली रिंग रेलवे पर, 12 यात्री गाड़ियां जिनमें से दक्षिणावर्त और 6 वामावर्त दिशा में चलती हैं।

(ख) इन गाड़ियों से होने वाली हानि के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

कोयले की ढुलाई के लिए काम में लाये जा रहे वैगन

808. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की ढुलाई के लिए प्रतिदिन कितने वैगनों को काम में लाया जाता है।

(ख) क्या यह सच है कि कोयले की ढुलाई के लिए वर्तमान वैगन अपर्याप्त है और इसके कारण स्थल पर बड़ी मात्रा में कोयला जमा हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयला विभाग ने कोयले की ढुलाई के लिए अतिरिक्त वैगन देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) विभिन्न कोयला-खानों और लदान-स्थलों पर कोयला कम्पनियों की मांग के अनुसार कोयले के परिवहन के लिए माल डिब्बे भारतीय रेलों पर उपलब्ध माल डिब्बों के सामान्य पूल में से सप्लाई किए जाते हैं। इस समय कोयले के लदान के लिए प्रतिदिन 12000-13000 माल डिब्बे सप्लाई किए जा रहे हैं।

(ख) रेलें रेल-मुखों पर लदान के लिए प्राप्त होने वाले समस्त कोयले की ढुलाई कर रही हैं। यदि कोयले कोयले का कोई स्टाक जमा होता है तो वह रेल मुखों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कोयले का लदान करने में रेलों की असफलता के कारण नहीं होता है।

(ग) और (घ) : विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोयले के लदान के लिए माल डिब्बों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को आवधिक समीक्षा की जाती है और औद्योगिक अवसंरचना से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल समिति द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है तथा तदनुसार माल डिब्बों की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। कोयला विभाग और कोयला कम्पनियों के साथ क्षेत्र तथा उच्चतर स्तरों पर निकट समन्वय भी बनाये रखा जाता है।

रेलवे माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की मांग और सप्लाई

४09. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जोनल रेलवे की वर्षवार और जोनवार, रेलवे माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की मांग और सप्लाई की क्या स्थिति रही है;

(ख) जोनल रेलवे की 1982-83 के लिए सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए कितनी मांग है और जोनल रेलवे की 1983-84 के लिए कितनी मांग होने की संभावना है और सवारी डिब्बे और माल डिब्बे बनाने वाले विभिन्न कारखानों से इनकी सप्लाई स्थिति क्या है;

(ग) जोनल रेलवे की 1982-83 और 1983-84 के लिए डीजल इन्जनों की कितनी मांग है और उनकी सप्लाई स्थिति क्या है;

(घ) विभिन्न जोनल रेलवे की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सवारी डिब्बों और डीजल इन्जनों की सप्लाई के मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के साथ भेदभाव किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलों के लिए चल स्टाक, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों को जरूरत का आकलन अखिल रेलवे आधार पर ही किया जाता है और वार्षिक चल स्टाक कार्यक्रम में, जो रेलवे बजट का एक भाग है, उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। चल स्टाक के निर्माण/खरीद के लिए अपेक्षित अग्रिम समय को ध्यान में रखते हुए वर्ष विशेष में किए गए प्रावधान को कार्यान्वित करने में लगभग दो से तीन वर्ष लग जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के लिए किया गया प्रावधान तथा उनका उत्पादन नीचे दिया गया है :—

चल स्टाक कार्यक्रम में किया गया प्रावधान	सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ी सहित)	माल डिब्बे (चौपहियों में)
1979-80	1336	24930.5
1980-81	823	9000
1981-82	1497	32085

उत्पादन	सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ियों सहित)	माल डिब्बे (चौपहियों में)
1979-80	974	10827
1980-81	922	12064
1981-82	1041	17362

(ख) 1982-83 के चल स्टाक कार्यक्रम में सवारी तथा माल डिब्बों के लिए किए गए प्रावधान तथा रेलवे यूनिटों और उद्योगों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

किया गया प्रावधान	सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ियों सहित)	माल डिब्बे (चौपहियों में)
1982-83	836	15512.5
निर्धारित उत्पादन लक्ष्य		
1982-83	1195	15450
1983-84	1263	12500

1983-84 के लिए चल स्टाक को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) इस प्रकार, वर्तमान में क्षेत्रीय रेलों से वार्षिक मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं और परिचालन को विभिन्न प्राथमिकता परक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलों को डीजल रेल इन्जनों की सप्लाई की जाती है।

1982-83 और 1983-84 के दौरान क्षेत्रीय रेलों के लिए डीजल रेल इंजनों के उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार है :—

1982-83	140
1983-84	100

(घ) रेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए माल डिब्बों और रेल इंजनों के लिए उत्पादन क्षमता विद्यमान है। तथापि धन की तंगी है। सवारी डिब्बों के मामले में, धन की कमी के अलावा, उत्पादन क्षमता भी पर्याप्त नहीं है जिसे एक और सवारी डिब्बा निर्माण यूनिट को स्थापना करके पूरा किया जाएगा।

(ङ) जी नहीं। मालिकाना प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय रेलों को चल स्टाक का आबंटन उनकी अनुरक्षण क्षमता तथा परिचालित की जाने वाली सेवाओं के आधार पर किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में सवारी डिब्बों के निर्माण का कारखाना लगाया जाना

810. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद रेलवे सेक्टर में सवारी डिब्बों के निर्माण का एक कारखाना लगाने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में स्थान का सर्वेक्षण करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है और इस परियोजना का व्यय का प्राक्कलन कितना है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को गोरखपुर में स्थापित करने की तरजीह दी है क्योंकि अन्य बातों के साथ वहां बड़ी लाइन और मीटर लाइन, दोनों ही उपलब्ध होने के कारण वह सबसे उपयुक्त स्थान है; और

(घ) इस कारखाने में रोजगार क्षमता कितनी होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक नया रेल डिब्बा उत्पादन कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1932 में अनुमोदित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के सलाहकारों को एक ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें प्रस्तावित कोच फैक्टरी से सम्बन्धित स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, अनुमान आदि शामिल होंगे। प्रस्तावित नयी कोच फैक्टरी में बनाये जाने वाले कोचों के डिजाइन का प्रश्न अभी फिलहाल विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विनिश्चय हो जाने के बाद परियोजना रिपोर्ट, स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अनुमान आदि के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट के पूरा हो जाने पर कोच फैक्टरी के स्थान के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) कोच फैक्टरी को गोरखपुर में स्थापित किए जाने के सुझाव सम्बन्धी एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई और उद्योग मन्त्री की ओर से प्राप्त हुआ था, जिसके उत्तर में उन्हें सूचित कर दिया गया है कि प्रस्तावित कोच फैक्टरी के स्थान निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उनके सुझाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) आरम्भ में 400 कोच प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए प्रस्तावित कोच फैक्टरी में रोजगार क्षमता लगभग 5000 की है।

रेलवे अस्पताल, धनबाद में बहिरंग रोगियों का उपचार

811. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहिरंग रोगियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1981 और 1982 में रेलवे अस्पताल धनबाद, तथा पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन की लोको स्वास्थ्य इकाई तथा अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में उपचार प्राप्त किया;

(ख) धनबाद डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए 1980-81 और 1981-82 में कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा ऐसे आबंटन का क्या आधार था; और

(ग) प्रति व्यक्ति भोजन तथा दवाइयों के लिए 1980-81 और 1981-82 में कितना मूल अनुदान दिया गया था तथा 1980-81 और 1981-82 में अन्तिम संशोधित अनुदान कितना था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान जिन मरीजों ने इलाज कराया उनकी कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	रेलवे अस्पाल	लोको स्वास्थ्य इकाई	अन्य स्वास्थ्य इकाइयां
1980-81	45260	16425	173182
1981-82	50370	16790	181113

(ख) 1980-81 और 1981-82 के दौरान धनबाद मण्डल के रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए धन का आबंटन क्रमशः 24,60,000 रुपये और 33,95,000 रुपये था। यह पिछले वर्ष के खर्च के स्वरूप के आधार पर है। खर्च का स्वरूप स्वास्थ्य इकाइयों तथा अस्पतालों में जितने मरीजों का इलाज किया गया उनकी संख्या पर निर्भर करता है।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

(रुपयों में)

	1980-81		1981-82	
	मूल अनुदान	अन्तिम आशोधित अनुदान	मूल अनुदान	अन्तिम आशोधित अनुदान
दवाई	886,000	1068,000	937,000	1080,000
आहार	243,000	300,000	300,000	311,000
प्रति व्यक्ति दवाई	32,20	38.80	341.0	39.20
प्रति व्यक्ति आहार प्रभार	4.30	5.30	5.50	5.50

आहार प्रभार बाजार दरों के आधार पर समय-समय पर बदलते रहते हैं। सभी मामलों में आहार निःशुल्क नहीं दिया जाता।

जापान से तीन पालवाहक जहाजों की खरीद के लिए स्वीकृति

812. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने जापान से तीन पालवाहक जहाज खरीदने के लिए स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पूम्पूहर नौवहन निगम लिमिटेड ने जो तमिलनाडु सरकार का एक उपक्रम है, जापान से तीन पाल जहाज की खरीद के लिए आवेदन किया है।

(ख) नहीं।

(ग) राज्य सरकार ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड के लिए हल्दिया से टूटीकोरिन तक के लिए कोयला ढोने के लिए इन जहाजों का उपयोग करने की योजना बनायी थी। चूंकि सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों और प्रायवेट जहाज पहले से ही तटीय व्यापार में लगाये गए थे और वह तमिलनाडु बिजली बोर्ड की आवश्यकता को पर्याप्त मात्रा में पूरा करने में समर्थ थे अतः यह अनुभव किया गया कि इन नए जहाजों के इस्तेमाल से तटीय व्यापार में लगाए गए मौजूदा जहाजों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सकता।

राज्यों/संघ क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन

813. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजधानी में राज्यों और संघ क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किए गए निर्णयों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में (विशेषकर उड़ीसा में आदिवासियों के) बच्चों की शिक्षा को कोई प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य को शिक्षा के लिए स्वीकृत धन-राशि तथा कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां, 5 और 6 जनवरी, 1983 को।

(ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की रिपोर्ट की प्रक्रिया संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के दाखिले पर बल देने सम्बधी मार्गदर्शी रुपरेखाएं उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को कर दी गई हैं। ग्रामीण बस्तियों से पैदल चलने की दूरी के अन्दर बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा की सुविधाओं तथा अन्य उपयुक्त प्रोत्साहनों अर्थात् पाठ्य-पुस्तकों, वर्दियों आदि की व्यवस्था ग्रामीण बच्चों के लाभ के लिए प्रदान की गई है।

(घ) छठी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 54.60 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 26 करोड़ रुपये तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए 2 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुबन्ध में दर्शाये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5913/83]

उड़ीसा में गैर-सरकारी संस्थानों को बाढ़ से हुई हानि

814. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा के बाढ़ ग्रस्त जिलों में अनेक गैर-सरकार संस्थान बुरी तरह प्रभावित हुए है;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि पूरी तरह नष्ट हुए संस्थानों के फर्नीचर उपकरण तथा पुस्तकालय की किताबें बाढ़ में बह गई तथा विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकें नष्ट हो गई हैं और उन्हें पाठ्य पुस्तकें विशेषकर प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की पुस्तकें खरीदने के लिए सहायता की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हुगली नदी पर नदी गहन योजना

815. **श्री नारायण चौबे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हुगली नदी में पानी की कमी है जिसके कारण बड़े पोत कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों में नहीं ले जाए जा सकते;

(ख) क्या इस समस्या से निपटने के लिए सरकार का इस समय हुगली में नदी को गहराने के कार्य, करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो नदी गहनन योजना की मुख्य बातें और पहलू क्या है;

(घ) इस समग्र योजना का व्यय अनुमान कितना है और वास्तविक कार्यान्वियन कार्य कब शुरू होगा;

(ङ) इस योजना से क्या लाभ होने की आशा है; और

(च) क्या इस कार्य की देखरेख के लिए कोई उचित निकाय है ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकें और धन का खर्च उचित ढंग से हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) हां, सरकार को हुगली नदी में डुबाव के सीमित होने की जानकारी हैं जिसके कारण कलकत्ता और हल्दिया में बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं। सरकार ने अभी हाल ही में कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में नौचालन चैनल को और अधिक गहरा बनाने के लिए व्यापक योजना मंजूर की है।

(ग) नदी के डुबाव आदि में सुधार लाने के लिए मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(i) नयाचारा द्वीप के उत्तरी सिरे पर गाईड दीवार।

(ii) नयाचारा द्वीप के दक्षिणी सिरे पर गाइड दीवार।

(iii) सोडिया कोलम और हल्दिया नदी के मुहाने के बीच में घाघरा नदी में किनारों की रोकथाम करने का निर्माण कार्य।

(iv) बलारी बार में निकर्षण।

(v) नगचारा में तट पर डिस्पोजल टर्मिनल ।

(vi) एक टग नौचालन के सहायक साधन और उपकरण की सुसज्जा ।

(घ) इस व्यापक योजना को कुल अनुमानित लागत 40.50 करोड़ रुपये की मूल राशि है व इस धनराशि पर 5.77 करोड़ रुपये पूंजीकृत ब्याज है । इस योजना पर कार्य चालू वर्ष में ही चालू हो गया है ।

(ङ) वर्तमान प्रस्ताव से निम्नलिखित लाभ हैं :—

(क) नदी गहरी बनी रहेगी । इसका उथला होना रुक जाएगा ।

(ख) नौचालन के लिए गहराई कम से कम 1 मीटर तक बढ़ जाएगी ।

(ग) इस चैनल में आगे भी निकर्षण हो सकेगा जिससे कि भविष्य की योजनाओं में 12.2 मीटर के अभीष्ट डुबाव का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा ।

(च) हां, इस योजना के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्य किए जाएंगे । स्कीम के लिए कार्य-क्रम बनाने और निर्माण कार्य आदि के बारे में सलाह देने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई है ।

पुल बनाने के लिए सेतु संहिता (ब्रिज कोड)

816. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस ने अपने पिछले सम्मेलन में सरकार को पुल बनाने के लिए सेतु संहिता तैयार करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का निकट भविष्य में ऐसी संहिता तैयार करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) इंडियन रोडस कांग्रेस का, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ हाई वे इंजीनियर सदस्य है, पिछला अधिवेशन भुवनेश्वर में हुआ था । वहां पुलों के निर्माण के लिए कोई सेतु-संहिता तैयार करने का सुझाव नहीं रखा गया क्योंकि इस तरह की संहिता पहले ही से मौजूद है । इण्डियन रोड्स कॉंग्रेस यातायात इंजीनियरी, पुलों और सड़कों के विभिन्न पहलुओं पर मानक विशिष्टियों और डिजाईन कोड समय-समय पर जारी करता आ रहा है । अब तक उन्होंने सड़क पुलों के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी इस तरह के 10 प्रकाशन निकाले है । इन संहिताओं का केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों द्वारा मार्ग दर्शन के रूप में अनुपालन किया जा रहा है । मंत्रालय ने इसके अलावा भी सड़क और पुल कार्यों के लिए मानक और विशिष्टियों सम्बन्धी अनुदेश जारी किए है ।

वाराणसी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना

817. **श्री जैनुल बशर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक खुलने की आशा है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों पर भी विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सरकार की वर्तमान नीति इस योजना को किसी नये शहर में प्रारम्भ करने की नहीं बल्कि इसे उन्हीं शहरों में मजबूत करने की है जहां यह चल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी अथवा किसी अन्य जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

रेलवे सुधार समिति की दूसरी रिपोर्ट

818. **श्री नवीन रवानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुधार समिति की दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रेलवे ने बड़ी संख्या मे नई लाइनें बिछाने तथा बदलने के कार्य को जारी रखने की अयथार्थवादी नीति इस बात की किए बिना अपनाई है कि उनसे लम्बे समय के बाद लाभ मिलेगा और संसाधनों की अल्प मात्रा में यत्रतत्र फैलाने से कोई लाभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश में निर्माणाधीन नई लाइनों का ब्योरा क्या है और यह कार्य कब से चल रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि कार्य में कई वर्षों का विलम्ब हो रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्तमान नई लाइनों के निर्माण को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) निर्माणाधीन नई लाइनों तथा निर्माण कार्य क्रम के वर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेल लाइन का नाम	निर्माणाधीन कार्य क्रम का वर्ष	
1. जम्मूतवी-उधमपुर	1981-82	
2. भटिंडा- बाई पास	1982-83	
3. सुज-नैलिया	1982-83	
4. आप्ता-रोहा चरण-1	1978-79	
5. वानी-पिम्पलकुटी-चनाका	1973-74	
6. कैराला रोड-जैयन्त चरण-1	1977-78	
7. भद्राचलम रोड-मानुगुरु	1977-78	
8. माणीकगढ़-चन्दूर	1979-80	
9. मोटूमारी-जगयारपेट	1980-81	
10. कोटा-चित्तोड़गढ़-नीमच-चरण-1	1980-81	
11. तालगढ़िया-तुपकाडीह	1979-80	
12. कोरापुट-रायगड़ा चरण-1	1981-82	
13. गोहाटी-बरनीहाट	1978-79	
14. धर्मनगर-कुमारघाट	1978-79	
15. बेलीपाड़ा-भालुकपोंग	1978-79	
16. शिल्चर-जीरीबाम	1978-79	
17. लालाघाट-भरावी	1878-79	
18. आमगुड़ी-तुली	1978-79	
19. शहादरा-सहारनपुर	1973-74	निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिये खोल दिया गया है।
20. रोहत-भिवानी	1974-75	
21. तिरनैलवैली-तिरुबनतपुरम सैन्टरल नागर कोयल-कैन्याकूमारी सहित	1972-73	
22. बसई रोडदीवा	1972-73	
23. एर्णाकुलम-एल्लपी	1979-80	
24. बीदीनगर-नाडईकुडे	1974-75	
25. हावड़ा-आमता चरण-1	1974-75	
26. जखपुरा-बांसपाणी चरण-1	1974-75	

रेल लाइन का नाम	निर्माणाधीन कार्य क्रम का वर्ष
27. हावड़ा शियाखला	1972-73
28. नंगलडैम-तलवाड़ा और मुकेरियां-तलवाड़ा साइडिंग टैकिंग ओवर	1972-73
29. शकरी-हसनपुर	1974-75
30. रामपुर-न्यू हलद्वानी	1974-75
31. चित्रदुर्ग-पायादुर्ग	1981-82
32. करुर-डिंडीगुल-मणिबाच्ची-तुत्तीकरीरिन-तिरुनैलवैयी	1981-82
33. तेलापुर-पाटनचेरु	1981-82
34. कापड़वंज-मुडासा	1978-79
35. कालका-परवान	1982-83
36. अल्लेपी-कायमकुलम	1982-83
37. बजबज-नामखाना-लक्ष्मीकान्तपुर-कुलपी सहित	1981-82
38. बगहा-छितौनी	1974-75
39. पुराने माधव नगर को मुख्य लाइन पर लाना	1981-82
40. नीरज-सांगली लाइन को पुनः चालू करना	1980-81

(ग) संसाधनों की भारी तंगी है । विभिन्न वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है।

हल्दिया में कण्टेनर ट्रैफिक का विकास

819. श्री नीरेन घोष : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में कन्टेनर ट्रैफिक के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) हल्दिया से कन्टेनर ट्रैफिक के विकास के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने निम्नलिखित कदम उठा रखे है :—

(i) हल्दिया में कन्टेनर हैंडलिंग रेट्स में पर्याप्त कमी की गयी है।

(ii) कलकत्ता और हल्दिया के बीच न्यूनतम दरों पर बाजेज् के द्वारा कन्टेनर्स का यातायात शुरु किया गया है। इस पद्धति के अधीन माल से लदे कन्टेनर कलकत्ता से हल्दिया और हल्दिया से कलकत्ता के बीच बाजी द्वारा लाये ले जाये जाते है।

(iii) जूट के सब प्रकार के माल के लिए हुगली नदी के किनारे कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी० एफ० एस०) बनाने का प्रस्ताव है। जूट के माल से लदे कण्टेनर उक्त सी० एफ० एस० से बाजी द्वारा हल्दिया से जायेंगे; और

(iv) असम क्षेत्र से कलकत्ता/हल्दिया के लिए कन्टेनरों में चाय ढोने के लिए गुवाहाटी में एक इन्टर्नेल कन्टेनर डिपु (आई० सी० डी०) की स्थापना का प्रस्ताव है।

आरक्षण प्रणाली समिति की सिफारिशें

821. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री रेलवे आरक्षण प्रणाली जांच समिति के बारे में 14 अक्तूबर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षण प्रणाली समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : आरक्षण और बुकिंग समिति द्वारा "ऐप्रोच टु फाइनल रिपोर्ट" नामक अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के सारांश से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5914/83]

"उड़ीसा में वंशधारा-पुल"

822. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में, उड़ीसा के नगर गुनपुर के निकट वंशधारा नदी पर एक पुल के लिए "अन्तर्राज्यीय एवम् आर्थिक महत्व 'ऋण योजना के अधीन, ऋण सहायता देने की मंजूरी किस वर्ष दी थी;

(ख) उक्त पुल पर कितनी लागत आई थी, उसे कब अनुमोदित किया गया था और उसकी वर्तमान लागत कितनी है; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय उक्त योजना की क्रियान्वित को चालू योजना के अन्त तक क्रियान्वित करना आरम्भ करने हेतु, राज्य सरकार की ऋण सहायता जारी किये जाने की मंजूरी देगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) ऋण के लिए 1977 में अनुमोदन किया गया था, उस समय राज्य सरकार के अनुसार

108 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था और उतनी ही धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में देने पर सहमति हुई थी। इसलिए राज्य सरकार ने ब्योरेवार सर्वेक्षण और जांच की उन्होंने उपयुक्त स्थल के चयन और ब्योरेवार अनुमान तैयार करने के लिए हाइड्रालिक आंकड़ा एकत्र किया जिसे उन्होंने अप्रैल 1982 में प्रस्तुत किया। संशोधन ब्योरेवार अनुमान के अनुसार अब 257 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान की जांच की गई और राज्य सरकार से कुछ और सूचना मांगी गई है। सरकार को संशोधित अनुमान की मंजूरी के बाद राज्य सरकार द्वारा मांगी गई ऋण सहायता देने पें कोई कठिनाई नहीं होगी।

"उड़ीसा में अन्तर्राजीय अथवा आर्थिक महत्व के पुल"

823. श्री गिरीधर गोमांगो : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना और छठी योजना अवधि के दौरान, पृथकत:, अन्तरज्यीय अथवा आर्थिक महत्व ऋण योजना के अधीन उड़ीसा सरकार द्वारा उनके मंत्रालय को अनुमोदन के लिए सुझाए गए पुलों के नाम क्या हैं;

(ख) पांचवी योजना तथा छठी योजना अवधि के दौरान ऋण सहायता के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुलों के नाम क्या है तथा उड़ीसा सरकार को, अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पांचवी योजना के दौरान अनुमोदित किए गए कुछ पुलों का निर्माण शुरु करने के लिए उनके मंत्रालय ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है; और

(घ) यदि हां तो इन वित्तीय वर्षों के दौरान इन पुलों के लिए स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पांचवीं योजना अवधि में स्वीकृत 2 पुलों में से परलाखेमुडी गुनपुर सड़क पर बंसधर पुल के निर्माण सम्बन्धी कार्य की जो पहले 1977 में स्वीकृत किया गया था, मंजूरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने एक विस्तृत ब्योरा अप्रैल 1982 में प्रस्तुत किया था। यथा-संशोधित अनुमान के अनुसार इस कार्य पर अब 257.00 लाख रु० का खर्च आने का अनुमान है। राज्य सरकार से कुछ और सूचना मांगी गई है।

विवरण

उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का और क्रमशः पांचवी और छटी योजना में इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृति किए कार्य का ब्यौरा ।

क्र० सं०	ऋण सहायता के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य	पांचवी/छठी योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए कार्य
	पांचवी योजना	पांचवी योजना
1.	कामागढ़ के निकट धेनकानल-कमाख्या नगर सड़क पर ब्रह्णी नदी के अधीन (धेनकनाल जिले में) ऊपर पुल ।	1. पराखेमुडी-गुनपुर विस्साम-कटक सड़क (राज्य मार्ग 4) पर वंसधर पुल का निर्माण (108.00 लाख रु० की ऋण सहायता स्वीकृत की गई)
2.	आनन्दपुर-धन्द्रक सड़क पर वैतर्णी पुल (क्यांझर जिले में) ।	2. अनन्दपुर-भद्रक सड़क पर बैतर्णी नदी के ऊपर पुल (90.00 लाख रु० की ऋण सहायता स्वीकृत की गई)
3.	रुडकेल-वोनारा सड़क पर ब्राह्णी पुल (सुन्दर गढ़ जिले में)	
4.	गुनपुर-रायगढ़ सड़क पर वंसधर पुल (कोरापुर, जिले में)	
5.	कामगढ़ के निकट धेनकनाल-कारयानगर सड़क पर रमियल नदी के ऊपर पुल (धेनकनाल जिले में)	
6.	बसना (मध्यप्रदेश में रायपुर) पदमपुर (उड़ीसा में) सड़क पर ओग नदी के ऊपर पुल	
7.	बसना (मध्य प्रदेश में रायपुर)-पदमपुर (उड़ीसा में) सड़क पर चिरोर के ऊपर पुल ।	
8.	उड़ीसा में गोहाना और झरिया और मध्य प्रदेश में सिन्हापल-गोपालपद-खेभगे-करमाल सड़क पर सुन्धा नदी के ऊपर पुल ।	
9.	उड़ीसा में गोहाना और झरिया तथा मध्य प्रदेश में सिन्हापल्ल-गोपालपद-देवरोगे-करमाल से होते हुए उभरकोट-खरियार सड़क पर उपन्ती नदी के ऊपर पुल ।	
	छठी योजना	छठी योजना
1.	बालासोर से जलेश्वर तक (बालासोर-जलेश्वर खड़गपुर सड़क का एक भाग) पश्चिम बंगाल की सीमा तक सड़क का सुधार । इसमें पुलों का निर्माण और पानी के निकास के लिए नालियां बनाना भी शामिल है ।	धेनकनाल-कमाख्यानगर सड़क का सुधार इसमें (कामारा और गंमुटिया) के बीच ब्राह्मणी नदी के ऊपर और "रमियल" के ऊपर पुल शामिल है ।

छठी योजना	छठी योजना
2. धेनकनाल-कमाख्यानगर सड़क का सुधार इसमें रमियल में ब्राह्मणी नदी के ऊपर पुल का निर्माण भी शामिल है। 3. वैद्ध-कैकाटा सड़क पर महानदी के ऊपर पुल का निर्माण। 4. पदमपुर-जगदलपुर सड़क पर जगदल पुर के निकट औंग नदी के ऊपर पुल का निर्माण।	(अनुमानित खर्च 300.00 लाख रु०) इसमें केन्द्रीय सरकार का अंश 150.00 लाख रु० है जो कि 300.00 लाख रु० के कुल खर्च का 50 प्रतिशत है) शेष राशि राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा कर रही है।

रेलवे क्लासिफिकेशन ट्रिब्यूनल अवार्ड की क्रियान्विति

824. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे क्लासिफिकेशन ट्रिब्यूनल अवार्ड को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवार्ड को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) चूंकि अधिकरण कोई भी पंचाट निर्णय दिये बिना परिसमाप्त हो गया था इसलिए रेले कर्मचारी वर्गीकरण अधिकरण पंचाट निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में कोई आश्वासन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल, सरकार ने रेल कर्मचारी वर्गीकरण अधिकरण पंचाट निर्णय द्वारा की गयी अन्तरिम सिफारिशों को 1978 में पहले ही लागू कर दिया है। कारीगर कर्मचारियों के पुनर्वर्गीकरण के मामले में रे० क० व० अधिकरण पंचाट निर्णय के अवशिष्ट कार्य का अध्ययन करने के लिए गठित की गयी संगठित श्रमिकों के प्रतिनिधियों और सरकारी सदस्यों को एक संयुक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर नवम्बर, 82 में आदेश भी जारी किये गये हैं।

नई परियोजनाओं को पूरा न किए जाने के सम्बन्ध में रेल सुधार समिति की टिप्पणी

825. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुधार समिति ने यह टिप्पणी की है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, नई रेलवे लाइनों के निर्माण की चालू नई परियोजनाएं पूरी होने की कोई तर्कसंगत संभावना नहीं है; और

(ख) क्या यह सच है कि रेल सुधार समिति ने नई लाइनों के निर्माण के लिए किसी नीति की सिफारिश की है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां । सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

1. परियोजना परक लाइनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्ण समन्वय बनाये रखने के लिए इस प्रकार की लाइनों के लिए निवेश पद्धति बदल दी जानी चाहिए और लागत, हालांकि वह रेलों द्वारा ही वहन की जायेगी, को विशिष्ट परियोजनाओं का ही एक एकीकृत अंग माना जाना चाहिए। परियोजना को स्वीकृत करते समय ही नयी लाइनों के परिव्यय के लिए तो स्वीकृति दे दी जानी चाहिए।

2. दूसरी प्राथमिकता असम्बद्ध सम्पर्कों अथवा वैकल्पिक मार्गों को दी जानी चाहिए जिससे कि वर्तमान उच्च घनत्व वाले व्यस्त मार्गों पर भीड़-भाड़ कम की जा सके। कोई निर्णय लेने से पूर्व, सभी विकल्पों से वित्तीय प्रतिफल का अध्ययन किया जाना चाहिए और साधारणतयः सबसे सस्ते विकल्प को महत्व दिया जाना चाहिए।

3. अपने औचित्य पर आधारित सामरिक लाइनों को उनकी विशिष्ट प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

4. रेलों द्वारा बहुत अधिक संख्या में अलाभकारी शाखा लाइनों के निर्माण का नियमित किया जाना बहुत जरुरी है।

5. सभी नई लाइनों की स्वीकृत करते समय उनका पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी आबंटित किये जाने चाहिए जिससे कि उन्हें उपयुक्त समयावधि में पूरा किया जा सके अधिकांश क्षेत्रों में जो 3-4 वर्ष से अधिक न हो।

सिफारिशों की जांच की जा रही है।

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम संशोधन विधेयक

826. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद् में कोई विधेयक लाए जाने का विचार है, ताकि इस बल को अधिक शक्तियाँ दी जा सकें; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे यात्रियों को क्या लाभ होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे सुरक्षा बल को अधिकार देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

रेलों में मार्ग में उठाई गिरि और चोरी की घटनाएं

827. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि रेलें ढुलाई के माल की हानि की कारगर ढंग से रोकने में समर्थ नहीं है और इन हानियों से राष्ट्रीय कोष की भारी क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने 26 नवम्बर, 1982 को रेलवे सुरक्षा बल के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की एक दिन की बैठक बुलाई थी;

(ग) क्या उन्होंनें रेलवे बोर्ड से कहा था कि वह रेलों में मार्ग में उठाई गिरी और चोरी के कारण वास्तव में कितनी हानि होती है इसकी जांच करने के लिए समिति बनाए ;

(घ) क्या मंत्रालय के इस प्रस्ताव को कि रेलों में चोरी की अधिक संभावना वाले 50 स्थानों पर कृत्रिम बल स्थापित किये जाएं, अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रेलों में बढ़ती हुई चोरियों को रोकने के लिए रेल मंत्रालय का 1983 के दौरान क्या कार्यवाही करनें का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) चोरी तथा उठाईगिरी की समस्या का अध्ययन करने तथा सुधार के कारगर उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) जी नहीं। 50 भेद्य स्टेशनों पर सुरक्षा कृतिक बल तैनात किये गये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रेलों पर, विशेषकर पूर्वी खण्ड पर जहाँ अपराध की घटनायें अधिक हैं, अपराधियों और चुराई गई सम्पत्ति के प्राप्तकर्ताओं की गतिविधियों के विरुद्ध गहन अभियान चलाया गया है। इसके अलावा, रेलों पर इन गतिविधियों में लिप्त कुख्यात अपराधियों और चुरायी गयी संपत्ति के प्राप्त कर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में रखा जा रहा है।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए कृत्रिम बल का गठन

828. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1983 में नई दिल्ली में होने वाले सातवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए कृत्रिम बल गठित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन से पहले 1 और 2 मार्च को वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों तथा 3 और 4 मार्च, 1983 को विदेश मंत्रियों की बैठक होगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

"एशियाड, 82 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा आरम्भ किया गया किराया"

829. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 82 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दो रुपये का टिकट आरम्भ करने के क्या कारण थे;

(ख) उस अवधि के दौरान दो रुपये का टिकट आरम्भ करने से दिल्ली परिवहन निगम को कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का यात्रियों के लिए दो रुपये का टिकट फिर आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) विभिन्न स्टेडिया में आने वालों और खेल देखने वालों को सुविधा जनक यात्रा प्रदान करने के लिए 9वें एशियाई खेलों के दौरान 2 रुपये के टिकट शुरू किए गए थे जिसे "जहां आपकी इच्छा को यात्रा करें" नाम दिया गया था। इससे दिल्ली परिवहन निगम को भीड़ के दौरान जबकि यात्रियों का भार अधिक था, विभिन्न स्थानों के टिकट देने की समस्या को कम करने में सहायता मिली।

(ख) लाभ और हानि की गणना करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के टिकटों/पासों की कुल बिक्री से आय जोड़ी गई है। एशियाई खेल कूद के दौरान जितने टिकट बेचे गए उनमें एक अंश 2 रुपये के टिकटों का था। फिर भी खेल अवधि के दौरान कुल 36,74,445 'जहां आपकी इच्छा हो यात्रा करें" टिकट बेचे गए। इससे 73,48,890 रुपये की आय हुई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

विद्युत इंजनों के उत्पादन की क्षमता

830. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने में विद्युत इंजनों का उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता, अतिरित यातायात तथा भाप इंजनों को क्रमशः बदलने पर उत्पन्न यातत्यात दोनों की जरूरतें पूरी करने के लिए अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है । इसका वास्तविक निर्धारण करने के लिए रेल सुधार समिति ने इस सम्बन्ध में क्या कुछ उपाय सुझाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) चितरंजन रेल इंजन कारखाने को उत्पादन क्षमता छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात् 1984-85 तक बिजली रेल इंजनों की आवश्यता पूरी करने के लिए पर्याप्त है । बिजली रेल इंजनों की आवश्यकता सातवीं योजना में बढ़ सकती है । सातवीं योजना में बिजली रेल इंजनों को आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है और शीघ्र ही इसको अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है । अतिरिक्त बिजली रेल इंजन सामान्यतः भाप रेल इंजनों को समाप्त कर दिए जाने के कारण अपेक्षित नहीं हैं ।

(ख) रेलवे सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि सातवीं योजना के दौरान और उसके बाद सन् 2000 तक लगभग 5000 मार्ग कि० मी० के अतिरिक्त विद्युतीकरण के आधार पर चरणबद्ध रूप में बिजली रेल इंजनों की उत्पादन क्षमता को 1991-92 तक 190 प्रतिवर्ष से भी अधिक बढ़ाया जाना होगा ।

जैसाकि ऊपर भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, चितरन्जन रेल इंजन कारखाने में अपेक्षित सीमा तक क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए यथापेक्षित कार्रवाई की जाएगी ।

पेंशन भोगियों को, बिना कोई भुगतान किए' केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ

831. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1983 को "ईवनिंग न्यूज" में प्रकाशित दिल्ली के पेंशन भोगियों की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी समस्याओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं कि यह वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह पेंशन भोगियों की पेंशन से भी स्रोत पर ही प्रभार की कटौती करने की व्यवस्था करके अपने पेंशन भोगियों की देख भाल करें; और

(ग) क्या पेंशन भोगियों द्वारा की गई देश की आजीवन सेवा तथा बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए, और सामाजिक उपाय के रूप में, उन्हें बिना किसी भुगतान के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ देने का कोई विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) 17 जनवरी, 1983 के इवनिंग न्यूज में प्रकाशित "सी० जी० एच० एस० एण्ड

पेंशनर्स" शीर्षक से सम्पादक के नाम पत्र की ओर सरकार का ध्यान गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यतया केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही हैं। इस योजना की सुविधाएं उन केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों को भी सुलभ कर दी गई जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसनरियों के अन्तर्गत आने वाले इलाकों में रहते हों। पेंशनर अपना अंशदान या तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के ड्राफ्ट बनाकर या भारतीय पोस्टल आर्डरों से दे सकते हैं। पेंशन की अदायगी के स्रोत से यह अंशदान काटने या पेंशनरों को अंशदान से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है।

अनिवार्य आश्रम स्कूल

832. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आदिवासी और हरिजन बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक से हाई स्कूल तक अनिवार्य आश्रम स्कूल खोलने का विचार है ताकि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को भी लाभ मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को आश्रम स्कूल प्रणाली आरम्भ करने के लिए निर्देश दिए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह प्रणाली आरम्भ करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) अनिवार्य आधार पर आश्रम स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने की नीति के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रशासन विशेषतः बिखरी जनसंख्या वाले ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय आश्रम स्कूल चलाते हैं।

पूर्वी क्षेत्र में रेलों का परिवर्तन कार्य

833. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र (उड़ीसा राज्य) में रेलों का कोई परिवर्तन कार्य चल रहा है;

(ख) उस कार्य का ब्यौरा क्या है और यह काम कब आरम्भ हुआ था; और

(ग) इसके पूरे होने का निर्धारित समय क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"एशियाड 82 के दौरान मेटाडोर चलाने की अनुमति"

834. श्री राम लाल राही : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाड 82 के दौरान दिल्ली में 200 मेटाडोर चलाने के लिए 200 व्यक्तियों का पंजीकरण किया था और उन्हें परमिट जारी किए थे,

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को उनके मेटाडोर चलाने की वास्तव में अनुमति दी गई; और

(ग) ऐसे वाहनों को चलाने के लिए शेष बेरोजगार व्यक्तियों को वंचित करने के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) परमिट जारी करने का काम सम्बन्धित राज्य परिवहन अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राज्य परिवहन अधिकरण दिल्ली ने एशियाई खेलों के दौरान माइक्रोमिनी बस चलाने के लिए एक योजना बनाई थी और इसके लिए आम जनता से आवेदन पत्र मांगे थे। आवेदन पत्र केवल बेरोजगार व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं थे। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, सम्पूर्ण औपचारिकताओं सहित जो आवेदन पत्र आए उनकी संख्या 238 थी। इन 238 आवेदन कर्ताओं से कहा गया कि वे 11-10-1982 को या इससे पूर्व अपनी-अपनी गाड़ियां लावें। 226 आवेदन कर्ताओं ने सभी बातों का पूरी तरह से अनुपालन किया और उन्हीं को एशियाई खेलों के दौरान अपनी गाड़ियां चलाने के लिए परिचय पत्र जारी किए गए और बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्ट्रेक्ट कैरिजे चलाने के लिए परमिट जारी किए गए।

पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के बिना आणविक रिएक्टर की उपलब्धि

835. श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री ओ० वाई कृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा एक रिएक्टर उसकी सभी आणविक सुविधाओं के अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार किए बिना प्राप्त करने की संभावना है;

(ख) क्या इस रिएक्टर से पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में होगा और उससे भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस विषय पर निरन्तर निगरानी रख रही है ।

रेल पथ

836. श्री सुनील मैत्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 में कितने किलो मीटर रेल पथ पहले से उपयोग की स्थिति में थी, और

(ख) गत 35 वर्षों में 1947 से 1982 तक कितने किलोमीटर रेल पथ और जोड़ा गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1947-48 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल मार्ग किलोमीटर 54,694 था ।

(ख) स्वतन्त्रता के बाद 31-3-1982 तक 8,571.238 कि० मी० नयी लाइनें भारतीय रेलों में जोड़ी गयी हैं ।

राज्यों/संघ क्षेत्रों में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना

837. श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू की गई है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वियन हेतु उन राज्यों को क्या मार्गनिर्देशन भेजे गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

वर्ष 1983-84 में परिवार नियोजन के लिए राज्य-वार लक्ष्य

838. श्री हरिहर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के लिए परिवार नियोजन हेतु राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को क्या मार्गनिर्देश भेजे गए हैं;

(ग) वर्ष 1983-84 में क्या परिवार नियोजन अभियान शुरू किया जाएगा अथवा शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 1983-84 के परिवार कल्याण कार्यक्रम के राज्य-वार लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) "छोटे परिवार के सिद्धान्त" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धाराओं के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रत्येक दम्पत्ति को अपना मनमाना तरीका चुनने की छूट है।

(घ) परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री लोगों को घरों के यथासंभव निकट प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग है।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जा रही है। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्त्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रारम्भ की जाएगी।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्न स्तर पर ग्रामीण संगठनों,

स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जा रहा है और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जा रहा है।

(झ) अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के साथ निकट सम्पर्क किए जाएगे।

(ञ) लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा।

(ट) ग्रामीण अथवा समुदाय स्तर पर सभी विवाहों के रिकार्ड रखे जाएंगे।

(ठ) कार्य निष्पादन के लिए पिछड़े राज्यों के लिए विशेष रोग के लिए विशेष उपाय का रास्ता अपनाया जा रहा है।

(ड) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना, जिसे अब पूर्णत: केन्द्र धन से चलाई जा रही योजना बना दिया गया है, के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को परिवार नियोजन की जानकारी और सूचना देने और लोगों के घरों के पास नान-क्लीनिकल तरीकों से सम्बन्धित सेवाएं और सामग्री उपलब्ध करने के लिए स्वास्थ्य गाइड जो मुख्यतया महिलाएं ही होंगी) जिम्मेदार होंगे।

(ढ) सभी स्तरों पर सूक्ष्म मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र ठीक करने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किए जाएंगे।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कम्पूचिया के भाग लेने के बारे में भारत का रवैया

839. **श्री के० मालन्ना :**
श्री तारिक अनवर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कम्पूचिया के भाग लेने के पक्ष में भारत के रवैये के प्रश्न पर सरकार को कुछ आलोचना और टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने रवैये को स्पष्ट कर दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जैसा कि आपको याद होगा कि इस प्रश्न पर चूंकि कोई आम राय कायम नहीं हो सकी थी कि कम्पूचिया का प्रतिनिधित्व कौन करे, इसलिए सितम्बर, 1979 में हवाना में गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के छठे सम्मेलन में यह तय किया गया था कि कम्पूचिया का स्थान गुट-निरपेक्ष देशों की सभी बैठकों में तब तक खाली रखा जाए जब तक कि गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की सिफारिश प्राप्त न हो जाए जिसे इस मामले का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था। चूंकि समन्वय ब्यूरो इस बारे में अभी तक अपनी सिफारिश नहीं दे पाया है इसलिए हवाना में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत सरकार ने न तो कम्पूचिया लोक गणराज्य को, जिसे हमने मान्यता प्रदान की है और न किसी अन्य दावेदार को आमंत्रित किया है।

कुछ गुट-निरपेक्ष देशों ने कम्पूचिया गणराज्य की तथाकथित मिली-जुली सरकार को आमंत्रित करने के लिए कहा है तो कुछ अन्य देशों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि कम्पूचिया लोक गणराज्य को आमंत्रित किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के समर्थकों को भारत की स्थिति समझा दी गई है जिससे बहुत से गुट-निरपेक्ष देश सहमत हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डाक्टरों द्वारा प्राइवेट वार्डों का बहिष्कार

840. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री के० ए० राजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निवासी डाक्टरों ने इस संस्थान के प्राइवेट वार्डों का बहिष्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निवासी डाक्टरों ने कितने समय तक प्राइवेट वार्डों का बहिष्कार किया और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेन्ट डाक्टरों ने 26 दिसम्बर, 1982 मध्यरात्रि से 8 दिन तक संस्थान के प्राइवेट वार्डों में कार्य नहीं किया। रेजिडेन्ट डाक्टरों ने यह कदम इस आधार पर उठाया कि फैकल्टी के एक सदस्य द्वारा एक कनिष्ठ रेजिडेन्ट डाक्टर के कथित दुर्व्यवहार और लापरवाही की शिकायत पर डीन द्वारा रेजिडेन्ट डाक्टर से स्पष्टीकरण मांगना अन्यायपूर्ण था। सम्बन्धित कनिष्ठ रेजिडेन्ट डाक्टर द्वारा वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य से क्षमा मांगने के उपरान्त यह मामला समाप्त कर दिया गया था।

पुरी जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी का निर्धारित समय से पहले छूटना

841. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्री दौलत राम सारण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरी जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस 26 दिसम्बर, 1982 को अपने निर्धारित समय से लगभग डेढ़ घण्टे पहले नई दिल्ली स्टेशन से चली गई और स्टेशन पर सैकड़ों यात्री रह गए;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से पहले किन परिस्थितियों में चली गई और क्या इस त्रुटि के लिए सरकार द्वारा कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) निरन्तर की जाने वाली मांगों को देखते हुए वाराणसी वाले पुराने मार्ग पर इस गाड़ी को पुनः चला दिए जाने के परिणामस्वरूप 26-12-82 से 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया गया था। नयी दिल्ली स्टेशन पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और नोटिस बोर्डों के माध्यम से इसका प्रचार किया गया था। बहरहाल कुछ यात्रियों को समय के परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं थी और वे 26-12-82 को स्टेशन पर देरी से पहुंचे। अलीगढ़ तक एक गाड़ी चलाए जाने की व्यवस्था कर दी गई थी जिससे कि यात्री वहां खड़ी 176 डाउन नीलांचल एक्सप्रेस पकड़ सकें जिसे वहां विनियमित किया गया था।

(ग) रेल सेवाओं की सारणी में मध्यावधि परिवर्तनों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाएंगे।

चीन के क्षेत्र पर कब्जा करने के बारे में चीन द्वारा लगाया गया आरोप

842. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन सरकार ने पूरी चीन-भारत सीमा पर भारत पर चीन के बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अरुणाचल प्रदेश के एक काफी बड़े भू-भाग पर चीन के दावे को हाल ही में, 8 दिसम्बर, 1982 को नवचीन समाचार एजेन्सी की एक टिप्पणी में पुनः दोहराया गया था जो कि दिल्ली में नवें एशियाई खेलों के समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों को शामिल किए जाने के सन्दर्भ में छापी गयी थी।

(ख) नवचीन समाचार एजेंसी की यह टिप्पणी जब भारत सरकार की नजर में आई तो हमारे आधिकारिक प्रवक्ता ने एक वक्तव्य दिया था जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1. एशियाई खेलों के समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य को शामिल किए जाने के सम्बन्ध में नवचीन समाचार एजेंसी के समाचार का पूरा पाठ भारत सरकार को अभी हाल ही में उपलब्ध हो गया है।

2. सरकार इस अनुचित आक्रमण के विषय और स्वर, दोनों पर खेद व्यक्त करती है जो कि चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी के माध्यम से किया गया है।

3. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि चीन सरकार की एक आधिकारिक समाचार एजेंसी भारत के इस भाग की एक नृत्य मंडली के शामिल होने जैसी सामान्य घटना पर आपत्ति करेगी जो कि एक ऐसे समारोह में शामिल हो रही थी जिसमें कि देश के विभिन्न भू-

भागों का प्रतिनिधित्व था। ऐसे अवसर पर, जब कि हमारी द्विपक्षीय वार्ता का क्रम इस स्थिति तक पहुंच गया है, ऐसा करना निःसन्देह बहुत बुरा है।

4. सरकार नवचीन समाचार एजेंसी की टिप्पणी पर खास तौर पर इसलिए खेद व्यक्त करती है कि इन खेलों में चीनी खिलाड़ियों के दल का इतना हार्दिक स्वागत किया गया था और भारतीय जनता ने उनके खेलों की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

5. 14 हजार वर्गमील से अधिक भारतीय प्रदेश चीन के गैरकानूनी कब्जे में है। भारत की पहल पर सीमा के प्रश्न को लेकर अधिकारी स्तर पर बात चीत शुरू हुई और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए इस सवाल का तय होना बहुत जरूरी है। बातचीत के लिए एक परस्पर स्वीकार्य आधार तलाश करने और सीमा के सवाल के समाधान के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक सृजनात्मक और रचनात्मक रवैया अख्तियार किया है।

6. सरकारी चीनी समाचार एजेंसी का यह वक्तव्य संबंधों को सुधारने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की मार्गदर्शी भावना के विपरीत है। हम नवचीन समाचार एजेंसी की इस टिप्पणी और इसके निहितार्थों को अस्वीकार करते हैं।

विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों का प्रायोजन

842. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1983 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "स्पोंसर शिप आफ इण्डियन किड्स अण्डर फायर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पश्चिमी देशों के लोगों विशेषकर जर्मनों, अंग्रेजों तथा अमरीकियों द्वारा भारतीय बच्चों के प्रायोजन की आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे बच्चों की संख्या लगभग कितनी है जिनके विदेशों में प्रायोजक है, और

(ग) विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों के प्रायोजन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों के प्रायोजन की जांच करने के लिए इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, "अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण" के लिए अपनाये जाने वाले कुछ सिद्धान्तों और मानदण्डों" पर विचार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी० जी० आई० एम० ई० आर० चण्डीगढ़ पर मेहता समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

844. श्री रशीद मसूद :
श्री के० राममूर्ति :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी० जी० आई० एम० ई० आर० के कार्यकरण की जांच करने हेतु सरकार द्वारा डा० एस० जे० मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1981 में प्रस्तुत कर दी थी, और

(ख) यदि हां, तो डा० मेहता समिति के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के संस्थान निकायों द्वारा विचार किया गया है। इन दोनों संस्थानों के संस्थान निकायों से उनकी सिफारिशें मिलने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी।

रेलों में जन-शक्ति का कम उपयोग

845. श्री रशीद मसूद :
श्री पियूष तिरकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के अध्ययन से जन शक्ति का बहुत कम उपयोग का पता चला है और हजारों लोग बिना किसी कार्य के रेलवे की वेतन सूचियों में है जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में 200 करोड़ रु० तक का फुजूल खर्च होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनशक्ति के कम उपयोग को घटाने के लिए फालतू कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से उपयोग में लाने और उस त्रुटि में सुधार करने की दृष्टि से भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए परमिट जारी करने अथवा वर्तमान परमिटों का नवीकरण करने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम की आपत्तियां

846. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए परमिट जारी करने अथवा वर्तमान परमिटों का नवीकरण करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मामलों पर दिल्ली परिवहन निगम ने राज्य परिवहन प्राधिकरण से आपत्तियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई ऐसी आपत्तियां सभा पटल पर रखी जाएंगी;

(ग) क्या निगम ने दिल्ली परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम 1971 की तीसरी सूची की धारा (ग) के साथ पठित धारा 7(ग) के अन्तर्गत प्राइवेट वाहन परमिट के अलावा किसी भी परमिट की स्वीकृति प्रति हस्ताक्षर या नवीकरण नहीं करना चाहिए; और

(घ) उन प्राइवेट संचालकों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली में बसें चला रहे हैं और वे किन योजनाओं तथा प्राधिकरण के अधीन बसें चला रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण जब कभी परमिट जारी करता है या नवीकृत करता है, तब दिल्ली परिवहन निगम इस आधार पर उनके पास आपत्तियां दर्ज करता है कि दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली के पूरे संघ क्षेत्र में परिवहन सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसके पास इस काम के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम ने 54 अन्तर्राज्यीय रूटों सहित 137 मामलों में आपत्तियां दर्ज की हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के तहत दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण ने कुल 267 स्टेज परमिट जारी किए हैं।

रेल सुधार समिति की रेलगाड़ी संचालन की सुरक्षा पर रिपोर्ट

847. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुधार समिति ने रेलगाड़ी संचालन की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने पर रेलवे से कहा है कि इसके फलस्वरूप एक वर्ष में रेलगाड़ियों की टक्कर और मौतों में चौगुनी वृद्धि हुई है तथा असंतोषजनक कार्मिक प्रबन्ध, अनुशासन की कमी और

प्राधिकार की अवज्ञा, ट्रेड यूनियनों का बाहुल्य और उग्र कर्मचारियों के साथ दृढ़ता से निपटने में वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशक्ति में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन बातों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा नवम्बर, 1982 से अब तक हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समिति की रिपोर्ट की एक प्रति, मुख्य-मुख्य सिफारिशों तथा उस पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही सहित, सभा पटल पर रखी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे सुधार समिति ने, रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर टीका-टिप्पणी की है, जो कि वित्तीय और सामग्री के स्रोतों की तंगी और किफायत की आवश्यकता के कारण सीमित रहा रेलवे सुधार समिति द्वारा मानवीय तत्वों के सम्बन्ध में सीकरी समिति के अवलोकनों को उद्धरित किया गया है जो इस कठिनाई को और गहराई से प्रस्तुत करता है। विभिन्न तंगियों के अधीन रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह सही नहीं है कि एक वर्ष में दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। नवम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि में भारतीय रेलों पर 191 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं जबकि विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह संख्या 255 थी।

(ग) रेलवे सुधार समिति की अब तक प्राप्त रिपोर्टों की पांच-पांच प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी गयी हैं। इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

हावड़ा और सियालदा में आधुनिक टर्मिनल

848. श्री नीरेन घोष : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और सियालदा में आधुनिक टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ख) कलकत्ता क्षेत्र में आधुनिक टर्मिनलों का प्रश्न संयुक्त कृतिक बल, जिसमें राज्य सरकार, रेलवे और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के विचाराधीन है।

रेलवे जोनों को कोयले की कम सप्लाई और रेल सेवा रद्द किया जाना

849. श्री माधव राव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष (1982-83) में अब तक विभिन्न रेलवे जोनों को कोयले की सप्लाई कितनी कम की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान जोन-वार कितने प्रतिशत रेल सेवाएं रद्द की गईं; और

(ग) कोयले की कमी के कारण माल के परिवहन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस वर्ष तथा गत दो वर्षों की इसी अवधि के दौरान भाड़े के जोन-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 के दौरान 1350 माल डिब्बों के निर्धारित लदान की तुलना में प्रति दिन औसतन बड़ी लाइन के 82 चौपहिया माल डिब्बों में लोको कोयले का कम लदान किया गया ।

(ख) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 के दौरान क्षेत्रवार चल रही कुल गाड़ियों की संख्या की तुलना में रद्द की गई गाड़ी सेवाओं का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

रेलवे	प्रतिशत
मध्य	1.05
पूर्व	0.0017
उत्तर	2.30
पूर्वोत्तर	4.07
पूर्वोत्तर सीमा	0.04
दक्षिण	2.75
दक्षिण मध्य	1.6
दक्षिण पूर्व	कोई नहीं
पश्चिम	0.2

(ग) रेलों पर कोयले की कमी के कारण माल गाड़ियों के चालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (दिसम्बर, 82 तक) के वर्षों के दौरान क्षेत्रवार भाड़ा-अर्जक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1980-81, 1981-82 और 1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक) के दौरान क्षेत्रवार भाड़ा-अर्जक आंकड़े

(दस लाख मी० टन में)

रेलवे	1980-81	1981-82	1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक)
मध्य	11.71	12.60	14.83
पूर्व	28.21	33.05	35.45
उत्तर	12.68	15.68	15.39
पूर्वोत्तर	2.65	2.02	2.83
पूर्वोत्तर सीमा	1.79	2.54	3.03
दक्षिण	7.49	9.38	9.37
दक्षिण मध्य	12.15	14.13	14.65
दक्षिण पूर्व	46.25	54.62	55.87
पश्चिम	16.18	16.73	15.01

चीन-भारत सम्बन्ध

850. श्री माधव राव सिंधिया :

श्री जयनारायण रौत :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री एडुआर्डो फलीरो :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान भारत और चीन के बीच सामान्य सम्बन्ध बनाने में और कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए और सीमा-प्रश्न सहित बाकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अपने प्रयत्न जारी रखे हैं। चीन के साथ सरकारी बातचीत के लिए तीसरी बैठक पीकिंग में 29 जनवरी से 2 फरवरी तक हुई थी। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन महीनों में, दोनों पक्षों की ओर से स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में कई शिष्ट-मण्डल एक-दूसरे के यहां आए-गए हैं।

भारत पाकिस्तान शांति और मैत्री सन्धि

851. श्री माधव राव सिन्धिया :

श्री पी० एम० सईद :

श्री के० मालन्ना :

श्री चित्त बसु :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि भारत की प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक के बीच हुई गत शिखर बैठक के बाद दोनों देशों के बीच शांति और मैत्री संधि करने तथा आर्थिक सहयोग करार की दिशा में प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) 1 नवम्बर, 1982 की बैठक के बाद दोनों शासनाध्यक्षों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसरण में 24 दिसंबर, 1982, को भारत पाक संयुक्त आयोग के समझौते के प्रारुप पर आद्याक्षर किए गए थे, जिस पर मार्च में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री हस्ताक्षर करेंगें। शांति, मित्रता और एवं सहयोग संधि के लिए हमारे प्रस्ताव और पाकिस्तान की अनाक्रमण संधि के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श हुआ है। उम्मीद है कि यह विचार-विमर्श अभी चलेगा।

पैलेस आन व्हील्स

852. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री अशफाक हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैलेस आन व्हील्स गाड़ी पूर्ण हो चुकी है और उसको वाणिज्यिक रुप से चलाया जाने लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो अब चलाई गई 'पैलेस यान व्हील्स' गाड़ी प्रारम्भिक योजना से किस रुप से भिन्न है; और

(ग) इसकी पुर्नसाजसज्जा में कितनी राशी व्यय हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) बढ़ती हुई पर्यटक मांग को पूरा करने के लिए 96 से 102 तक की क्षमता में पर्यटक शायिकाओं की वृद्धि करने के अलावा अभिकल्प और सुविधाओं में कोई मूल अन्तर नहीं है।

(ग) सवारी डिब्बों के नवीकरण पर रेलों द्वारा 77.15 लाल रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

श्री लंका के नागरिकताविहीन व्यक्तियों के मामले में एकपक्षीय समझौता

853. **श्री ईरा अनबारास :**

श्री के० टी० कोसलराम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि श्री लंका के राष्ट्रपति ने श्री लंका के भारतीय मूल के नागरिकता विहीन व्यक्तियों के मामले में एकपक्षीय समझौते के लिए अपने संबंधित मंत्रियों से एक पैकेज प्रस्ताव देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो, क्या सरकार ने इन प्रस्तावों के ब्यौरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी है कि इस बारे में श्रीलंका के राष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, श्री एस० थोंडामन के बीच विचार-विनियम हुआ है। राज्यविहीनता सम्बन्धी समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के बारे में राष्ट्रपति जयवर्धने के निर्देश के सम्बन्ध में भी सरकार ने समाचार देखे हैं।

(ग) भारत सरकार को उम्मीद है कि सम्बद्ध व्यक्तियों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का कोई व्यापक समाधान निकाल लिया जाएगा।

सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों का विदेश दौरा

854. श्री ईराअनबारास : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का ब्योरा क्या है तथा वे किन-किन देशों में भेजे गये और इस शिष्टमंडलों के साथ जाने वाले शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के गठन का क्या मानदंड है और चयन प्राधिकारी कौन है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) इसका ब्योरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी इन शिष्टमण्डलों के साथ गए थे उनका ब्योरा अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5915/83]

(ख) इन सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के गठन का मानदंड अनुबन्ध 'ग' में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5915/83]

विल्लुपुरम और मद्रास के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

855. श्री ईरा अनबारासु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विल्लुपुरम से मद्रास के लिए कोई और रेलगाड़ी चलाने का है जिससे कि चिंगली-पुट जिले के सीजन टिकट धारियों की टिकट समस्या का समाधान हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या चिगली-पुट के सीजन टिकटधारियों को रेलगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देने के लिए समुचित अनुदेश जारी किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) ताम्बरम, त्रिषपुरम इकहरी लाइन खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी के कारण, मद्रास और चेंगल-पुट के बीच एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) सुपर फास्ट गाड़ियों को छोड़कर मेल/एक्सप्रस गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बे में सीजन टिकटधारियों को यात्रा करने की अनुमति है। उन्हें मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों से यात्रा करने की अनुमनि नहीं है क्योंकि इससे लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होगी।

मद्रास के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली

856. श्री ईरा अनबारासु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंच वर्षीय योजनावधि के भीतर मद्रास शहर के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली पूरी हो जाएगी;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानत कुल कितनी लागत आएगी;

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अब तक कुल कितनी राशि आबंटित और व्यय की जा चुकी है; और

(घ) क्या मद्रास और उनके उपनगरीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए बम्बई के समान मद्रास शहर के लिए तेज चलने वाली विद्युत उपनगरीय रेलगाड़ी प्रणाली आरम्भ की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। फरवरी, 1983 में, मद्रास के लिए मद्रास बीच से लुज तक द्रुत परिवहन प्रणाली की स्वीकृति योजना आयोग ने दे दी है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति की तारीख से निर्माण में 6 वर्ष लगने की संभावना है।

(ख) 1980 के मूल्य-स्तर पर 53-46 करोड़ रुपये।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) मद्रास बीच-ताम्बरम मीटर लाइन उपनगरीय प्रणाली के अलावा, अभी हाल ही में मद्रास-अरकोणम् और मद्रास-गुम्मिडिपुण्डी बड़ी लाइन खण्ड पर बिजली की उपनगरीय गाड़ियों भी चलायी गयी है।

उगांडा में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर हमला

857. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**
श्री के० ए० राजन :
श्री सुभाष यादव :
श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पाला स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में एक कर्मचारी को गम्भीर रूप से घायल करने और दूसरे व्यक्ति की हत्या करने वाले अज्ञात बन्दूकधारी के इरादे का पता चल गया है;

(ख) क्या इस घटना की जांच पड़ताल कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मृतक व्यक्ति के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) 7 दिसम्बर, 1982 को कम्पाला स्थिति भारत के हाई कमीशन के दो भारत-आस्थानी कर्मचारियों पर चांसरी की इमारत के निकट एक अज्ञात बन्दूकधारी ने गोली चलाई। उनमें से एक श्री वि० आई० याकूब का उसी शाम निधन हो गया, जब कि गम्भीर रूप से घायल दूसरा कर्मचारी ठीक हो गया है। इस घटना से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया है। उक्त अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गोली चलाने की इस वारदात के पीछे क्या उद्देश्य था क्योंकि उगांडा के प्राधिकारियों के प्रयत्नों के बावजूद आक्रमणकारी अभी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री याकूब के संतप्त परिवार को 20,000/- का मुआवजा देने का फैसला किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति में अमरीका के एक प्रतिनिधि की टिप्पणी पर भारत की प्रतिक्रिया

858. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** *क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) *क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति में अमरीका की एक प्रतिनिधि श्रीमती किर्क पैट्रिक की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और*

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि, श्रीमती जीन किर्क पैट्रिक ने 7 दिसम्बर, 1982 को तृतीय समिति को सम्बोधित किया था। कार्यसूची की जिस मद पर विचार किया जा रहा था, वह मानवाधिकारों पर आर्थिक-सामाजिक परिषद की रिपोर्ट थी। अपने भाषण में श्रीमती किर्क पैट्रिक ने कहा कि "मानवाधिकारों सम्बन्धी किसी भी गम्भीर चिन्तन में महिलाओं और अछूतों के वैध और सामाजिक अधिकारों की व्यापक अस्वीकृति पर निश्चय ही ध्यान दिया जाएगा।"

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के अधिकारियों ने इस विषय को संयुक्त राज्य अमरीका के मिशन के अधिकारियों के साथ उठाया। लेकिन, इसका कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर, भारतीय प्रतिनिधि ने इस मसले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। नई दिल्ली स्थित अमरीका के राजदूतावास को यह भी बता दिया गया कि भारत सरकार को श्रीमती किर्क पैट्रिक के भाषण में इस अनावश्यक उल्लेख पर आश्चर्य और निराशा हुई है।

अक्तूबर, 1982 से रेलगाड़ियों में हुई लूट-पाट और डकैतियों की घटनायें

859. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अक्तूबर, 1982 से रेलगाड़ियों में जोन-वार लूट-पाट और डकैतियों की कितनी घटनायें घटी है; और

(ख) इस मामले में रेल विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० क० जाफर शरीफ) : (क) अक्तूबर, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान रेल गाड़ियों में क्षेत्रवार घटित डकैती और लूटपाट की घटनाओं की संख्या निम्नलिखित हैं :—

रेलवे	अक्तूबर, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान हुई लूटपाट और डकैतियों की संख्या
मध्य	18
पूर्व	24
उत्तर	19
पूर्वोत्तर	22
पूर्वोत्तर सीमा	10
दक्षिण	1
दक्षिण मध्य	4
दक्षिण पूर्व	10
पश्चिम	12
जोड़	120

(ख) कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकारों का सांविधिक दायित्व है । वे गाड़ियों में होने वाली चोरी और लूटपाट की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) लगभग सभी सवारी गाड़ियों में रात्रि के समय सशस्त्र मार्ग रक्षी भेजे जाते हैं ।

(2) स्टेशनों, प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में गश्त तेज कर दी गयी है ।

(3) अपराधियों और जाने माने बदमाशों की निगरानी पर जोर दिया जा रहा है ।

(4) पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों द्वारा रात्रि में चलने वाली गाड़ियों की जांच करने के आदेश दिए गए है ।

(5) भेद्य स्टेशनों पर पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं ।

(6) महत्वपूर्ण मामलों की जांच-पड़ताल करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकारों की खुफिया पुलिस विशेष दस्तों की व्यवस्था करती है ।

रेल सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाये रखता है और मांग करने पर यथासम्भव सभी प्रकार की सहायता प्रदान करता है । रेल मंत्री ने भी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां रेलों पर अपराध और कानून तथा व्यवस्था की अन्य समस्याएं विकट है, के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है तथा स्थित में सुधार लाने के लिए उनका सहयोग तथा सहायता मांगी है ।

विश्वविद्यालय और स्कूल शिक्षकों को सेवा शर्तों और वेतनमानों पर आयोग का गठन

860. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय और स्कूल शिक्षकों की सेवा शर्तों और वेतनमानों के लिए सरकार पृथक-पृथक दो आयोग गठित कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इन आयोगों के निर्देश पद क्या है;

(ग) क्या किसी भी आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) से (घ) भारत सरकार ने अध्यापन समुदाय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के लिए दो राष्ट्रीय अध्यापक आयोग नियुक्त किए हैं । विचारार्थ विषय संलग्न अनुबन्ध में निर्दिष्ट हैं । राष्ट्रीय आयोग I स्कूल स्तर के अध्यापकों से सम्बन्धित समस्याओं और राष्ट्रीय आयोग II उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित) के अध्यापकों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करेगा । इन आयोगों की बैठकें अभी होनी हैं ।

विवरण

इन आयोगों के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) देश की विरासत और लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप उत्कृष्टता की खोज, उदार दृष्टिकोण और मान्यताओं की शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षण व्यवसाय के लिए स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना;

(2) इस व्यवसाय के सदस्यों को समुचित स्तर प्रदान करने के लिए उपायों का पता लगाना;

(3) इस व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ाने और विश्व में अन्यत्र घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सजगता पैदा करने के लिए उपाय सुझाना;

(4) शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें इस

व्यवसाय में बनाए रखने तथा भर्ती, विशेषकर महिलाओं की भर्ती के आधार को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना;

(5) शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण/अनुस्थापन के मौजूदा प्रबन्धकों की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना;

(6) अध्यापन के लिए बेहतर पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा तथा सिफारिश करना;

(7) ज्ञान, निपुणता तथा मान्यताएं अर्जित करने में छात्रों की सहायता, प्रेरणा और प्रोत्साहन तथा उनके जरिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, पर्यावरणात्मक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने में अध्यापकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(8) समुदाय में और घर पर विकास कार्य के साथ शिक्षा को जोड़ने में शिक्षकों की भूमिका का पता लगाना;

(9) अनौपचारिक और सतत् शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की विशष आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा ऐसे तरीकों का सुझाव देना जिनके द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(10) व्यवसायिक विकास और व्यवसायिक जागरूकता में शिक्षक संगठनों की भूमिका का पता लगाना;

(11) शिक्षकों के लिए एक स्वीकार्य और कार्यान्वित की जा सकने वाली आचरण संहिता तैयार करने की संभावना की जांच करना; और

(12) राष्ट्रीय शिक्षा कल्याण प्रतिष्ठान के विशेष सन्दर्भ में शिक्षकों के कल्याण की प्रोन्नति के प्रबन्धों का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो, वहां सुधार का सुझाव देना ?

भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

861. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या रेल मन्त्री भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन करने के बारे में 14 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय रेल अधिनियम कालातीत और निष्प्रभावी हो गया है जो नई समस्याओं को सुलझाने के लिए असमर्थ है, इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विधान

को बदलकर नया रूप देने के उद्देश्य से, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के साथ परामर्श करके भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का पुनराक्षण किया जा रहा है। चूंकि पुनराक्षण अभी जारी है, इसलिए प्रस्तावों का ब्यौरा पहले से देना संभव नहीं होगा।

मुगलसराय रेलवे अस्पताल में डाक्टर और नर्सें

862. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय रेलवे अस्पताल में डाक्टरों और नर्सों की संख्या कितनी है तथा उनमें से ऐसों की संख्या कितनी है जो इस अस्पताल में गत तीन वर्षों से भी अधिक से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस अस्पताल में कुछ डाक्टर और नर्सें 10-12 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे है जबकि कुछ डाक्टरों तथा नर्सों को इस अस्पताल से अक्तूबर-नवम्बर में इस आधार पर स्थानान्तरित कर दिया गया है कि उन्होंने एक स्थान पर तीन से अधिक वर्ष तक कार्य कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलवे अस्पताल, मुगलसराय में 14 डाक्टर और 23 नर्सें हैं और इनमें से 6 डाक्टर और 18 नर्सें इस अस्पताल में 3 साल, से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां, कुछ डाक्टर और नर्सें मुगलसराय में 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है कि इस अस्पताल से जिन डाक्टरों और नर्सों को स्थानान्तरित किया गया है उनका स्थानान्तरण इस स्टेशन पर तीन साल की सेवा पूरी हो जाने के कारण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिरली और चौरी के बीच रेल फाटक

863. श्री उत्तम राठौर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण-मध्य रेलवे के अन्तर्गत पुर्ना-खंडवा रेल लाइन पर सिरली और चौरी के बीच रेल फाटक के लिए रेल विभाग द्वारा मांगी गई धन राशि का भुगतान कर दिया है और यह भुगतान किस तारीख को किया गया; और

(ख) क्या इस पर कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जाफर शरीफ) : (क) जी हां। 15-4-82 को।

(ख) जी हां।

(ग) समपार पर रेलवे के हिस्से का काम पूरा हो गया है। राज्य सरकार के प्राधिकरण पहुच मार्गों के कार्य को पूरा कर रहे हैं।

मुदखेड़-आदिलाबाद सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

864. **श्री उत्तम राठौर :** क्या रेल मंत्री मनमाड आदिलाबाद सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रश्न के उत्तर में रेल उप मंत्री ने मूदखेड़ आदिलाबाद रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और 1983-84 के बजट में आदिलाबाद से चनका तक नई बड़ी लाइन बिछाने का संर्वेक्षण करने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या इस आश्वासन के बावजूद इस प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 5487 के उत्तर में रेल उप मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। उन्होंने केवल यह बताया था कि प्रस्ताव विचाराधीन है। बहरहाल, अक्टूबर, 1983 में परभनी-अदीलाबाद मी० ला० खण्ड को ब० ला० में बदलने के लिए इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक प्रस्ताव तथा आदिलाबाद से पिम्पलकोटी तक एक नई बड़ी लाइन बिछाने के लिए एक नये इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का अनुमोदन किया गया है।

नाइजीरिया सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता न दिया जाना

865. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय की अनेक डिग्रियों को मान्यता देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नाइजीरिया सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्रियों को मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) लागोस स्थित भारतीय उच्चायोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, नाईजीरिया संघ के

शिक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि सभी भारतीय विश्वविद्यालय जिन्हें भारत के विश्वविद्यालयों की पुस्तिका में शामिल किया गया है, को संघीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को, बिना किसी अपवाद के एक समान समझा जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा की उपलब्धि

866. श्री बी० डी० सिंह :

श्री जगपाल सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या उपलब्धि रही हैं; और

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में क्या बाधायें हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या विचार किया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1982-83 के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 45 लाख के लक्ष्य की अपेक्षा राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टें-दिसम्बर, 1982 के अन्त तक लगभग-40 लाख प्रौढ़ निरक्षरों का नामांकन दर्शाती हैं।

(ख) सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों, विशेषकर महिलाओं, की अपर्याप्तता और नवसाक्षरों की समाजार्थिक स्थिति प्रौढ़ साक्षरता की कक्षाओं में उनके नियमित रूप से उपस्थित होने में मुख्य बाधाएं हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे महिला अनुदेशकों और पर्यवक्षकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान दें। उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों में यथा सम्भव प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की भी सलाह दी गई है।

देश में शरीरिक और मानसिक रूप से कमजोर उत्पन्न बच्चें

867. श्री बी० डी० सिंह :

स्वामी इन्द्रवेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कुपोषण और अल्प परिपोषण के कारण देश में वर्ष भर में कितने बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर उत्पन्न होते हैं, और ऐसे कितने बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) देश में प्रतिवर्ष शारीरिक विकलांग तथा मानसिक रूप से मन्दित कितने बच्चे जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु दर क्या है इसके बारे में किसी सर्वेक्षण के प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है :—

(1) गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण से होने वाली अरक्तता से बचाव कार्यक्रम।

(2) डिप्थीरिया, काली खांसी, टैटनस, पोलियो, बचपन का तपेदिक और टाइफाइड जैसे रोगों की रोकथाम के लिए रोग प्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम।

(3) गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम।

(4) एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जिसमें बच्चों तथा महिलाओं के लाभ के लिए पैकेज सेवाएं अर्थात् पूरक आहार, स्वास्थ्य जाँच, प्रतिरक्षण, रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण के सम्बन्ध में मूल्यांकन

868. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण के सम्बन्ध में, जब से वह चला है, कोई मूल्यांकन किया है जिससे कि यह पता चल सके कि विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है और उसके कार्यकरण में क्या सुधार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी, 1982 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यसंचालन की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। यह समिति अन्य बातों के साथ साथ इसकी भी जांच करेंगी कि क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय उनके लिये उनके अधिनियमों और संविधियों में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। समिति का कार्य प्रगति पर है।

1983-84 के दौरान नई रेल लाइनों का बिछाया जाना

869. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान बिछाई जाने वाली नई रेल लाइनों की योजना का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के अधीन बख्तियारपुर-राजपुर रेल लाइन को राजगिर से गया तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो राजगिर से गया तक रेल लाइन बढ़ाये जाने सम्बन्धी काम की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जोगीघोपा से गुवाहाटी तक एक बड़े आमान की रेल लाइन के साथ साथ जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र के आर-पार एक रेल एवं सड़क पुल के निर्माण का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) राजगीर से गया तक बड़े आमान की एक लाइन के लिए हाल ही में किए गए टोह इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से यह पता चला है कि यह प्रस्ताव अर्थक्षम नहीं होगा। इसलिए, इस प्रस्ताव पर विचार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

कुपोषण और अल्प परिपोषण के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर नागरिक

870. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुपोषण और अल्प परिपोषण के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों की संख्या देश में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने इस पर भारी चिन्ता भी व्यक्त की है; और

(ग) यदि हाँ, इस सम्बन्ध में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि बचपन में अत्यधिक कुपोषण से शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो सकती है। तथापि, देश में मानसिक रूप से कितने व्यक्ति कमजोर हैं इसके बारे में प्रामाणिक आँकड़े उपलब्ध नहीं है।

लोगों को बहु-प्रचार साधनों जैसे, रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर आदि तथा शहरी एवं देहाती इलाकों में कार्य कर रहे चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों जैसे, डाक्टरों, पुरुष-महिला

बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ताओं, प्रशिक्षित दाइयों, ग्राम स्वास्थ्य गाइड़ों आदि, के व्यक्तिगत प्रयासों, दोनों के जरिये शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा सम्बन्धी सामग्री भी वितरित की गई है। सहायक नर्स मिडवाइफों के लिए पोषण पर एक मैनुअल भी हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया गया है और देश में सहायक नर्स मिडवाइफों में बंटवाया गया है। एक पुस्तिका छपवा कर वितरित की गई है जिसमें छोटे बच्चों के लिए मां का दूध छुड़ाने के लिए संतुलित आहार की तालिकादी हुई है तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा पोषण पर प्रकाशित पैम्पलेट और पोस्टर वितरित किए गए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा बनाए गए पोस्टर। स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर आम जनता में वितरण के लिए राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशकोंको भेजे गए हैं।

नकली और घटिया किस्म की औषधियों पर मणि समिति के सुझाव

871. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणि समिति ने नकली और घटिया किस्म की औषधियों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री(श्री कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) नकली और घटिया औषधियों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने 21 जून, 1982 को स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री सी० वी० एस मणि की अध्यक्षता में एक टास्क-फोर्स की नियुक्ति की थी। इस टास्क फोर्स ने दिसम्बर, 1982 में भारत सरकार को अपनीरिपोर्ट प्रस्तुत की।

टास्क फोर्स द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है :—

(1) प्रत्येक 25 निर्माण अहातों के लिए एक-एक औषधि निरीक्षक और 100 विक्रय स्थायों के लिए एक-एक औषधि निरीक्षक के हिसाब से राज्यों में औषधि निरीक्षणालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना।

(2) नकली दवाइयों के बनाए और बेचे जाने का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे कानूनी और आसूचना तन्त्र की स्थापना करना जैसा कि महाराष्ट्र में चल रहा है।

(3) औषधि फार्मूलेखनों की जांच के लिए केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के मुख्यालय में एक सैल स्थापित करना।

(4) खास-खास महत्वपूर्ण राज्यों में केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करना जिनमें पर्याप्त निरीक्षणालय और अन्य स्टाफ हो।

(5) आयातित औषधियों की गुणवत्ता को विनियमित रखने की जिम्मेदारी जिन बन्दरगाहों की है, वहां केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना।

(6) औषधि निर्माण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए तथा इसे औषधि और प्रशाधन सामग्री नियमों में शामिल किया जाना चाहिए।

(7) निर्धारित अवधि में ऋण लाइसेंसिंग पद्धति का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए।

(8) आयातित औषधियों की जांच हेतु बम्बई में एक प्रयोगशाला की स्थापना करना।

(9) औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने में राज्यों की सहायता हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू करना।

इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

872. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की मांगों में कितना वित्त अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) इस मामले को हल करने तथा एक शिक्षा वर्ष को बचाने के उद्देश्य से यदि कोई प्रयास किए गए हैं तो वे क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हड़ताली संघों द्वारा मंत्री से मिलने के लिए समय छः सप्ताह के विलम्ब के बाद ही दिया गया था;

(घ) क्या विश्वविद्यालय ने सभी हड़ताली अध्यापकों के वेतन काट लेने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो इस दण्ड तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हड़ताल तथा कालेजों के पुनः खुलने सम्बन्धी वर्तमान स्थित क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के शिक्षक और कर्मचारी समय-समय पर बहुत सी मांगें प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी सभी मांगों के वित्तीय जिम्मेदारियों के परिमाण का अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) हाल ही में हड़ताल पर गए शिक्षकों की मुख्य मांगें बेहतर आवास सम्बन्धी सुविधाओं तथा पदोन्नति के अवसरों से सम्बन्धित थीं। ये मांगें पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारधीन थी। यह हड़ताल 12 अक्तूबर, 1982 को शुरू हुई और शिक्षा उप मन्त्री ने 20-10-1982 को दूसरे सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने अपनी यह आशा

व्यक्त की थी कि अध्यापक अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे और शैक्षिक समय सारणी को बनाए रखने और तनावरहित और गलतफहमी से रहित वातावरण में अपनी समस्याओं के उचित समाधान को ढूंढने के लिए विश्वविद्यालय को प्राधिकारियों अपना सहयोग प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवास सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में कतिपय ठोस कदम भी उठाए गए हैं।

जहाँ तक पदोन्नति अवसरों का सम्बन्ध है, इस पर लम्बी बातचीत हुई थी। आयोग ने योग्यता पर आधारित पदोन्नति योजना, जिसे आयोग ने पहले ही अनुमोदित कर दिया था, को कार्यान्वित करने की औपचारिकताओं से सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस आधार पर, शिक्षकों ने 29-1-83 को अपराह्न से हड़ताल समाप्त कर दी और 31-1-1983 से नियमित शिक्षण कार्य पुनः आरम्भ हो गया है। विश्वविद्यालय ने मई, 1983 के आरम्भ तक शैक्षिक सत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि हड़ताल की अवधि के दौरान बर्बाद हुए समय की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(ग) शिक्षा राज्य मन्त्री 5 जनवरी, 1983 और 10 जनवरी, 1983 को शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मिली।

(घ) शिक्षक 12 अक्तूबर, 1982 से हड़ताल पर गए। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 13 जनवरी, 1983 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर भी लागू होगा। फिर भी, 29 जनवरी, 1983 को हड़ताल के समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय ने, शिक्षकों से सम्बन्धित उपर्युक्त निर्णय को अमल में लाने को निलम्बित करने का निर्णय किया।

(ङ) विभाग और कालेज 29/31 जनवरी, 1983 से सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

131-132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस यात्रियों को मूल सुविधाएं देना

873. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन तथा मंगलौर के बीच 53 घण्टे से भी अधिक समय तक चलने वाली 131-132 जयन्ती जनया एक्सप्रेस गाड़ी में सफाई कर्मचारियों तथा बिजली, रोशनी की तथा अन्या समस्याओं के लिए मिकेनिकल कर्मचारियों कोच अटेंडेंटों और गद्देदार सीटों की कोई व्यवस्था नहीं है जिनके कारण यात्रियों को भारी असुविधा होती है;

(ख) क्या उक्त जयन्ती जनता एक्सप्रैस में सफाई-कर्मचारियों की सेवाएं 1 जनवरी, 1983 से बन्द कर दी गई है; और

(ग) क्या उपरोक्त आवश्यक तथा मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, सफाई और बिजली सुविधाओं की फिटिंग पर ध्यान देने के लिए मार्गवर्ती नामित स्टेशनों के अलावा सभी

महत्वपूर्ण और टर्मिनल स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है। यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। डिब्बा परिचरों की व्यवस्था केवल पहले दर्जे के सवारी डिब्बों में ही की जाती है। जयन्ती जनता एक्सप्रेस में दूसरी श्रेणी के शयनयानों की देखभाल करने के लिए दो शयनयानों में एक चल टिकट परीक्षक तैनात किया जाता हैं क्योंकि यह गाड़ी गलियारेदार है।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में गद्दों की व्यवस्था हाल ही में शुरू की गई है और इस बात के यथा सम्भव प्रयास किए जाते है कि लम्बी दूरी की गाड़ियों में केवल गद्देदार शायिकाओं वाले डिब्बे ही लगाए जाएं लेकिन कभी कभार परिचालनिक आवश्यकता के कारण कुछ बिना गद्देदार सवारी डिब्बे गाड़ियों में लगाने पड़ते है।

(ख) जी हां, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था कि प्रारम्भिक और टर्मिनल स्टेशनों तथा मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर पर्याप्त प्रबन्ध मौजूद है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मंगलोर-निजामुद्दीन तथा मंगलोर-बम्बई के बीच यात्रियों को अधिक रेल सुविधाएं

874. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मंगलोर-शीरानुर-निजामुद्दीन के बीच भारी रेल यातायात को देखते हुए यात्रियों को और अधिक रेल सुविधायें देने की सख्त जरूरत है;

(ख) क्या इस मार्ग पर यात्रियों की मांग का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब और उससे क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इनकी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस प्रकार कोई यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन जून, 1982 में की गयी गाड़ियों में स्थान के उपयोग की गणना से पता चला है कि 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस तथा मंगलूर और बम्बई के बीच चल रहे तीन श्रृ सवारी डिब्बे सीधे यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त हैं। 17-12-1982 से नई दिल्ली और मंगलूर के बीच 125/126 केरल एक्सप्रेस और 83/84 एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ 5 श्रृ सवारी डिब्बे भी चलाये गए है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रेणी हीन रेलगाड़ियां का चलाया जाना

875. श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :
श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रेणी-हीन रेलगाड़ियां चलाये जाने के सिद्धान्त से सहमत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान किन-किन क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां चलाई गई हैं;

(ग) उनमें से कितनी गाड़ियां लम्बी दूरी की हैं; और

(घ) आगामी वर्षों के लिए इस बारे में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (घ) सामान्यतः दीर्घकालीन नीति के रूप में लम्बी दूरी की श्रेणी रहित गाड़ियां आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसमें साधारण दूसरा दर्जा, दूसरे दर्जे के शयनयान और दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान होंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए, पहले दर्जे से साधारण सवारी डिब्बों का उत्पादन बन्द कर दिया गया। छोटी दूरी की गाड़ियों के मामलों में कुछ गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों से ऊंचा दर्जा हटा दिया गया है। बहरहाल, निकट भविष्य में रेलों की कोचिंग स्टाक की उपलब्धता और यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साधारण पहले दर्जे और अन्य ऊंचे दर्जो सहित लम्बी दूरी की गाड़ियां चलानी पड़ेगी।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली अहमदाबाद सुपर फास्ट गाड़ी को जोधपुर के रास्ते चलाना

876. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर रेल डिवीजन ने रेल बोर्ड को प्रस्ताव दिया है कि दिल्ली-अहमदाबाद सुपर फास्ट गाड़ी को सप्ताह में तीन बार जोधपुर के रास्ते चलाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) दिल्ली और अहमदाबाद के बीच जोधपुर के रास्ते कोई गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 1-4-83 से दिल्ली और अहमदाबाद के बीच सप्ताह में चार दिन, दिल्ली और जोधपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन तथा अहमदाबाद और जोधपुर के बीच सप्ताह में दो दिन प्रयोगात्मक रूप में एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने की योजना बनायी गयी है।

दिल्ली-अहमदाबाद के बीच सुपर फास्ट गाड़ी चलाना

877. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस गाड़ी को सप्ताह में तीन बार अजमेर-आबूरोड के मार्ग से चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस लाइन पर इस गाड़ी को चलाने का पूर्वाभास भी कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह गाड़ी किन-किन स्टेशनों पर तथा किस किस समय रुकेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) जी हां। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच अजमेर-आबूरोड के रास्ते प्रयोग के रूप में सप्ताह में चार दिन एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने की योजना बनाई गई है। इस सम्बन्ध में परिचालनिक रूपरेखा तैयार की जा रही है।

जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या

878. श्री बिरदा राम फुलवारिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान सरकार द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गये;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान जारी किए जाने वाले पासपोर्टों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) इन पासपोर्टों पर कितने भारतीय विदेश गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान यानी अप्रैल 81 से मार्च 82 तक भारत के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 14,50,416 पासपोर्ट जारी किए गए थे।

(ख) वर्ष 1982-83 में अनुमानतः 15.50 लाख पासपोर्ट जारी किए जाने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल 82 से दिसम्बर 82 तक की अवधि में 11,77,195 पासपोर्ट जारी किए गए।

(ग) विदेश गए भारतीयों के आंकड़े किसी एक वर्ष में जारी किए गए पासपोर्टों के आधार पर तैयार नहीं किए जाते।

रेल बोर्ड का पुनर्गठन

879. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रेल-बोर्ड का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

बहरहाल, रेलवे कार्य के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति जिसे 'रेलवे सुधार समिति' कहते हैं, का गठन किया गया है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ शीर्षस्थ निकाय अर्थात् रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध के संगठनात्मक ढांचे की भी जांच करेगी तथा आवश्यक परिवर्तनों के बारे में सुझाव देगी।

भारत-पाक मैत्री-सन्धि

880. श्री अमर राय प्रधान :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :
श्री चित्त महाटा :
श्री मूल चन्द डागा :
श्री चित्त बसु :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने तीन उप-आयोग गठित करना स्वीकार कर लिया है और अपने-अपने प्रस्तावों में एक मैत्री-सन्धि तथा युद्ध न करने की सन्धि के लिए अनेक परास्परिक मुद्दे छांट लिये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही के महीनों में भारत-पाकिस्तान के बीच अधिकार स्तर की वार्ता के कई दौर हुए हैं। फिर भी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मतभेद बने हुए हैं। विचार-विमर्श जारी है।

काश्मीर के प्रश्न पर अमरीका पाक-समर्थक नीति में मोड़

881. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा ब्रिटेन के वर्ष 1951 के दस्तावेजों से जिन्हें सार्वजनिक जानकारी तथा प्रकाशन के लिए जारी कर दिया गया है, काश्मीर के प्रश्न पर 1950 के दशक में अमरीका की नीति के धीरे-धीरे बदलते हुए निष्पक्षता से पाक-समर्थक हो जाने के बारे में नया प्रकाश पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) इस विषय में सरकार की नीति सर्वविदित है कि जम्मू और काश्मीर संवैधानिक एवं कानूनी रूप से भारत का अन्तरंग हिस्सा है।

लोको रनिंग स्टाफ के कार्य घंटे

882. श्री ई० बालानन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेशनों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि लोको रनिंग स्टाफ के लिए एक साथ 10 घण्टे की ड्यूटी की परिभाषा के बारे में रेल बोर्ड का 3 अप्रैल, 1981 का परिपत्र, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेन्शन संख्या एक का उल्लंघन करता है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 1971 में अनुमोदित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में समिति की टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गार्ड तथा ब्रेकवैन के बिना रेल गाड़ियों को चलने देने की अनुमति के विरुद्ध अभ्यावेदन

883. श्री ई० बालानन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्ड तथा ब्रेकवैन के बिना ही रेल गाड़ियों को चलने की अनुमति देने सम्बन्धी नियमों में हाल ही के परिवर्तन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) नियमों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिसमें गाड़ियों की गार्ड और ब्रेकयान के बिना चलाने की अनुमति दी गई हो। सामान्य नियमों में यह व्यवस्था है कि आपातिक स्थिति में गार्ड और ब्रेकयान के बिना गाड़ी चलाई जा सकती है। ऐसे सभी मामलों में, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एहतियात बरती जाती है। कभी कभी माल गाड़ियों को बिना गार्ड/ब्रेकयान के चलाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

रेल कर्मचारियों की वेतन समिति

884. श्री ई० बालानन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, इस तथ्य को देखते हुए कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिए जाने तक, रेल कर्मचारियों को, उनके वेतन के पुनरीक्षण सम्बन्धी मूल मांगों को जिसमें कम से कम सरकारी उपक्रमों में व्याप्त वेतन मिलने की बात है, पूरा कर दिया जाए, उनके लिए पृथक् से एक वेतन समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेल कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन पैनल गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और इसलिए उनकी वेतन संरचना पर अलग से कोई विचार नहीं किया जा सकता। जब कभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निकाय की नियुक्ति की जाएगी तो उनकी सिफारिशें रेल कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

"देश में जहाजों की संख्या"

885. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जहाजों (समुद्र में जाने वाले) की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) जहाजों के निर्माण की वार्षिक दर क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) 31-1-1983 को देश में कुल 407 जहाज थे जिसमें से 69 जहाजें तटवर्ती व्यापार में और 338 जहाजें विदेश व्यापार में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय और विदेशी शिपयार्डों द्वारा सप्लाई किए गए नए जहाजों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी शिपयार्ड में निर्मित जहाजों की संख्या	भारतीय शिपयार्ड में निर्मित जहाजों की संख्या
1980	11	2
1981	7	3
1982	6	1

हावड़ा तथा सियालदह डिवीजन में रेल सम्पत्ति की चोरी

886. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हावड़ा, रेल थीव्स हेवन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान रेल सम्पत्ति के चोरी होने के 7500 मामले दर्ज कराए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन चोरियों के कारण उक्त क्षेत्र में रेलगाड़ियों का सुरक्षित रूप से चलना कठिन हो गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या को हल करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) रेल सम्पत्ति की रक्षा करने तथा यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या नए उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 1982 के दौरान हावड़ा और सियालदह परिचलन मण्डल में रेलवे की सामग्री और फिटिंगों के चोरी के 7,264 मामलों की रिपोर्ट की गई थी।

(ग) रेल सामग्री और फिटिंगों, विशेषकर विद्युतीकृत खण्डों पर शिरोपरि उपस्कर और रेल पथ फिटिंगों चोरी से इन मंडलों में रेल गाड़ियों के संचलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिससे कभी-कभार रेल परिचालन पर श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. पूर्वी क्षेत्र में रेल पर कानून एवं व्यवस्था तथा अपराधों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता की ओर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।
2. रेलों पर सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ग्रामवासियों तथा समाज सेवा दलों की सहायता ली गई है।
3. क्षेत्रों के प्रभावित स्थानों पर रात्रि के समय रेल सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वारा गहन गस्त लगायी जाती है।
4. पटरी पर गस्त लगाने, विशेषकर भेद्य खण्डों में, रेल पथ फिटिंगों की रक्षा करने के लिए इंजीनियरी विभाग के विशेष दस्तों को तैनात किया गया है।
5. अब विशेष प्रकार की रेल पथ फिटिंगों का उपयोग किया जा रहा है ताकि अपराधियों द्वारा उन्हें निकालना मुश्किल हो जाए।
6. राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की सहायता से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपराधियों और रेलों की चुरायी गयी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं।
7. जहां तक सम्भव हो, स्थानीय यात्री गाड़ियों के साथ ऐसे समय जब फिटिंग के सामान की चोरी का भय रहता है, रे० सु० ब०/रे० सु० वि० ब० के मार्ग रक्षियों को तैनात किया जाता है।
8. इन मण्डलो में पुलिस के सहयोग से अपराधियों और रेलों की चुरायी गयी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर छापे मारने के लिए तथा भेद्य खण्डों में

रेल गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा विशेष बल को तैनात किया गया है।

9. अपराधियों और चोरी का सामान प्राप्त करने वालों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल, राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के बीच परस्पर निकट सहयोग कायम रखा जा रहा है।

सिवान तथा छपरा में ऊपरी पुलों का निर्माण

887. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिवान तथा छपरा में, जो कि जिला मुख्यालय भी है, ऊपरी पुलों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी देगी/क्या उनका निर्माण कार्य शुरू करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सिवान में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, छपरा में, छपरा-मरहोरा रोड पर छपरा कचहरी यार्ड के पूर्वी छोर पर समपार सं० 45 और छपरा-बनियापुर रोड को छपरा जंक्शन स्टेशन के पश्चिमी छोर पर छपरा बाराणसी और छपरा-सिवान रेल लाइनों के आर-पार समपार सं० 51-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए रेलवे और राज्य सरकार द्वारा दो प्रस्तावों पर संयुक्त रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से लागत की भागीदारी के आधार पर इन ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से इस बारे में स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही रेलवे द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में त्रिभाषी फार्मूले के कार्यान्वयन में कठिनाई

888. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में अनेक भाषाओं को शामिल करने के आम विरोध, हिन्दी भाषी राज्यों में अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन में कमी तथा कुछ गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा के अध्ययन के विरोध के कारण त्रिभाषी फार्मूले के कार्यान्वयन में कठिनाई अनुभव की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा आयोग की इस रिपोर्ट का आधार क्या है; और

(ग) आयोग की इस रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) शिक्षा आयोग 1964—66 ने, "स्कूल पाठ्यचर्या में भारी भाषा बोझ के प्रति सामान्य विरोध, हिन्दी भाषी क्षेत्र में एक अतिरिक्त आधुनिक भाषा अध्ययन के लिए प्रेरणा की कमी, कुछ अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का विरोध, पांच से छः वर्षों के लिए दूसरी तथा तीसरी भाषाओं के अध्यापन के लिए भारी लागत तथा प्रयत्न, इत्यादि"...जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बताया कि त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन से कई कठिनाइयां पैदा हुई हैं ।

(ग) शिक्षा आयोग 1964—66 की यह रिपोर्ट, राष्ट्रीय नीति संकल्प 1968 का आधार बनी जिसे कुल मिलाकर, विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपना लिया गया है ।

नीम-हकीमों द्वारा नेत्र-शिविर चलाया जाना

889. **श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने नेत्र-शिविर लगाए गए और उनका ब्योरा क्या है;

(ख) इन नेत्र-शिविरों में कितने लोग नेत्रहीन हो गए थे और इन शिविरों के आयोजक कौन-कौन थे;

(ग) क्या उक्त शिविर लगाने हेतु इन लोगों ने उचित प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त की थी;

(घ) यदि नहीं, तो अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) नीम-हकीमों द्वारा ऐसे शिविर चलाए जाने को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राष्ट्रीय दृष्टि हीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र शिविर लगाने तथा 50,000 आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में मोतियां बिंद तथा नेत्र के अन्य आपरेशन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ऐसे शिविर लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है । गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल यूनिटों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए

मोतियाबिंद आपरेशनों की संख्या, जिसके लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है, वह इस प्रकार हैं :—

मोबाइल कैम्प

वर्ष	आपरेशनों की संख्या
1979-80	8839
1980-81	12661
1981-82	31920

स्वैच्छिक संगठन

वर्ष	आपरेशनों की संख्या
1979-80	3814
1980-81	10250
1981-82	27920

इसके अतिरिक्त ये नेत्र शिविर अन्यों के साथ-साथ राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के तत्वावधान में तथा उन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय दृष्टि हीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं की है। ऐसे शिविरों के बारे में विस्तृत जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) राष्ट्रीय दृष्टि हीनता कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किए गए नेत्र शिविरों में जिनकी सूचना ऊपर भाग (क) में दे दी गई हैं, ऐसे शिविरों के आयोजन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया है ताकि इन शिविरों के उद्देश्य अर्थात् मोतियाबिन्द आपरेशन के बाद दृष्टि का लौट आना, प्राप्त कर लिया जाए। वैसे, भारत सरकार को कुछेक राज्य सरकारों से यह सूचना मिली है कि कुछेक अप्रशिक्षित व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से ऐसे शिविरों का आयोजन किया है। इन रिपोर्टों के अनुसार श्री आर० के० गौड द्वारा अनाधिकृत रूप से लगाए गए दो शिविरों में (एक मध्य प्रदेश के देवास जिले में तथा दूसरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में) क्रमशः दो व्यक्तियों ने और 17 व्यक्तियों ने अपनी नजर खो दी। अतः उत्तरदायी दो अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उनके विरुद्ध कानूनी कारंवाई की गई थी।

भारत सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार पता चलता है कि राजस्थान में फरवरी 1982 के दौरान धौलपुर जिले में 5 अप्रशिक्षित व्यक्तियों, जिनके नाम श्री भगवती प्रसाद वैसतिन्दर, श्री पाठक, श्री मुकेश चन्द्र, श्री रमेश चन्द्र तथा श्री मुन्ना लाल द्वारा अनाधिकृत रूप से आयोजित कैम्पों में किए गए नेत्र आपरेशनों के कारण 5 व्यक्ति अन्धे हो गए। राज्य सरकार ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं और इस सम्बन्ध में कानूनी कार्रवाही की है।

सितम्बर और अक्तूबर 1982 के दौरान श्री अमी लाल यादव, श्री दलीप सिंह, श्री सन्याया, श्री अलियाद मागो, श्री लेखो और श्री महेन्द्र, जो अप्रशिक्षित व्यक्ति थे, द्वारा अलवर जिले में आयोजित अनाधिकृत नेत्र शिविरों में किए गए नेत्र आपरेशनों में 13 व्यक्तियों ने अपनी नजर खो दी। राज्य सरकार ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं।

(ङ) नेत्र शिविर आयोजित करने के बारे में सरकार के वर्तमान दिशा—निदेशों में यह व्यवस्था है कि इन कैम्पों में आंखों के आपरेशन प्रशिक्षित और अनुभवी नेत्र चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में किए जाने चाहिए। ऐसे शिविरों का आयोजन करने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्वानुमति भी जरूरी है ताकि प्रत्येक नेत्र शिविर में उपर्युक्त बातें तथा दिशा—निर्देशों की सभी धाराओं का पालन हो सके। जिला स्तर पर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कह दिया गया है कि वे सरकार के इन दिशा निदेशों का व्यापक प्रचार करें और ध्यान रखें कि इनका कड़ाई से पालन हो।

"डी० टी० सी० रिवट्स टू डिसआर्गेनाइज्ड सर्विस शीर्षक समाचार"

890. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : *क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "डी० टी० सी०" रिवर्टस टु डिसआर्गेनाइजड सर्विस (दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अनियमित सेवाएं शुरू किया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या कारण है कि बसें बस स्टेंडों पर नहीं रुकतीं, कण्डक्टर 5 तथा 10 पैसे की छोटी रेजगारी नहीं लौटाते, सीटें फटी हुई हैं अथवा लकड़ी जैसी सख्त हैं, खिड़कियों के शीशें या तो गायब हैं या त्रुटिपूर्ण हैं, साधारण बसों को डी-लक्स बसों के रूप में लगाया जा रहा है तथा बसों को साफ नहीं किया जाता है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम अपेक्षित स्तर तक दक्षता लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। ड्राइवरों और कंडक्टरों को बसों को सही स्टापों पर रोकने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। बसों के स्टैण्डों पर कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। किसी भी साधारण बस को डीलक्स बस में नहीं बदला गया है। जहां तक रख रखाव का सम्बन्ध है, जब कभी सीटों के फटे होने, खिड़कियों के शीशों के न रहने आदि जैसी कमी का पता चलता है, उसे तत्काल दूर करने के उपाय किए जाते हैं।

नेपाल से एक लड़की का अपहरण

891. **श्री चिन्तामणि जैना** : *क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या वेश्यालयों पर, जिसमें लड़कियों को अनैतिक व्यापार के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अपहृत लड़कियों को जबरदस्ती तथा बिना डाक्टरी जांच के इसमें लगाया जाता है;

(ख) क्या (तुलसा नामक) एक 13 वर्षीय बालिका का कुछ समय पूर्व नेपाल से अपहरण किया गया था और उसे बम्बई में ग्रांड रोड के वेश्यावृत्ति क्षेत्र में ले जाया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने और बालिका के पुनर्वास हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने के साथ दोषियों को पकड़ने का है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस बात के लिए वेश्यालयों की दैनिक जांच हो कि उनमें कोई नई वृद्धि तो नहीं है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) प्रश्न का उत्तर देने के लिए वांछित जानकारी महाराष्ट्र की राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मालदा के लिए रेलवे योजना

892. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मालदा के लिए रेलवे योजना/परियोजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना/परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और योजना/परियोजना के निष्पादन की लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मालदा टाउन के लिए कोई समेकित एकहरी योजना या परियोजना नहीं है। फिर भी 1982-83 के दौरान मालदा के लिए निम्नलिखित कार्य प्रारम्भ किए गए हैं :—

(I) 45.8 लाख रुपये की लागत से एक सिगनल प्रशिक्षण स्कूल की स्वीकृति दी गयी है।

(II) तात्कालिकता प्रमाण-पत्र के अधीन मालदा में 60 इंजनों के ठहराव के लिए डीजल शेड की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य की अनन्तिम अनुमानित लागत 4 21 करोड़ रुपये है।

इनके अतिरिक्त, वर्तमान रेलवे अस्पताल के विस्तार से संबंधित अन्य कार्य 20 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर रेलवे के 1983-84 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा इकलखी जो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी

बड़ी लाइन खण्ड पर मालदा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, से बलूरघाट जं० तक जो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर जिला का मुख्यालय है, 90 कि० मी० नयी बड़ी लाइन के निर्माण हेतु इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है और योजना आयोग के साथ परामर्श करके सर्वेक्षण रपट पर विचार किया जा रहा है।

तालगोरिया तुपकाडी रेल लाइन का निर्माण

893. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालगोरिया तुपकाडी रेल लाइन के निर्माण के लिए रेलवे (दक्षिण पूर्व) द्वारा कितनी भूमि का क्षेत्र अधिग्रहित किया गया है और उन लोगों की संख्या कितनी है जिनकी भूमि ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि कई स्थानों पर अच्छी कृषि योग्य भूमि ली गई है जो कई किसानों के जीविकोपार्जन के काम में आती थी;

(ग) क्या उन लोगों को जीविकोपार्जन का विकल्प साधन के रूप में रोजगार देने की कोई योजना है जिनकी भूमि इस कार्य के लिए ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) तलगढ़िया-तुपकाडिह रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अभी तक 165.25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और भूमि अधिग्रहण से 3 3 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

(ख) अभी तक लगभग 113.92 एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ग) से (ङ) भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को स्थायी रोजगार देने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों को ठेकेदारों द्वारा उतनी अवधि के लिए यथासंभव नियोजित किया जा रहा है, जितनी अवधि के लिए ठेकेदारों को काम सौंपा गया है, बशर्ते कि वे स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने को तैयार हों और वे शारीरिक दृष्टि से योग्य हों। ठेकेदारों द्वारा अभी तक 100 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया गया है।

तालगोरिया तुपकाडो रेल लाइन के लिए रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की दरें

894. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में तालगोरिया तुपकाडो रेल लाइन के निर्माण हेतु रेलवे द्वारा अधिग्रहीत विभिन्न किस्म की भूमि की दरों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय सब-डिवीजनल कार्यालय, चास में उपलब्ध रिकार्ड की अनदेखी करके मनमाने ढंग से दरें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या ये दरें बहुत कम हैं जिसके कारण भूमिहीन लोगों में रोष फैला हुआ है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) बिहार जिला प्राधिकरण द्वारा दी गई दरें, जो कि गांव से गांव तक अलग-अलग हैं, निम्न प्रकार से हैं :—

	दर प्रति एकड़
1. कृषि योग्य भूमि	
(क) अव्वल दर्जा (बहाल)	18,000 से 20,100 रुपये
(ख) दूसरा दर्जा (कनाली)	6,000 से 12,500 रुपये
(ग) तीसरा दर्जा (बैंद)	3,416 से 8,800 रुपये
2. बंजर भूमि	
(क) अव्वल दर्जा (गादिया-1)	3,300 से 10,050 रुपये
(ख) दूसरा दर्जा (गादिया-2)	3,000 से 3,333 रुपये
(ग) तीसरा दर्जा (गादिया-3)	2,500 से 3,800 रुपये

(ख) ये दरें भूमि अधिग्रहण से सम्बद्ध स्थानीय जिला राजस्व प्राधिकरण निश्चित करता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए रलों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।

विशेष प्रकार के वैगनों की मांग

895. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को माल ढुलाई सम्बन्धी मांग के वर्ष 2000 तक के अनुमान क्या हैं;

(ख) उसकी पूर्ति और अयस्कों, अनाज, सीमेंट, खनिजों, विशेष रूप से कोयले की 'बल्क' ढुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार के वैगनों की मांग के लिए वैगनों का डिजाइन तैयार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यूरिया रिएक्टरों, अमोनिया कन्वरटरों तथा सुपर तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए बड़े आकार के पारेषणों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) उन प्रयासों से माल की ढुलाई की मांग पूरी करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलों द्वारा 2000 ईसवी के लिए प्रक्षेपित 5000 लाख प्रारम्भिक मीटरिक टन माल यातायात का अनुमान लगाया गया है जो 315 अरब टन कि० मी० के बराबर है।

(ख) माल यातायात के लिए प्रक्षेपित मांगों को पूरा करने के लिए मूल योजनाएं 4500/7500 मी० टन भारी भार वाली माल गाड़ियां चलाना, पुरानी जीर्ण-शीर्ण परिसम्पत्तियों को बढ़िया परिसम्पत्तियों से बदलाव और परिचालनिक सूचना प्रणाली और बदलाव सहित आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आन्तरिक संसाधन पैदा करना है। अयस्क और खनिज पदार्थों, विशेष रूप से कोयले के थोक संचलन के लिए भारी क्षमता वाले नये किस्म के बी० ओ० एक्स० एन० नामक माल डिब्बों का अभिकल्प तैयार किया गया है ताकि रेलें, उनके पास उपलब्ध लूप लाइन क्षमता के भीतर भारी माल गाड़ियां चला सकें। जहां तक अनाज और सीमेंट के थोक संचलन का सम्बन्ध है, इनके लिए अभी तक अलग से कोई अभिकल्प तैयार नहीं किया गया है।

(ग) परम्परागत माल की ढुलाई के लिए सामान्य प्रकार के माल डिब्बों के अलावा, रेलों के पास 130,90 और 60 मीटरिक टन क्षमता वाले माल डिब्बों का एक विशेष बेड़ा है जिनका अभिकल्प प्राथमिक रूप से बिजलीघरों के लिए भारी बिजली के उपस्करों/रिएक्टरों आदि की ढुलाई के लिए तैयार किया गया था। 180 मीटरिक टन और इससे अधिक क्षमता वाले माल डिब्बे उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने स्वामित्व में रखे जाते हैं। मंडल/क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड के स्तर पर इन विशेष प्रकार के माल डिब्बों पर दिन प्रति दिन कड़ी निगरानी रखने से रेलें यह सुनिश्चित करती हैं कि बिजली घरों के लिए अनिवार्य भारी उपस्करों की ढुलाई अविलम्ब की जाए।

(घ) रेलों द्वारा किए गए प्रयासों से माल की आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति हो जाएगी बशर्ते कि रेलों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

जनरल मैनेजरों की सुरक्षा और समयनिष्ठता पर नवम्बर, 1982 में हुई बैठक

896. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलों में सुरक्षा और समयनिष्ठता के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1982 के प्रथम सप्ताह में रेलवे के जनरल मैनेजरों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 4-11-1982 को रेल महाप्रबन्धकों के साथ यात्री सेवाओं की संरक्षा, समय पालन, एशियाड से सम्बन्धित यातायात के संचलन, रेल को सौंपे गए माल और अन्य सम्पत्ति की उठाईगीरी की रोकथाम, रेलों द्वारा आन्तरिक संसाधनों के सृजन आदि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग) प्रस्तावित महत्वपूर्ण मामलों में ड्राइवरों को परिचय एवं स्वास्थ्य कार्ड जारी करना संरक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय संरक्षा समिति और क्षेत्रीय संरक्षा समितियों का गठन करना, संरक्षा उपकरणों और कार्यों के लिए अपेक्षित धनराशि

का निर्धारण, रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को लागू करना, समय पालन में सुधार करने के लिए संगठित अभियान चलाना आदि महत्वपूर्ण उपाय शामिल थे।

इन निर्णयों को लागू करने के लिए कार्रवाई की गई है।

औषधियों के आयात निर्माण, बिक्री तथा वितरण को विनियमित करने के लिए विधान

897. **डा० कृपा सिन्धु भोई** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध नियन्त्रण की पर्याप्तता की जांच करने तथा केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर औषध परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए नियुक्त किए गए कृतक दल द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया है कि औषधियों के आयात निर्माण; बिक्री तथा वितरण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधान पुनस्थापित किया जाए;

(ख) उक्त कृतक दल द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या सिफारिशे स्वीकार की गई हैं और उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम जोशी) : (क) नकली और घटिया औषधियों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने 21 जून, 1982 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री सी० बी० एस० मणि की अध्यक्षता में एक टास्क-फोर्स की नियुक्ति की थी। इस टास्क-फोर्स ने दिसम्बर, 1982 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इसने औषधियों के आयात, निर्माण विक्रय और वितरण को विनियमित करने के लिए अलग से विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश नहीं की है। वस्तुतः टास्क-फोर्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, जिसे हाल ही में संशोधित किया गया है, पर्याप्त औषधि कानून है और यदि इस कानून को सख्ती से तथा समान रूप से लागू किया जा ; तो देश में बिकने वाली औषधियों की गुणवता को बनाए रखना सुनिश्चित रूप से संभव हो सकेगा।

(ख) टास्क फोर्स द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है :—

(1) प्रत्येक 25 निर्माण अहातों के लिए औषधि निरीक्षक और 100 विक्रय स्थानों के लिए एक-एक औषधि निरीक्षक के हिसाब से राज्यों में औषधि निरीक्षणालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना।

(2) नकली दवाइयों के बनाए और बेचे जाने का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे कानूनी और आसूचना तन्त्र की स्थापना करना जैसा कि महाराष्ट्र में चल रहा है।

(3) औषधि फार्मूलेशनों की जांच करने के लिए केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के मुख्यालय में एक सैल स्थापित करना ।

(4) खास-खास महत्वपूर्ण राज्यों में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करना जिसमें पर्याप्त निरीक्षणालय और अन्य स्टाफ हो ।

(5) आयातित औषधियों की गुणवता को विनियमित रखने की जिम्मेदारी जिन बन्दरगाहों की है, वहां केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना ।

(6) औषधि निर्माण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए तथा इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में शामिल किया जाना चाहिए ।

(7) निर्धारित अवधि में ऋण लाइसेंसिंग पद्धति का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए ।

(8) आयातित औषधियों की जांच हेतु बम्बई में एक प्रयोगशाला की स्थापना करना ।

(9) औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने में राज्यों की सहायता हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू करना ।

(ग) और (घ) टास्क-फोर्स की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

देश में अल्प पोषित व्यक्ति

898. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अल्प-पोषित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इनमें से महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है;

(ख) समस्या के हल के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या अल्प-पोषित को सामना करने का कोई व्यापक योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) खाद्य तथा कृषि संगठन तथा अन्य एजेंसियों की सहायता के साथ अल्प-पोषण का युद्ध स्तर पर सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने है और सरकार द्वारा इस वर्ष उस प्रयोजन के लिए कितना आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1980 में नेशनल न्यूट्रिशन मानिटरिंग ब्यूरो द्वारा आठ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल) में किए गए सर्वेक्षण के

अनुसार एक से पांच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में 4.7 प्रतिशत बच्चे गम्भीर किस्म के कुपोषण से पीड़ित हैं। कुपोषण वाले पुरुषों/महिलाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं चला रही है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से होने वाली अरक्तता से बचाव कार्यक्रम।

(2) 1 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव कार्यक्रम।

2. समाज कल्याण मंत्रालय :

(1) शहरों की गन्दी बस्तियों/जनजातीय और पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों के निर्धन लोगों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को पूरक आहार प्रदान करने का विशेष पोषण कार्यक्रम।

(2) पैकेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाए कार्यक्रम जिसमें छोटे बच्चों के लिए पूरक आहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाए, पोषण तथा छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा देने की सेवाएं शामिल हैं।

(घ) भारत सरकार 1976 से विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य और कृषि संगठन से खाद्य सहायता प्राप्त कर रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के छः वर्ष से कम आयु के स्कूल पूर्व बच्चों, गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक आहार प्रदान किया जाता है। यह परियोजना अभी विस्तार के तीसरे चरण में है और 30 अप्रैल, 1983 तक इसका 20 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम दस राज्यों अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है।

इसी प्रकार सी० ए० आर० ई० स्कूल पूर्व बच्चों के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य वस्तुए उपलब्ध करता है। यह कार्यक्रम 14 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान; तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में चल रहा है।

प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए निधियां

899. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन केन्द्र संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मत के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) प्राचीन केन्द्र संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मतों के लिए चालू योजना के दौरान अब तक राज्य वार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी राशि व्यय की जानी है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) योजना प्रणाली के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वेक्षण के लिए 600 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। इसी में संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण तथा मरम्मत की व्यवस्था भी सम्मिलित है। बजट में मरम्मत कार्य के लिए आवंटित तथा मंजूर की गई राशि अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रमों के आधार पर है।

(ख) और (ग) जानकारी के विवरण एक तथा दो संलग्न है।

विवरण-एक

यह महत्वपूर्ण स्मारकों के नियमित तथा विशेष संरक्षण कार्यक्रमों पर किया गया व्यय है :—

राज्य के नाम	वर्ष के दौरान आवंटित राशि
आन्ध्र प्रदेश	4,02,000 रु०
असम	28,000 रु०
बिहार	3,19,000 रु०
दिल्ली	26,09,000 रु०
गोआ, दमन व दीव	3,48,000 रु०
गुजरात	4,17,000 रु०
हरियाणा	69,500 रु०
हिमाचल प्रदेश	1,35,000 रु०
जम्मू व कश्मीर	4,03,500 रु०
कर्नाटक	8,45,000 रु०
केरल	1,06,000 रु०
मध्य प्रदेश	8,60,000 रु०
महाराष्ट्र	4,96,000 रु०

राज्य के नाम	वर्ष के दौरान आवंटित राशि
उड़ीसा	4,33,000 रु०
पंजाब	90,000 रु०
राजस्थान	3,55,000 रु०
तमिलनाडु	5,22,000 रु०
त्रिपुरा	4,000 रु०
उत्तर प्रदेश	10,20,000 रु०
पश्चिम बंगाल	1,75,000 रु०

विवरण-दो

राज्य का नाम	वर्ष	योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि	अभियुक्तियां
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1980-81	20,000	1980-81 के दौरान विशेष मरम्मत योजना निधि के अन्तर्गत 17 लाख रु० की राशि वापिस ले ली गई थी, जिसका समायोजन विशेष मरम्मत (गैर-योजना) निधि के अन्तर्गत आवंटन में किया गया।
	1981-82	—	
	1982-83	5,000	
		25,000	
असम	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	
बिहार	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	
दिल्ली	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	56,000	
		56,000	

1	2	3	4
गोआ, दमन व दीव	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	1,05,000	
		1,05,000	
गुजरात	1980-81	30,000	
	1981-82	—	
	1982-83	20,000	
		50,000	
हरियाणा	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	
हिमाचल प्रदेश	1980-81	35,000	
	1981-82	—	
	1982-83	70,000	
		1,05,000	
जम्मू व कश्मीर	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	1,34,000	
		1,34,000	
कर्नाटक	1980-81	50,000	
	1981-82	—	
	1982-83	90,000	
		1,40,000	
केरल	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	
महाराष्ट्र	1980-81	17,000	
	1981-82	70,000	
	1982-83	65,000	
		1,52,000	
उड़ीसा	1980-81	18,000	
	1981-82	—	
	1982-83	45,000	
		63,000	
पांडिचेरी	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	15,000	
		15,000	
पंजाब	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	
राजस्थान	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	45,000	
		45,000	
तमिलनाडु	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	

1	2	3	4
त्रिपुरा	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	
उत्तर प्रदेश	1980-81	47,000	
	1981-82	—	
	1982-83	1,80,000	
		2,27,000	
पश्चिम बंगाल	1980-81	—	
	1981-82	—	
	1982-83	—	

कोरापुर-रायगढ़ रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य पूरा करने की लक्षित तिथि

900. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोरापुट-रायगढ़ रेल सम्पर्क के निर्माण को पूरा करने की लक्षित तारीख क्या है ;

(ख) उपरोक्त रेल सम्पर्क के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) लक्षित तारीख के समाप्त होने से पूर्व निर्माण को पूरा करने की दिशा में क्या प्रयास किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) कोरापुर-रायगड़ा लाइन का पूरा होना पूरी तरह से निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। संसाधनों की उपलब्धता के अधीन इस लाइन को 1986-87 तक पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कोरापुट और मच्छलीगुडा के बीच (19.65 कि० मी०) के पहले चरण में कार्य को शुरू कर दिया गया है और यह कार्य प्रगति में है ।

रेलवे पथ नवीकरण कार्य

901. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में रेलपथ नवीकरण का कार्य बकाया में जमा हो गया है और बकाया कार्य में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलपथ नवीकरण कार्य को तेजी से करने के लिए रेलवे का 1983-84 में क्या कार्यक्रम है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) बकायों के जमा हो जाने का मुख्य कारण धन की कमी और रेलपथ सामग्री के मूल्यों में अधिक वृद्धि है जिसके फलस्वरूप वास्तविक नवीकरण के काम पूरे करने में भी कमी हो जाती है।

(ग) 1983-84 के दौरान लगभग 220 करोड़ रुपये की कुल लागत से 2350 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण का प्रस्ताव है।

"डीलक्स बसें"

902. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम डीलक्स बसों, जिनमें से कुछ बसें इस श्रेणी के लायक भी नहीं है, के माध्यम से यात्रियों से अधिक किराया वूसूल करता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या डीलक्स बसों की श्रेणी से ऐसी सभी बसों को निकालने के लिए सर्वेक्षण किया जायेगा और उसके परिणाम बताये जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सामान्य सेवाओं को यथावत रखते हुए विभिन्न रुटों पर डीलक्स बसें चलाई हैं। ये बसें उन यात्रियों के लिए हैं जो अरामदेह यात्रा के लिए कुछ अधिक पैसा दे सकते हैं। केवल वे ही बसें डीलक्स बसों के रूप में चलती हैं जिनमें कुशन सीट होती है और जो अच्छी हालत में होती है। डीलक्स बसों की हालत और डीलक्स बसों के रूप में चलने वाली बसों की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है।

"हरपीज" रोग का प्रसार

903. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में "हरपीज" रोग जो कि भयंकर पीड़ाकारक और संक्रामक चर्म विषाणु रोग है, फैला हुआ है और जिसका कोई उपचार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उस रोग के फैलने के क्या कारण हैं तथा सरकार उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इस रोग के कितने मामलों का पता चला है और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और रोग के लक्षण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार राजधानी में "हरपीज रोग" के मामलों में असमान्य वृद्धि हुई नहीं लगती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। वैसे, दिल्ली के सभी अस्पतालों में निदान और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में राउरकेला एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

904. **श्री नारायण चौबे :**
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में दिसम्बर, 1982 के प्रथम सप्ताह में राउरकेला एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ख) दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) उस दुर्घटना में हताहत होने वालों की संख्या कितनी है और कितने लोगों को मुआवजा दिया गया था;

(घ) इस दुर्घटना के कारण गाड़ियों की सेवायें कितने दिनों तक अस्त-व्यस्त हुई;

(ङ) यातायात रुक जाने के कारण होने वाली हानि सहित रेलवे को कितनी हानि हुई;

(च) क्या खड़गपुर से राउरकेला जाते हुए राहत क्रेन भी कटरासपुर में पटरी से उतर गई थी और इसके लिए राहत कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया जा सकता;

(छ) क्या रेल मंत्री भी दुर्घटना के समय खड़गपुर में ही ठहरे हुए थे;

(ज) यदि हां, तो क्या उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जाफर शरीफ) : (क) जी हां। दक्षिण पूर्व रेलवे पर 2-12-82 को राउरकेला एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी।

(ख) रेलवे संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, जिन्होंने दुर्घटना की जांच की थी, के प्रारम्भिक निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) इस दुर्घटना में 9 व्यक्ति मारे गए और 41 घायल हुए जिनमें से 9 गम्भीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। बहरहाल मृतकों के निकट सम्बन्धियों तथा घायल यात्रियों को 61,250 रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

(घ) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप गाड़ी सेवाएं लगभग 53 घण्टे तक अवरुद्ध रहीं।

(ङ) इस दुर्घटना के कारण रेल सम्पत्ति की 63 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

अलग-अलग सेवाओं से प्राप्त होने वाली आमदनी के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) जी हां। लेकिन राहत कार्य आरम्भ करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गयी क्योंकि चक्रधरपुर और बोंडामुंडा से राहत गाड़ियां अविलम्ब दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई थीं।

(छ) जी हां।

(ज) और (झ) जी नहीं, यह आवश्यक नहीं समझा गया।

खड़गपुर वर्कशाप में बिजली के इंजनों का आवधिक 'ओवरहालिंग' आरम्भ करने का प्रस्ताव

905. श्री **नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री खड़गपुर में बिजली के इंजनों के आवधिक ओवरहालिंग के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 750, दिनांक 7 अक्तूबर 1982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) खड़गपुर में बिजली रेल इंजनों के आवधिक ओवरहाल के लिए क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय निधियों की उपलब्धता, बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल की सभी भारतीय रेलों की आवश्यकता के साथ-साथ उपलब्ध क्षमता और खड़गपुर कारखाने और रेल इंजनों के लिए सहज पहुंच वाले विद्युतीकृत खण्डों में स्थित भारतीय रेलों के अन्य बड़े कारखानों के भाप रेल इंजन कार्य भार में कमी के कारण नियुक्त कारखाना क्षमताओं पर निर्भर करेगा।

अधिकारियों का गुट-निरपेक्ष राजधानियों का दौरा

906. **श्री रामजी भाई मावणि** :

श्री ए० निलालोहियावासन नाडार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले 2-3 महीनों में 7वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समक्ष औपचारिक मामलों के बारे में अधिक से अधिक मतैक्य सुनिश्चित करने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख सदस्य देशों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या विदेश मंत्रालय के सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने 7वें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के सम्बन्ध में पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान तथा अनेक अन्य देशों का दौरा किया था और अपने समतुल्य अधिकारियों एवं राज्याध्यक्षों के साथ उपयोगी परामर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ग) जी हां। विभिन्न स्तरों पर कई देशों के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं।

(ख) और (घ) विभिन्न सदस्य देशों के साथ किए गए विचार-विमर्श का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच उन विभिन्न मसलों पर सहमति और सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाना है जिनके इस सम्मेलन में उठाये जाने की संभावना है। इन विचार-विमर्शों में प्रक्रिया सम्बन्धी तथा आधारभूत मुद्दों पर जो सुझाव प्राप्त हुए और विचार व्यक्त किए गए वे इस शिखर सम्मेलन की तैयारी और इसके प्रलेखन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री सिद्ध होंगे।

गुजरात के शिक्षा मन्त्री के साथ बातचीत

907. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों ने शिक्षा विभाग के केन्द्रीय मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ गुजरात में शिक्षा की समस्याओं और मामलों पर पिछले 6 महीनों में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण निकले;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात की विभिन्न शिक्षा और संस्कृति योजनाओं की विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं हेतु अधिक राशियों के आबंटन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और केन्द्र द्वारा आबंटन, अनुदान तथा राशियों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शिक्षा तथा संस्कृति के लिए गुजरात राज्य सरकार ने 1983-84 के लिए वार्षिक योजना में 1587 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था जिसके स्थान पर राज्य के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच 12-1-83 को हुई बैठक में अन्तिम रूप से 1427 लाख रुपये की व्यवस्था स्वीकृत की गई थी।

समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाना

908. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने योजना आयोग को, केवल समाज सेवा परियोजनाओं के बारे में कार्यवाही करने के लिए आयोग में एक कक्ष की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सरकार को अन्य और क्या सुझाव दिए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है, जिनके लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा क्या सरकार इस बारे में आवश्यक उपाय करने के विषय में विचार कर रही है;

(च) क्या राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड भी उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अन्य सुझाव थे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध किया जाए और उसको कार्यान्वयन के लिए कुछ समेकित बाल विकास सेवा परियोजनायें सौंपी जाएं।

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस साल में अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को सन्तोष जनक ढंग से पूरा किया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राज्य बोर्ड केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से सहायता और कार्यान्वित कर रहे हैं और इस प्रकार उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदानों में विषमता

909. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को मंजूर किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदानों में भारी विषमता है;

(ख) क्या विश्वविद्यालयों को मंजूर किए गए अनुदान की राशि छात्रों की संख्या के अनुपात में नहीं है;

(ग) क्या केरल विश्वविद्यालय ने इसके विरुद्ध शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा संस्कृति तथा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को संस्वीकृत अनुदानों की मात्रा कई बातों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की किस्में और स्तर; छात्र और संकाय संख्या विकास का स्तर, पहले से ही अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और इसी प्रकार की बातें सम्मिलित हैं। ये अनुदान मात्र छात्रों के नामांकन के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) चालू योजना के दौरान, आयोग ने किसी विश्वविद्यालय को उसके सामान्य विकास के लिए 1.00 करोड़ रु० से अधिक राशि आबंटित नहीं की है। केरल विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालयों के समूह में से है जिन्हें 1.00 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं। तथापि, विश्वविद्यालय ने इस आबंटन में वृद्धि के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आयोग अपने उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ था।

'कोचीन शिपयार्ड का उत्पादन लक्ष्य"

910. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री जवियर अराकल : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड का उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) अब तक कितने पोतों का निर्माण हुआ है; और

(ङ) क्या कोचीन शिपयार्ड की सुविधाओं का विस्तार करने की कोई योजना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्तमान योजना के अनुसार, कोचीन शिपयार्ड द्वारा 1985 तक प्रत्येक 75000 डी० डब्ल्यू० टी० के 6 जहाज तैयार करके डिलिवर किए जाने की संभावना है। 1982-83 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित की है, वह एक जहाज (002) की डिलिवरी करने, एक जहाज (003) को फ्लोट आऊट करने, शिपबिल्डिंग में 200,000 जी० आर० टी० के एक जहाज (004) की कील रखने का और 3.75 करोड़ रु० के मरम्मत कार्य करने का है।

(ख) शिप बिल्डिंग में 1982-83 के लिए निर्धारित लक्ष्य मार्च, 1983 के अन्त तक पूरा कर लेने की सम्भावना है। जहाजों की मरम्मत से होने वाली आय का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) 75000 डी० डब्ल्यू० टी० का एक जहाज अब तक डिलीवर किया जा चुका है। 75000 डी० डब्ल्यू० टी० का दूसरा जहाज भी डिलिवरी के लिए तैयार है -

(ङ) जी नहीं।

तिरुवल्ला-पत्थानमाम्थिट्टा पुन्नाल्लूर रेल लाइन का निर्माण

911. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिरुवल्ला-पत्तनमतिट्टा-पुन्नाल्लूर रेल लाइन तथा चंगानूर-कोट्टार कारा-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल संसाधनों की तंगी के कारण उक्त लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"बम्बई और पणजी के बीच चलने वाली समुद्र तटीय नौवहन सेवा का मालवान बन्दरगाह से बाहर-बाहर जाना"

912. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से पणजी के बीच चलने वाली समुद्रतटीय नौवहन सेवा महाराष्ट्र के कोंकण तट पर मालवान बन्दरगाह से बाहर-बाहर जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) क्या मालवान बन्दरगाह को नौवहन सेवाओं के लिए खोलने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) मालवान बन्दरगाह पर समुद्र में ज्वार के समय ही जहाज आ जा सकते हैं। इसलिए यात्री पोत यहां नहीं आते हैं। जब यहां एक जहाज भूग्रस्त हो गया और पूर्ण नष्टघोषित कर दिया गया तब दिसम्बर, 1972 में यहां आने वाले जहाजों की संख्या 3 से घटा कर 2 कर दी गई। मालवान बन्दरगाह पर इस सर्विस के जहाज नहीं आना जाना और इस सर्विस को यहां नियमित रूप से चलाना संभव नहीं है।

(ग) चूंकि मुगल लाइन लिमिटेड के यात्री जहाजों की गति धीमी होती है और उन्हें अपने माल जहाजों के कार्यक्रम और उनकी सर्विस को नियमित करना होता है इसलिए उनका मालवान बन्दरगाह को अपनी मुसाफिर जहाजी सेवा में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय खोले जाने का मापदण्ड

913. **श्री भीम सिंह :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोले जाने का मापदंड क्या है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर पिछले तीन वर्षों में ऐसे औषधालय खोले गए हैं और उनकी कुल संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का ऐलोपैथिक औषधालय उस कालोनी/क्षेत्र में खोला जाता है जहां पर 3 किलोमीटर के घेरे में केन्द्रीय सरकार के कम से कम 2000-2500 कर्मचारी रहते हों।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, गुड़गांव (हरियाणा) बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, हैदराबाद, पटना, लखनऊ, पुणे तथा कानपुर में 26 एलोपैथिक औषधालय खोले गए।

रेल सुधार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

914. **श्री जयनारायण रौत :**
श्री शांति भाई पटेल :
श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सुधार समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलवे सुधार समिति अपनी रिपोर्ट भागो में प्रस्तुत कर रही है। अब तक निम्नलिखित 6 भाग प्राप्त हो चुके हैं जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है :—

भाग	विषय
I.	नवीकरण के लिए संसाधन, परिसम्पत्तियों का बदलांव संरक्षा और दुर्घटनाओं की रोक थाम।
II.	रेल से होने वाले परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य।
III.	रेल पथ, पुल और भूमि।
IV.	रेलवे आरक्षित निधि।
V.	चल स्टाक का उत्पादन और अनुरक्षण।
VI.	किराया और मालभाड़ा संरचना।

(ख) और (ग) रिपोर्ट के इन भागों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और 94 सिफारिशें पूर्णतः या संशोधन सहित स्वीकार कर ली गई हैं।

भारत और चीन की जनसंख्या

915. **श्री जयनारायण रौत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों की वर्तमान जनसंख्या कितनी-कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कोई भी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे, इस सम्बध में मिली थोड़ी बहुत सूचना के आधार पर निकट भविष्य में जनसंख्या के मामले में भारत के चीन से आगे निकलने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68.5 करोड़ थी तथा 1982 में की गई जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या 103.2 करोड़ थी (इसमें ताइवान प्रान्त भी शामिल है)।

बिलारा और बार के बीच रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

916. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में बिलारा और बार के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस लाइन पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में बिलारा से बार तक एक नई मीटर लाइन का सर्वेक्षण कार्य प्रगति के अन्तिम चरणों में है। बहरहाल इस लाइन के निर्माण का निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच हो जाने तथा योजना आयोग से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् हो लिया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

'रेड टेप बोग्स डाउन आर्कयोलोजी डिपार्टमेंट' शीर्षक समाचार

917. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री सुभाष यादव : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 'रेड टेप बोग्स डाउन आर्कयोलोजी डिपार्टमेंट' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में पुरातत्व विभाग के कार्यचालन की जाँच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इस समय यह संगठन अपने 9 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 7.5 करोड़ रुपये वेतन के भुगतान पर व्यय कर देता है और राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की देख-रेख और रख-रखाव के लिए बहुत थोड़ी धनराशि छोड़ता है; और

(ङ) इस संगठन के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यचालन पर विचार करने के लिए सरकार ने जनवरी, 1983 में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। इस समिति द्वारा जुलाई, 1983 के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का परिशोधित बजट प्राक्कलन 8,56,69,000 रुपये है, जिसमें से 4,66,95,000 रुपये कर्मचारी-वृन्द के वेतन के भुगतान के लिए है, जिसमें स्मारकों के परिरक्षण तथा मरम्मत के लिए रखे गए कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित है।

(ङ) (क), (ख) व (ग) के सामने दिए गए उत्तर के अनुरूप।

एक दूसरे की जेलों में भारतीय और पाकिस्तानी

918. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री सुभाष यादव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में भारतीय पाकिस्तानी जेलों में और भारतीय जेलों में पाकिस्तानी बंदी हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों की जेलों में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 22 दिसम्बर, 1982 को दिल्ली में विदेश सचिवों की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) उनकी स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) हमारी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 350 से अधिक भारतीय राष्ट्रिक नजरबंद हैं। भारत में नजरबंद पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या करीब 200 है।

(ग) इस मामले में पाकिस्तान सरकार से नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव की दिसम्बर, 1982 में भारत-यात्रा और जनवरी, 1983 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान भी इसकी चर्चा की गई थी।

(घ) नजरबंदों की सूचियों का प्रारम्भिक आदान-प्रदान भी हुआ है। इस पर सहमति हो गई है कि दोनों देश 1 मार्च, 1983 तक एक-दूसरे को बाकी जानकारी भी दे देंगे। नजरबंदों के प्रत्यावर्तन के तौर-तरीकों पर भी बातचीत हुई है।

रिंग रेलवे को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदम

919. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री टी० आर० शमन्ना :

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री अर्जुन सेठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली रिंग रेलवे को लोकप्रियता न मिलने के क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली में रिंग रेलवे के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या रिंग रेलवे को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दिल्ली में रिंग रेलवे मुख्यतः इस कारण लोकप्रिय नहीं हो सकी क्योंकि दैनिक यात्री दो प्रकार के परिवहन का मिला-जुला स्वरूप पसन्द नहीं करते।

(ख) इस परियोजना की स्वीकृत लागत 34.18 करोड़ रुपये थी।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के साथ संयुक्त मासिक सीजन टिकट जारी करके रिंग रेलवे को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शैक्षिक पत्रकारिता सेमिनार की सिफारिशें

920. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** *क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) इस वर्ष जनवरी के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक पत्रकारिता सेमिनार की सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार का विचार इन पर क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शैक्षिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा० शै० अ० प्र० प०) ने 28 और 29 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार ने अनेक सिफारिशें कीं जिनके ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

इन सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर तथा विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन की अन्य संस्थाओं जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा विचार किया जाएगा। रा० शै० अ० प्र० प० इन सिफारिशों, जिनका इससे विशेष सम्बन्ध है, के कार्यान्वयन की सम्भावना की जांच करेगी। इन सिफारिशों का प्रचार करने के लिए भारतीय शिक्षा की पत्रिका का एक विशेषांक प्रकाशित करने का इसका प्रस्ताव है।

विवरण

राष्ट्रीय सेमिनार द्वारा की गई सिफारिशों के ब्योरे

1. रा० शै० अ० प्र० प० को शिक्षा विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत

पत्रकारों के लिए ग्रार्तावक विवरण सत्र ग्रायोजित करने में अग्रणी होना चाहिए। इन सत्रों के विवरण सक्षम साधन व्यक्तियों के परामर्श से किया जा सकता है।

2. रा० शै० अ० प्र० प० को चाहिए कि वह शैक्षिक संस्थाओं में परिप्रेक्ष्य संचार प्रभागों के रूप में अपनाने के लिए एक उपयुक्त संगठनात्मक प्रणाली का सुझाव देने के लिए एक कार्याशाला आयोजित करे।

3. रा० शै० अ० प्र० प० विश्वविद्यालयों से संचार तथा साधनों की समस्याओं के सम्बन्ध में एक इकाई को अपनाने के लिए एम० एड० पाट्यक्रम प्रदान करने की सिफारिश करे। इस सिफारिश के ब्यौरे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा इस विषय से सम्बन्धित किसी अन्य निकाय द्वारा तैयार किये जा सकते हैं।

4. जहां पत्रकारिता पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं वहाँ एक वैकल्पिक विषय/पाठ्क्रम के रूप में शैक्षिक पत्रकारिता के शिक्षण की सम्भावना पर स्कूलों अथवा पत्रकारिता विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।

5. विषय वस्तु तथा उनके सुधार की दृष्टि से, आवश्यक होने पर, कार्याशालाओं के जरिए, जिनमें जन-सम्पर्क तथा साधन व्यक्तियों और पत्रकारिता शिक्षकों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, रा० शै० ग्र० प्र० प० द्वारा देश में वर्तमान शैक्षिक पत्रिकाओं का ग्रध्ययन किया जाना चाहिए।

6. शिखर शैक्षिक एजेन्सियों से दिल्ली में शैक्षिक समाचार ग्राधारित एक विशेष सेवा स्थापित करने का ग्रनुरोध किया जाए। यह एजेन्सी प्रैस, रेडियो, टेलिविजन और शैक्षिक पत्रिकाओं की विभिन्न साधन एजेंसियों के लिए समाचार तथा विशेषताओं को समन्वित करके उन्हें उपलब्ध करा सकती है।

7. सेमिनार ने सभी प्रमुख शैक्षिक नीति-निर्माण, शिक्षण तथा अनुसन्धान संगठनों में अनुकूल विशेषज्ञता समाचारों को लिपिबद्ध, इनका सम्पादन तथा प्रसार करने के लिए, संचार सैल/एकक स्थापित करने की सिफारिश की ताकि शैक्षिक समाचारों, विचारों और अनुकूल अनुसन्धान सम्बन्धी उपलब्धियों की गति को तेज किया जा सके।

8. रा० शै० अ० प्र० प० को शैक्षिक स्वरूप के समाचार प्राप्त करने और देने के लिए शैक्षिक पत्रिकाओं के सम्बन्ध में एक शिखर समन्वय निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। यह शैक्षिक पत्रिकाओं के सम्पादकीय स्टाफ के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित कर सकती हैं।

9. विभिन्न पत्रिकाओं तथा अन्य साधनों को शैक्षिक समाचार प्रसारित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक पत्रिकारिता का आगे विकास हो सके।

10. रा० शै० अ० प्र० प० नामक समाचार-पत्र तथा अन्य शैक्षिक पत्रिकाएं देश में सभी विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों को भेजीं जानी चाहिए ।

11. सभी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ओपन हाउस प्रणाली अपनायी जानी चाहिए ।

———

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : दिल्ली में हाल ही में एक बहुत ही गम्भीर घटना घटी है। स्कूल की लड़कियों पर छुरे से प्रहार किया गया है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ लिखित में दीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति एक बार फिर बहुत ही खराब हो गई है । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में······

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : *अध्यक्ष जी, सबसे आपत्ति की बात यह है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, हत्याएं, डकैतियां बढ़ गई हैं और बलात्कार हुए हैं ।*

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : इसमें संसद् सदस्यों के अधिकारों का मामला अन्तर्ग्रस्त है । एक पत्र जो संसद् सदस्य को भेजा गया था, उसको डाक अधिकारी द्वारा सेंसर किया गया है । मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सरकार क्या कर रही है ? यह बहुत महत्वपूर्ण है । हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह पत्र एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को लिखा था । यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सारे मामले की जानकारी प्राप्त कीजिए। (व्यवधान) हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। संसद् सदस्यों के विशेषाधिकार भी इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं। (व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : बरौनी-कानपुर पाइप लाइन फट जाने के कारण तीन लोगों की मृत्यु हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं और पांच सौ से अधिक घर जल गए हैं इस पर भी सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। यह मेरे क्षेत्र का मामला है।······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डोन्ट रिकार्ड।

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइये मत। मैं इस पर गौर करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी बोलते हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह था कि चक्रवर्ती जी ने अभी आपका ध्यान हम लोग जो टेलीग्राम करते हैं या चिट्ठियां भेजते हैं, इस ओर खींचा है। हम लोग टेलीग्राम करते हैं, कब पहुंचते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : यह बहुत ही सीरियस मामला है। आप इसको स्पष्ट कीजिए। मैम्बर्स के टेलीग्राम और चिट्ठियां नहीं पहुंच रही हैं, यह सेंसरशिप का कौन-सा तरीका है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जो प्याऊ बने हुए हैं वह भी तोड़े जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए।

श्री मगनभाई बारोट (अहमदाबाद) : 12, विलिंगडन क्रिसेंट पर पुलिस ने काफी हाथापाई की। हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्याऊ को तोड़ दिया गया है तथा संजय गांधी की फोटो को नष्ट कर दिया गया है। इसके विरोध में हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(इस समय श्री मगनभाई बारोट तथा श्री कल्पनाथ सोनकर सदन से उठकर बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जब कुछ बातें उनके मन को व्यथित करें, तो उनको मुझे लिखकर देना चाहिए। इस तरीके से इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। कोई भी शिकायत हो मुझे लिखित में दीजिए ताकि हम इन समस्याओं को हल कर सकें तथा उनको प्रभावी ढंग से निपटा सकें। ऐसे करने का कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री नीरेन घोष : महोदय, मैं यहां पर मौजूद हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं देखा। मुझे अपने मित्र का हित सुरक्षित रखना है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मुल्क के 25 हजार जनरल इंश्योरेंस एम्पलाइज ने कल हड़ताल की। उनकी मांग आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद महंगाई भत्ता····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हो गई है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। यह मेरे पास है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का मामला बदायूं की पुलिस के खिलाफ दिया है, वह किस तरह से कार्यकर्त्ताओं को तंग कर रही है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी सूचना मुझे मिल गई है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, "हिन्दुस्तान समाचार" में एक समाचार प्रकट हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : समाचार तो रोज निकलते रहते हैं। कौन सी नई बात है?

श्री सत्यनारायण जटिया : पटेल नगर की पुलिस एक शिकायत के बारे में जांच-पड़ताल कर रही थी कि···

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ नहीं है। मैं सुनी-सुनाई बात पर भरोसा नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी खबरों पर न जाइए। ये कुछ नहीं है। मैं इन सुनी-सुनाई बातों पर बिश्वास नहीं करता हूं।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू (नगर कुरनूल) : मैं आन्ध्र प्रदेश से आया हूं। आन्ध्र प्रदेश में 86 हरिजन बेघर हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू : यह एक हरिजन समस्या है, यह हरिजनों के बारे में है। 86 व्यक्ति बेघर हो गए हैं तथा चार व्यक्तियों को मार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू : यह एक गम्भीर मामला है। यह एक राजनैतिक समस्या है। तेलुगू देशम के व्यक्तियों ने कांग्रेस के व्यक्तियों पर आक्रमण किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

श्री नीरेन घोष : असम से अलीपुर द्वार में शरणार्थियों के लगातार आने के कारण पश्चिम बंगाल में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे कानून तथा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। राज्य में वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र इन लोगों के आगमन को रोकने तथा जो व्यक्ति अलीपुर आ गए हैं उनकी देखभाल के लिए क्या कर रहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर पहले ही नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। कल प्रधान मंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया था। उन्होंने इसका हवाला दिया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस समय प्रधान मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। अतः मैं उन शरणार्थियों के बारे में पूछना चाहता हूं जो पश्चिम बंगाल आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस समय नहीं।

श्री गनी खां चौधरी : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे और उसके पश्चात् आप वक्तव्य दे सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

परिवहन वाहनों तथा टायरों का समग्र आकार नियम, 1982 केन्द्रीय अन्तर-स्थानीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, कांडला पत्तन न्यास, तथा मोरमूगाओं पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे आदि

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अन्तर्गत परिवहन वाहनों और टायरों का समग्र आकार नियम, 1982 की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 846 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5815/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1969 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) केन्द्रीय आन्तर-स्थलीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय आन्तर-स्थलीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5816/83]

(ख) (एक) ड्रैजिंग कारोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5817/83]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5818/83]

(दो) मोरमूगाओं पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5819/83]

(तीन) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5820/83]

(चार) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5821/83]

(पांच) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5822/83]

(छ:) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5823/83]

(सात) न्यू मंगलूर पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5824/83]

(आठ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5825/83]

(4) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5826/83]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं 21 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 93(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5827/83]

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास के वर्ष 1981-82 और (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन और की गई समीक्षायें और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, नेहरू स्मारक संग्राहालय और ग्रंथालय के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन और की गई समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं का विवरण, आदि, आदि।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5828/83]

(2) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता, प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5829/83]

(4) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्राहालय और ग्रन्थालय के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5830/83]

(6) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन भाग 2—लेखाओं के विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5831/83]

(8) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5832/83]

(10) (एक) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5833/83]

(11) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राऊरकेला, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउरकेला, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउरकेला, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5834/83]

(12) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5835/83]

(13) (एक) प्रादेशिक प्रौद्योगिक संस्थान, जमशेदपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक प्रौद्योगिक संस्थान, जमशेदपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5836/83]

(14) नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, राची, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5837/83]

(15) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5838/83]

(17) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिल्चर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिल्चर के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिल्चर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5839/83]

(18) (एक) मालवीय प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, जयपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, जयपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मालवीय प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, जयपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5840/83]

(19) (एक) कर्नाटक प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

(दो) कर्नाटक प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, सूरतकल, के वर्ष 1981-82 की वार्षिक लेखाओं एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, सूरतकल, वर्ष 1981-82 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5841/83]

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, रांची, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, रांची, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5842/83]

(21) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5843/83]

(22) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल हाल के न्यासियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल हाल के न्यासियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5844/83]

(24) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड, कानपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड, कानपुर, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5845/83]

(25) (एक) आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5846/83]

(27) (एक) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5847/83]

(28) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5848/83]

(ख) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन भाग-1 और 2 ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5849/83]

(ग) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5850/83]

(घ) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5851/83]

(30) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5852/83]

(32) (एक) केन्द्रीय उच्चत्तर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय उच्चत्तर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5853/83]

(34) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।

(दो) तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5854/83]

(36) (एक) मौलाना आजाद प्रौद्योगिक कालेज, भोपाल, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिक कालेज, भोपाल, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद प्रौद्योगिक कालेज, भोपाल, के वर्ष 1981-82 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5855/83]

(37) (एक) विश्वेश्वरय्या प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वेश्वरय्या प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वेश्वरय्या प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 5856/83]

(38) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर, के वर्ष 1981-82 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5857/83]

(40) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5858/83]

(42) (एक) सरदार वल्लभभाई इंजनियरी तथा प्रौद्योगिक कालेज, सूरत, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सरदार वल्लभभाई इंजनियरी तथा प्रौद्योगिक कालेज, सूरत, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सरदार वल्लभभाई इंजनियरी तथा प्रोद्योगिक कालेज, सूरत, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5859/83]

(43) (एक) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5860/83]

(44) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरपल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5861/83]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपको रेलों को प्राथमिकता देनी होगी।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 1982 तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं श्रीमती मोहसिना किदवई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 576 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5862/83]

रेल रेड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम 1982 भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड; नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, रेल इण्डिया टैक्नीकल एंड इकोनोमिकल सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अधीन जारी किए गए रेल रेड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 955 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5863/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय मेंरखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5864/83]

(ख) (एक) रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5865/83]

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वर्ष 1981-82 में वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5866/83]

(3) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5867/83]

(4) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5868/83]

(5) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5869/83]

नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5870/83]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी।

रेल बजट, 1983-84

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेल मन्त्री।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं रेलों के 1982-83 के संशोधित अनुमान और 1983-84 के बजट अनुमान पेश करने के लिए प्रस्तुत हूं।

1981-82 के वित्तीय परिणाम

ऐसा करने से पहले मैं 1981-82 के वित्तीय परिणामों का, जैसी कि ऐसे अवसरों पर प्रथा चली आ रही है, संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा। इस वर्ष सामान्य राजस्व को 356.47

करोड़ रुपये की वर्तमान लाभांश दायिता का पूरा भुगतान करके 46.59 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जबकि संशोधित अनुमान के समय 51.84 करोड़ रुपये के अधिशेष का अनुमान लगाया गया था। यातायात से 3538.24 करोड़ रुपये की जो सकल प्राप्ति हुई वह 3541.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के आस-पास ही है अर्थात इसमें 3.56 करोड़ रुपये की मामूली सी गिरावट आयी। बजट के बाद साधन-सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद साधारण संचालन व्यय को संशोधित अनुमान से 18.91 करोड़ रुपये अधिक पर नियंत्रित कर लिया गया था। परिचालन अनुपात 89.4 प्रतिशत था अर्थात यह लगभग उतना ही रहा जितना की संशोधित अनुमान में दर्शाया गया था।

माल परिवहन

सदन इस बात से सहमत होगा कि 1980 में नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद से रेलों ने आर्थिक विकास के लिए मूल अवसंरचनात्मक सहारे के रुप में तथा पिछले दो वर्षों के दौरान हुई अस्त व्यस्तता को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। रेल प्रणाली को पुन: पटरी पर लाने तथा इसे जीवनशक्ति प्रदान करने तथा स्वस्थ बनाने में हमें 8-9 महीने का समय लग गया। जैसा कि सदन को विदित है, रेलें न केवल प्रगति की ओर अग्रसर हुई हैं और इन्होंने पतनशील प्रवृत्ति पर नियंत्रण प्राप्त किया है अपितु नवीन ऊंचाइयां भी प्राप्त की हैं। सरकार द्वारा अपनाये गये नये परिचालनिक कदमों तथा नवीन उपायों के रुप में किये गये प्रशासनिक यत्नों के कारण माल यातायात के ऊर्ध्वगामी रुख को बनाये रखा गया है।

चालू वर्ष के दौरान 2270 लाख टन राजस्व अर्जक यातायात की रिकार्ड ढुलाई करने की संभावना है जबकि दो वर्ष पहले 1980-81 में 1959.3 लाख टन यातायात की ढुलाई की गई थी। अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र की परिवहन संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण रुप से पूरी की जा रही हैं। वस्तुत: अब रेलों के पास इस्पात, निर्यातीय लौह-अयस्क, खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट और पेट्रोल उत्पादकों से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मांग से अधिक परिवहन क्षमता उपलब्ध है। रेलें चालू वर्ष के दौरान राजस्व अर्जक यातायात में 166 अरब टन किलोमीटर तथा माल यातायात में 226 अरब यात्री कि० मी० की उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगी जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है।

उत्पादकता वर्ष होने के नाते कार्य-निष्पादन की अपनी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए रेल कर्मचारियों पर एक नयी जिम्मेदारी आ गयी। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और प्रत्येक महीने में किसी भी पिछले वर्ष के उस महीने की तुलना में रिकार्ड ढुलाई करने में रेलों की सहायता की। यातायात की ढुलाई में महीने-प्रति-महीने दर्ज किये गये नये रिकार्ड की भांति कार्य-कुशलता के सूचकांक भी नयी ऊंचाइयों तक पहुंच गये।

पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय यह प्रत्याशा की गयी थी कि प्रारंभिक राजस्व अर्जक यातायात 2300 लाख टन के स्तर पर पहुंच जायेगा। हालांकि रेलों के पास इतने यातायात को ढोने की क्षमता है तथापि हो सकता है कि रेलें कम यातायात प्राप्त होने के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। ढुलाई के लिए जितना टन यातायात नहीं मिला, उसे हिसाब में लेने के बाद, रेलें चालू वर्ष के दौरान 2270 लाख टन का संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रत्याशा करती हैं।

इस विपरीत पहलू के बावजूद एक शुभ लक्षण यह है कि समग्र यातायात से कुल प्राप्तियों में 204 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। इस वृद्धि का अधिकांश भाग माल यातायात से प्राप्त आमदनी के अधीन है। यात्री यातायात से प्राप्ति में लगभग 9 करोड़ रुपये की कम आमदनी हुई जो यात्री यातायात में कम वृद्धि के कारण है। परन्तु, अन्य कोचिंग तथा फुटकर प्राप्तियों में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है।

इस बढ़ी हुई आमदनी में से बजट के बाद के कारकों के कारण संचालन व्यय में हुए 134.38 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान रेलों को अपने पुनःस्थापन कार्यक्रम को तेज करने के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 56 करोड़ रुपये के अधिक अंशदान की व्यवस्था करनी पड़ी। रेल अभिसमय समिति की अनुशंसा के अनुसरण में लाभांश की दर 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण सामान्य राजस्व को लाभांश के रुप में 53.05 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अंशदान किया गया जो मुख्यतः पूर्व-व्याप्ति की संशोधित दरों से भुगतान के कारण है। इस खर्च को भी आय में हुई वृद्धि से पूरा करना पड़ा। इन कारकों और शुद्ध विविध प्राप्तियों में अन्तर्गत समायोजी वृद्धि के लिए धन की व्यवस्था करने के बाद शुद्ध अधिशेष 75.19 करोड़ रुपये होगा जबकि बजट में 105.79 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। यह विकास निधि को प्रभार्य निर्माण-कार्यों से संबद्ध 32.70 करोड़ रुपये के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा तथा शेष राशि का उपयोग विकास निधि ऋण तथा सामान्य राजस्व के बकाया ऋण पर ब्याज दायित्व को पूर्ण करने के लिए किया जायेगा।

यात्री गाड़ी सेवायें

मैं यह जानता हूं कि माल यातायात की ढुलाई में प्राप्त उपलब्धि, जिसे हम प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं और जिसे बिना किसी ढील के बनाये रखने की आवश्यकता है, के साथ-साथ हमें यात्री सेवाओं में सुधार करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मैंने "संरक्षा, और सुरक्षा समय-पालन" नामक नया नारा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक रेल कर्मचारी इसका उत्साह तथा ईमानदारी से अनुपालन करेगा। संरक्षा, माल तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए, रेल प्रणाली की बुनियादी कुशलता के लिए अत्यन्त आवश्यक पहलू है। सुरक्षा भी परिचालन का उतना ही महत्व पूर्ण पहलू है जो रेल प्रणाली पर उत्साह तथा जनता में विश्वास पैदा करने में सहायता करता है। समय-पालन हमारी गतिविधियों का एक संवेदनशील पक्ष है जो एक संगठन तथा राष्ट्र की संस्कृति तथा शिष्टाचार का प्रतीक है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इन महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्रों में हमारे प्रयासों में रुकावट उपस्थित करने वाले कारण प्रस्तुत नहीं करुंगा। मैं उन समस्याओं की ओर भी इंगित नहीं करना चाहूंगा जिनका हम सामना करते हैं और जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम जनता को प्रदान की जाने वाली सेवा में अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सुधार करने तथा संसाधनों का सदुपयोग करने तथा उन्हें अधिकाधिक लाभदायक बनाने के प्रति दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। यह एक उत्तम उद्देश्य और वस्तुतः प्रत्येक रेल कर्मी का विश्वास सूत्र भी होगा।

सेवाओं में और अधिक सुधार के क्रम को बनाये रखते हुए मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि रेल द्वारा लंबी दूरी की अन्तःनगरीय यात्रा के मामले में सरकार ने एक अच्छी उप-

लब्धि प्राप्त की है। मैं न केवल दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा, वात ब्रेक और उच्च क्षमता युक्त, तीव्र, सुरक्षित यात्रा के नये युग के सूत्रपात का हवाला देना चाहूंगा अपितु ग्रांट ट्रंक एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस तथा कर्नाटक एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय अति तीव्र अन्तःनगरीय गाड़ियों का हवाला भी देना चाहूंगा। इन गाड़ियों में प्रत्येक में यात्रियों के लिए प्रायः एक हजार आरक्षित शयन स्थान उपलब्ध हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण गाड़ियों को दो इंजनों द्वारा खींचने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करके यात्री यातायात में एक नया आयाम दिया गया है। मुख्य ट्रंक मार्गों पर, जहां पर माल तथा यात्री सेवाओं दोनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, क्षमता कायम रखने के उद्देश्य से गाड़ियों में सर्वोत्तम क्षमता स्थापित करना हमारे मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन रहा है। हम व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधि वाले मुख्य केन्द्रों को जोड़ने के लिए इन संतृप्त मार्गों पर लोकप्रिय गाड़ियों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करते आ रहे हैं। दो वर्ष पूर्व तक हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि कालका-हावड़ा मेल, जिसे एक ही बिजली रेल इंजन द्वारा खींचा जाता है, में 21 सवारी डिब्बे लगाए जा सकेंगे अथवा गाड़ियों की संख्या बढ़ाए बिना राजधानी एक्सप्रेस में दुगने या दुगने से अधिक डिब्बे लगाये जा सकेंगे। यह पहला अवसर है जब रेलों ने राजधानी एक्सप्रेस की तरह दिल्ली-अहमदाबाद और दिल्ली-जोधपुर जैसे मीटर लाइन मार्गों पर तेज अन्तःनगरीय यात्री गाड़ियां चलाने का कार्यक्रम बनाया है।

लम्बी दूरी के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस तथा आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन की बजाय चार दिन, कर्नाटक-केरल एक्सप्रेस, जिसे पहले बेंगलूर तथा तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल के लिए मिली-जुली गाड़ी के रूप में चलाया जाता था, के स्थान पर सप्ताह में दो बार चलने वाली दो सीधी गाड़ियां, अर्थात नयी दिल्ली और बेंगलूर के बीच दो इंजनों से खींची जाने वाली 21 सवारी डिब्बों की गाड़ी तथा तिरुवनन्तपुरम तक दो इंजनों वाली 21 सवारी डिब्बों की केरल एक्सप्रेस गाड़ी, चलायी जाने लगी हैं। 1983-84 में बम्बई राजधानी तथा हवड़ा राजधानी को सप्ताह में क्रमशः पांच दिन और चार दिन चलाने का भी प्रस्ताव है।

रेल यात्रा में संरक्षा

विभिन्न प्रकार के जो उपाय किए गए हैं उनके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या अप्रैल-दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान घटित 870 की तुलना में 1982 की तदनुरूपी अवधि में घटकर 644 हो गई जो 26% की कमी दर्शाती है। यद्यपि यह एक अच्छी बात है परन्तु मैं इतने में संतुष्ट नहीं हूं। मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि रेल यात्रा को यथासंभव निरापद बनाया जाये। तदनुसार, मैं इस महत्वपूर्ण मामले में व्यक्तिगत रुप से दिलचस्पी ले रहा हूँ। मैंने हाल ही में अपने पर्यवेक्षण में एक केन्द्रीय संरक्षा समिति का गठन किया है। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने पुराने रेलपथ, रेल इंजनों, सवारी तथा माल डिब्बों के बदलाव के जमा बकाया काम को निपटाने तथा इन परिसंपत्तियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के मामले में कितनी प्रगति की है।

इस समय रेलें जिस सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रही हैं वह है रेल प्रणाली के आन्तरिक स्वरुप की पुनःस्थापना। रेलों का मौलिक दायित्व यह है कि यात्री तथा माल यातायात

की सुरक्षित, विश्वसनीय तथा समय पर ढुलाई करने की व्यवस्था हो। संरक्षा से संबंधित कार्य तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक हमारी प्रणाली दोष-रहित न हो। सरकार द्वारा विगत में कई दुर्घटना जांच समितियां गठित की गयी थीं, परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे कुछ प्रयास, विशेषकर संरक्षा की दिशा में, संसाधनों की तंगी के कारण फलीभूत नहीं हुए हैं। रेलवे के समान एक दीर्घ आयामी वृहत उपक्रम अपनी निर्धारित भूमिका ठीक से निभाता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि इसकी परिसम्पत्तियों का सर्वोत्तम स्तर पर अनुरक्षण किया जाय। मुख्यतः धन-राशी की तंगी के कारण परिसम्पत्तियों का संतोषजनक स्तर पर अनुरक्षण संभव नहीं हुआ है।

अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानवीय भूल एक संगीन पहलू बन गया है। जिन विभिन्न पहलूओं के कारण इस प्रकार की भूल होती है, हम उन पर गंभीरता से विचार कर रहें हैं और हमें आशा है कि जिस समाजिक-आर्थिक वातावरण में हमारे कर्मचारी काम करते हैं। उसे ध्यान में रखते हुए हम शीघ्र ही पर्याप्त निवारक उपाय लागू करने में समर्थ हो जायेंगे।

समपारों पर चौकीदार तैनात करना तथा लिफटिंग बैरियर लगाना

समपारों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर, विशेषकर उन समपारों पर जिनका यात्री बसों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, चौकीदार तैनात करने तथा अन्तर्पाशन की व्यवस्था सहित लिफ्टिंग बैरियर लगाने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। इस प्रयोजन के लिए 1982-83 के संशोधित अनुमान में 4.7 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। हम आशा करते हैं कि न केवल समपारों पर चौकीदार तैनात करने की गति को बनाए रखा जायेगा बल्कि 1983-84 में इसमें और भी तेजी लायी जायेगी।

गाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में सदन में तथा सदन के बाहर जो आलोचना की गयी है उसके प्रति मैं पूर्ण रुप से जागरुक हूं। यद्यपि इसके, खतरे की जंजीर खींचने तथा बदमाशों की गतिविधियों जैसे कुछ बाहरी कारण हैं, परन्तु बहुत से ऐसे पहलू भी हैं जिनका हमें आन्तरिक रूप से सुधार करना होगा। अतः, मैंने महत्वपूर्ण गाड़ियों के विलम्ब से चलने की घटनाओं पर निगरानी रखने वाले तंत्र को सुदृढ़ किया है। मेरे सहयोगी तथा मैं भी बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन दोनों की चुनी हुई महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन की नियमित जांच कर रहे हैं। गाड़ियों को समय पर चलाने के प्रति और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास जारी रहेंगे। हम इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य समझते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों, यात्री-जनता तथा समग्र रेल कर्मचारियों की सहायता चाहूंगा।

गाड़ियों में भीड़ भाड़

गाड़ीयों में भीड़-भाड़ की समस्या जारी है और हम गाड़ियों में यात्रियों के लिए स्थान की मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों की कमी के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं का अभाव एक मुख्य बाधा है। देश में एक और सवारी डिब्बा निर्माण सम्बन्धी कारखाने की स्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस बीच यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसा कि

पहले उल्लेख किया जा चुका है, दो रेल इंजनों से गाड़ियों को खींचने, भाप रेल इंजनों के स्थान पर कर्षण के बेहतर साधन अपनाकर डीजल और बिजली रेल इंजनों की व्यवस्था करने, मौजूदा गाड़ियों मे सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने, वर्तमान सवारी डिब्बों के स्थान पर अधिक वहन क्षमता वाले सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने, दो-मंजिले सवारी डिब्बे लगाने आदि जैसे कई उपाय किए गए हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, रेलें पहले से ही सवारी डिब्बों, रेल इंजनों तथा माल डिब्बों का अधिकतम उपयोग करने के काम में लगी हैं। मैंने रेल प्रशासन पर स्पष्ट किया है कि विगत में जो त्रुटियां थी उन्हें दूर किया जाए तथा रेलवे की गतिविधियों को सुचारु बनाया जाये ताकि आम जनता तथा माल के परिवहन में कोई रुकावट न आने पाये। परन्तु, जैसा कि सदस्य जानते हैं, वास्तव में रेलों के पास सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी है। रेल मंत्री के रुप में नयी गाड़ियां चलाने तथा नए रेल सम्बन्धनों की व्यवस्था करने के आपके अनुरोध पर विचार करने में मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। वास्तव में और अधिक यात्री गाड़ीयां चलाने की मांग की जाती रही है। दैनिक यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह पहलू देश की सामान्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अर्थ व्यवस्था में सामान्य वृद्धि तथा जनता द्वारा अधिक यात्रा करने से भी सम्बद्ध है। समग्र तंगियों के बावजूद, हम लाइन तथा टर्मिनल क्षमता की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैंने निर्णय किया है कि नयी यात्री गाड़ियां शुरु करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दूंगा जो अभी तक पर्याप्त रुप से सेवित नहीं है। में पहले ही रेलों को निर्देश दे चुका हूँ कि वे कोयले का पर्याप्त स्टाक बनाए रखें ताकि यह दलील देकर, कि कोयले की कमी है, सवारी गाड़ियां रद्द न करनी पड़ें, जैसा की विगत में होता रहा है। में सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेलें निश्चित रुप से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगी तथा जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी ओर में कुछ नहीं उठा रखेंगी।

बिना टिकट यात्रा

बिना टिकट यात्रा एक राष्ट्रीय बुराई है जो बढ़ती जा रही है। इससे न केवल रेलों को राजस्व की काफी हानी होती है अपितु इससे रेलों में अधिक भीड़-भाड़ भी बढ़ती है, जिसके परिणा स्वरूप सदाशयी यात्रियों को असुविधा होती है। यद्यपि इस बुराई को बिल्कुल समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हमें इसके विरुद्ध अभियान जारी रखना होगा। वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान जितनी बार जांच की गई वह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में लगभग 8% अधिक थी। इस अवधि के दौरान बिना टिकट तथा अनुचित टिकटों पर यात्रा करते पाए गए 22.80 लाख व्यक्तियों को पकड़ा गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 19.95 लाख व्यक्ति पकड़े गए थे।

पुलिस कार्रवाई के रुप में किए जाने वाले धावों और जांचों के द्वारा हम इस घोर अराजकता को कुछ हद तक कम कर सकेंगे; लेकिन यात्री-जनता को तब तक राहत दे सकना संभव नहीं होगा जब तक आधारभूत परिवर्तन की भावना विकसित नहीं होती। मैं आम जनता में इस भावना को भरने में आपके अधिकाधिक सहयोग की कामना करता हूं ताकि सदाशयी यात्री बिना टिकट यात्रा और अनधिकृत फेरी की रोकथाम को अपना नैतिक कर्त्तव्य समझें और इसमें

रेल अधिकरियों का सहयोग करें। जब तक माननीय संसद सदस्यों तथा जनता के सक्रिय सहयोग से इस प्रकार की सामाजिक भावना का विकास नहीं होगा तब तक प्रशासन के लिए बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली राजस्व की हानी की रोकथाम् करने के लिए किसी दोष-रहित तरीके को अपनाना असम्भव ही रहेगा।

रेल यात्रा के स्तर में सुधार

यात्रियों को दी जाने वाली सेवा के स्तर में कई प्रकार से सुधार लाने की आवश्यकता है।

स्टेशनों पर और गाड़ियों में उच्च स्तर की सफाई के लिए 51 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर तथा मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालयों में एक एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में बहु-उद्देश्यीय कृतिक दलों का गठन किया गया है। इन दलों को यात्री सुविधाओं में तेजी से सुधार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

खान-पान सेवाओं तथा भोजन के स्तर की देखभाल करने के लिए अनुभवी अधिकारियों का एक विशेष सेवा सुधार दल गठित किया गया है। मैं अनिवार्य रूप से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यात्रीयों को दिया जाने वाला भोजन साफ और पौष्टिक हो और इसे स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में तैयार करके उचित दरों पर प्रदान किया जाए। खान-पान कर्मचारियों को निःशुल्क वर्दियां दी जाती हैं ताकि वे साफ-सुथरे दिखायी दें। उनकी आवधिक डाक्टरी जांच की जाती है और भोजन तथा भोजन में काम आने वाली सामग्री के नमूनों की भी अक्सर जांच होती है।

रेल सुरक्षा बल

सदन को यह ज्ञात है कि हम राज्य सरकारों के साथ सरकारी रेलवे पुलिस की लागत को आधे-आधे के आधार पर वहन करने के लिए सहमत हो गए हैं। हमारी पूरी रेल प्रणाली में रेल सुरक्षा बल के 67,000 जवान हैं जिन पर प्रतिवर्ष लगभग 61.15 करोड़ रुपये का खर्च आता है। सरकारी रेलवे पुलिस से सम्बद्ध कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हम राज्य पुलिस बल के लिए 7000 जवानों की अतिरिक्त संख्या की स्वीकृति पहले ही दे चुके हैं। 1982-83 में सरकारी रेलवे पुलिस पर होने वाले खर्च में रेलवे का हिस्सा 15.02 करोड़ रुपये होगा।

रेलों को सरकारी रेलवे पुलिस बलों से उपलब्ध होने वाले सहयोग में सुधार की काफी सम्भावना है। इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के तरीकों का पता लगाने, रेल सुरक्षा बल के कर्मचारिओं के मनोबल, निष्ठा और ईमानदारी को प्रभावी ढंग से ऊंचा करने तथा उनकी शक्तियों की वृद्धि में हम सक्रिय रुप से रत हैं। विभिन्न सामाजिक कारणों की ओर भी तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हम इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

रेल यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा मेरे लिए बड़ी चिन्ता का विषय रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस दुखदायी समस्या से निबटने के लिए अविच्छिन्न और दीर्घकालिक प्रयास किए जाएंगे।

अपराधियों और चुरायी हुई रेल सम्पत्ति के अभ्यस्त सम्प्रापकों की गतिविधियों पर रेल सुरक्षा बल द्वारा लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां

अपराधों की सम्भावना बनी रहती है और वहां गश्त तेज की जा रही है। उच्च मूल्य की वस्तुओं को ढोने वाली गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था की जा रही है।

आरक्षण प्रक्रिया में सुधार

मेरा पूरा प्रयास है कि गाड़ियों में स्थान के आरक्षण की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाए जाएं। ग्राहकों के बहतर सन्तोष के लिए हाल ही में रद्द आरक्षण के बदले आरक्षण, जिसे आर० ए० सी० के नाम से जाना जाता है, की एक प्रणाली शुरू की गई है। प्रतीक्षा-सूची पर रखे गए वरिष्ठतम यात्रियों के उपयोग के लिए सीटों की एक विशिष्ट संख्या अलग से रखी जाती है, जिन्हें मार्ग में उस समय शायिकाएं आबंटित कर दी जाती हैं जब संपुष्ट आरक्षण वाले यात्री गाड़ी में नहीं पहुंचते। इस व्यवस्था से गाड़ी कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को मनमाने ढंग से शायिकाएं आबंटित करने की गुंजाइश कम करने में सहायता मिली है। मैंने रेलों को यह भी निर्देश दिया है कि जिन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं उनको अधिकाधिक संख्या में शायिकाओं का कोटा उपलब्ध कराया जाए।

दिल्ली क्षेत्र में सीटों और शायिकाओं के आरक्षण का काम कम्प्यूटर द्वारा किए जाने की एक परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए प्रारम्भिक काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। ऐसी आशा की जाती है कि दिल्ली क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों के आधार पर इसे बाद में अन्य महानगरों में भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

आरक्षण में व्याप्त कदाचार को समाप्त करने की ओर सतत ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो यत्न किए गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं – जहां आरक्षणों के नकली होने का संदेह हो, वहां जवाबी पत्र भेजकर या दिए गए पते पर जाकर आरक्षण के सदाशयी होने की पुष्टि की जाती है, कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों की सहायता से आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों के आस-पास अपना जाल फैलाने वाले दलालों को पकड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में व्याप्त कदाचार को समाप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मेरा प्रयास होगा कि इस सदुद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी कठोर दण्डात्मक उपायों को विकसित और लागू किया जाए।

भ्रष्टाचार की रोकथाम

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ठेकों के आवंटन, माल डिब्बों के आवंटन, कोयले के माल डिब्बों या रेकों के मार्ग-परिवर्तन आदि के क्षेत्र सहित रेल परिचालन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बराबर कोशिश करता रहूंगा। मैंने जो नई योजना बनाई है उसमें सामान्यतः माल डिब्बों या रेकों के बिना पारी के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।

बेहतर मरम्मत और अनुरक्षण

रेल परिचालन की कुशलता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारणों में से एक

कारण रेल इंजनों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, रेल-पथ, सिगनलिंग उपस्कर, आदि की अपर्याप्त मरम्मत और अनुरक्षण है। यह मुख्यतः कारखानों में क्षमता की कमी तथा उपलब्ध क्षमता के अपर्याप्त उपयोग के कारण है। उत्पादकता-वर्ष में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया था और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि इसके वांछित परिणाम निकले हैं। ऐसी आशा की जाती है कि 1982-83 के दौरान बड़ी लाइन के लगभग एक लाख माल डिब्बों का आवधिक जीर्णोद्धार किया जाएगा जो कि 1980-81 से 38% तथा 1981-82 से 11% अधिक होगा। इसी प्रकार, बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों के आवधिक जीर्णोद्धार में भी 1980-81 की अपेक्षा लगभग 10% वृद्धि होगी।

सवारी डिब्बों के वार्षिक आवधिक जीर्णोद्धार के लिए 30,480 यूनिटों की आवश्यकता है, जबकि उपलब्ध क्षमता केवल 25,800 यूनिटों की है। माल डिब्बों के लिए इस प्रकार के आंकड़े क्रमशः 1,14,000 और 1,05,360 हैं। इसका परिणाम यह है कि 15 प्रतिशत सवारी डिब्बे तथा 24 प्रतिशत माल डिब्बे जीर्णोद्धार के लिए बकाया पड़े हैं। मैं इस क्षेत्र में बेहतर प्रौद्योगिकी की व्यवस्था कर और कर्मचारियों को अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित कर व्यापक सुधार लाने हेतु दृढ़-प्रतिज्ञ हूं। संक्षेप में कहें तो मेरा प्रयास होगा कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अधिकतम मील-दूरी प्राप्त की जाए।

1983-84 के बजट में रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था है जबकि 1982-83 में इसके लिए लगभग 860 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा, भोपाल, तिरुपति, गुन्तपल्ली, भुवनेश्वर, न्यू बोंगाईगांव, माल्दा, गोल्डन रॉक और कृष्णराजपुरम में कुछ प्रमुख नये मरम्मत कारखानों के पूरा करने के काम तथा माटुंगा, झांसी, नासिक, पुणे, कंचरापाड़ा और खड़गपुर में कारखानों के आधुनिकीकरण के काम में तेजी लायी जा रही है ताकि मरम्मत के लिए अधिक क्षमता शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हो सके। मुझे विश्वास है कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर चल-स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के स्तर में पर्याप्त सुधार होगा।

उन भाप रेल-इंजनों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था जो या तो इतने खराब हो चुके हैं कि उनकी मरम्मत करने से कोई लाभ नहीं, या जो वर्तमान भारी यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। 1982-83 में 866 रेल इंजनों को निष्प्रयोजित किया जाएगा जबकि लक्ष्य 550 भाप रेल इंजनों को निष्प्रयोजित किए जाने का था। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। भाप रेल इंजनों को चरणबद्ध आधार पर डीजल और बिजली रेल इंजनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह अब विश्वव्यापी प्रक्रिया बन चुकी है। यदि वित्तीय संसाधनों की तंगी न होती तो हम इस दिशा में और बेहतर कार्य कर सकते थे।

मरम्मत और अनुरक्षण का एक दूसरा कार्य-क्षेत्र, जिसकी ओर मेरा ध्यान लगा हुआ है, रेलपथ से सम्बन्धित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि इसकी ओर कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया है। मैं विशेषतः संसाधनों की सदैव रहने वाली तंगी की सीमाओं के भीतर यथासम्भव सीमा तक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। गाड़ी परिचालनों की संरक्षा मुख्यतः रेलपथ

की सही हालत पर निर्भर करती है। अतः इसके अनुरक्षण की ओर अधिकतम ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर उस समय जबकि यातायात के घनत्व तथा गति दोनों में वृद्धि हो रही हो। अब रेल पटरियां अधिक मजबूत कंक्रीट स्लीपरों पर बिछाई जा रही हैं। चालू वर्ष के दौरान लगभग 7 लाख कंक्रीट स्लीपरों का उत्पादन किया जाएगा जबकि पिछले वर्ष 3.25 लाख कंक्रीट स्लीपरों का उत्पादन किया गया था। देश में अब चौबीस कारखाने स्थापित किए जा चुके हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 13.5 लाख स्लीपरों के उत्पादन की है। बेहतर संरक्षा और आरामदेह यात्रा के लिए रेल पटरी के जोड़ों को समाप्त करने के लिए अब लम्बी संयुक्त पटरियों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक यांत्रिक उपस्करों के जरिए रेलपथ का अनुरक्षण करने के लिए विशेषज्ञता का विकास किया जा रहा है और इस समय लगभग 11,000 कि० मी० लम्बी रेल पटरियों का मशीनों द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है। स्विचों और क्रासिंगों के अभिकल्प को अपग्रेड करने की कारवाई भी शुरू की गयी है। गाड़ियों को सुप्रवाही तथा संरक्षित ढंग से चलाने के लिए पटरी-इस्पात को अधिक भार में अपग्रेड करने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। रेलपथ में छिपे हुए दोषों का पता लगाने के लिए, जो कि अन्यथा साधारण तरीके से देखने में नहीं आते, रेल पटरियों की जांच के लिए नियमित अन्तरालों पर पराश्रव्य उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। जांच के दौरान पायी जाने वाली त्रुटिपूर्ण रेल पटरियों को तत्काल बदल दिया जाता है ताकि रेल पटरी में दरारें पड़ने के अवसर न्यूनतम रहें क्योंकि ये दुर्घटना का एक मुख्य कारण होती हैं। मैंने रेलवे बोर्ड को पर्याप्त संख्या में ये पराश्रव्य यंत्र प्राप्त करने तथा बेहतर संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर वर्तमान पटरियों की जांच को और अधिक गहन करने के लिए आदिष्ट किया है।

रेल-पथ और पुलों के बेहतर अनुरक्षण के लिए मैंने 1983-84 में बजट व्यवस्था को बढ़ाकर 278 करोड़ रुपये कर दिया है। 1982-83 में यह 250 करोड़ रुपये थी।

सिगनलिंग और दूर-संचार जालतंत्र में सुधार

रेलों पर संरक्षा, सिगनलिंग और दूर-संचार प्रणालियों के कुशल अनुरक्षण और उनके आधुनिकीकरण पर भी निर्भर करती है। सूक्ष्म-तरंग संचार प्रणालियों को उत्तरोत्तर स्थापित किया जा रहा है और क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण परिचालनिक केन्द्रों के बीच उनके सम्पर्क स्थापित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यातायात वाले मार्गों पर रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था करने तथा जहां आवश्यक हो वहां कांटों और सिगनलों को केन्द्रीकृत करने के लिए वर्तमान सिगनलिंग प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ट्रंक तथा मुख्य लाइन मार्गों पर चरणबद्ध रूप में रेलपथ परिपथन की भी व्यवस्था की जा रही है। इससे मानवीय भूल के फलस्वरूप उस लाइन के लिए सिगनल नहीं दिया जा सकता जहां पहले से कोई गाड़ी खड़ी हो। वास्तव में, 2500 स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन का कार्य या तो पूरा कर दिया गया है अथवा पूरा होने वाला है। इन महत्वपूर्ण गतिविधियों, जिनके साथ संरक्षा के पहलू जुड़े हुए हैं, के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था निर्माण-कार्यों के लिए की जा रही है तथा 88 करोड़ रुपये सिगनलिंग/दूर-संचार प्रणालियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए रखे जा रहे हैं। चालू वर्ष में उनके लिए क्रमशः 30 करोड़ रुपये तथा 79 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

रेलों की छठी पंचवर्षीय योजना

अब यह सर्वविदित है कि रेलों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुल आवंटन केवल 5100 करोड़ रुपये का है जो कि आवश्यकताओं पर आधारित अपेक्षाओं के आधे से भी कम है। प्रथम तीन वर्षों के दौरान, योजना व्यय 3514 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की प्रत्याशा है जिसके बाद 1586 करोड़ रुपये की अल्प राशि शेष बचेगी। योजना की हमारे द्वारा की गयी मध्यावधि समीक्षा से यह पता चला है कि योजना में निर्धारित न्यून वास्तविक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए भी कम से कम 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करनी होगी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, हमने योजना आयोग से 1983-84 के लिए 1878.50 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुरोध किया है। बहरहाल, संसाधनों की लगातार चली आ रही तंगी के कारण योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा हमें 1342 करोड़ रुपये से अधिक के योजना परिव्यय की अनुमति देना सम्भव नहीं हो सका। इसमें राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंशदान सम्मिलित नहीं है जिसे 1983-84 से आगे जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय के बजट में दिखाया जायेगा और जिसे रेलवे बजट में शामिल नहीं किया जायेगा। 1983-84 के लिए कुल वार्षिक रेलवे योजनागत परिव्यय में से, केन्द्रीय राजकोष से बजटीय सहायता केवल 550 करोड़ रुपये की होगी। 792 करोड़ रुपये की शेष राशि की व्यवस्था रेलों को सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान तथा बकाया जमा ऋण भार की आंशिक अदायगी के लिए अपेक्षित राशियों के अतिरिक्त अपने आंतरिक स्रोतों से करनी होगी।

वार्षिक योजना

छठी पंचवर्षीय योजना अनिवार्यतः पुनःस्थापन योजना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1983-84 में योजना परिव्यय का अधिकांश भाग रेल इंजनों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, रेलपथ, संयंत्र एवं मशीन, सिगनलिंग और दूर-संचार उपस्कर आदि जैसी जीर्णशीर्ण परिसंपत्तियों के बदलाव पर खर्च होगा। इस प्रयोजन के लिए 725 करोड़ रुपये की राशि अलग से रखी गयी है।

नई रेल लाइनें और आमान परिवर्तन

विभिन्न क्षेत्रों से बार-बार नयी लाइनों के निर्माण तथा आमान-परिवर्तन की मांगें प्राप्त होती रही हैं। इस प्रकार की मांगें वास्तव में शुभ लक्षण हैं और वे देश की समग्र आर्थिक प्रगति के परिणामस्वरूप होती हैं। रेल मंत्री के रूप में मैं भी यात्री जनता की मांगों को पूरा करने के लिए रेलों के विस्तार का समर्थन करता हूं। हमारी प्रणाली जनतान्त्रिक प्रणाली है। जब कोई सांसद कोई मांग करता है तो यह माना जाना चाहिए कि यह जनता की ही मांग है। यह बजट उन अनेक माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट न भी कर सकता है जो अपने क्षेत्रों में रेलवे के विस्तार के लिए अपनी मांगें लेकर मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आते रहे हैं। ये मांगें जनता की आकांक्षाओं की द्योतक हैं और उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है।

दुर्भाग्यवश, संसाधनों की तंगी के कारण जनता की सभी आकांक्षाओं को मूर्त रूप दे सकना सम्भव नहीं है। हमें बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी। हम बिना सोचे-समझे नयी

परियोजनाओं को हाथ में लेकर अपने सीमित साधनों को विकीर्ण नहीं कर सकते। इस समय नयी लाइनों के निर्माण की 40 परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिन्हें, वर्तमान कीमतों के अनुसार, पूरा करने के लिए 870 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की आवश्यकता है, जबकि हम नयी रेल लाइन परियोजनाओं के लिए केवल 70 करोड़ रुपये का नियतन कर सके हैं। इसी प्रकार आमान-परिवर्तन की स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। योजनागत आवंटन के भीतर, हम इन परियोजनाओं के लिए केवल 50 करोड़ रुपये का नियतन कर सके हैं।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी संख्या में परियोजनाएं हाथ में हैं जिन पर उपलब्ध संसाधन थोड़ा-थोड़ा करके वितरित किये गये हैं जिससे उनके पूरा होने के समय में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। इसके साथ-साथ मजूरियों और सामग्री की लागतों में वृद्धि हो जाने से परियोजना लागत में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इससे भी परियोजनाओं के साथ न्याय करने की हमारी क्षमता में बाधा पहुंचती है। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हूं कि उपलब्ध धन को अधिकतम लाभ के लिए उपयोग में लाया जाये। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात पर मुझसे सहमत होगा कि नए काम शुरू करने और चालू कामों को लम्बित रखने से किसी उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। अतः मेरा सर्वप्रथम प्रयास यह होगा कि चालू योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर यथाशीघ्र पूरा किया जाये ताकि निवेशों से शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस नीति को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यों के लिए थोड़े से सांकेतिक आबंटन किये गए हैं ताकि इन कार्यों को खाते में बनाए रखा जा सके जबकि अन्य ऐसे कार्यों के लिए, जिन्हें बजट वर्ष के दौरान शीघ्र पूरा करना है, अपेक्षाकृत अधिक राशि रखी गयी है।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1982-83 में अभी तक लगभग 85 कि० मी० लम्बी नयी रेल लाइनों का निर्माण-कार्य पूरा किया जा चुका है और आशा है उन्हें शीघ्र ही यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। इनमें सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई करने के लिए करैला रोड से कृष्णशिला (काकरी) तक नयी लाइन का प्रथम चरण, बसई रोड-दिवा और आप्ता-पेन खंड शामिल हैं। जिवनाथपुर-व्यासनगर बाईपास लाइन के पुनःस्थापन का काम पूरा किया जा चुका है और इसे यातायात के लिए खोल भी दिया गया है।

1983-84 में और 137 कि० मी० लम्बी नयी रेल लाइनों का निर्माण पूरा करके उन्हें यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। इनमें आदिलाबाद स्थित सीमेंट कारखाने की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वाणी से पिम्पलकोटी तक एक नयी लाइन तथा सिंगरैनी कोयला-क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई करने के लिए भद्राचलम रोड से मानगुरु तक रेल सम्पर्क तथा करैला रोड-जयन्त रेल सम्पर्क का दूसरा चरण शामिल होगा।

गुन्तकल्लु से बेंगलूरु तक आमान-परिवर्तन का अधिकांश भाग पहले ही पूरा किया जा चुका है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। इससे बम्बई और बेंगलूर के बीच की दूरी काफी कम हो जायगी और इस क्षेत्र में व्यापार तथा उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

गुजरात में वीरमगाम ओखा/पोरबन्दर आमान-परिवर्तन कार्य के दूसरे चरण को तेजी से पूरा करने के अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में न्यू-बोंगाइगांव से गुवाहाटी तक समानान्तर बड़ी रेल लाइन का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है और इसके 1983-84 में यातायात के लिए खोल दिये जाने की सम्भावना है। राजस्थान क्षेत्र में आमान-परिवर्तन परियोजनाओं को भी, जो परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित हैं, प्राथमिकता दी जा रही है।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान परभनी से आदिलाबाद तक मीटर लाइन के आमान-परिवर्तन तथा आदिलाबाद से पिम्पलकोटी तक नयी बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण को बिना पारी के मंजूरी दी गयी। जोगीघोपा से गुवाहाटी तक एक बड़ी रेल लाइन सहित जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर एक रेल एवं-सड़क पुल के निर्माण की परियोजना को 1983-84 के बजट में शामिल किया गया है।

विद्युतीकरण

छठी योजना के दौरान हमने अभी तक रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। नीति यह है कि सभी महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों के विद्युतीकरण को प्रथम प्राथमिकता दी जाए तथा इन पर यथाशीघ्र बहु-कर्षण प्रणाली को समाप्त किया जाए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि छठी योजना में रखे गये 2800 मार्ग कि० मी० के लक्ष्य की तुलना में योजना-अवधि के अन्त तक लगभग 2500 कि० मी० का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। 1983-84 के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रेलपथ का नवीकरण

रेल-पथ के नवीकरक का काफी बकाया काम जमा हो जाने तथा साधन-सामग्री के, विशेषकर इस्पात उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण रेल-पथ के नवीकरण के लिए बहुत अधिक राशि अपेक्षित है। अतः, रल-पथ के नवीकरण के लिए आबंटन की राशि को, जो 1982-83 में 150 करोड़ रुपये थी, बढ़ाकर 1983-84 में 220 करोड़ रुपये कर दिया गया है परन्तु यह राशि अभी भी आवश्यकताओं से बहुत कम रहेगी। अप्रैल, 1985 तक रेल-पथ के नवीकरण का बकाया काम 18,000 कि० मी० से अधिक हो जायेगा। जैसा कि रेलवे सुधार समिति ने भी सिफारिश की है, 'जब तक युद्ध स्तर की गति से और वर्तमान मूल्यों के आधार पर लगभग 450 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय का प्रावधान करके, अगले दस वर्षों के दौरान यह कार्य नहीं किया जाता तब तक इस बकाया कार्य को निपटाना सम्भव नहीं होगा।

इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं वर्ष के दौरान अधिक परिव्यय की व्यवस्था कराने के लिए योजना-आयोग तथा वित्त मंत्रालय दोनों को राजी कराने के उद्देश्य से अपने प्रयास जारी रखूंगा बशर्ते कि सरकार के संसाधनों की स्थिति ऐसा करने की अनुमति दे।

सर्वेक्षण

पहले से ही नयी रेल लाइनों के निर्माण-के कई कार्य प्रगति पर होने और इन्हें पूरा करने के लिए धन की कमी होने के कारण 1983-84 के दौरान नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण कराने

से सम्बन्धित और कार्य शुरू करना सम्भव नहीं होगा। सदन इस बात से सहमत होगा कि अत्यधिक नए सर्वेक्षणों को शामिल करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इन सर्वेक्षणों से सम्बन्धित पार्थिव सीमाओं के अलावा न्यून संसाधन भी व्यर्थ जायेंगे क्योंकि इन सर्वेक्षणों के अन्तर्गत आने वाली कई परियोजनाओं को निर्माण के लिए हाथ में लेने का औचित्य भी नहीं बनेगा। सीमित संख्या में जिन महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों को कराये जाने का प्रस्ताव है, उनमें पिछड़े क्षेत्र में खोरधा रोड से नयागढ़-फूलबनी-बोलंगीर तक नयी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण, सियालदह/हावड़ा स्टेशनों को राहत देने के लिए मुख्य लाइन की गाड़ियों के लिए उल्टाडांगा में अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण, हुबली और कारवाड़ के बीच एक नयी बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना और कुडूर से चिकमंगलूर तक एक नयी बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण शामिल है।

सुविधा कार्य

मैं स्टेशनों के परिचालन क्षेत्रों में सुधार के लिए स्टेशनों की इमारतों के ढांचे में परिवर्तन, प्लेटफार्मों पर छत डालने, अमानती सामान-घरों, विश्रामकक्षों, आरक्षण एवं पूछताछ कार्यालयों, प्रतीक्षालयों आदि से संबंधित कई कार्यों को तेजी से करवा रहा हूं।

उपनगरीय यातायात

मैं उपनगरीय यात्रियों की, विशेषकर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास क्षेत्रों में, कठिनाईयों से पूरी तरह अवगत हूं। इस वर्ष बम्बई क्षेत्र में 75 बिजली गाड़ी यूनिटों के स्थान पर नयी यूनिटों की व्यवस्था की जायेगी। कलकत्ता उपनगरीय खंड में 1982-83 के दौरान इस प्रकार की 34 यूनिटों का बदलाव किया जायेगा तथा 83 यूनिटें बढ़ायी जायेंगी। 1983-84 में कलकत्ता क्षेत्र के लिए 21 अतिरिक्त यूनिटों तथा बम्बई क्षेत्र के लिए 81 अतिरिक्त यूनिटों की व्यवस्था की जाएगी।

महानगर परिवहन परियोजना

कलकत्ता मैट्रो रेलवे के निर्माण-कार्य को और तेज कर दिया गया है और 1984 के दौरान एसप्लेनेड से भवानीपुर तक के खंड को खोलने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। परिणामस्वरुप, बजट वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए परिव्यय की राशि 1982-83 के 40 करोड़ रुपये से बढ़कर 62 करोड़ रुपये की जा रही है।

1983-84 में बम्बई और मद्रास उपनगरीय क्षेत्रों में 175.81 करोड़ रुपये की समग्र लागत पर निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम शुरु करने का भी विनिश्चय किया गया है:—

—46.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बांद्रा और अंधेरी के बीच लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी।

—75.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मानखुर्द और बेलापुर के बीच एक नयी रेल लाइन।

—53.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मद्रास बीच और लुज के बीच एक द्रुत पारवाहन प्रणाली।

आत्म-निर्भरता

हमारी बुनियादी नीति यह है कि रेलों के लिए अपेक्षित चल स्टाक और उपस्कर के निर्माण के लिए देश में ही अधिकतम क्षमता जुटायी जाए। मौजूदा तीन उत्पादन कारखाने बिजली तथा डीजल रेल इंजनों की संपूर्ण मांग तथा सवारी डिब्बों की अधिकांश नियमित मांग को पूरा करने में समर्थ है। पहियों व धुरों और डीजल रेल इंजन के पुर्जों के संबंध में रेलों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए दो संयंत्रों की, बेंगलूर में धुरा एवं पहिया संयंत्र तथा पटियाला में डीजल रेल इंजन पुर्जा कारखाना, की स्थापना की जा रही है। बेंगलूरु स्थित संयंत्र 1983-84 में चालू हो जाएगा और हम प्रतिवर्ष लगभग 37.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे जिसे हम आजकल पहियों और धुरों के आयात पर खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार पटियाला स्थित कारखाने में काम प्रारम्भ हो जाने पर हम डीजल रेल इंजनों के लिए अच्छी किस्म के पुर्जों की आपूर्ति के विश्वासनीय एवं अच्छे स्रोत की व्यवस्था कर सकेंगे जिससे हमें हर वर्ष 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

विश्व बैंक ऋण

नए डिजाइन के अधिक क्षमता वाले माल-डिब्बे के निर्माण तथा पटियाला में डीजल रेल इंजनों के पुर्जे बनाने के कारखाने की स्थापना द्वारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु तथा अन्य आयातों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने विश्व बैंक से 400 मिलियन डालर की सहायता प्राप्त की है। सहायता की इस राशि का आधा भाग अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आई० डी० ए०) से है और बाकी आधा भाग अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) से है। इस उधार/ऋण के एक भाग का उपयोग सीमित संख्या में, 20 से अधिक नहीं, विश्व में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त अधिक अश्व-शक्ति वाले प्रोटोटाइप बिजली रेल इंजनों की खरीद के लिए करने का प्रस्ताव है। इससे, व्यापक विद्युतीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में भारतीय रेलों को अपने बिजली रेल इंजन बेड़े को आधुनिक बनाने में सहायता मिलेगी। सेवा परीक्षण के पश्चात् सबसे उपयुक्त किस्म का चयन किया जाएगा और विदेशी निर्माताओं के आवश्यक सहयोग से देश में ही रेलवे की अपनी उत्पादन यूनिट में इस प्रकार के रेल इंजनों का निर्माण किया जाएगा।

अन्य विदेशी सहायता

बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में परिचालित बिजली गाड़ी यूनिटों के लिए कर्षण उपस्कर, पहिया सेटों, माल डिब्बों के निर्माण के लिए बेयरिंगों और पुर्जों की खरीद तथा श्याम बाजार और एसप्लेनड के बीच के खण्ड के निर्माण के लिए कलकत्ता मेट्रो रेलवे की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेलों ने जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है।

रेलवे क्षेत्र के लिए ब्रिटेन से 30 मिलियन पौंड का एक अनुदान भी प्राप्त किया गया है।

निर्यात को बढ़ावा

वियतनाम को 15 डीजल इंजनों, बंगला देश रेलवे को 9 सवारी डिब्बों: मोजम्बिक को 15 सामान यानों तथा फिलिपीन को सवारी डिब्बों के फालतू पुर्जों की आपूर्ति के लिए निर्यात आदेश प्राप्त किए गए हैं। इस क्षेत्र में इस मंत्रालय के दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, अर्थात् इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) और रेल इंडिया टेकनिकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज (राइट्स), एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इकरान द्वारा 1982-83 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का कारोबार किया जायेगा तथा इसे 6 करोड़ रुपये का सकल लाभ होगा। 1983-84 के दौरान कम्पनी का कारोबार बढ़कर 130 करोड़ हो जाने तथा लगभग 11 करोड़ रुपये का सकल लाभ होने की प्रत्याशा है। इराक में 270 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजना पर कम्पनी के निर्माण-कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है। इस कम्पनी ने उस देश को सिगनल एवं दूरसंचार तथा क्रंकीट स्लीपरों की आपूर्ति करने के लिए 26 करोड़ रुपये के दो और ठेके प्राप्त कर लिए हैं। इसके अलावा इसे अल्जीरिया में 35 करोड़ रुपये की लागत पर एक रेलवे लाइन के निर्माण का ठेका भी मिला है। कुछ दिन पहले, इस कम्पनी को सऊदी अरब में लगभग 20 करोड़ रुपये का एक गौरवपूर्ण ठेका भी दिया गया है जो डीजल रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए एक मुख्य रेल कारखाने के निर्माण के वास्ते है।

राइट्स ने भी वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया है। इसने भी अपने कारोबार को 1981-82 के 14.7 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1982-83 में 18.5 करोड़ रुपये का कर लिया है। कम्पनी के नाम इराक, जोर्डन, फिलिपीन, घाना, मोजम्बिक, जाम्बिया, जिम्बावे, तंजानिया और एलजीरिया में चल रहे हैं। हाल ही में इसे श्री लंका में सिलोन गवर्नमेंट रेलवेज के कारखाना एवं चल-स्टाक प्रबन्ध में सुधार करने के लिए प्रबन्धकीय सहायता ठेका मिला है। कम्पनी उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है और इसने एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श संगठन का रूप धारण कर लिया है।

कर्मचारी सम्बन्ध तथा कल्याण

रेलों पर 1982-83 का वर्ष औद्योगिक शान्ति का वर्ष रहा है। स्थायी वार्तातन्त्र के माध्यम से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का सार्थक ढंग से निपटारा किया गया है। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रकार की वार्ताओं के परिणामस्वरूप सरकार ने शिल्पी कर्मचारियों का ग्रेड ऊंचा करने की बात स्वीकार की। लगभग 50,000 अर्धकुशल कर्मचारियों का पुनवर्गीकरण करके उन्हें कुशल कर्मचारी तथा लगभग 80,000 अकुशल कर्मचारियों का पुनवर्गीकरण करके उन्हें अर्धकुशल कर्मचारी बना दिया गया है। इन पुनवर्गीकरणों के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों की वार्षिक परिलब्धियों में लगभग 3.80 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। रेलों पर औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए मैं सभी रेल कर्मचारियों का आभारी हूं।

यद्यपि शिक्षा राज्य का विषय है, तथापि रेलें, कर्मचारी कल्याण से सम्बन्धित एक कदम

के रूप में, ऐसे स्थानों पर रेल कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है जहां ऐसी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इस समय रेलें 4 कालेज, 78 हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूल, 31 मिडिल स्कूल और 641 प्राइमरी स्कूल चला रही हैं। रेल कर्मचारियों के आश्रितों को चिकित्सा और इंजीनियरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जा रही 1150 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावासों की भी व्यवस्था की जा रही है।

रेलों ने रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए पर्वतीय स्थलों, समुद्र तट के निकट तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 28 अवकाशगृहों की व्यवस्था की गई है। अब इस वर्ष से ये सुविधाएं सेवा-निवृत्त अराजपत्रित कर्मचारियों को भी दी जानी शुरू कर दी गई हैं।

चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी हित निधि में प्रशासन का अंशदान प्रति व्यक्ति 9 रुपये से बढ़ाकर 10.25 रुपये कर दिया गया है।

रेलें अपने लगभग 6 लाख कर्मचारियों को कर्मचारी क्वार्टर मुहैया करेंगी। 7,000 से अधिक कर्मचारी क्वार्टरों के 1982-83 के दौरान बन कर तैयार हो जाने की आशा है और 1983-84 के दौरान लगभग 8,000 अतिरिक्त क्वार्टरों के बनाये जाने का प्रस्ताव है। 1982-83 के दौरान 10 करोड़ रुपये की राशि इस मद पर खर्च की जा रही है तथा 1983-84 में इस पर 14 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की देख-भाल करने के लिए देश भर में रेलवे अस्पतालों/औषधालयों का एक सर्वोत्तम जालतन्त्र मौजूद है। अस्पताल आधुनिक उपकरणों और दवाइयों से सुसज्जित हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता के लिए 70.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जबकि 1982-83 में इसके लिए 66.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

1983-84 में कर्मचारी क्वार्टर सहित कर्मचारी कल्याण और सुख-सुविधाओं पर कुल 167.77 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जबकि 1982-83 में 148.79 करोड़ रुपये खर्च किए गये थे।

खेलकूद

पुरुष और महिला रेल कर्मचारियों ने 1982 के एशियाई खेलों में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। इनमें भाग लेने वाले रेलवे के 80 पुरुष और महिला खिलाड़ियों में से 29 ने पदक जीते। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगियों में उन्होंने अपने उत्कृष्ट करतब का परिचय दिया। उनके कौशल में और सुधार लाने के लिए उत्कृष्ट महिला और पुरुष खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उनके करतब को मान्यता देते हुए राष्ट्रपति जी ने हमारी दो उत्कृट महिला खिलाड़ियों को, जिन्होंने नवें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे, पद्मश्री से सम्मानित किया।

अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन

अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन ने रेल इंजनों, माल डिब्बों तथा अन्य उपस्कर

के सुधरे अभिकल्प तैयार करने के काम में अपनी प्रगति जारी रखी। कोयला, खाद्यान्न, अल्यूमिना पेट्रोलियम-उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के थोक परिवहन के लिए विशेष प्रकार के माल डिब्बे का विकास किया जा रहा है। इससे रेलें माल डिब्बों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि किए बिना अधिक माल ढो सकेंगी। एक ऐसे माल डिब्बे का भी विकास किया जा रहा है जिसे भारतीय रेलों पर अणु अवशेष के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। मीटर आमान प्रणाली के लिए पहले दर्जे की 18/20 शायिकाओं वाले डिब्बे के स्थान पर 31 शायिकाओं वाले एक 2 टियर वातानुकूल शयनयान का एक नया अभिकल्प तैयार किया गया है। नयी दिल्ली-हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस में एक नव-विकसित बिजली रेल इंजन का उपयोग किया जा रहा है जो 18 सवारी डिब्बों के बढ़े हुए भार को खींचता है। भारतीय रेलों की शाखा लाइनों पर छोटी-सवारी/माल गाड़ियों के परिचालन के लिए एक अन्य किस्म के रेल इंजन का विकास किया गया है।

वृक्षारोपण

नये 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करते हुए रेलों ने अधिक वृक्ष लगाने के राष्ट्रीय प्रयास में पर्याप्त योगदान दिया है। आगामी 15 वर्षों की संदर्शी योजना के अनुसार 10 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है। 1982 के दौरान रेलवे भूमि पर 52 लाख वृक्ष लगाए गये जब कि लक्ष्य केवल 39 लाख वृक्ष लगाने का था। 1983 के दौरान कार्यक्रम में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि प्रत्येक रेल परिवार से "आपका अपना एक वृक्ष हो" नारे के अन्तर्गत वृक्ष लगाने और उसकी हिफाजत करने के लिए कहा जाना चाहिए। 1983-84 के दौरान एक करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने तथा बाद में देख-माल करने के लिए बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी है।

भूमि प्रबन्ध

रेलवे भूमि के अधिक कुशल प्रबन्ध और उसके यथोचित विकास के लिए रेल मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

ऊर्जा के गैर-पारस्परिक स्रोत

आदरणीय प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्टेशनों पर और रेलवे कालोनियों में बायोगैस प्लांटों के विकास तथा गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग तथा ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत के आयोग के सहयोग से रेल तन्त्र-जाल पर ऊर्जा के वैकल्पिक गैर-पारस्परिक स्रोतों का दोहन करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया गया है। कुछ योजनाओं में विभिन्न रेल-स्थापनाओं को गर्म पानी उपलब्ध कराने, छोटे स्टेशनों पर पम्प द्वारा पानी पहुंचाने के लिए पवन चक्कियों का प्रयोग करने, तथा समपारों, मैंग हटों और सूक्ष्म तरंग रिपीटर स्टेशनों पर प्रकाश के लिए फोटो वेल्टैइक प्रणालियों का उपयोग करने के लिए सौर-ताप ऊर्जा का इस्तेमाल करना शामिल है।

रेलवे सुधार समिति

जैसा कि सदन को विदित है, रेल संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के

लिए जून, 1981 में एक उच्चाधिकार रेलवे सुधार समिति की स्थापना की गयी है। अब तक इस समिति ने परिसम्पत्तियों के नवीकरण और बदलाव के लिए अपेक्षित संसाधनों, परिवहन, रेलपथ, पुलों और भूमि, रेलवे आरक्षित निधियों, चल-स्टाक और यात्री किराए/माल भाड़े के स्वरूप आदि जैसे विषयों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट के छः भाग प्रस्तुत कर दिए हैं। इन विभिन्न रिपोर्टों की रेल मंत्रालय में सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। माननीय सदस्यों के लाभ के लिए, इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उसमें की गयी सुविचारित तथा महत्वपूर्ण सिफारिशों के के लिए मैं इस समिति का बहुत आभारी हूं। बहरहाल, उनके द्वारा सुझाये गये कई सुधारों पर भारी राशि खर्च करने की आवश्कता होगी। इसलिए हम रेलों पर निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित विशेष उपायों के सम्बन्ध में उनकी महत्वपूर्ण सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेलवे भाड़ा-दर जांच समिति के अनुसार दिमागी कसरत का वृहद् आकार लिए हुए हैं।

इस समय मैं सदन के समक्ष सिफारिशों का उल्लेख नहीं करूंगा। सिफारिशों के क्षेत्र में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय पहलुओं पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय लिए जाने से पूर्व अन्तर्मन्त्रालय परामर्श आवश्यक है। उनमें से कुछ को रेल अभिसमय समिति के विचारार्थ भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समिति की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई पर कड़ी नजर रखी जायेगी और जो कार्रवाई होगी उसकी सूचना सदन को दी जाती रहेगी।

1983-84 के लिए बजट अनुमान

अब मैं 1983-84 के बजट अनुमानों के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। बजट वर्ष में यह आशा की जाती है कि रेलें चालू वर्ष के दौरान 2270 लाख टन के सम्भावित प्रारम्भिक राजस्व अर्जक यातायात की अपेक्षा 140 लाख टन अधिक यातायात की ढुलाई कर सकेंगी। यह इस विश्वास पर आधारित है कि चालू वर्ष में अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में जिस स्तर तक सुधार हुआ है उसकी अपेक्षा उनके कार्य-निष्पादन में अत्यधिक सुधार होगा और रेलों को उपलब्ध होने वाले यातायात में कमी आने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए रेलों को पूरी तरह चुस्त बनाया जाएगा।

यह समझा जाता है कि उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्री यातायात में क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

इन पूर्वानुमानों के आधार पर वर्तमान किराए और माल भाड़े की दरों पर यातायात से होने वाली सकल प्राप्तियां 4656.78 करोड़ रुपये या चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 281 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। रेलों पर सोद्देश्यपूर्ण ढंग से अपनाए गए किफायत के उपायों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संचालन व्यय 3488.27 करोड़ रुपये रखा गया

है। जो 1982-83 के संशोधित अनुमानों से 301 करोड़ रुपये अधिक है। संचालन व्यय में यह वृद्धि रेल इंजनों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और रेलपथ की बढ़ी हुई मरम्मत और उनके अनुरक्षण की व्यवस्था करने, प्रत्याशित बढ़े हुए यातायात के स्तर के कर्षण के लिए ईंधन पर आने वाले अधिक खर्च, कर्मचारियों की लागत या अन्य साधन सामग्रियों की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण है।

1983-84 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान चालू वर्ष के लिए व्यवस्थित 556 करोड़ रुपये तथा 1981-82 में व्यवस्थित 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 650 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। अंशदान में यह भारीवृद्धि संसाधनों की उपलब्धता और रेल परिसम्पत्तियों के पुनःस्थापन की अनिवार्य आवश्यकता के अनुरूप रेलवे सुधार समिति और रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर की गयी हैं।

नवीकरण और बदलाव के जो बकाया काम इकट्ठे हो गए हैं उनको देखते हुए यह राशि भी पर्याप्त नहीं होगी परन्तु दुर्भाग्यवश संसाधनों की कठिनाई एक वास्तविक रुकावट है।

रेल अभिसमय समिति

पेंशन निधि में अंशदान को भी 1982-83 के 150 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर 1983-84 में 185 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। इस निधि से 1983-84 में 170 करोड़ रुपये की राशि की निकासी का अनुमान है।

सदन को याद होगा कि रेल अभिसमय समिति, 1980 द्वारा 5.11.1982 को संसद में प्रस्तुत की गई अपनी 7वीं रिपोर्ट में इस समिति ने चालू वर्ष तथा बजट वर्ष के दौरान रेलवे राजस्व से किए जाने वाले अंशदान तथा 31-3-1980 के बाद रेलों में निवेश की गयी पूंजी पर रेलों की ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत, पूर्व-व्याप्ति सहित करने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। बजट में की गयी व्यवस्थाएं इन सिफारिशों पर आधारित हैं, जिन पर सदन मेरे द्वारा उनके समर्थन में प्रस्तुत किए जा रहे संकल्प के साथ विचार करेगा। बहरहाल, इस अवसर पर मैं रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने कठिन परिश्रम करके हमें सही समय पर अपनी अमूल्य सिफारिशें दी हैं।

साधारण संचालन व्यय और मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि में विनियोग की राशि में वृद्धि हो जाने से कुल संचालन व्यय बढ़कर 4474.48 करोड़ रुपये हो जायेगा, जिससे 182.30 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व बचेगा, जो 465.47 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है।

किराए और भाड़े की संरचना में परिवर्तन

हमें 283.17 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करना है और विकास निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों के लिए भी व्यवस्था (35 करोड़ रुपये) करनी है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्ध के एक उपाय के रूप में सामान्य राजस्व के प्रति कर्जदारी को कम से कम,

आंशिक रूप से समाप्त करना भी आवश्यक है जो चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में 572.4 करोड़ रुपये होगी। इस बजट के जरिए, सामान्य राजस्व को 170.73 करोड़ रुपये वापस कर देने का प्रस्ताव है जिसमें विकास निधि में बकाया ऋण पर ब्याज के रूप में 13.59 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर रेलों को किराए और भाड़े की दरों में समायोजनों के जरिए 488.90 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्कता है।

रेल सेवाओं में सुधार करने की अनिवार्य आवश्यकता परिसम्पत्तियों के पुनःस्थापन के भारी बकाया कामों को जल्दी पूरा करने की तात्कालिकता, कुछ चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए सोद्देश्यपूर्ण ढंग से उन्हें आगे बढ़ाने की घोर आवश्यकता और रेलों की अर्थ-सक्षमता को बरकरार रखने की मेरी चिन्ता ने ये कठोर निर्णय लेने को मुझे बाध्य किया है।

विगत में समय-समय पर हम किरायों और भाड़ों में तदर्थ वृद्धि करते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप किराए और भाड़े की संरचनाओं में विकृतियां दृष्टिगोचर होती रही हैं। इन विकृतियों और असन्तुलनों को दूर करने के लिए, रेल-दर-जांच-समिति, राष्ट्रीय परिवहन-नीति समिति और रेलवे सुधार समिति की सिफारिशों को कुछ आशोधनों के साथ ध्यान में रखते हुए, मेरा विवेकपूर्ण किराए और भाड़े की संरचनाएं लागू करने का प्रस्ताव है। ये दरें 1 अप्रैल, 1983 से लागू होंगी।

अब मैं किराए और भाड़े की प्रस्तावित संरचनाओं की प्रमुख विशिष्टिताओं का उल्लेख करूंगा।

यात्री किराए

यात्री किरायों का मूल स्केल वह होगा जो दूसरे दर्जे (साधारण) के टिकट पर लागू होगा और अन्य सभी दर्जों के लिए किराए की संरचना उपयुक्त उच्चतर प्रतिशतों पर निश्चित की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि दूसरे दर्जे (साधारण) के किराए का सूचकांक 100 माना जाए तो अन्य दर्जों के लिए किराए, कुछ दूरी क्षेत्रों में मामूली समायोजनों के साथ, इस प्रकार होंगे —दूसरा दर्जा (मेल और एक्सप्रेस) 140, वातानुकूल कुर्सीयान 300, पहला दर्जा 550 और वातानुकूल दर्जा 1100।

अधिक दूरी कम वृद्धि का सिद्धान्त, जिससे दूरी बढ़ने के साथ-साथ किराए में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, को बनाये रखा जाएगा।

दूसरे दर्जे (साधारण) के टिकटों के लिए मूल किराए इस प्रकार होंगे :—

दूरी (कि० मी० में)	पैसे (प्रति कि० मी०)	कमी
कि०मी०	50 (निश्चित प्रभार)	—
+ 1—150	6 पैसे	100%
+151—400	5 पैसे	80%
+401—750	4 पैसे	65%
+751—1200	3.5 पैसे	55%
+1200 कि०मी० से अधिक	3 पैसे	50%

दूसरे दर्जे (साधारण) की यात्रा के लिए, कुछ प्रतिनिधि दूरियों के वास्ते वर्तमान किराए और प्रस्तावित किराए इस प्रकार होंगे :—

दूरी	वर्तमान किराया	प्रस्तविक किराया
	रु० पै०	रु० पै०
5 कि० मी०	0.70	0.80
15 कि० मी०	1.00	1.40
150 कि० मी०	8.40	9.50
400 कि० मी०	19.50	22.00
1200 कि० मी०	47.00	52.00

अन्य दर्जों के लिए किराये पूर्व-उल्लिखित सूचकांकों के अनुसार दूसरे दर्जे के किराए के गुणांकों में होंगे ।

औसत दूरियों, अर्थात् यात्रियों द्वारा तय की गई औसत दूरियों, के आधार पर विभिन्न दर्जों के वर्तमान किरायों में प्रति किलोमीटर वृद्धि इस प्रकार होगी—दूसरा दर्जा (साधारण) 0.70 (अर्थात् एक से कम) पैसे, दूसरा दर्जा (मेल और एक्सप्रेस) 1.17 पैसे और पहला दर्जा 2.41 पैसे ।

दूसरे दर्जे (साधारण) के टिकटों के लिए न्यूनतम किराया 80 पैसे और दूसरे दर्जे (मेल/एक्सप्रेस) के लिए 2 रुपये होगा ।

सभी प्रभारों जैसे वातानुकूल 2-टियर शयनयान पर अधिप्रभार, शयनयान अधिप्रभार, सुपर-फास्ट गाड़ियों पर अधिप्रभार, आरक्षण प्रभार और प्लेटफार्म टिकटों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा । पूर्णांकन के नियम भी अपरिवर्तित रहेंगे ।

वर्तमान किरायों की तुलना में विभिन्न दर्जों में यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जोड़ी स्टेशनों के बीच और प्रतिनिधि दूरियों के लिए प्रस्तावित किराए 'माल भाड़े की दरों और यात्री किरायों में समायोजन के प्रस्तावों का व्याख्यात्मक ज्ञापन' के अनुबन्ध I से III में दिखाए गए हैं, जो बजट प्रलेखों का भाग है ।

मासिक सीजन टिकट

पिछली बार मासिक सीजन टिकट के किरायों में संशोधन 1980 में किया गया था । तब से इकहरी यात्रा टिकट के किरायों में संशोधन किए जाते रहे हैं, लेकिन मासिक सीजन टिकट के किराए अपरिवर्तित रहे हैं । इससे विसंगति पैदा हो गयी है, क्योंकि इन किरायों में बहुत ही कम इकहरी यात्रा के किरायों की लागत निकल पाती है जबकि मासिक सीजन टिकटधारी महीने में 50 या इससे अधिक यात्राएं कर सकते हैं । रेलों को अनुमानतः 1981-82 में इन सेवाओं पर 44.89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । सभी उच्चाधिकार समितियों ने, जिन्होंने इस विषय

पर विचार किया है, इस श्रेणी के यात्रियों को दी गई भारी आर्थिक सहायता पर प्रतिकूल टीका-टिप्पणी की है और उन सभी का यह सुझाव है कि ये दरें उत्तरोत्तर बढ़ायी जायें। इस बात पर भी बल दिया गया है कि सीजन टिकट के किराए इकहरी यात्रा के किरायों की किसी उपयुक्त संख्या पर आधारित होने चाहिए।

पहले कदम के रूप में, यह प्रस्ताव है कि इकहरी यात्रा के वर्तमान किरायों के आधार पर, अर्थात् इकहरी यात्राओं की एक निश्चित संख्या की लागत के सन्दर्भ में, 1-4-1983 से लागू की जाने वाली प्रस्तावित यात्री किराए की संशोधित संरचना के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना, मासिक सीजन टिकट के वर्तमान किरायों को संशोधित किया जाए। प्रस्तावित संशोधित मासिक सीजन टिकट के किरायों में इकहरी यात्राओं की समतुल्य संख्या 12 और 24 के बीच बनती है। कुछ प्रतिनिधि दूरियों के लिए दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के वर्तमान और प्रस्तावित किराए इस प्रकार है :

दूरी	वर्तमान	प्रस्तावित
	रु० पैसा	रु० पैसा
5 कि० मी० तक	6.50	15.00
25 कि० मी० के लिए	18.00	28.00
50 कि० मी० के लिए	28.00	42.00
80 कि० मी० के लिए	36.50	59.00

पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किराए दूसरे दर्जे में तदनुरूपी दूरियों के लिए निर्धारित किरायों का चौगुना होंगे।

कदाचारों के परिहार और मासिक सीजन टिकटधारियों द्वारा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा, जिसके कारण लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होती है, की रोकथाम के लिए मासिक सीजन टिकट जारी करने के लिए दूरी-सीमा को 80 कि० मी० तक सीमित करने का प्रस्ताव है। लेकिन यह दूरी-सीमा उन उपनगरीय खण्डों पर लागू नहीं होगी जिन्हें इस रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, मासिक सीजन टिकटों की सुविधा को महानगरों तक आने-जाने तथा लखनऊ-कानपुर, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-आगरा, मद्रास-बेंगलूरु, बम्बई-पुणे जैसे उपनगरीय-समान खण्डों एवं इसी प्रकार के अन्य खण्डों, जिन्हें रेलों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, तक सीमित करने का प्रस्ताव है। इन मामलों में भी सीजन टिकट केवल 80 कि० मी० तक की दूरी के लिए उपलब्ध होंगे।

उपनगरीय खण्डों पर इकहरी यात्रा के लिए न्यूनतम किराया एक रुपया निश्चित करने का भी प्रस्ताव है।

प्रतिनिधि दूरियों के लिए वर्तमान किराए की तुलना में मासिक सीजन टिकट के

प्रस्तावित संशोधित किराए, माल भाड़े की दरों और यात्री किरायों के समायोजन के प्रस्तावों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध IV में दिखाए गए हैं, जो बजट प्रलेखों का भाग है।

राजधानी एक्सप्रेस के किराये

प्रस्तावित किराया संरचना के आधार पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में भी संशोधन किया जाएगा, जिसका ब्यौरा ऊपर उल्लिखित ज्ञापन के अनुबन्ध III में दिखाया गया है, जो बजट प्रलेखों के साथ सुलभ है।

भाड़ा दरें

जैसा कि यात्री किरायों के मामले में किया गया है, रेल-दर-जांच समिति, राष्ट्रीय-परिवहन नीति-समिति और रेलवे सुधार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त आशोधनों के साथ, एक संशोधित यौक्तिक भाड़ा संरचना को 1-4-1983 से लागू करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित भाड़ा संरचना की प्रमुख विशिष्टताएं नीचे दी गई हैं:

—पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए प्रतिशतों के आधार पर सभी पूरक प्रभारों को संशोधित भाड़ा संरचना में मिला दिया जाएगा।

—अधिक दूरी कम वृद्धि के सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न दूरियों के लिए एक मूल श्रेणी 100 भाड़ा दर स्केल निर्धारित किया गया है।

—अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए दरों का निर्धारण मूल श्रेणी 100 से ऊपर या नीचे प्रतिशत के आधार पर किया गया है। विभिन्न श्रेणियां 65 से 300 तक अलग-अलग हैं।

मूल श्रेणी 100 माल डिब्बा भार दर, कमी की मात्रा के साथ, नीचे दिखाई गई है:

दूरी चरण (कि० मी० में)	पैसे (प्रति क्विटल प्रति कि० मी०)	कमी
0 कि० मी०	75 (सभी श्रेणियों के लिए निश्चित प्रभार)	
+ 1—100	2.35	100%
+ 101—250	1.65	70%
+ 251—500	1.53	65%
+ 501—1000	1.41	60%
+ 1001—1500	1.18	50%
+ 1501—2000	0.94	40%
+ 2001—2500	0.82	35%
+ 2501 और इससे अधिक	0.71	30%

जब गन्तव्य स्थल या बुकिंग स्थल आमान-भिन्नता यानांतरण स्थल से 200 कि० मी० से कम दूरी पर हो, तो 15 रुपये प्रति टन का एक अतिरिक्त यानांतरण प्रभार लगेगा।

मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित स्टेशनों तक आने-जाने वाले यातायात के भाड़े में 6 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

मूल स्केल के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए वर्तमान दरों की अपेक्षा प्रस्तावित भाड़ा संरचना में जितनी वृद्धि की गयी है वह 100 किलोमीटर पर 46 पैसे से 2500 किलोमीटर पर 3 रु० 10 पैसे तक के बीच है।

जितनी दूरियों में वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, उन दूरियों के औसत के आधार पर नमक, खाद्यान्न, खली, जिप्सम, तिलहन, कागज, रासायनिक खाद, सीमेंट, चीनी और खाद्य तेलों के सम्बन्ध में प्रति टन किलोमीटर वृद्धियां 1.3 पैसे और 2.3 पैसे के बीच हैं। अन्य वस्तुओं, जैसे धुलाई कारखाने के लिए कोयला, गन्ना, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, मेंगनीज अयस्क, इस्पात कारखानों के लिए कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में, जिनकी औसत गमन-दूरियां 750 कि० मी० से कम होती हैं, प्रति टन कि० मी० वृद्धियां 4.4 पैसे और 8 पैसे के बीच हैं।

औसत गमन-दूरियां के लिए प्रमुख वस्तुओं की प्रतिनिधि दूरियों की वर्तमान दरें और प्रस्तावित दरें पूर्व-उल्लिखित ज्ञापन के अनुबन्ध V और IV में दिखाई गई हैं।

वित्तीय परिणाम

प्रस्तावित संशोधनों से वार्षिक राजस्व में यात्री यातायात से 178.90 करोड़ रुपये और माल यातायात से 310 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 488.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होने की प्रत्याशा है जो यातायात से प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को पूरा करने, सामान्य राजस्व को पूर्ण लाभांश की अदायगी करने, विकास निधि खर्च को पूरा करने तथा सामान्य राजस्व के प्रति कर्जदारी के आंशिक परिसमापन के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त होगी। सदन इस बात से सहमत होगा कि, जैसा कि बताया जा चुका है, मैंने केवल बजट को संतुलित करने की ही कोशिश की है।

निष्कर्ष

माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनीं। आपके अमूल्य सहयोग, सभी स्तरों पर रेल कर्मचारियों के निष्ठापूर्ण प्रयास और रेल उपयोगकर्ताओं की सहायता से हम अपने देश के इस सबसे बड़े परिवहन-उपक्रम की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने में समर्थ हो सकेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि रेल परिचालनों के सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जायेंगे।

———

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजकर 40 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 40 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 40 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम के बारे में—जारी

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आज के अजेंडा में था कि रेलवे मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया जाएगा और बहुत ही चालाकी पूर्ण ढंग से पेपर्स लेड में गाडगिल जी का आयटम घुसेड़ दिया गया है जो पोस्टल रेट्स बढ़ाने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में 21 तारीख को नोटीफिकेशन हुआ है जबकि हाउस सेशन में था। चेयर की हमेशा से रूलिंग रही है कि जब हाउस सेशन में हो तो बाहर दाम नहीं बढ़ाए जा सकते। यह अजनतांत्रिक कदम है और पार्लियामेंट की प्रतिष्ठा गिराई गई है। इस पर मैं चेयर की रूलिंग चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यह किया जा चुका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष ने··· ····

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभा का सत्र चल रहा है।

श्री रामविलास पासवान : 21 तारीख को इसको अधिसूचित किया गया। महोदय, आप पीठासीन हैं। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा पटल पर रखे गए पत्रों के बारे में बोल रहे हैं ?

श्री रामविलास पासवान : प्रश्न सभा पटल पर रखे गए पत्रों का नहीं है।

21 फरवरी को नोटिफिकेशन किया गया है और हाउस 18 तारीख से सेशन में था। जब हाउस सेशन में था तो एग्जीक्यूटिव द्वारा 21 तारीख को कैसे ये दाम बढ़ाए गए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या क्या है ?

श्री रामविलास पासवान : मद संख्या 4 श्री वी० एन० गाडगिल भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे, जो 21

फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 93 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

जब 21 तारीख को आप बढ़ा सकते हैं—

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने वह मुद्दा उठा दिया है। लेकिन आप सभा-पटल पर रखे जा रहे पत्रों पर आपत्ति नहीं उठा सकते और इसलिए मेरा यह विनिर्णय है कि आप का व्यवस्था का प्रश्न संगत नहीं है।

(व्यवधान)

आप सभा-पटल पर रखे जा रहे पत्रों पर आपत्ति नहीं उठा सकते। आप इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। आप आपत्ति नहीं उठा सकते आप किस नियम के अन्तर्गत उस पर आपत्ति उठा रहे हैं ?

श्री रामविलास पासवान : नियम 176 के अन्तर्गत। इस तरह से मेम्बर पार्लियामेंट को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम 176 के अन्तर्गत उस पर आपत्ति की है। यह ठीक है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यह अनौचित्य का मामला है (व्यवधान) महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार अध्यक्ष महोदय ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल पर पत्र रखे जाने का मामला है।

श्री रामविलास पासवान : यह केवल सभा-पटल पर रखे जा रहे पत्रों का मामला नहीं है। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने मामला उठाया है। मैं समझ गया हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : संसद् की मर्यादा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हरिकेश की बात पर भी ध्यान दिया जाएगा।

श्री चित्त बसु : प्रश्न वह नहीं है···(व्यवधान) : लेकिन प्रश्न यह है कि पहले अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जब संसद् का सत्र चल रहा हो या होने वाला हो, तब प्रशुल्क की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। महोदय, इस विशेष अधिसूचना के द्वारा डाक-प्रशुल्कों में वृद्धि की गई है। यह फोर···है···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मेरे पास उसकी प्रति है। यह उसकी प्रति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप कृपया बैठ जाइए। आपने मुद्दा उठा दिया है। मंत्री महोदय यहां नहीं हैं और इसलिए, जब वह प्रश्न आएगा, तब आप उसे उठा सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : जी नहीं, आप मंत्री महोदय को निर्देश दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के बाद, मंत्री महोदय आयेंगे।

श्री रामविलास पासवान : जी नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका समाधान बताता हूं अब कार्यसूची के अनुसार ध्यानाकर्षण का मद है। उसके बाद वह आयेंगें।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय के निर्देश किस तरह···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे आकर आपको उत्तर दें। और इस बीच हम कार्य-सूची के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधनचक्रवर्ती : आप कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय को आने दीजिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : यह गलत प्रथा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बुलाया गया है अब हम कार्यसूची में अगली मद पर आ रहे है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मुझे एक और बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसका निर्णय कर दिया है। आप एक मुद्दा और क्यों उठायेंगें ?

श्री सूरज भान : महोदय; मैं आपसे सहमत हूं। आप पहले संचार विभाग में थे। आप···के संरक्षक हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वहां नहीं हूं।

श्री सूरज भान : कृपया देखिए कि विभाग कोई अनुचित कार्य न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण लिया जाएगा। श्री हरिकेश बहादुर। प्रतिदिन ध्यानाकर्षण में उनका ही नाम आ रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता चीनी मिलों द्वारा गन्ने की देर से पिराई और गन्ना उत्पादकों को समय पर गन्ने का मूल्य न दिया जाना

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें :—

> "गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता, चीनी मिलों द्वारा गन्ने की देर से पिराई और गन्ना उत्पादकों को समय पर गन्ने का मूल्य न दिए जाने के फलस्वरूप उन्हें देय भारी बकाया राशि जमा हो जाने तथा उनके लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाने और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" की ओर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आरम्भ में मैं माननीय सदस्यों का इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा करने, गन्ने का उत्पादन स्थिर स्तर तक बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता से पूरी तरह सजग है और उसने गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता को सदैव स्वीकार किया है।

केन्द्रीय सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों, चीनी के उत्पादन को स्थिर स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता और असंख्य उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य केवल एक न्यूनतम मूल्य होता है। केन्द्रीय सरकार यह नहीं चाहती है कि गन्ना उत्पादकों को सप्लाई किए गए गन्ने का खासकर गन्ने के भरपूर उत्पादन के वर्ष में इससे कम मूल्य मिले। तथापि, गन्ना उत्पादकों को सामान्यतया वास्तव में जो मूल्य दिया जाता है वह प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक होता है। चालू वर्ष में भी गन्ना उत्पादकों को गन्ने के घोषित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो कि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13 रुपये प्रति क्विटल है, की अपेक्षा ऊंचा मूल्य मिल रहा है।

केन्द्रीय सरकार ने 82-83 चीनी मौसम के लिए 15 नवम्बर, 1982 को नियत दिन घोषित किया है और कुल मिलाकर फैक्ट्रियों ने समय पर पिराई कार्य शुरू किया है। इसमें कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है जिससे केन्द्रीय/राज्य सरकारें उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करें।

जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में गन्ने की पिराई का कार्य पूरे जोरों पर होने से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का बढ़ना लाजमी है लेकिन गन्ना पिराई मौसम बीतने पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि तेजी से खत्म हो रही है। गन्ने के मूल्य की देय राशि का भुगतान कराने और अन्य सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। ऐसी अदायगियां कराने के लिए उनके पास आवश्यक संगठन और अधिकार हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान कराने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है। क्योंकि 1981-82 के रिकार्ड उत्पादन वर्ष के बाद दूसरा भरपूर उत्पादन का वर्ष आया है, इसलिए मिलों को बहुत अधिक मात्रा में गन्ने की पिराई करनी पड़ेगी और कुछ हद तक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बढ़ भी सकती है। तथापि, राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए कहने के अलावा, केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त बैंक उधार की व्यवस्था कर, खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार में मूल्यों पर निगरानी रखकर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पग उठा रही है कि मिलों की तरलता बनी रहे ताकि वे गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कर सकें।

श्री हरिकेश बहादुर : *मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी बहुत जल्दी ही इस विभाग में आए हैं, इसलिए मैं उनको बहुत कष्ट तो नहीं देना चाहूंगा…*

श्री भागवत झा आजाद : मैं बहुत कृतज्ञ हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन किसानों के सामने जो कष्ट है उसका विवरण जरूर उनके सामने रखना चाहता हूं। गन्ने की खेती करने वाले किसान इस समय तबाही की स्थिति में हैं। आम तौर पर तो सभी किसान वह चाहे कुछ भी उत्पादित करते हों तबाह हो रहे हैं क्योंकि कभी ओला पड़ता है तो कभी सूखा, कभी बाढ़ जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, लेकिन जहां तक गन्ने का सवाल है गन्ने के किसान को एक तो लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, दूसरे जो मूल्य मिलना चाहिए वह समय से नहीं मिल पाता है, और पिछले वर्ष का बकाया भी तमाम किसानों का अभी काफी बाकी है। मेरा तो ज्यादा अनुमान था, लेकिन मंत्री जी बताएंगे कि कितना बकाया है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष का 60 करोड़ रु० बकाया है, लेकिन मंत्री जी स्पष्ट करेंगे पिछले वर्ष का कितना बकाया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बकाया पर सूद नहीं दिया जाता जब कि यह नियम है कि बकाया जो भी हो अगर 14 दिन से अधिक हो जाता है तो उस पर सूद दिया जाना चाहिए। साथ ही किसान जो अपना गुड़ बनाता है उसकी भी कीमत गिर गई है। और गन्ने की कीमत सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है वह इतनी है कि जो सूखी लकड़ी जलायी जाती है उससे भी कई गुना कम है। सूखी लकड़ी जलाने के लिए 40, 50 रुपये प्रति क्विंटल के दर से मिलती है और भारत सरकार गन्ने का मूल्य 17 रुपये 40 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित करती है। (माननीय सदस्य भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां कि किसानों की दुर्दशा हो रही है और आप प्रसन्न हो रहे हैं)।

मेरा कहना यह है कि अगर वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो गन्ना किसानों को कम-से-कम 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य दिया जाना चाहिए। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश

की स्थिति यह हो रही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने गन्ने का दाम 17 रुपये 40 पैसे प्रति क्विटल निश्चित किया है और प्रदेश सरकार ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 रुपये 50 पैसे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 रुपये 50 पैसे गन्ने का मूल्य प्रति क्विटल दिया जाएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट सैक्टर की मिलों ने या शुगर कारपोरेशन की मिलों ने भी कहा कि हम तो अब 17 रुपये 40 पैसे से ज्यादा दाम नहीं देंगे और वह राज्य सरकार पर दबाव डालने लगे। यहां तक हुआ कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों ने तो किसानों को 14 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से मूल्य दिया। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के मूल्य में इतना बड़ा जो अन्तर हो गया, इससे ऐसा लगा कि केन्द्रीय सरकार अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार में विश्वास नहीं रखती, नहीं तो इस प्रकार का मूल्यों में अन्तर होने की कोई सम्भावना ही नहीं थी। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने बहुत कम मूल्य निर्धारित किया जो कि 17 रुपये 40 पैसे था जब कि राज्य सरकार ने 20 रुपये 50 पैसे व 21 रुपये 50 पैसे रखा। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अपनी ही राज्य सरकार पर अविश्वास प्रकट किया।

भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट अखबारों में पब्लिश हुई है। उस कमेटी का नाम है नरसिंहमन कमेटी। उस कमेटी ने कहा है कि गन्ने का मूल्य कम किया जाना चाहिए। इसके लिए उसने तर्क भी दिया है। उनका कहना यह है कि अगर गन्ने का उत्पादन कम नहीं किया जाता है, किसान जो गन्ना उत्पन्न करते हैं, उनको अगर डिस्करेज नहीं किया जाता है तो गेहूं, धान, तिलहन और दालों का उत्पादन कम हो जाएगा। किसान पैसे के लिए अधिक गन्ना बोने लगेंगे जिससे इन चीजों का उत्पादन कम हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि यह तमाम चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी।

यह सुझाव देते समय उन्होंने अपने तर्क तो कुछ ऐसे दिए हैं, जिस पर सोचा-समझा जा सकता है, लेकिन इस बात पर कतई ध्यान देने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि किसान आज महंगे रेट पर खाद्य वगैरह लेकर गन्ना पैदा करता है। जितने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सरकार ने उनकी कीमतों में 3 साल में 5 बार वृद्धि की है। डीजल के दाम अभी बढ़ा दिए गए हैं, इन्सैक्टीसाइड और पैस्टीसाइड्स की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं। बिजली जो सिंचाई के काम में आती है, पानी जो नहरों से लिया जाता है उनकी कीमतें बढ़ा दी गई है। कृषि के औजारों की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन कमेटी ने यह नहीं सोचा कि अगर हम इन चीजों की कीमतों को कम नहीं करते या गेहूं, धान, तिलहन और दालों की फसलों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाते तो कैसे गन्ने का मूल्य कम देने से किसान को लाभ पहुंचा सकते हैं।

अगर किसान को लाभ पहुंचाना है, साथ में उत्पादन बढ़ाना है तो कीमतों को ठीक करना होगा। पहली चीज यह होगी कि गेहूं, धान, दाल, तिलहन की फसलों की कीमतें बढ़ानी होंगी, उनका समर्थन मूल्य बढ़ाना होगा ताकि किसान अपने को उत्साहित महसूस करे और इन चीजों का उत्पादन करे। अगर वह अपने को उत्साहित महसूस नहीं करता है तो इन चीजों का अधिक उत्पादन नहीं करेगा। अगर गन्ने का भी उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वह तबाह हो जाएगा, जो कि स्थिति आज हमारे देश में पहले से ही है।

इस कमेटी ने यह कहा था कि हमें तमाम खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा जिससे कि

हमारे पूरे देश के किसान और देश का चीनी उद्योग तबाह हो जाएगा। इसके लिए किसानों को इन्सैंटिव देने की जरूरत है। दूसरी फसलों के बारे में भी उनको सुझाव देने चाहिए थे जो कि उन्होंने नहीं दिए।

पिछले वर्ष 84 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष भी 84 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। देश में एवरेज कंजंप्शन 60 लाख टन के लगभग है। ऐसी हालत में अगर सरकार को बुवाई कम करवानी थी या गन्ने का ठीक मूल्य नहीं देना था तो किसानों को एक साल पहले ही बता देना चाहिए था कि अगले साल अधिक गन्ना मत बोइये। अगर आप अधिक गन्ना बोयेंगे तो हम आपके उत्पादन की कीमत नहीं दे सकेंगे। मगर सरकार ने यह भी नहीं किया। आज जब किसान ने अपना गन्ना बो दिया है, तो इस समय यह कहने का सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम उसकी उचित कीमत नहीं देंगे।

साथ ही जो चीनी मिलें हैं उन्होंने देर से पिराई शुरू की है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी मिलें हैं और माननीय मंत्री जी के बिहार में भी ऐसी बहुत सी मिलें हैं जिन्होंने देर से पिराई शुरू की है, जिसके कारण आज भी किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है और इस बात की आशंका है कि कहीं इस साल भी गन्ना खेतों में जलाना न पड़े। मैं मंत्री जी से विशेष रुप से अनुरोध करूंगा—वे इस समस्या को देखें और ऐसी व्यवस्था करें जिस से देर तक चीनी मिलों को चलाया जा सके, ताकि गन्ने को खेतों में न जलाना पड़े।

चीनी मिलों का आधुनिकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। आज चीनी मिलों का माडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इस लिए उन की पिराई की क्षमता अधिक नहीं है। चीनी मिलों में आज जितने गन्ने की पिराई होनी चाहिए, उतनी पिराई वे नहीं कर पा रहें हैं, जिसके कारण किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है।

किसानों के बकाए की तरफ मैं विशेष रुप से आपका ध्यान खीचना चाहता हूं। इस साल यदि गन्ने के बकाये का भुगतान ठीक ढंग से नही हुआ तो यह बकाया 300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है मैंने अभी हाल में एक अखबार में देखा—अगर यह बकाया इसी रफतार से बढ़ता रहा तो इस वर्ष के उत्पादन के काम की समाप्ति तक यह बकाया 500 करोड़ रुपये हो जाएगा। लेकिन मेरा अनुमान है—500 करोड़ तो नहीं, लेकिन 300 करोड़ तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि 160 करोड़ या शायद 175 करोड़ रूपया तो इसी समय बकाया है।

किसानों को जिस समय बकाये का भुगतान किया जाता है तो उसके साथ उन को सूद नहीं दिया जाता है, जिस के लिए गवर्नमैंन्ट का आर्डर पहले से ही है। शुगर-केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 में कहा गया है -

> "जब कोई चीनी उत्पादक अथवा उसका एजेंट खरीदे गए गन्ने का भुगतान सुपर्दगी की तारीख के 14 दिन के भीतर नहीं कर पाए तो उसे 14 दिन के बाद उस देरी के लिए बकाया देय राशी पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।"

इस आर्डर में क्लियरली लिखा है, लेकिन कोई भी मिल-मालिक इस आदेश का पालन

नहीं करता है तथा किसानों का जो बकाया रहता है उस पर सूद नहीं दिया जाता है। इस लिए में माननीय मंत्री जी से विशेष रुप से अपील करूंगा तथा यह मेरा प्रश्न भी है—क्या वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब भी किसानों का बकाया वापस किया जाए, उन को सूद के साथ वापस किया जाय। आज तक जो प्रेक्टिस रही है उस में उन का बकाया सूद के साथ नहीं दिया जाता है। यह चीज खत्म होनी चाहिए, इसमें किसानों का बहुत नुकसान होता है।

मजदूरों का जो वेतन है वह भी कई महीनों तक बकाया रह जाता है। मिलें उनका वेतन समय से नहीं देती तथा यह भी उसी प्रकार बकाया रहता है जिस प्रकार किसानों का बकाया समय से नहीं मिलता है। इस लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों का वेतन हर महीने समय से मिला करे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मंत्री जी से मेरी मांग है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि मजदूरों का वेतन अगर बकाया रह जाता है तो उन्हें भी सूद के साथ वेतन दिया जाय, जिस प्रकार किसानों को उनका बकाया सूद के साथ दिये जाने का नियम है।

अब मैं अन्तिम सुझाव रखना चाहता हूँ - हर साल किसानों के गन्ने के खेतों का सर्वेक्षण नहीं होता है। मान लिजिए एक वर्ष किसी किसान ने 10 एकड़ में गन्ना बोया और दूसरे साल केवल दो एकड़ में ही बोया, तो दूसरे साल भी उस को 10 एकड़ की पर्ची मिल जाएगी। इसी तरह से अगर किसी किसान ने पहले साल 2 एकड़ में बोया है और दूसरे साल 10 एकड़ में बोया है तो दूसरे साल उस किसान को 10 एकड़ के बजाय 2 एकड़ की पर्ची मिलेगी। इस तरह से जो किसान 2 एकड़ के बजाय 10 एकड़ की पर्ची पा जाता है वह उस को ज्यादा पैदा करने वाले को ब्लैक में बेच देता है। इस लिए मेरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष किसानों के खेतों का सर्वेक्षण किया जाय, किसने कितना बोया है उसी के अनुसार उसको पर्ची दी जाय। क्या मंत्री जी इस के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देंगे ?

अन्तिम सुझाव -शुगर केन रिसर्च इंस्टीचूट जगह-जगह खोले जाने चाहिए ताकि अगर कम क्षेत्र में गन्ना बोया जाय तो भी उस से अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, क्योंकि उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो हमें अधिक खेती गन्ना बोने में फसानी पड़ेगी। जिस का दूसरे खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अच्छी किस्म का गन्ना बोया जाए, उसका उत्पादन अधिक हो। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जगह-जगह पर शुगर केन रिसर्च इन्स्टीचूट खोलने चाहिए और अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन करना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इनका पहला प्रश्न है मिलों की तरफ किसानों का कितना पैसा बकाया है ? 1981-82 में 38 करोड़ 55 लाख 67 हजार रूपये बकाया थे। अभी 15 जनवरी, 1983 तक 429 करोड़ 38 लाख 42 हजार रुपये की राशि देय थी। जिसमें उन्होने 15 तारीख तक 276 करोड 52 लाख 53 हजार रुपये दे दिया है और जो बाकी है, वह है 152 करोड़ 85 लाख 89 हजार रुपये। जो कि टोटल का 35.6 प्रतिशत है। इस का एक कारण यह भी है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में सबसे अधिक गन्ने की क्रशिंग होती है और गन्ने का प्रैशर भी काफी होता है। इसलिए सब मिलें चाहती हैं कि अधिक से अधिक गन्ने की पिराई की जाए और किसानों की तरफ से गन्ना आ भी रहा है। इसलिए इस वक्त बकाया राशि

काफी हो जाती है, लेकिन ज्यों-ज्यों सीजन समाप्त होने को आता है, त्यों-त्यों बकाया राशि कम होती जाती है। यह बात पिछले वर्ष के आकड़ों से भी प्रमाणित होती है।

आपने एक बात यह भी कही कि गन्ने का मूल्य कम निश्चित हुआ है। यह बात सही नहीं है, इस वक्त इसका उल्टा है। कमीशन के अनुसार जो सरकार ने मूल्य निश्चित किया, उसके बाद राज्य सरकार ने निश्चित किया, उसी के अनुसार हो किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है। कठिनाई यह है कि यह बात जब आप केन-गोअर्स के समर्थन में कहते हैं, तो मैं भी उनका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात आपको भी निश्चित रुप से विचार करनी होगी कि जब केन की प्राइस निश्चित की जाए जो सारे चीनी उद्योगों की इकानामिक वायाबिलिटि का प्रश्न भी आता है, लेकिन इस से अधिक हिन्दुस्तान के हजारों, लाखों और करोड़ों उपभोक्ताओं को चीनी उचित मूल्य पर मिलनी चाहिए। इसलिए कीमत को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रसिद्ध और प्रमुख फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही मुल्य निश्चित किया जाता है। अगर गन्ने की कीमत कम मिलती है तो आपको मालूम है कि 1978-79 में गन्ना जला दिया गया और चीनी बाजार में नहीं रही।

एक माननीय सदस्य : उस समय चीनी सस्ती थी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कह रहे हैं, चीनी सस्ती थी।

श्री हरिकेश बहादुर : उस वक्त चीनी 2.25 रु० किलो थी।

श्री भागवत झा आजाद : आपको मुबारक हो कि उस वक्त चीनी, 1978-79 में सस्ती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादूर का संबंध कभी भी जनता पार्टी से नहीं रहा।

श्री भागवत झा आजाद : नहीं। जो भी हो, यदि उनका संबंध अन्य दलों से भी है।

श्री भागवत झा आजाद : किसी भी पार्टी में हो, बहुत रिजनेबल आदमी हैं।

इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हमने कम कीमत की तो गन्ना जल जाएगा और अगर हमने बहुत अधिक कीमत की, जो हमारा मिनिमम प्राईस है और 8.5 पर रिकवरी लिंक है, तो इतना अधिक एरियर्स हो जाएगा कि अगर मिल की वायबिलिटी को चैलेंज किया जाय तो वे पे नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमको बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। केन ग्रोअर्स, मिल्स और उपभोक्ता तीनों में तारतम्य स्थापित करना पड़ता है। यदि तारतम्य में कहीं कोई फैक्टर इधर-उधर हो जाता है, तो मुसीबत हो जाती है। इसकी बहुत डिटेल प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत कीमत ठीक होती है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जो आपने कीमत की बात कही है, वह ठीक है। उदाहरण के लिए आपने कहा कि उत्तरप्रदेश में, ईस्ट यू० पी० में आपने बताया कि कीमत में फर्क है। हमने तो ईस्ट यू० पी० में 16 रु० 10 पैसे प्रति क्विंटल तय किया, उसके ऊपर राज्य सरकार 20 रु० 50 पैसे देती है। सैन्ट्रल यू० पी० में 17 रु० 60 पैसे, वेस्ट यू० पी० में 18 रु० 85 पैसे है। यू० पी० स्टेट के केस

में 21 रु० 50 पैसे है । प्रश्न यह है कि जो कीमत हम दे रहे हैं, मिल वालों को, वह हमारी एडवांस्ड प्राईस है । वह रेशनल्ली बेस्ट है । इसलिए है कि जब सीजन समाप्त हो जाएगा, उस समय में अधिक रिकवरी होने के बाद भार्गव फार्मूले के अन्तर्गत में 50-50% की बात है । इससे उत्तर प्रदेश और बिहार ने एक कीमत निश्चित कर दी, वह उनकी फाइनल कीमत है । जो कीमतें उन्होंने सुनिचित की हैं और अधिक भी हैं उसी का यह परिणाम हुआ है कि आज बहुत अधिक एरियर्स जमा हो रहे हैं ।

मैंने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि जिस तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु केन्द्रीय सरकार एडवांस्ड प्राईस देती है और उसको रिकवरी से लिंक्ड करती है, कृपया उत्तरप्रदेश और बिहार वाले बंधु उसी आधार पर चले तो किसानों को कठीनाई नहीं होगी और एरियर्स भी नहीं रहेगें । सब बातें अच्छी होंगी । मैं इस डिबेड के बाद भी उत्तरप्रदेश और बिहार से जहां बहुत अधिक उपज है और जहां एरियर्स भी सब से अधिके बाकी हैं, कहूंगा कि वे थोड़ा सा गुजरात की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु और केन्द्रीय सरकार की साइंटिफिक प्रणाली की व्यवस्था करे, इससे कल्याण की भी व्यवस्था होगी और एरियर्स भी नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप एक काम करेंगे कि लोंग टर्म प्लानिंग का हिसाब करें कि किस तरह की कितनी खेती हो । यह नहीं रहने से किसान आगे नहीं करेंगे । यह आपके एग्रीकल्चरल विभाग को करना पड़ेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : आपका सुझाव हमारे लिए मान्य है । इसके सम्बन्ध में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ? हम अधिक तो कुछ नहीं कर सकते हैं ।

लोंग टर्म पालिसी भी निर्धारित होती है, उसके बारे में मैंने बताया कि हम तीन प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हैं । एक केन ग्रोअर्स के इन्ट्रेस्ट को, दूसरे वाएबिलटी आफ द मिल्स । केन्द्रीय सरकार ने जो मिलें ली हैं आठ हैं । पाँच उत्तर प्रदेश में हैं और तीन और राज्यों में हैं । ये सारी सिक मिल, आऊट डेटिड मिल थीं । इनकी इकोनोमिक वाएबिलटी क्रश हो चुकी थी । हम उन मिलों को ऊपर लाये और कोशिश कर रहे है कि केन ग्रोअर्स को इनसे नुकसान न हो । इन मिलों के बन्द होने से किसानों को नुकसान हो रहा था । उनको अब हम चलाए जा रहे हैं । जो प्राइस हम दे रहे हैं वे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडू की नाई दे रहे हैं जो सीजन के समाप्त होने के बाद भार्गव फार्मूले के अन्तर्गत लाएगा । लेकिन जो राज्य सरकारें कीमतें दे रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम मिनियम स्टेच्युटरी प्राइस फिक्स करते है और उसको 8.5 परसेन्ट से लिंक करते हैं । अगर 8.5 परसेंट से 0.1 परसेंट बढ़ गया तो उसका किसान को कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कठिनाई हम समझते हैं। लेकिन उसके अन्तर्गत जैगरीज वाला, जो क्रशर्स के पास जाता है, उसको तो पूरा पैसा नहीं मिलता है । जिस हिसाब से आप मिल से दिलवा सकते हैं, उतना पैसा उससे नहीं मिलता । दोनों का सम्बन्ध बना कर चलें ।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, उनके सम्बन्ध में हम कीमत निर्धारित नहीं करते हैं । राज्य सरकारों को यह अधिकार है, अगर वे चाहें तो वे मिनियम प्राइस उन्हें दे सकती

हैं। यह राज्य सरकार को अधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। राज्य सरकार अगर यह सोचे कि कीमत कम मिल रही है, उससे कठिनाई होगी तो वे करें।

यह बात सही है कि मिलों के पास लगभग 33 परसेन्ट गन्ना जाता है। बाकी 10-12 परसेन्ट अगर सीड के लिए रखा जाता है तो शेष उनके पास में जाता है। यह एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो राज्य सरकारों के अन्तर्गत में है।

आपने उत्पादन के सम्बन्ध में कहा। पिछले वर्ष उत्पादन 84 लाख टन चीनी का था। इस साल हम उम्मीद करते हैं 75 और 80 लाख के बीच में होगा।

दूसरा आपने देर से शुरू करने का प्रश्न किया। पिछले साल इतना अधिक गन्ना हुआ हमको मिलों को काफी देर तक चलाने के लिए कहना पड़ा जिससे कि सारा गन्ना आ जाए। इस वजह से जुलाई और मध्य अगस्त तक मिलों को चलना पड़ा। उसके बाद फिर शुरू करने के लिए उसको कम से कम दो-तीन महीने का समय तो ठीक करने के लिए चाहिए। इसलिए इस बार मिलों को शुरू करने की तारीख 15 नवम्बर रखी गई और कुछ मिलों में केवल 2 या 3 सप्ताह का विलम्ब हुआ है। उससे कोई अधिक कठिनाई पैदा नहीं होती है। हम इस साल भी कोशिश करेंगे कि वह पूरा गन्ना समाप्त होने तक चलें। इसके लिए अगर उनको देर तक चलाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस पर भी हम विचार करेंगे :

श्री हरिकेश बहादुर : बकाया के बारे में ?

श्री भागवत झा आजाद : बकाया के बारे में मैंने बताया है कि इसके तीन फैक्टर्स हैं। बकाया देना दिलाना क्योंकि राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है इसलिए समय-समय पर हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। हम तो मानेटरिंग करते हैं और बराबर निवेदन करते हैं। जब कीमतें तय होती हैं उस वक्त भी हम निवेदन करते हैं कि बकाया का ख्याल रखिए। अब भी हम लोकसभा की भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे कि कृपा करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें और बकाया दूर करने की कोशिश करें। इस बारे में जितने जोश के साथ आपने यहां कहा है उतने ही जोश के साथ हम भी लिखेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : सूद के साथ ?

श्री भागवत झा आजाद : इसके बारे में मैंने देखा है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यह बात सही है कि 14 दिन में देय है। इसके लिए भी हम राज्य सरकारों को लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इस समय मूल की है सूद की बात तो बाद में आएगी। इसके लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं।

इसके अलावा मजदूरों के वेतन के बारे में कहा गया। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे कि मजदूरों का बकाया अदा किया जाए।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर में घुघली मिल है वहां हमेशा मजदूरों का बकाया रहता है....

श्री भागवत झा आजाद : मैंने आपके सब प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरी कांस्टीट्वेंसी में घुघली मिल में हमेशा 6-7 और 8 महीने का मजदूरों का बकाया रहता है। हड़ताल भी होती है।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपकी कठिनाई को समझते हुए इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा है इससे गरीब आदमियों का भला होगा।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य जिस तरह से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं इतने जोर से अगर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव डालें तो उससे अधिक लाभ होगा, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। वैसे मैं इनकी तरफ से वकालत करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : हम जिसको कहें उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह भी समान रूप से उत्तरदायी है।

श्री भागवत झा आजाद : आपने जो संरक्षण की बात कही है, इसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को लिखेंगे।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, गाडगिल जी आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है बैठे हैं आप उनके दर्शन कीजिए। जब तक आप तेल मालिश करके तैयार हो जाइए। यह बात ज्यादा जरूरी है। यह रोटी का मसला है।

श्री हरिकेश बहादुर : उसको आप कम कर सकते हैं, वह आपके हाथ में है।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय वास्तव में आपके प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्वीकार किया। आज के प्रस्ताव में जहां तक गन्ना किसानों की समस्याओं का सम्बन्ध है, इसमें मुख्य रूप से तीन बातें आती है।

एक तो यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता है। उन्हें वह मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चीनी मिलें जो पिराई करती हैं, वह बहुत देर से आरम्भ करती हैं। तीसरी समस्या यह है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान न करना। उसमें एरियर बहुत ज्यादा पड़ा रहता है, दो-दो साल तक पड़ा रहता है। इसमें जहां तक पहली समस्या का प्रश्न है, मैं समझता हूं देश की आर्थिक व्यवस्था के समन्वित विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कृषि का विकास हो और यह तभी सम्भव होगा जब किसानों को उनकी मेहनत की अच्छी कीमत मिलेगी। हम देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन करीब-करीब स्थिर सा हो गया है और घट भी रहा है। इसमें अनेक कारणों के साथ यह भी एक प्रमुख कारण है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज इन्डस्ट्रीयल रिसेशन और इका-

नामी में रिसेशन की बात होती है। हम तो कहते है कि जब तक किसानों की और देश के 70 फीसदी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : लेवी की कीमत बढ़ाओ तब वहीं जाकर किसानों को पैसे दे सकते हैं।

श्री बी० डी० सिंह : किसानों की क्रय शक्ति में अगर वृद्धि नहीं होगी तो यह स्थिति पैदा हो सकती है। किसान उत्पादन के लिए जो चीजें खरीदता है। हम देख रहे हैं कि उनकी कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में 1980 में बिजली 12 रुपए पर हार्स पावर थी, उसके बाद नयी सरकार आई उसने 15 रुपये और साढ़े बाईस रुपये कर दी। इसी प्रकार खाद और डीजल के दाम भी बढ़े हैं। किसानों के उत्पादन में जो चीजें शामिल होती हैं उनकी कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन, किसान जो चीजें उत्पन्न कर रहा है उसकी कीमतें तय करने में सरकार उसके साथ न्याय नही कर रही है।

अभी माननीय मंत्री जी ने गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन आप लाभकारी मूल्य देते नहीं। अक्सर, एक बात का कंफ्यूजन हो जाता है और कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह जी भी कभी-कमी कर देते हैं। एक तो लाभकारी मूल्य और दूसरा समर्थन मूल्य। दोनों को आप स्पष्ट करेंगे कि आप लाभकारी मूल्य दे रहे हैं या समर्थन मूल्य दे रहे हैं और दानों में क्या अन्तर है। मैं समझता हूं कि न्यूनतम मूल्य की बात आप करते हैं और समर्थन मूल्य के बारे में आप सोचते हैं लेकिन लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष जी, प्रति वर्ष उत्पादन व्यय बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हरियाणा की सरकार ने किसानों को गन्ने की कीमत 22 रुपये दी और इस साल घटाकर 20 रुपये कर दी। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने 23 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दी है। उत्पादन व्यय हर साल बराबर बढ़ता जा रहा है लेकिन गन्ने का दाम बढ़ाने की बजाय आप घटाते चले जा रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : शक्कर की कीमत गिर रही है।

श्री बी० डी० सिंह : अभी 4 फरवरी के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में निकला है :—

> "सरकार ने पूरे भारत के निर्धारित स्तरों पर गन्ने के मूल्य कम करने का निर्णय लिया है।"

शायद यह केन्द्रीय सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि उसमें यह समाचार है कि कृषि मंत्री जी, अभी प्रयास कर रहे थे राज्य सरकारों को ऐप्रोच करके कि गन्ने की कीमतें कम करें और अब यह जिम्मेदारी प्रधान मंत्री ने ले ली है। प्रधान मंत्री मुख्य मंत्रियों को परसुएड करेंगी कि गन्ने की कीमतें राज्य सरकारें कम करें। ऐसा होने जा रहा है। इसको स्पष्ट करें कि क्या सरकार का कोई प्रयास है कि गन्ने की कीमतें और कम की जाएं।

दूसरी चीज, गन्ने की पेराई देर से शुरू होना। मैं आंकड़े देख रहा था महाराष्ट्र में गन्ने की मिलें अक्तूबर में शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहा नवम्बर या दिसम्बर में गन्ना मिलें शुरू होती है। मेरा निवेदन है कि हर तरह से प्रयास होना चाहिए कि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में क्रशिंग जरूर शुरू हो जाय क्योंकि उससे कुछ गन्ना, जैसे रेटून क्रोप्स है, उनको पहले लिया जा सकता है। इससे यह होगा कि खेत जब खाली हो जाएगा तो किसान दूसरी फसल ले सकेगा। और जो मिलें जान-बूझ कर पेराई शुरू नहीं करती है यह उनका एक क्रिमिनल ऐक्ट है जिससे खेत खाली नहीं होता है और उससे उत्पादन में बाधा पड़ती है। इसलिए अक्तूबर के पहले सप्ताह से क्रशिंग जरूर शुरू हो जानी चाहिए। सम्भवत: होता यह है कि लेट शुरू होने से एक रश हो जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि गन्ने की कीमत गिरती है और फिर किसान मजबूर होकर दूसरी जगह कम दाम पर अपना गन्ना बेचता है।

आजकल केन ग्लिट की बात चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 5,10 साल के लिए देश में कोई क्रोप पालिसी बनाने की बात सोचेगी। क्योंकि जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है वह ज्यादा हो रही हैं और जिनकी जरूरत है वह नहीं हो रही हैं तो क्या कृषि अनुसंधान परिषद् एक क्रोप पालिसी तैयार करने की कोई योजना बनाना चाहती है जिससे यह समस्या उत्पन्न न हो?

तीसरी समस्या एरियर्स की है, वह बहुत बाकी हो जाते हैं। आपने कुछ फिगर्स दीं, हमको जो जवाब दिया गया उसमें भी कहा गया है। कि 31 अगस्त, 1982 तक जहां उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ 50 लाख के लगभग एरियर्स 1981-82 के थे। यह हर साल बढ़ रहे हैं। यहां तक कि 1980-81 के 2 करोड़ 60 लाख एरियर्स थे, बिहार में 1981-82 के 13 करोड़ 80 लाख, महाराष्ट्र में 5 करोड़ के करीब एरियर्स हैं। इस प्रकार बराबर एरियर्स चले आ रहे हैं। पिछली 21 फरवरी को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ 73 लाख से अधिक का एरियर बकाया है और इसमें से जो सरकार की या कोआपरेटिव मिल्स हैं उन पर 14 करोड़ 57 लाख रु० एरियर्स का बकाया है।

अध्यक्ष महोदय इस बात का तो जवाब हो गया, कोई नया पोइंट बनाइये।

श्री बी० डी० सिंह : जहां किसान को पैसा लेना होता है बैंक से या कोआपरेटिव से तो उसे इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन किसान को उसके बकाया पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसा हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया जब एक्ट, 1966 के अनुच्छेद 3क के अन्दर यह व्यवस्था है कि उनको ब्याज दिया जाना चाहिए तो सरकार जोर क्यों नहीं देती कि उनको ब्याज का भुगतान किया जाए? उनके साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों होता है?

अध्यक्ष महोदय : कोई नया प्वाइन्ट बनाइए, यह तो हो गया।

श्री बी० डी० सिंह : इसको मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि इस पर मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें।

अक्सर यह बात आ रही है कि शुगर का ग्लट है यानी इसको मार्केट नहीं मिल रहा है, इसका ज्यादा उत्पादन हो गया है। इस पर भी कई कार्नर्स से इस प्रकार के सुझाव आ रहे

हैं कि शुगर को डी-कन्ट्रोल किया जाये क्योंकि मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस शाप के दामों में डिफरेंस नेरों हो गया है, बहुत कम हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में भी सरकार के विचाराधीन कोई बात है या नहीं?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, 3 प्रमुख प्रश्न चीनी उद्योग के सम्बन्ध में हैं जिनका विस्तार से मैंने जवाब दिया है। उन्हीं तीनों प्रश्नों को प्रोफेसर साहब ने भी उठाया है और हर बार इसमें कोई न कोई नया इम्फैसिस, नया जोर दिया जाता रहा है जो कि लाजमी भी है।

लाभकारी मूल्य के सम्बन्ध में, देर से पराई और देर से भुगतान के सम्बन्ध में बात कही गई है। मैंने उत्तर दिया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल रहा है, समर्थन मूल्य नहीं। आपने ठीक कहा कि समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समर्थन मूल्य में भी जब मूल्य-निर्धारण होता है तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इन तमाम प्रश्नों को देखता है और हम जो स्टैचटरी मिनिमम प्राइस समर्थन मूल्य रखते हैं, उसमें भी एक एलीमेंट रहता है जिसमें लाभ का अर्थ रहता है। जो स्टैचटरी, जो मिनिमम प्राइस कमीशन कहता है, उसके अन्दर भी एक एलीमेंट आफ प्राफिट है, यह नहीं कि समर्थन प्राइस वह प्राइस है जो किसान को हानि पहुंचाती है। क्योंकि यह प्राइस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की सिफारिश पर तय किया जाता है इसलिए हम यह कहेंगे कि किसान को आज देश में गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल रहा है, बल्कि कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की सिफारिशों के बावजूद भी कीमतें ज्यादा स्तर पर निर्धारित की गई हैं, जहां की गई हैं वहां पर अधिक भुगतान भी देर से हो रहा है।

यह देखना पड़ेगा कि जिन राज्यों ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के बावजूद भी अपने यहां प्राइस अधिक रखी है, उन राज्यों में आज एरियर अधिक हैं तुलना में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, वगैरह के। इसलिए उनको अभी यह मूल्य मिल रहा है। इनपुट्स की कीमतें चढ़ रही हैं। इन पर नजर प्राइस कमीशन कीमतें तय करते वक्त रखता है यह सब एलीमेंटस ले लिया जाता है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। स्वीकार भी करते हैं और देते भी हैं।

प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इसका सीधा सम्बन्ध एग्रीकल्चर और खाद्य मंत्री से है और खाद्य विभाग से है। आपने देश में क्राप पालिसी की बात कही। उसके सम्बन्ध में भी आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन डिटेल में देखता है, समय-समय पर भाव निर्धारण करता है, उस पर कैबिनेट विचार करती है और उस पर विचार होता है।

आपने क्रापिंग पैटर्न की बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम चीजों पर तो कृषि मंत्री बतायेंगे, मैं तो केन की बात कहूंगा कि केन का एरिया कम नहीं हुआ है। यह ऊपर ही जा रहा है। 1981-82, 1982-83 में करीब-करीब वही रहा है—केन का एरिया। जहां तक देर का प्रश्न है—मैंने उसका उत्तर दे दिया है। आप ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि वहां पर अर्लियर है। ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र का नार्मल पीरियड गन्ने की पिराई शुरू करने का

1 नवम्बर से 7 नवम्बर है। 1982-83 में तो उन्होंने 22 अक्तूबर से ही शुरू कर दिया था……

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महाराष्ट्र में 18 महीने का गन्ना होता है, जो आपके यहां नहीं होता है।

श्री रामविलास पासवान : हमारे यहां भी करा दीजिए।

श्री भागवत झा आजाद : यह सप्लीमेंट्री हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से है, मेम्बर-मेम्बर के बीच में है श्री रामगोपाल रेड्डी इस सम्बन्ध में विशेष जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका सम्बन्ध केन-ग्रोअर्स से भी है और मिल वालों से भी है। ये मिलों के विषय में ज्यादा जानते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : शुगर की कीमतों के बारे में भी विशेष जानते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक देर का प्रश्न है, पिछले साल उत्तर प्रदेश में विशेष कर इतना अधिक गन्ना पैदा हुआ कि हम को पिराई देर तक करनी पड़ी। उनको कहना पड़ा कि आप और देर तक काम करें, जूलाई तथा मिड-अगस्त तक इसको ले गए। उसके बाद आफ-सीजन रिपेयर के लिए उनको समय चाहिए था, इसलिए इस सीजन में कहीं पर दो सप्ताह और कहीं पर तीन सप्ताह देर से पिराई शुरू हुई हैं, लेकिन इससे कोई हानि नहीं पहुँची है। जैसे पिछले वर्ष देर तक पिराई किया था तथा हरिकेश बहादुर जी ने भी अभी कहा है कि इस बार भी हम ख्याल रखें, गन्ना खेत में ही लगा न रह जाय, उसकी पिराई हो, तो देर तक भी यह काम चलता रहेगा।

जहां तक शुगर-डीकन्ट्रोल की बात है, मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया, आप किस पक्ष में यह बात कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने समूचे-हिन्दुस्तान के लिए यह निर्णय किया है कि लेवी शुगर की जो रिटेल प्राइस है उसको 3 रुपये 75 पैसे से आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके बाद जो 35 परसेन्ट फ्री-सेल की शुगर है, स्वाभाविक है उसकी कीमत कुछ बढ़ेगी, क्योंकि उनको जो इसमें माइनस 40 हर क्विंटल पर घाटा है, उसको कहां से पूरा करेंगे। इसमें आप कास्ट प्राइस को देखना चाहिए, कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा। हो सकता है इसमें आप और हम कुछ डिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कास्ट आफ प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, वायाबिलिटी को नहीं देखेंगे तो परिणाम यह होगा कि जो कीमत आप तय कर देंगे वह कीमत नहीं मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो एरियर जमा हो रहा है उसके पीछे यही कारण है। सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि इसको डीकन्ट्रोल किया जाय या कीमतों को अपना रास्ता लेने दिया जाय। कीमतों को वही रास्ता लेने देंगे जो 3 रुपये 75 पैसे सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में लेवी शुगर का है और उसी के अनुरुप ओपन-मार्केट में यह देखना होगा कि यह न काफी ऊपर चली जाय और न काफी नीचे चली जाय। सरकार की यही नीति है।

अध्यक्ष महोदय : जो मोटा आदमी है, जिसको चीनी नहीं चाहिए, वह ज्यादा पैसा देकर खाये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, निश्चय ही गन्ना एक समस्या बन कर रह गया है और मंत्री जी ने इस समस्या में अपना सारा अर्थ-शास्त्र हम लोगों को समझा दिया है....

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा मैंने नहीं किया है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सारे-का-सारा अर्थ-शास्त्र, डिमाण्ड-सप्लाई, भावों का ऊपर-नीचे होना, सब आपने समझा दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सूरज को दीपक नहीं दिखला सकते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गन्ने का मूल्य निर्धारण, समय पर पिराई का न होना, किसानों का बकाया, कीमतों में फेर-बदल, चीनी मिल मालिकों का किसान विरोधी रवैया— विगत तीन वर्षों में गन्ने के मामले में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता ।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : खेत में गन्ना जलाना पड़ा था, उसकी चर्चा तो कर दें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उसके बावजूद भी चीनी तीन रुपये किलो बिक रही थी ।

श्री रामप्यारे पनिका : वह पहले का स्टाक था ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : इन के टाइम में तो 14 रुपये किलो भाव हो गया था ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज इतने रिकार्ड उत्पादन के बाद भी हम देख रहे हैं कि चीनी मिलों के बाहर एक मेला लगा हुआ है, तोल केन्द्रों पर भारी भीड़ जमा है । सरकार एक ओर कहती है कि खूब गन्ना बोया जाए, लेकिन दूसरी तरफ चीनी मिलों के माध्यम से इतनी बड़ी हेराफेरी की जा रही है, जो कि चीनी मिलों के सामने देखने से ही समझ में आ सकती है ।

जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि लकड़ी का भाव गन्ने के भाव की अपेक्षा ज्यादा है । कल ही हमने लकड़ी खरीदवाई थी, जो कि 80 रु० प्रति क्विंटल है, लेकिन गन्ने का मूल्य 20 रु० प्रति क्विंटल है और कहीं-कहीं पर 21 रु० भी है ।

श्री राम गोपाल रेड्डी : 20 रु० तो बहुत अच्छा भाव है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, इसमें बहुत सी समस्यायें हैं, जिनको मैं चाहता हू कि बहुत ही संजीदगी के साथ लिया जाना चाहिए । इस वर्ष उत्तर प्रदेश में मिलें तीन सप्ताह देर से चली हैं, लेकिन मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि कहीं एक सप्ताह और कहीं पर दो

सप्ताह देर से चली हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि किसानों की अर्थ-व्यवस्था काफी खराब हो गई है। उदाहरण के रूप में एक अखबार की कटिंग से पता चलता है कि मिलों ने पर्चियों की व्यवस्था चालू की है। इस अखबार में छपा है—"चीनी मिलों के सूत्रों के अनुसार देश में चीनी का उत्पादन रिकार्ड होने से इसके बाजार भाव काफी कम हुए हैं और सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली पर्चियां 150 रु० से 200 रु० में बिक रही हैं। इन्हीं सूत्रों ने बताया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने गन्ने की पर्चियों की सट्टा बाजारी शुरू कर दी है। व्यापारी किसानों से बेनामी पर्चिया खरीद कर आपस में खरीदफरोक्त कर रहे हैं।" पर्चियों के इतने बड़े धन्धे का कारण एक ही है और वह है मिलों का देर से चलना। मान्यवर, यह तो एक छोटा सा प्वाइन्ट था, इस विषय पर तो हम बाद में आयेंगे। पांच-छः कठिनाइयां हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से आप उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, पंजाब सरकार को लिखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार संवैधानिक न्यूनतम मूल्य की बात करती है। आपने अपने बयान में भी संवैधानिक न्यूनतम मूल्य की बात की है। 1980 में इण्डियन मिल्स एसोसिएशन ने 15 रु० प्रति क्विटल गन्ने के मूल्य की सिफारिश की थी। प्रधान मंत्री जी ने 1980 में दो जगहों पर भाषण दिए—एक पंजाब में और दूसरा बिहार में—वहां पर उन्होंने कहा था कि न्यूनतम प्राइस 16 रु० प्रति क्विटल होनी चाहिए।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मिल संघ ने भी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य बहुत कम है। इसे कम से कम 16 से 17 रु० के आसपास होना चाहिए और राज्य सरकारें भी केन्द्रीय सरकार से बराबर मांग करती आ रही हैं कि इसका मूल्य 20 रु० के आसपास बढ़ाया जाए। मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का इसके बारे में क्या कार्यक्रम हैं? जैसा कि आपने अपने बयान में कहा है कि चालू वर्ष में भी गन्ना उत्पादकों को गन्ने के घोषित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो कि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13 रु० प्रतिक्विटल है, की अपेक्षा ऊंचा मूल्य मिल रहा है।

मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं। एक मेरा सवाल है कि आप 13 रुपये सांविधिक मूल्य कह रहे हैं जबकि आज से दो साल पहले प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 16 रुपये न्यूनतम प्राइस होगी। दूसरे मैंने अभी बताया कि राज्य सरकारें 15, 16, 18 और 23 रुपये क्विटल तक न्यूनतम मूल्य देने को कह रही हैं। आपका न्यूनतम मूल्य 13 रुपये है। आप स्पष्ट उत्तर दें कि आप यह मूल्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या साल के बाद यही मूल्य रहेगा या क्या आगे आप इसको घटायेंगे? क्या करेंगे आप?

मैं आपके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें इस मूल्य को घटा देने की बात कही गयी है। मान्यवर, एक भारतीय गन्ना विकास परिषद् है। उसने गन्ने और उसके उत्पादकों के मामले में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से अपने कुछ सुझाव कुछ दिन पहले दिए थे। हमें इन सुझावों को देख कर काफी चिन्ता है। मैं इस बारे में, बहुत अच्छे ढंग से आप से जानना चाहूंगा। यदि अब आप इस सम्बन्ध में आज न बता सकें तो बाद में अपने मंत्रालय के द्वारा हमको जानकारी भेज दें।

राष्ट्रीय गन्ना व चीनी अधिकरण की स्थापना करने की भारतीय कृषि गन्ना विकास परिषद् ने आपके सामने सिफारिश की है। उसका कहना है कि "चीनी, गुड़, खांडसारी के लिए जो गन्ने की पिराई होती है, उसके भंडारण विषठांन और कराधान आदि पर हम को गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। इस समय गन्ने के उत्पादन की जो स्थिति है, उसमें यह आवश्यक हो गया है।"

इसके लिए उन्होंने कहा है कि यह विपणन, कराधान, भंडारण आदि के लिए बहुत जरूरी है कि गन्ने के लिए, जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि उसमें अनुसन्धान कराने की जरूरत है कि गन्ने में से कैसे चीनी ज्यादा निकले, उसकी किस्मों आदि इन सारी बातों को देखते हुए भारतीय कृषि गन्ना विकास परिषद् ने सुझाव दिया था कि एक अधिकरण की स्थापना की जाए। आप हमें यह बताएं कि क्या इस प्रकार के किसी अधिकरण की स्थापना करने का सरकार का इरादा है ? यदि सरकार इस प्रकार का अधिकरण स्थापित करने जा रही हैं तो उसका क्या स्वरूप होगा ?

मान्यवर, गत वर्ष चीनी उद्योग में, आपके अर्थशास्त्र के अनुसार, 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने गन्ने और चीनी की समस्या पर एक दूसरा अनुसंधान कराया। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने जो सर्वेक्षण कराया है उस सर्वेक्षण के यह परिणाम आये हैं कि मूल्य बढ़ने से गन्ने का उत्पादन बढ़ गया है। यानी जो आपने न्यूनतम प्राइस निर्धारित की उससे गन्ने का उत्पादन बढ़ गया। सरकार द्वारा चीनी का कोटा बढ़ाने से चीनी का दाम घट गया है। यह आपके भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के सर्वेक्षण का रिजल्ट है। उसके रिजल्ट के अनुसार गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

अधिकांश राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ज्यादा मूल्य गन्ने का दे रही हैं। यह इसमें कहा गया है कि किसानों का भुगतान निर्धारित मूल्य पर दिया जाना चाहिए और अतिरिक्त रुपया उसका बैंकों में जमा कर दिया जाना चाहिए। हमारे पास इसकी कटिंग है। यदि आप चाहेंगे तो इसको मैं आपको दे दूंगा। इससे जो हमने समझा है, केन्द्र न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। जो कि 13 रुपये है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकारों ने 18 से लेकर 21 रुपये तक मूल्य निर्धारित किया है। अब 13 रुपये और 21 रुपये के बीच का मूल्य बैंकों में जमा कर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि इस कार्यवाही का क्या परिणाम होगा ? इसलिए हमको चिन्ता है। इसलिए इसे हमने रखा है। सरकार इस पर विचार करने का आश्वासन भी दे चुकी है। भारतीय वाणिज्य, उद्योग महासंघ के इस अनुसन्धान पर मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अन्त में मैं दो-चार प्रश्न उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के किसानों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे।

जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है कि करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी केवल पर्ची पर हो गई है। यह अजीब सी स्थिति है, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसान पर जो लगान बकाया है उसकी वसूली की जा रही है। उनकी कुड़की, नीलामी और गिरफ्तारी की जा रही है। किसानों ने अपना गन्ना मिलों को भेज दिया है और मिलों पर उनका रुपया बकाया है। अच्छा हो यदि उनकी कुड़कियां और नीलामियां न करके मिलों से वह पैसा ले लिया जाए जो किसानों का जमा है। इस सम्बन्ध में बिजनौर और मथुरा की सूचनाएं हमें मिली हैं जहां इस प्रकार की सख्ती की जा रही है।

किसान गन्ने की बुआई के लिए खाद लेता है। यह खाद मिलों के माध्यम से कर्ज के रूप में लिया जाता है। किसान गन्ना बेचता है जनवरी-फरवरी में लेकिन इस खाद पर इंटरेस्ट लगता है जून तक। लेता है अक्तूबर, नवम्बर में और जून तक का ब्याज वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ सरासर अन्याय है। इसके बारे में काफी मांग की जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इस ओर सरकार ध्यान दे।

इसके अलावा जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया है कि गन्ने का जो बकाया रहता है उस पर ब्याज नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय बड़े किसान हैं, उन्होंने कहा कि पहले मूल मिल जाए, ब्याज की बात बाद में की जाए। मैं समझता हूँ कि यह किसान के साथ अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति है। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिएं। किसान का रुपया बकाया रहता है तो किसान को ब्याज देना पड़ता है, उसको तरह-तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन जब किसान का बकाया रहता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है।

कल इसी सम्बन्ध में हम लोकसभा से वाक-आउट कर रहे थे तो यहां पर यह सवाल उत्पन्न हुआ जो बड़े खेद का विषय है कि एक ऊंचे व्यक्ति ने यह कहा कि यदि किसान की बात यहां की जाएगी तो किसान का नुक्सान होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसान की बात यहां करने पर किसान का क्या नुकसान होगा ?

श्री हरिकेश बहादुर : किसने कहा था ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय स्पीकर साहब ने कहा था।

श्री हरिकेश बहादुर : उनके कहने का कुछ और मतलब होगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हो सकता है कुछ और मतलब रहा हो, लेकिन हमने यही समझा था।

अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं। किसान गन्ना बोता है, मिलें चीनी बनाती हैं लेकिन किसान को जब कभी शादी-ब्याह के मौके पर चीनी की जरूरत होती है तो उसको बाजार मूल्य पर खरीदनी पड़ती है। मेरा निवेदन है कि किसान को चीनी सस्ते दाम पर दी जानी चाहिए।

इसके अलावा एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मेरी कांस्टीटुवेंसी में मैंने देखा कि एक किसान को 40 क्विटल की पर्ची मिली। किसान ट्रक पर गन्ना लदवाकर मिल पहुंचा।

इत्तफाक से वह गन्ना 42 क्विटल हो गया तो दो क्विटल गन्ना उसका वहां नहीं लिया जाता है बल्कि उसको वापिस किया जाता है। तीन-तीन चार-चार दिन तक किसान वहां बैठा रहता है मिल के सामने और वह दो क्विटल अतिरिक्त गन्ना उसको वापिस ले जाना पड़ता है। उसको डबल किराया देना पड़ता है और तोल में गड़बड़ी की जाती है। मैंने जो कुछ पूछा है, उसका विवरण अवश्य दें।

श्री भगवत झा आजाद : सभापति महोदय, इनके प्रमुख रुप से तीन प्रश्न हैं जिनका मैंने उत्तर दे दिया और साथ में दो प्रश्न उठाए हैं। लाभकारी मूल्य, देर से पिराई, भुगतान देर से, कीमतों में फेर-बदल और मिलों का किसान विरोधी रवैया।

मिल के सामने आज भारी भीड़ है, यह सही बात है। इसका कारण है कि जनवरी, फरवरी और मार्च ऐसे महीने हैं जहां पर अधिक से अधिक पिराई होती है। किसान भी अधिक गन्ना ले जाते हैं और मिल भी चाहती है कि पिराई हो जाए। इस लिए उस सामने भीड़ रहती है। प्रश्न यह है कि वहां देने वाले अधिक आते हैं और मिल उसे लेती नहीं है। जहां ऐसा नहीं हो सकता है वहां पर हम लोग यह कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार को लिखते हैं। उनका एक केन कमिश्नर है, वह इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करे। ऐसी सूचना के लिए माननीय सदस्य या तो सीधे राज्य सरकार को लिखें या हम भी इस सम्बंध में जांच कर सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि भीड़ होती है। ऐसे समय भीड़ होगी ही। लेकिन भीड़ होने के बावजूद भी मिल के लिए सबको लेना आवश्यक है और उसे लेना ही चाहिए।

आपने लकड़ी, गन्ना ओर भूस की बात की है। आप समझते हैं कि अगर कहीं पर 60 रु० है तो सीधा डिमान्ड और सप्लाई का प्रश्न है। इसकी तुलना दोनों की एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसकी एक बात यह है कि अगर सीजन देर तक चलेगा तो सीजन समाप्त हो जाना चाहिए। कभी-कभी तो अप्रैल, मई और जून तक भी चलता है। पिछली बार जुलाई नहीं बल्कि मिड अगस्त तक चला। गन्ना काफी होता है इसलिए उधर दो-तीन वीक की देरी हो जाती है क्योंकि मैंने बताया तीन महीने का समय देना पड़ता है। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर गन्ना अधिक हुआ और देर हो गई तो थोड़ी देर हो जाएगी वरना और कोई कारण नहीं है।

आपने मूल्य के बारे में कहा। लाभकारी मूल्य के सम्बंध में खासतौर से आपने पूछा है। इस सम्बंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं न विकास परिषद की बात मानूंगा और न मिल एसोसिएशन की बात मानूंगा सिर्फ एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन जो इस विषय का विशेषज्ञ है और जिसके सामने सबको अपनी बात कहने का हक है और "इस-मा" तथा विकास परिषद् वहां जाए और वहां कहें कि हमको इतनी कीमत मिलनी चाहिए। हम न तो यह कहेंगे कि घटायेंगे या बढ़ायेंगे, हम तो इस सम्बंध में एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी, वह अभी विचार कर रहा है अगले मूल्य के लिए, उसकी राय मानेंगे और विचार करेंगे। इस लिए कमी-बेशी की बात अपने मन में नहीं करेंगे। विकास परिषद यह कहे कि वह अथारिटी बन जाए लेकिन हम तो यह देखेंगें कि उद्योग चीनी वाला भी है और भी उद्योग हैं, किसी और उद्योग में अथारिटी का प्रश्न है? आपने कहा कि आठ रुपया जमा कर दो, क्यों जोर देते हैं? उनको जो बोलना होता है, वह बोलते हैं। उसमें जो आवश्यक होगा और वह आवश्यक मेरी नजर में चीनी उद्योग को सम्पूर्ण रुप में देखने के साथ अर्थात कीमत जिससे कि उनको लाभकारी मूल्य

मिले केन ग्रोअर्स को अर्थात जो ऋश करते हैं वह वायेबल हो और कंज्युमर को सस्ते दाम पर जो निर्णय किया 3.75 रु० का, उस पर मिले, यह विचार किया जाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसान अगर गन्ना नहीं बोता है और तिलहन बोता है तो क्या रिटर्न उसको मिलता है। यह भी सोचने की बात है। इन सारी बातों पर विचार ऐग्रीकल्चर प्राईस कमीशन करता है और हम उसकी सिफारिश को मानेंगे, और बाकी सिफारिशों को नहीं मानेंगे।

आपने जो बाकी बातें कही, परची के बारे में, निश्चय ही मैं आपका सुझाव मानता हूं, बकाया का तो बड़ा प्रश्न है, इस पर तो लिखूगा ही। और आपने कहा सूद के बारे में कि नियम के अनुसार दिया जाए। मैं राज्य सरकार को लिखूंगा कि नियम के अन्तंगत जो देय है वह मिले और सूद भी उनको दिलायें। और चीनी की कीमत 3 रु० 75 पैसे यह लैवी प्राईस है। कोस्ट प्राइस पर यह नहीं है। और जो आपने कहा छोटी बात है, लेकिन है बड़ी कि किसान लाया 42 टन और आपने वापस कर दिया दो टन उसको। यह बात नहीं होनी चाहिए। इस सम्बंध में मैं राज्य सरकार को लिखूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया केन ग्रोवर्स चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र कहीं के हों इनके सामने बहुत ही समस्या है। कारण यह है कि जो फसल है वह अबन्डेंट है, और दूसरे लैक आफ प्लानिंग है। एक साइक्लिक आर्डर बन गया है जिससे उसकी पुनरावृत्ति होती है, और सरकार की भी कोई साफ पोलिसी नहीं है। इसी वजह से रेड्डी साहब कह रहे थे महाराष्ट्र के बारे में कि वहां 60, 70 परसेंट पेराई होती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 20, 25 परसेंट तक नहीं पहुचती है, और पंजाब में 9 परसेंट ही रही। कारण यह है कि सरकार की नीतियां गन्ने के बारे में जो हैं उनमें खामी है।

जहां तक रेम्यूनरेटिव प्राईस की बात है मंत्री जी ने कहा कि वह ए०पी०सी० की बात को मानेंगे। मैं इसी संदर्भ में जानना चाहता हूं क्या आपने उसकी बात को माना? ए०पी०सी० ने रिकमन्ड किया है मिनिमम प्राईस 15 रु० 50 पैसे, लेकिन आपने नहीं माना। अब आप कहते हैं कि अब जो सिफारिश आएगी उसको मानेंगे। मैं उमीद करता हूं कि मंत्री जी इसको मानेंगे।

जहां तक स्टेटयूटरी प्राईस की बात है पिछली बार 13 रु० 25 पैसे थी उसमें भी 25 पै० कम कर दिए। स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने एक फारमूला दिया था कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना। यह फारमूला उन्होंने तब दिया जब कीमतें स्थिर थीं। उस समय यूरिया, बिजली, डीजल की कीमतें कम थी, 1961 में फरगूसन ट्रैक्टर 9,000 रु० का मिलता था जो आज बढ़कर 1 लाख रु० का हो गया है अभी 55 रु० कट्टा खाद का था जो अब 105 रु० पर चला गया, बिजली की दरें भी बढ़ गई। तो जब कीमतें निर्धारित करने का प्रश्न है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तो अनुपात में यह करना होगा कि किसान की कितनी औसतन लागत आती है उसको ध्यान में रखा जाए। लेकिन आप ने कोई फारमूला नहीं बनाया। आप ए० पी० सी० की बात

कहते हैं। यदि माननीय रफी अहमद किदवई के फारमूले को ही मान लिया जाय तो भी गन्ने की कीमत 25, 26 रू० प्रति क्विंटल बैठती है। आज वह लागू नहीं होता है। खेत में उत्पादित होने वाली चीजों की तुलना करेंगे फैक्ट्री में पैदा होने वाली चीजों से तो दोनों में कहीं कोई संतुलन नहीं है जब कि दोनों में संतुलन होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर यह पोलिसी निर्धारित करतें हैं ?

यह तो मैंने प्राइस वाली बात कही। मेरे एक मित्र अभी पर्ची वाली बात बता रहे थे। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो पर्चियां कट रही हैं उसमें 18+3 लिखते हैं, यह गड़बड़ चल रहीं है। उस 3 का कोई भुगतान नहीं है। जो केन्द्रीय सरकार दे रही है, उसमें भी 50 पैसे किसी बात की कटौती की जा रही है। कोई किसी बात की कटौती कह रहा है और कोई एशियन गेम 82 की कटौती कह रहा है। यह किसानों के साथ होने वाली आम बातें हैं जिनको किसान रोज फेस कर रहा है।

जहां तक भुगतान की बात है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे मंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय को भी लिखा कि गन्ना मिल एसोसिएशन चाह रही है कि गन्ने की कीमत घटाई जाए। यह अखबारों में भी आया है। अगर गन्ने की कीमतें नहीं घटाई जाएंगी तो एरियर्स और भी रोकेंगे। वह बात साफ है और जो फिगर्स आप दे रहे हैं वह मैं मानता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि पिछले 40 करोड़ रुपये और मान लीजिए 14 परसैंट सूद है तो 50 करोड़ रुपया हो गया। 25 करोड़ का भुगतान हो चुका है बाकी 25 करोड़ पिछले साल का रह गया और 25 करोड़ इस साल का। अगर यह सब जोड़ लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी रकम फिर बन जाएगी।

जैसे अभी माननीय मंत्री कह रहे थे कि यह महीना पिराई का है इसमें बड़ा रस है। उसके बाद कुछ एरियर और बढ़ जाएगा। जब पिराई समाप्त हो जाएगी तो किसान भी खाली हाथ रह जाएगा। अगले साल फिर आप यही कहेंगे कि उनके एरियर का भुगतान किया जाएगा।

जो भुगतान किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय को शायद थोड़ा बहुत मालूमात होगी, जहां भी पैसा देते हैं तो उतना ही भुगतान किया जाता है कि वह सोसाइटी को दे दें। सोसाइटी सचिव किसान को वहीं पकड़ लेता है कि हमारा पैसा दे दो। मैं स्पैसिफिकली यह कहता हूं कि हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो भुगतान हो रहा है वह उतना ही करा रहे हैं जितना सोसाइटी को देना है। इससे किसानों को कोई फायदा होने वाली बात नहीं है। यह महत्वपूर्ण विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि एक तो एरियर वाला प्रश्न है, अगर किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो सही मायनों में किसान के दिमाग पर इसका असर होगा। वह चारों तरफ से डूबा हुआ है।

ढुलाई के मामले में केन्द्र ने 2 रुपये किए, पिछले साल एक रुपया थी, अब डेढ़ रुपया कर दिया गया। जब-जब भुगतान लिया जाता है तो डाकघरों में जमा कराने की बात, कृषि निवेश में जमा कराने की बात कही जाती है तब मिल गन्ना लेगा। जब आप पैसे का भुगतान पाएंगे तो भुगतान के लिए डाकखाने में जमा कराना होगा। यह तो पहले करवा लेते हैं, लेकिन उसको

एरियर सही समय पर नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि किसान को अविलम्ब राहत देने के लिए एक सही पालिसी निर्धारित की जाए।

माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था, अध्यक्ष महोदय ने भी उस सम्बन्ध में पूछा था, मैं पूछना चाहता हूं कि 21 तारीख में एक उत्तर में आपने बताया कि जो क्रैशर हैं, उसके लिए वहां 7, 7 रुपये क्विटल में उन्होंने गन्ना खरीदा। एक नियम उन्होंने उल्लेख किया है, प्रश्न है 21 फरवरी का अनस्टार्ड नं० 9 । इसमें पूछा गया था कि क्या गन्ना उत्पादक राज्यों में निजी क्षेत्रों के मालिक सरकार को आधी दर पर किसान से गन्ना खरीद रहे हैं ? इस सम्बन्ध में इन्होंने उत्तर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश गन्ना किसान को वहां बेचना पड़ता है और वह जो चाहते हैं, मूल्य देते हैं। आधे से भी कम देते हैं। आप तो नियम की बात करते हैं, मैं नियम के सम्बन्ध में थोड़ी सी बात और जानना चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है, क्योंकि यह सारे किसानों के हित की बात है। एक-तिहाई आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मिलों को जाता है।

आपने कहा कि केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खण्ड 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य सरकार, खण्डसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा अदा की जाने वाली न्यूनतम मूल्य राशि निर्धारित कर सकती है।

पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जितने सूबे हैं, जहां गन्ना पैदा करते हैं, उसमें आन्ध्र प्रदेश ही एक प्रदेश है जिसने मूल्य निर्धारण के लिए आपकी सिफारिश मानी है। किसी भी प्रदेश के बारे में आप पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि यह हमारा विषय नहीं है, राज्य सरकार का विषय है। मेरा निवेदन यह है कि इस नियम में कोई संशोधन लाने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी तथा जब मूल्य निर्धारित किया जाए तो कोई मूल्य नीति साफ शब्दों में सरकार बतलाएगी ?

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष जी, पहला प्रश्न उत्पादन से सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता तो जो उत्पादन मैंने अभी बतलाया है, पिछले दो वर्षों की मैंने फिगर्स दी हैं, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। चूंकि उनको लाभकारी मूल्य मिल रहा है, इसीलिए उत्पादन हुआ है।

जहां तक आपने ए० पी० सी० की कीमतों की बात कही है—मेरे पास 1967-68 से 1982-83 तक के हर वर्ष के आंकड़े हैं। उन्होंने जो सिफारिश की, केवल 4 वर्षों को छोड़कर सभी वर्षों में भारत सरकार ने ए० पी० सी० की सिफारिशों को माना है तथा जिन वर्षों में नहीं माना है उसमें जब 9 रुपये 50 पैसे था तो उसको 8 रुपये 50 पैसे किया। इस वर्ष भी हमने 13 रुपये रखा है, लेकिन जहां गन्ना 16 किलोमीटर के रेडियस से लाते हैं उनके लिए 2 रुपया और दिए जाने की सिफारिश की है, यानी हमने 15 रुपये को स्वीकार नहीं किया है।

इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जब ए० पी० सी० की सिफारिश आती है तो उस पर साधारणतया कैबिनेट विचार करके निर्णय लेती है। जैसा मैंने बतलाया है—इतने वर्षों के आंकड़ों में तीन-चार वर्षों को छोड़कर हर वर्ष कैबिनेट विचार करने के बाद निर्णय करती है। इसलिए इसमें संशोधन का प्रश्न बहुत कम उठता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कुछ वर्षों में संशोधन हुआ है, लेकिन बाकी वर्षों में नहीं हुआ है।

आप इस बात का भी ख्याल रखिए—अगर हम एक रुपया बढ़ाते हैं सांविधिक कीमत में, तो 15 पैसे लैवी शुगर के दाम बाजार में बढ़ जाएंगे। इसलिए निर्णय करते समय हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम गन्ने की कीमत को भी देखें, उत्पादन की कीमत को भी देखें तथा उपभोक्ता को चीनी जिस भाव पर दी जाएगी उसको भी देखें। साथ ही साथ यह भी देखें—जैसा आप बार-बार कह रहे हैं और जो आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं कि उनको एरिअर्स का भुगतान नहीं मिल रहा है—वह उनको मिले।

एरियर्स का जमा आज गुजरात, राजस्थान, तामिलनाडु और केन्द्रीय सरकार में कम है। इसलिए कम है कि हम उनको एडवांस कीमत देते हैं। उत्पादन का अन्त हो जाने पर रिकवरी के अनुसार, भार्गव फार्मूले के अन्तर्गत उसको बांट लेते हैं। लेकिन जिन राज्यों में यह भुगतान अधिक बाकी है, वह इसलिए है कि वे एक ही बार लगभग कीमत का निर्णय कर लेते हैं, वैज्ञानिक आधार को नहीं मानते हैं। हम प्रयत्न करेंगे—उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों से आग्रह करेंगे कि वे भी इसी लाइन में आएं। इससे किसानों को शिकायत भी नहीं रहेगी, साथ ही जो जमा हो रहा है, वह भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें भी इस वैज्ञानिक आधार को मानें और उसके अनुसार काम करें।

आपने डाकघर कृषि निवेश की बात कही है—मैं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या बात है।

आपने खाण्डसारी और गुड़ का उल्लेख किया है—इस सम्बन्ध में हमारा कोई विचार नहीं है। यह सारा विषय राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। राजेश जी जिस अधिकारपूर्वक मुझ पर जोर डाल रहे हैं, उसी प्रकार अधिकारपूर्वक अपनी राज्य सरकार पर भी जोर डालें कि वे कीमतों का निर्णय इस प्रकार करें जैसे आन्ध्र प्रदेश ने किया है। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपके द्वारा राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहता है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं स्वीकार करता हूं—राजेश जी के प्रेशर को मानकर मैं राज्य सरकार को लिखूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : गुड़ के अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए क्या आप छूट देंगे।

श्री भागवत झा आजाद : यह राज्य सरकार कर सकती है।

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम के बारे में—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान। आपके प्रश्न के लिए, श्री गाडगिल यहां उपस्थित हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैंने बताया……

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानते हैं, उन्हें यहां बुलाया गया है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा एक ही आग्रह है—जब पार्लियामेंट सेशन में थी तो यह घोषणा वहां से की जानी चाहिए थी। चेअर का हमेशा से यह रूल रहा है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है या पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है तो जो भी घोषणा की जाए वह पार्लियामेंट में आकर की जाए। आपने यह घोषणा एक्जिक्यूटिव आर्डर से पार्लियामेंट के बाहर ता० 21 को की है—जिस पर हमें आपत्ति है। आप यदि पार्लियामेंट के सामने आकर घोषणा करते, रेट बढ़ाने के लिए हमको बतलाते, तो हम लोग इस समय विरोध नहीं करते। हम लोग तो उसी समय आपका विरोध करते लेकिन आपने तो एकदम झटके में कर दिया। आगे का लिस्ट पीछे कर दिया और पीछे का लिस्ट आगे कर दिया और चुपचाप बोलकर निकल गए। यह संसद् की डिगनिटी के खिलाफ है। यह हम लोगों का प्रिवलेज और मैम्बर्स के प्रिवलेज का हनन है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर भी तो नहीं हैं, हमें खुशी होगी यदि इनको कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बना दिया जाए।

बिना चर्चा किए कोई करारोपण नहीं किया जाना चाहिए।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं निर्णय को स्पष्ट करना चाहता हूं। ये परिवर्तन भारतीय तार अधिनितम और डाक अधिनियम के अधीन तीन तरह से परिवर्तन किए जा सकते हैं।

1. पहला तरीका है कि तार नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की जाए। और ऐसी अधिसूचना सभा-पटल पर रखी जानी होगी;
2. डाकघर नियमों में संशोधन की अधिसूचना। ऐसी अधिसूचना को सभा-पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं हैं; तथा
3. स्वयं डाक अधिनियम में संशोधन करके। यह कार्य बजट प्रस्तावों के रूप में वित्त विधेयक द्वारा किया जा सकता है।

आज सुबह मैंने जो अधिसूचना सभा पटल पर रखी वह किसी बजट प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है। तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत बात तक ही वह सीमित है। इसे सभा-पटल पर रखा जाना अपेक्षित है—यह एक सांविधिक दायित्व है जिसे मैंने आज प्रातः पूरा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

दूसरी जो अधिसूचना है। यद्यपि उसे सभा-पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि अधिसूचना की एक प्रति शीघ्र ही संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हो।

जहां तक तारीख का सम्बन्ध है। संभवतः आपको प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। यद्यपि अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी, 1983 की है, किन्तु इसे सरकारी मुद्रणालय में भी भेजना होता है। वह कल पौने बारह बजे प्राप्त हुई। तब मुझे इसे प्रमाणित करना पड़ा। मैंने इसे सवा

बारह बजे प्रमाणित किया। उसके तुरन्त बाद मैं इस विचार से लोक सभा में दौड़ा आया कि लोगों को इस अधिसूचना से अवगत करा दूं। लोक सभा सचिवालय से निवेदन किया गया कि कल अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इसे सभा-पटल में रखे जाने के लिए कार्य सूची में शामिल कर लें।

यदि मैंने कुछ किया है तो मेरा यह दावा है कि मैंने जो कुछ भी किया है कि वह माननीय अध्यक्ष द्वारा की गइ टिप्पणी का आदर तथा सम्मान करने के लिए किया है। मेरे विचार से मैंने कुछ अनुचित कार्य नहीं किया है। मैंने इन अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में हर बात का पूरा ध्यान रखा है (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके अब कौन बोलने जा रहा है ?

श्री रामविलास पासवान : प्वाइंट केवल इतना ही है कि चेयर का हमेशा से यह रूलिंग रहा है और पार्लियामेंट चल रही है, आप दामों की घोषणा बाहर करते हैं, तो बाहर के बजाय आप भीतर कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, उन्होंने यह भारतीय तार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत किया है। इसका संसद के सत्र से कोई वास्ता नहीं।

श्री रामविलास पासवान : पांच सौ करोड़ रुपये बढ़ा है। यह हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात यह है कि यह 1 मार्च से लागू होगा, तुरन्त नहीं और उन्होंने यह सब भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत किया है। आप नोटिस दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : मैं नोटिस दूंगा। मैं अवश्य नोटिस दूंगा। इसको छोड़ा नहीं जायेगा, 500 करोड़ रुपये का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद सत्र का उससे कोई वास्ता नहीं। यह वह पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने यह भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत किया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप जानते हैं कि कुछ स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान तथा परम्परायें हैं। मंत्री महोदय जानते हैं कि परम्पराओं का दर्जा भी कानून बराबर ही है। किसी भी देश में सरकार परम्पराओं के बिना नहीं चलती। मात्र अधिनियम को उद्धृत करके मंत्री महोदय का कार्य नहीं चलता। हर जगह यह परम्परा है कि हर प्रजातन्त्रीय देश में, यदि आप मूल्य बढ़ाना चाहते हैं अथवा कर लगाना चाहते हैं तो लोगों की सहमति जरूरी है और वह सहमति आपको तब मिलती है जब आप इसे संसद द्वारा अनुमोदित करवाते हैं। इस विशेष मामले में आपने एक सरकारी आदेश द्वारा ही वृद्धि कर दी है। यद्यपि आपने कानूनी अधिकार से अपना बचाव किया है। फिर भी आपने अच्छी परम्पराओं का उल्लंघन किया है।

मेरा सुझाव है जैसे कि अमरीका में है जो प्रजातन्त्रित देशों में प्रचलन से एक है, कि प्रतिनिधित्व के बिना करोधान नहीं होता। ऐसा विशेषकर उस समय नहीं किया जा सकता जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो।

श्री जी० एम० बनातवाला (फोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये अमरीका के पूर्वोदाहरण का जिक्र नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें एक विशेष मामले के तौर पर जिक्र करने की अनुमति दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अतः मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि किन हालातों ने इन्हें संसद के सत्र में होते समय संसद की अनुमति बिना ऐसा करने के लिए मजबूर किया।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह सरकार द्वारा उठाया गया असाधारण कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक वाक्य में।

श्री चित्त बसु : फिर आप मेरे लिए बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : एक भूतपूर्व डाक तार कर्मचारी के नाते जो कुछ इन्होंने कहा है, मैं उसके बारे में पूर्णतः संतुष्ट हूं।

श्री चित्त बसु : नम्रता से कहें तो भी यह कह सकते हैं कि यह सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसद को बुलाया जा चुका है और संसद को बजट पर चर्चा करनी है। जब संसद को बजट पर चर्चा करती है। तो मेरे विचार में मंत्री महोदय ने तार अधिनियम (धारा 7) का सहारा लोगों पर कर लगाने के लिए लिया है जैसे कि कानून ने उन्हें अतिरिक्त अधिकार दिए हों····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह कर है अथवा कर की दर में वृद्धि है ?

श्री चित्त बसु : अन्तर क्या है ? इस अधिसूचना का क्या फल निकलेगा ? इसका फल यह निकला है कि टैलीफोन ग्राहकों अथवा सम्बन्धित लोगों को अधिक शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है ? यदि यह कर नहीं है तो फिर क्या है ? अतः शुल्क बढ़ाने के लिए एक असाधारण तरीका अपनाया गया है। अतः यह एक अनुचित व्यय के अलावा और कुछ नहीं है। इससे अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों का उल्लंघन होता है। यह उन परम्पराओं का उल्लंघन है, जिनका पालन यह संसद करती आयी है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नई बात ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : पहली नई बात यह है कि मंत्री महोदय ने अधिनियम का पालन करके कोई भी गलत काम नहीं किया है। साथ-साथ जब संसद का सत्र चल रहा हो···

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात दोहरा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : एक मिनट। 28 फरवरी को सभा में सामान्य बजट पेश होने जा रहा है। उस बजट में उन प्रस्तावों को शामिल किया जा सकता था।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय के भारतीय तार अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसार चलने के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसे माना जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका तरीका है।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन मैं यह बात कहता हूं कि जैसे कि ऊर्जा मंत्री को पैट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य चीजों के मूल्यों में वृद्धि करने का अधिकार है वैसे ही इनको भी है लेकिन जब इसे किया गया तो समझा गया कि संसद की अनुमति बिना और बजट अधिवेशन से पहले तथा बजट पेश होने से पहले ऐसा करना अधिकार का उल्लंघन है।

इसी तरह यह भी मर्यादा का उल्लंघन है। यह अधिक गम्भीर है क्योंकि दर पहली मार्च से लागू होंगे। बजट 28 फरवरी को पेश होगा। इसे 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट में शामिल किया जा सकता था। अतः हम आपसे सरकार द्वारा किए गए मर्यादा के उल्लंघन के बारे में कुछ कहने के लिए अनुरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पैट्रोलियम उत्पादों में अधिवेशन से पहले वृद्धि की गयी।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह वृद्धि बजट अधिवेशन से पहले की गयी, जब बजट पेश होने वाला था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो अध्यक्ष महोदय ने कहा है :—

> "मैं सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं। सभा में मूल्य वृद्धि की घोषणा करना अधिक उचित होता क्योंकि लोक सभा 18 फरवरी, 1983 से बैठने वाली थी।"

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप पीठासीन होते हैं, तो आपके पास अध्यक्ष महोदय के पूरे अधिकार तथा शक्तियां होती हैं। जब अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यह अनुचित है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि यह भी अनुचित है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको मेरी सहायता करनी चाहिए। अन्त में मंत्री सरकार की ओर से उत्तर देंगे। आप सब एक साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। आपको सरकार की ओर से उत्तर देने की जरूरत नहीं है। क्या मंत्री उत्तर देने योग्य नहीं है? मैं जानता हूं कि वे उत्तर दे सकते हैं।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : आज की कार्यसूची में दूसरा मद रेल बजट था, लेकिन उस मद से पहले *

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसे रिकार्ड न करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारी से अनुमति ली थी। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति दी थी। सभी पत्रों को एक साथ रखा गया था।

श्री सूरजभान : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीसरा मद होना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था।

श्री सूरजभान : आप उस शब्द को बदल सकते हैं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं उस शब्द पर जोर नहीं दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह कुछ नहीं किया जाता ?

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको तीसरा आयटम होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं समझा कि इसको क्यों दूसरा ले लिया गया। इससे हमें कुछ कहने की गुन्जाइश नहीं रहीं। इसका नतीजा यह है कि दुगने और कहीं-कहीं तीन गुने रेट्स बढ़ा दिए गए हैं जबकि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि बिना डिसकशन के टैक्स नहीं लगाए जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तब आपत्ति क्यों नहीं उठाई जब कि पत्र सभा-पटल पर रखे गये थे ?

श्री रामविलास पासवान : उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि दरें बढ़ाई जाने वाली हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रामावतार शास्त्री को अनुमति दे दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह मंत्री जी का कार्य है कि वे अपनी बात का औचित्य सिद्ध करें। लेकिन आप इसको उचित ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूर्णतः तटस्थ हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने और सरकार ने हम सब की आंख में धूल झोंकने झोंककर इस तरह की घोषणा उन्होंने की है जिससे बहुत सारे रेट्स बढ़ गये। मैं इसे अनैतिक और संसद् के अधिकारों पर कुठाराघात मानता हूं। संसद् और जनता सार्वभौम है। मंत्री और सरकार सार्वभौम नहीं है। जब सैशन चालू था तो मंत्री महोदय को इस तरह से रेट बढ़ाने की घोषणा और सदन के पटल पर कागज रखने के नाम पर यह कार्यवाही नहीं करना चाहिए थी। बाद में उस पर बहस होती और जो फैसला होना था, वह बाद में हो जाता। इन्होंने इम्मोरल तरीका अपनाया है।

श्री रामविलास पासवान : आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, बहुत गंभीरता से।

श्री रामावतार शास्त्री : इसीलिए हम लोग इस सरकार को तानाशाह सरकार कहते हैं और मैं इनके अनैतिक व्यवहार की जोरदार निन्दा करता हूं।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू (नागरकुरनूल) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय ने कोई विनिर्णय दिया हो, तो उसका सभी सदस्यों को पालन करना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा दिये गए निर्णय का प्रत्येक सदस्य को समादर करना होगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली ही इस प्रकार की घटना हुई है—ऐसी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की बात को पहले भी कण्डेम किया है। मेरा निवेदन है—यह जो अवहेलना होती है, यह सब जानबूझ कर की जाती है और यह जनता की जेब काटने वाली प्रक्रियां हैं। मेरा कहना है कि इस सबको वापस लिया जाना चाहिए और तरीके से पेश किया जाना चाहिए।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे तो माननीय गाडगिल साहब से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वे रेट बढ़ायेंगे। जब ता० 28 को बजट आने वाला है तो बजट के अन्दर इसकी व्यवस्था हो सकती थी लेकिन श्री प्रणव मुखर्जी ने गाडगिल साहब को एक मोहरा बना दिया और उनके इशारे पर यह सब किया गया है तथा देश की जनता को गुमराह करने तथा आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। मेरी रिकवेस्ट है कि इसको बाद में किया जाना चाहिए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं केवल एक ही वाक्य बोलना चाहता हूँ। अनौचित्य जब दोहराया जाता है तो वह गैर-संसदीय हो जाता है और ऐसे किसी भी शब्द को जो गैर-संसदीय हो सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मंत्री महोदय के भाषण सहित सम्पूर्ण बात को सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो अभी बोला है उसका क्या किया जाना चाहिए? क्या उसको भी कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए?

श्री वी० एन० गाडगिल : प्रोफेसर महोदय परम्परा तथा कार्य पद्धति के बारे में बोले हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके लड़ने के बजाय मुझे उनसे लड़ना चाहिए। मेरा किसी भी व्यक्ति से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, और एक प्रोफेसर से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन यदि हम यह भी मानकर चले कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है, तो माना हुआ सिद्धान्त यह है कि परम्परा तथा पद्धति विशिष्ट सांविधिक उपबन्ध के अनुरूप होनी चाहिए और सांविधिक दायित्व यह है कि मुझे इसे सभा-पटल पर रख देना चाहिए। मैंने ठीक ऐसा ही किया है।

बहुत सी बातें दोहरायी गयी हैं। श्री शास्त्री जी ने कहा है कि यह तो "धूल झोंकना आंख में" है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझमें उतनी प्रवीणता नहीं है, जिसका उन्होंने मुझे श्रेय दिया है। मैं ऐसा करूंगा, इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने जो कुछ कहा है वह सरकार के लिए कहा है न कि की गाडगिल के लिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : श्री सिंह ने इस बारे में कहा कि मुझसे इसकी प्राशा नहीं थी इस प्रशंसा के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जब आप सरकार में है, तो कुछ निर्णय तो लेने ही होते है। श्री प्रणव मुखर्जी ने मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाला है और मुझे किसी भी तरह से कुछ भी करने को नहीं कहा हैं। (व्यवधान) जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि इसको तीन अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। मैं किसी चीज को वित्त विधेयक में नहीं रख सकता जब कि कानून के प्रावधान के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता हो। वित्त विधेयक के जरिए केवल कुछ ही बातों को किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे याद है श्री सी० के० दफ्तरी जो इण्डियन बाट के वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने एक बार कहा था "क्या आप वित्त विधेयक के माध्यम से मवेशी अतिक्रमण अधिनियम का संशोधन कर सकते हैं ?" वित्त विधेयक के माध्यम से केवल कुछ हीं बातों को किया जा सकता है न कि सभी बातों को कुछ बातें अधिसूचना के द्वारा ही की जानी चाहिए और ठीक यही किया गया है। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि इसमें कोई अनौचित्य नहीं हैं।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, सरकार का काम इस तरह से नहीं चल सकता है इसके विरोध में हम···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप मेरा विनिर्णय सुनिए। माननीय सदस्यों श्री राम विलास पासवान, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, श्री चित्त बसु, श्री हरिकेश बहादुर श्री जी० एम० बनातवाला, श्री सूरत भान, श्री रामावतार शास्त्री, श्री सत्यनारायण जटिया तथा श्री बी० डी० सिंह तथा श्री ए० के० राय द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटने से पूर्व हमें समय-समय पर संशोधित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के प्रावधानों को देखना चाहिए। अधिनियम की धारा 7(2) में यह प्रावधान है :—

"7(2) इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के साथ ही निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए अर्थात्—

(क) उन दरों के लिए जिन पर और उन अन्य शर्तों और निबंन्धनों के लिए जिनके अधीन संदेश पारेषित किए जायेंगे।"

सरकार ने अधिसूचना जारी की है तथा मंत्री महोदय ने उसको सभा-पटल पर रख दिया है जो उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप सांविधिक आवश्यकता का पालन करने के लिए किया गया है। अब यह बात सदस्यों पर निर्भर करती है कि वे अधिनियम की धारा 7(5) के अनुसार अपने अधिकार का उपयोग करते हुए नियमों को, जिन्हें कि सरकार द्वारा 1 मार्च, 1983 से लागू

करने का प्रस्ताव है। अस्वीकार करने या स्वीकार करने अथवा संशोधन के साथ स्वीकार करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नियमों को लागू करने से पूर्व इस विषय पर सदन में चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने सम्बन्धित मंत्री महोदय से इसके बारे में कहा था और वे इस विषय पर सदस्यों की इच्छा को देखते हुए एक विशिष्ट चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं।

यदि सहमत है तो हम इस विषय पर एक उपयुक्त प्रस्ताव पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, यद्यपि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सामान्यत: बीच में इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है। मैं आशा करता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

अब नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के खिलाफ नहीं, लेकिन सरकार के निर्णय के खिलाफ़ हम लोग वाक आउट करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी रूलिंग सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करती है (व्यवधान)

तत्पश्चात् श्री रामविलास पासवान, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, श्री रामावतार शास्त्री तथा अन्य माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले। श्री हरिकेश बहादुर।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय मैं भी वाक आउट कर रहा हूँ।...

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी घोषणा करके अपना वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा विरोध रिकार्ड किया जायेगा। इसको रिकार्ड किया जाए कि मैंने वाक आउट किया है।

श्रीमती कृष्ण साही (बेगुसराय) : आप वाक आउट कर लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने वाक आउट कर लिया है और वापस आ गए हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भयंकर शीत के कारण उत्तर भारत के लोगों की मृत्यु तथा पीड़ायें तथा पीड़ित लोगों को रोजगार आदि देने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर भारत के अनेक राज्यों में अभी कुछ दिन पहले जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, सैंकड़ों लोग भोजन और वस्त्र के अभाव

में मौत के शिकार हो गये। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों तथा बिहार एवं अन्य राज्यों के कुछ भागों से मिलने वाली भुखमरी की सूचनायें अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय रही हैं। लोगों की कठिनाई का लाभ उठाकर कुछ समाज विरोधी तत्वों ने खाद्यान्न की कीमत भी बढ़ा दी थी, और सरकार खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने में असफल रही। एक तरफ जहां लोग भोजन और वस्त्र के अभाव में त्रस्त थे, वहीं पर ईंधन का भी अभाव उनके लिए अत्यन्त कष्टप्रद था। रोजगार के अभाव में अनेक मज़दूरों के समक्ष खाद्यान्न का घोर संकट व्याप्त हो गया था तथा शीत के कारण मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं की भी जाने गई। और बहुत से व्यक्ति बीमार पड़ गये। ऐसी परिस्थिति में भी सरकारी सहायता नगण्य थी। सरकार से मेरी अपील है कि इस प्रकार की दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए कारगर ठोस कदम उठाने का प्रयास करें।

देश की आजादी के 35 वर्षों के बाद भी वस्त्र और भोजन के अभाव में लोगों का मरना हमारे लिए शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तंगत व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जायें ताकि लोंगों को काम मिल सकें। साथ ही गरीब लोगों में कम्बल और वस्त्रों का वितरण कराया जाए तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की भी मदद ली जाए। जनहित में खाद्यान्न की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि समाज विरोधी तत्व लोगों की बेबसी का लाभ न उठा सकें।

(दो) राजस्थान में बाडमेर और जैसलमेर में शक्तिशाली आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने रेडियो प्रसारण की दृष्टि से राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती एवं पिछड़े लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 70 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो केरल प्रान्त से दुगना और हरियाणा प्रान्त से डयौढ़ा है, की घोर उपेक्षा कर रखी है।

आल इंडिया रेडियो के दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सूरतगढ़, एवं बीकानेर स्टेशनों की आवाज उक्त क्षेत्रों के आधे हिस्से में मन्द पहुंचती है और आधा क्षेत्र रेडियो प्रसारण की सेवाओं से वंचित रहता है।

चौथी एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर एवं जैसलमेर रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था परन्तु वित्तीय कठिनाई का सहारा लेकर उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में भी प्रस्ताव था परन्तु इसके बारे में कोई राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है और उक्त क्षेत्र की घोर उपेक्षा की जा रही है। उक्त क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर आया हुआ है, उक्त क्षेत्र देश का प्रहरी है, परन्तु उक्त क्षेत्र की जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए रेडियो प्रसारण की सेवाओं का लाभ भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है। युद्ध के समय में जब कि सीमावर्ती जनता का मनोबल बढ़ाना आवश्यक होता है, रेडियो प्रसारण इस सम्बन्ध में बड़ी भूमिका अदा करता है और शांति के समय में देश की प्रगति की जानकारी देकर उन्हें सच्चे एवं निर्भीक नागरिक बनाता है।

अतः सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इस प्रश्न को न्यूनतम आवश्यकता का प्रश्न मान कर प्राथमिकता के आधार पर इसी वर्ष बाड़मेर एवं जैसलमेर में क्रमशः बड़ी शक्ति के रेडियो स्टेशन स्थापित कर सीमावर्ती जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करें।

(तीन) दरभंगा (बिहार) में अशोक पेपर मिल्स को केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने की मांग

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार के दरभंगा जिले में एक अशोक पेपर मिल्स है जिस का मुख्य कार्यालय एवं यूनिट आसाम में है। बिहार यूनिट 1975 में तथा आसाम यूनिट 1976 में चालू हुआ। इन दोनों यूनिटों का उद्देश्य पिछड़े इलाके का विकास करना एवं रोजगार मुहया कराना था। अशोक पेपर मिल्स बिहार का उत्पादन 40 टन प्रतिदिन है तथा आसाम का 90 टन प्रतिदिन का है। लेकिन समय पर बिजली कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं सही निर्देशन के अभाव में अशोक पेपर मिल, बिहार एवं आसाम यूनिट अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक उत्पादन करने में असमर्थ रहा और 1980 तक आते-आते क्षमता के अनुपात में आधे से भी कम उत्पादन होने लगा। फलस्वरुप मिल के सामने वित्तीय संकट आ गया तथा सितम्बर, 1982 में उत्पादन कार्य बन्द हो गया। 1982 अगस्त में उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने बिहार, आसाम, आई० डी० बी० आई० एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की बैठक बुलाई। लेकिन अभी तक समस्या का निधान नहीं हो सका है। करीब ढाई हजार श्रमिक परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है। अरबों रुपये की मशीनों में जंग लग रहा है। आसाम की सरकार किसी भी शर्त पर मिल को चलाना चाहती है, जब कि बिहार सरकार की नीति उपेक्षापूर्ण है। केन्द्रीय सरकार की उदासीनता से बिहार एवं आसाम के लोगों में काफी क्षोभ है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मांग है कि सरकार अविलम्ब अशोक पेपर मिल्स को अपने हाथ में लेकर हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के माध्यम से इस का उत्पादन चालू करावें जिस से बिहार एवं आसाम का विकास हो सके : हजारों मजदूरों को भुखमरी से बचाया जा सके तथा अरबों की मशीनों को बरबाद होने से बचाया जा सके।

(चार) प्याज उत्पादकों को आर्थिक सहायता

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : राजस्थान राज्य में अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिलों के बहुत बड़े क्षेत्रों, गुजरात राज्य में महुआ, भावनगर तथा अन्य भागों में तथा महाराष्ट्र राज्य के नासिक क्षेत्र में प्याज की खेती की जाती है। प्याज का बीज बहुत ही महंगा है और इस वर्ष इसके मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसकी लागत किसान को 3500 रुपये प्रति एकड़ आई है। इस फसल को कम से कम 8 से 10 बार तक पानी देना पड़ता है। इस फसल को तीन बार खाद देने की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए अन्य फसलों की तुलना में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती हैं। प्याज की फसल के सम्बन्ध में सबसे अधिक शोचनीय तथा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जैसे ही यह फसल पक कर तैयार हो जायेंगी इसको एक सप्ताह के समय के अन्दर बाजार में बिक्री के लिए ले जाना पड़ेगा। अन्यथा उत्पाद नष्ट हो जाएगा।

इस प्रकार किसान इसका भण्डारण नहीं कर सकता और उसको अपनी फसल को कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारत सरकार ने इस वर्ष फसल तैयार होने के समय प्याज के निर्यात करने की अनुमति नहीं दी है। इसके परिणामस्वरूप प्याज का बाजार मूल्य फसल पकने की अवधि के दौरान अर्थात् नवम्बर तथा दिसम्बर 1982 तथा जनवरी, 1983 में बहुत ही कम रहा है। किसानों ने अपनी फसल को उसी समय पर बेच दिया था। इस वर्ष प्याज के प्रत्येक उत्पादक को प्रति एकड़ 2000 रु० का घाटा हुआ है क्योंकि बाजार में इसका मूल्य कम रहा है। भारत सरकार ने फसल तैयार होने के समय पर निर्यात करने की अनुमति नहीं दी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा नाफेड, रा० व्या० नि० तथा निजी व्यापारियों के माध्यम से फरवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में प्याज के निर्यात करने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने भी भारी लाभ अर्जित किया है। प्याज उत्पादकों को हानी भारी उठानी पड़ी है। अतः मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह कृषकों को 1500 रु० प्रति एकड़ के अनुसार जितने क्षेत्र में कृषकों ने इस वर्ष प्याज की फसल उगाई है उसको हिसाब से हुए घाटे की क्षति-पूर्ति करे।

(पांच) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर)** : देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। राष्ट्रीय राजपथ का अखिल भारतीय औसत 19 किलोमीटर है जिसकी तुलना में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग का औसत केवल 9.5 किलोमीटर है। 6 राष्ट्रीय राजपथ अर्थात् रा० रा० सं० 5, 6, 42, 43, 5क तथा 23 उड़ीसा राज्य से गुजरते हैं। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई केवल 1650 किलोमीटर है। धनराशि की अपर्याप्तता के कारण उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों का विकास आवश्यक स्तर के अनुरूप नहीं हो सका है।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या वाले पिछड़े राज्यों के चहुमुखी विकास का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। उड़ीसा एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य है जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या काफी अधिक है जो कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है। अत: उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये राजमार्ग सामान्यतः जनजातीय जिलों से गुजरते हैं।

उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के बीच कोणार्क, फूलबनी, बालनगीर तथा कालाहाण्डी के रास्ते से राज्य सरकार का जिस राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्माण करने का प्रस्ताव है उसे बिना किसी विलम्ब के छठी योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा इससे सम्बन्धित कार्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना चाहिए। समय-समय पर अनुरोधों को दोहराने के बावजूद भारत सरकार राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए आवश्यक धनराशि का नियतन नहीं कर रही है। अतः मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य को राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए शीघ्र ही धनराशि आवंटन बढ़ा दिया जाना चाहिए।

**उड़ीसा में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(छः) समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के आधीन सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 19 फरवरी को दैनिक समाचार पत्र "अवन्तिका" के कार्यालय ने पुलिसकर्मियों ने अनाधिकार प्रवेश पर समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक, सह सम्पादक तथा कम्पोजिटर्स पर आक्रमण किया और उन्हें जख्मी कर दिया गया। एक दिन पूर्व शहर में उपद्रवी तत्वों द्वारा शहर में अशान्ति की स्थिति निर्मित होने से तथा उस पर प्रशासकीय नियंत्रण में विफलता के 19 तारीख के दैनिक में प्रकाशित हुए थे। जिससे प्रशासन उक्त समाचार पत्र से अपनी विफलता का बदला लेने के इरादे से पुलिस कर्मियों को समाचार पत्र पर विद्वेषजनिक कार्यवाही करना चाहता था। जबकि समाचार पत्र ने वस्तुस्थिति का वर्णन किया था। इस प्रकार समाचार पत्र को आतंकित करने वाली कार्यवाही प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबंधित करने वाली जसी कार्यवाही है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्रेस की आजादी को कायम रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर प्रेस की आजादी की रक्षा करें।

(सात) उत्तर प्रदेश में इटावा में लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को दण्ड देना

श्री राम सिंह शाक्य (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के आधीन सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1-2-83 रात्री 9 बजे इटावा जनपद के ग्राम कछपुरा निवासी एक ठाकुर परिवार के आठ सदस्यों, पिता, बुआ, पत्नी, छोटा भाई व चार छोटे मासूम बच्चों की नेकसे गिरोह के लोगों द्वारा निमर्म हत्या कर दी गई है। अभी तक हत्यारे व उसके संरक्षकों में से किसी को भी गिरफतार नहीं किया गया है और न जेल ही भेजा गया है। इस कारण क्षेत्रीय जनता आतंकित है और भय का वातावरण बना हुआ है।

इस संदर्भ में लोकदल इटावा व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा महा मंत्री, बी० एस० टी० कालेज बलरई (जनपद इटावा) के प्रधानाचार्य एवं अन्य स्थानीय सम्मानित लोगों ने क्रमश: दिनांक 28 जनवरी, 83, 4 अक्टूबर, 82, 4 नवम्बर, 82, 24 जनवरी, 1983, व 18 जनवरी, 83 को अलग-अलग पत्र लिख कर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं अन्य उच्चाधिकारियों को यह सूचित किया था कि कछपुरा गांव के आसपास नेकसे गिरोह संगठित एवं सक्रिय हैं। कब किसी की हत्या कर दी जाएगी, कोई निश्चित नहीं है। इसमें उक्त परिवार भी सम्मिलित था। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सम्मानित लोगों की एक भी नहीं सुनी और ऐसी भयावह हत्याकांड घटित हुई। यह भी स्मरणीय

है कि उक्त हत्याकांड में उक्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक का मुखबीर एवं संरक्षण गिरोह के ऐसे लोग, जिन्होंने 40-50 हत्यायें अब तक कर चुके हैं, शामिल हैं। लेकिन उनका नाम अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन इस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है।

अतः इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह निवेदन है कि अविलम्ब इस घटना से संबंधित दोषी लोगों को सख्त सजा दिलाने एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आठ) पश्चिम बंगाल को शरणार्थियों के लिए वित्तीय सहायता

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, असम में हिंसा की घटनाओं तथा उथल-पुथल के कारण वहां से कई हजार शरणार्थी उत्तरी बंगाल पहुंच गए हैं। असम प्रशासन अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने में असफल रहा है तथा इस प्रकार के समुदायों के लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। अधिकतर शरणार्थी दारंग, गोलपाड़ा तथा कामरूप के दंगा प्रभावित जिलों से आ रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हैं तथा उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

पश्चिम बंगाल की सरकार पहले ही शरणार्थियों के लिए 4 लाख रुपये स्वीकृत कर चुकी है तथा उनको अस्थायी शरण देने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से खर्च को पूरा करने के लिए धनराशि देने की अपील पहले ही कर चुकी है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि शरणार्थियों के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करके वह असम के बेसहारा शरणार्थियों की सहायता करने तथा पश्चिम बंगाल को सहायता करने के लिए आगे आए।

मैं भारत सरकार से जोर देकर यह भी अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक कार्यवाही करे ताकि अल्पसंख्यकों समुदायों के सदस्यों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो तथा जो शरणार्थी उत्तरी बंगाल में आए हैं, वे असम में अपने घरों में लौट जाएं।

———

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा 22 फरवरी, 1983 को पेश किए गए तथा प्रो० के० के० तिवारी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए,

जो उन्होंने 18 फरवरी, 1983 को एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"

श्री नामग्याल अपना भाषण जारी रखेंगे। आप पहले 9 मिनट बोल चुके हैं, अब आप 6 मिनट और बोल सकते हैं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, कल जब मैं बोल रहा था, तो काश्मीर वैली में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन्स और ट्रस्ट्स के बारे में सदन का ध्यान दिला रहा था जो कि बाहर से आए हुए पेट्रो-डोलर की मदद से वहां पर सैट-अप हो रहे हैं। इस सिलसिले में सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह जम्मू में शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार "दि काश्मीर टाइम्स" के 1 फरवरी के इशू में जो न्यूज आइटम है, उसको देखें। उस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि उसमें ऐसे नाम दिए गए हैं जो मैं नहीं चाहूंगा कि इस सदन में पढ़ूं इसलिए कि उनका ताल्लुक कुछ फोरेन डिगनीटरीज और हैड्स आफ दि स्टेट से है। उस पेपर में डिटेल में दिया हुआ है। उसमें एक आर्गेनाइजेशन है, जिन्हें इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने के नाम से लाखों की तादाद में पेट्रो-डोलर बाहर से आ रहा है और उसके जो ट्रस्टीज हैं, उनका फोरेन एजेन्सीज से डायरेक्ट लिंक बताया जाता है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : यह बड़ा गम्भीर मामला है। आप उस पेपर को यहां पेश कर दें, तो अच्छा रहेगा।

श्री पी० नामग्याल : अगर डिप्टी स्पीकर साहब इजाजत देंगे तो जरूर रख दूंगा। यह पेपर है और इसमें सारा रेफ्रेन्स दिया हुआ है।

आचार्य भगवान देव : वह कौन सा पेपर है और किस तारीख का वह है ?

श्री पी० नामग्याल : वह मैंने बता दिया है। उसका नाम "काश्मीर टाइम्स" है और वह जम्मू से शाया होता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनकी राय से न चलें, वे पीठासीन नहीं हैं।

श्री पी० नामग्याल : इसी तरह से दूसरे एक मजहबी आर्गेनाइजेशन्स हैं। वहां पर एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के नाम से लाखों रुपये पेट्रो-डोलर हासिल किया जा रहा है। कहते हैं कि यह इंस्टीट्यूट जमायते इस्लामी वालों का होना बताते हैं। इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट है और उसके नाम से भी वहां पर पैसा आता है। एक चौथी इंस्टीट्यूशन और है, जिसका नाम "इंस्टीट्यूशन फार इम्पार्टिंग इस्लामिक प्रिंसिपिल्स" है। इसके नाम पर भी बहुत पैसे आ रहे हैं। पांचवां इरादा एक ओरिएन्टल कालेज है, जो अवामी एक्शन कमेटी ने सैट-अप किया है। उसको नसरुत-उल-इस्लाम चलाते हैं और उस कालेज के होस्टल बनाने के लिए भी बाहर से पैसा बताते हैं। इस तरह से एक और मजहबी रहनुमा एक हैड्स आफ दि स्टेट्स के नाम पर एक कालेज बनाने के लिए वहां पेट्रो-डोलर आना बताते हैं। इस तरह से लाखों और करोड़ों रुपये पेट्रो-डालर हमारी स्टेट में इस तरह से आ रहा है।

आखिर में मैं कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि पालिटीकल पार्टीज से ताल्लुक रखता है :

सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस से सम्बन्धित लोगों समेत कई एक राजनैतिक लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में······**से······**समय के दौरान दौरा करने वाले विदेशी उच्चाधिकारियों से काफी मात्रा में पैसा लिया है और यह भी कहा जा रहा है कि वे काश्मीर घाटी में काफी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं।

यह जो रकम पोलिटिकल पार्टीज और दूसरे अदारों के नाम से आ रहा है, इसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट आफ इण्डिया से गुजारिश करूंगा कि·······

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उन्होंने कुछ एक देशों का नाम लिया है, जिनके साथ हमारे दोस्ताना, मधुर और काफी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं। यही नहीं ये राष्ट्र, आगामी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में हमारे मेहमान होंगे। श्रीमान्, ये उन राष्ट्रों के प्रति लगाए गए विशिष्ट आरोप हैं कि इन्होंने गलत उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र में अपने पेट्रो-डालर भेज रहे हैं। इसलिए, श्रीमान्, इन आरोपों को, जिनसे इन देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों पर असर पड़ता हो, सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। अच्छा हो किसी मित्र राष्ट्र का नाम न लिया जाए।

श्री पी० नामग्याल : मैंने अखबार का रेफरेंस दिया है। जम्मू काश्मीर का वाइडली सरकुलेटिड फैक्शन पेपर है यह। यह आज की बात नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचार से प्रभावित हो रहे हैं।

श्री पी० नामग्याल : आप उनके साथ हो सकते हैं, मैं नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमान्, मुझे खेद है।

श्री पी० नामग्याल : जनाब मैं यह अर्ज करने जा रहा हूं कि हमारा मुल्क एक सक्युलर स्टेट है। यहां पर किसी भी इंस्टीच्युशन को मजहबी और तालीमी इदारे और ट्रस्ट बनाने का हक है लेकिन जो बाहर के मुल्क से डायरेक्टली पैसा उन इदारों के पास में आता है, उसके बारे में सरकार को देखने की जरूरत है। यह नहीं हो सकता कि वह जो पैसा डायरेक्टली बाहर से आता है और उससे वे सरकार के नोटिस में लाए बगैर अपने इदारों को चलाएं। मैं समझता हूं कि यह हमारे मुल्क के इन्ट्रेस्ट में नहीं है। इसलिए यह बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

दूसरे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनकी तरफ भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। अगर यह बातें सरकार के नोटिस में हैं तो ये बातें कैसे हो रही हैं?

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : लद्दाख क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ कहें, आप अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर क्यों जाते हैं ?

श्री पी० नामग्याल : प्रेजीडंट के एड्रेस में चीन और चाइना के साथ बातचीत का जिक्र किया गया है। मैं खूसूसी तौर पर कहना चाहता हूं कि चाइना के साथ हमारा इलाका लगता है, मेरी कांस्टीच्युन्सी का लगभग 35,555 स्केवअर किलो मीटर इलाका चाइना के इल्लीगल-आकुपेशन में है। इसी तरह कश्मीर का मसला भी है। मैं गुजारिश करूंगा कि इन से दोनों मुल्कों के साथ जो भी बातचीत हो तो अब तक हमारा जो स्टेण्ड रहा है उस स्टेण्ड से हट कर बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ एडजस्टमेन्ट करना पड़े तो यह न हो कि मेरी कांस्टीच्युएंसी से कुछ इलाका चला जाए और दूसरे कोने से उसमें आ जाए। सरकार को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए।

राष्ट्रपति जी के एड्रेस में शेडयूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जिक्र है और इस सिलसिले में पिछले साल के ट्राईबल सब प्लान 85 करोड़ रुपए के मुकाबले 95 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार का मशकूर है, हालांकि मैं इस तबके से ताल्लुक नहीं रखता हूं।

सभापति महोदय, यहां पर कई बार यह बात उठाई गई कि लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। हमें खुशी है मौजूदा जम्मू-कश्मीर की सरकार ने हमारी मांग की ओर ध्यान दिया और उसकी ओर एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस बाबत केन्द्र सरकार को सिफारिश भेज दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश है इस लिए अब इस मांग को पूरा करने में केन्द्र सरकार को कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हक हमको 35 साल पहले मिलना चाहिए था, अब भी वक्त है कि यह सुविधा हमको दी जाए। इससे हमको काफी लाभ मिलेगा।

राष्ट्रपति जी ने ड्राउट, फ्लड और सायक्लान के प्रभाव का जिक्र किया है और 700 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। एक बात मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्वेंसी लद्दाख में 1981-82 में ज्यादा बर्फ के कारण बड़ी तादाद में लोगों की भेड़-बकरियां और माल मवेशी मारे गए। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है इस सिलसिले में आज तक सरकार की ओर से उन लोगों को राहत देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पिछले साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जम्मू-कश्मीर सरकार को 1.30 करोड़ रुपया यहां से रिलीज किया है, उसमें लद्दाख का भी हिस्सा है। लेकिन आज तक हमें एक पैसा भी नहीं मिला है। मैं सरकार को गुजारिश करूगाँ कि सरकार इस ओर तवज्जह दे। यह इलाका चाईना के बार्डर के साथ लगता है जिससे यहां के निवासियों की कंडीशन पर असर पड़ता है। बार्डर होने के नाते सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि उनका ध्यान रखे।

आखिर में राष्ट्रपति जी के एड्रेस पर जनाब ब्रह्मानंद रेड्डी साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है और प्रोफेसर तिवारी जी ने उसका समर्थन किया है, उसकी मैं ताईद करता हूं और मैंने सरकार से जो गुजारिश की है, मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर तवज्जह देगी।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु (नगरकुरनूल) : मैं राष्ट्रपति को उनके द्वारा दिये गए अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस चर्चा में दोनों ओर से कई सदस्यों ने भाग लिया है। मैं सोचता था कि विपक्ष के कुछ सदस्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों की प्रशंसा करेंगे लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर जहां सारे देश और विदेशों में देश की उपलब्धियों की प्रशंसा की जा रही है, वहीं जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मामले पर सरकार की प्रशंसा करने की कोशिश भी नहीं की है। मिसाल के तौर पर एशियाई खेलों की सारे देश और विदेशों में भी प्रशंसा हुई है। उनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वे सरकार की नीतियों की प्रशंसा ही कर सकें। इस संदर्भ में मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 3 वर्षों में करीब 50,000 उचित दर की दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों को खोलने का मकसद ही यही है कि कमजोर वर्गों को लाभ हो। इस संदर्भ में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि गांवों में इन दुकानों को खोलते समय इन्हें फिर से व्यापारियों को अलाट नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैं सुझाव देता हूं कि इनमें से ज्यादातर दुकानें कमजोर वर्गों को दी जानी चाहिए जिससे कि गांव के गरीब लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित दर पर खरीद सकें।

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए 700 करोड़ रुपये दिए हैं। जब कभी भी प्राकृतिक विपदायें आती हैं, तो निश्चित रूप से केन्द्र राज्य की सहायता करता है। इसके साथ ही अस्थायी सहायता से प्राकृतिक विपदाओं से नहीं निपटा जा सकता। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं जैसे स्थायी उपाय किये जाने चाहिए ताकि सूखाग्रस्त लोगों को बचाया जा सके।

हमारी आधार भूत सुविधाओं तथा उद्योगों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। इस लिए विद्युत उत्पादन में 7.2 प्रतिशत, कोयले के उत्पादन में 4.2 प्रतिशत, सीमेन्ट के उत्पादन में 10.2 प्रतिशत, तथा उर्वरकों के उत्पादन में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। परन्तु किसी ने भी इसकी सराहना नहीं की है। हमें मालूम है कि जनता शासन काल में इन वस्तुओं के उत्पादन को क्या हो गया था। मैं कोयला क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ। मुझे मालूम है कि कोयले के उत्पादन को क्या हो गया था। कोयले का उत्पादन कम हो गया था। विद्युत उत्पादन सरकारी तन्त्र तथा इस क्षेत्र में लगे लोगों के प्रयत्नों के बावजूद भी कम हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग इस सरकार द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों की सराहना क्यों नहीं करते।

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आते हुए, मैं श्री जेठमलानी की उनके द्वारा कम से कम संजय गांधी को युवा कांग्रेस का नेता मानने के लिए सराहना करना चाहूँगा। अब उन्होंने महसूस किया कि संजय गांधी ने देश के लिए कोई अच्छा कार्य किया है। परन्तु उस समय जब श्री संजय गांधी जनसभाओं को सम्बोधित किया करते थे तो यह लोग उस पर आपत्ति करते थे तथा उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते थे। जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नये 20 सूत्री कार्यक्रम पर आते हुए, विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सभी ने विशेष रूप से गांवों में स्वागत किया है। इस कार्यक्रम ने ग्रमीण जनता को काफी मात्रा में रोजगार प्रदान किया है।

आवास स्थलों के वितरण के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि देश के गरीब वर्गों के लोगों को 5,40,000 आवास स्थल वितरित किये गये हैं। पिछले दो वर्षो में यह महत्व पूर्ण बात हुई है। भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कहे मामले उच्च-न्यायालयों में लम्बित हैं। और पट्टेदार कभी भी अपनी इच्छा से कमजोर वर्गों को भूमि देने के लिए आगे नही आते। वे उच्च-न्यायालयों में जाकर स्थगन आदेश ले आते हैं। फिर इसमें दो या तीन वर्ष लग जाते हैं। सरकार को उच्च-न्यायालयों में इन मामलों का निपटान करने के लिए विशेष न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए ताकि भूमि अर्जन की समस्या को सुलझाया जा सके तथा कमजोर वर्गों को भूमि दी जा सके।

श्री सत्य नारायण राव ने पिछड़े वर्गों की समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं उनके मत से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने अन्य दलों द्वारा विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा, प्रकट की जा रही इस भावना का उल्लेख किया है कि पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। परन्तु हमारे नए 20 सूत्री कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों तथा योजना गति विधियों में भी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि गांवों में कमजोर वर्गों तथा पिछड़े लोगों को सभी सुविधायें दी जायेंगी। सबसे अधिक दुर्भाग्य का विषय यह है कि विपक्षी दल स्वच्छन्द रूप से यह प्रचार कर रहे हैं कि सब कुछ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिया जा रहा है और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा और उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी से समर्थन पाने वाले उद्योग पतियों, उद्यमियों की तुलना में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को ऋण दिया जा रहा है। वे कभी समस्या को समझने का नहीं करते और कांग्रेस (इ) पर उसके इरादों सम्बन्धी आरोप लगा देते हैं।

मैं यहां पर एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। स्वतन्त्रता सेनानियों की पैंशन पर आते हुए मैं भारत सरकार की योजना तथा योजना के विस्तार के लिए गए निर्णयों का स्वागत करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात पर मुझे शर्म महसूस हो रही है, कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार द्वारा पहले लागू की गई स्वतन्त्रता सेनानियों की पैंशन को समाप्त करने का निर्णय किया है। यह एक दुर्भाग्य पूर्ण बात है। यदि उन्हें कांग्रेस (इ) के लोगों से कोई दुश्मनी है तो वह भिन्न मामला है। परन्तु उन्हें स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए जो कि देश की आजादी के लिए लड़े थे और जिन्होंने देश को आजादी दिलवाने में सहायता की है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : किसने बन्द की ? किसी सरकार ने भी बन्द नहीं की।

श्री अनन्त रामल्लु मल्लु : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों तथा विधायकों की पेंशन बन्द करने का निर्णय लिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : विधायकों के बारे में तो मैंने सुना है परन्तु स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में नहीं।

श्री अनन्त रामल्लु मल्लु : उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन भी बन्द कर दी है। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में विपक्षी दल हमारी बात समझेंगे तथा हमारा समर्थन करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : इस पर मैं आपका समर्थन करूंगा।

श्री अनन्त रामल्लु मल्लु : अनुसूचित जाति की समस्या पर आते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अनुसूचित जाति विकास निगमों के गठन तथा संघटक योजनाओं और अन्य बहुत से उपायों को जो उनके लिए हैं, शीघ्र ही केन्द्र द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें इसे नहीं कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें इन योजनाओं को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए कुछ अनुदेश दिए जाएं। मुझे यह देखकर भी खेद हुआ है कि कुछ बैंक भी इन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को धन प्रदान करने में ढील बरत रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। जब कभी भी वित्त मंत्रालय द्वारा सीमान्त धन दिया जाए तो उन्हें उसे तुरन्त कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों आदि को दे देना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक उनको ऋण देने के लिए आगे नहीं आते रहे हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को सीमान्त धन को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत करने के तुरन्त बाद ऋण प्रदान करने के लिए उचित अनुदेश दें। कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खण्ड तथा जिला स्तर पर विपणन केन्द्र खोले जाने चाहिएं।

अनुसूचित जातियों की समस्या पर आते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आन्ध्र प्रदेश से निर्वाचित हूं, कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पिछड़े वर्गों के लोगों व हरिजनों को मार दिया गया हो। पर अब चुनावों के तुरन्त बाद कादिरिकुप्पम् गांव के कुछ हरिजनों पर तेलगू देशम् दल के लोगों द्वारा आक्रमण किया गया। 86 मकान जला दिए गए और चार लोगों को मार दिया गया। हमारे महासचिव श्री सत्यनारायण राव उस गांव के दौरे पर गए। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना में 4 लोग जिन्दा जला दिए गए। मुख्य मंत्री भी उस गांव में गए। उन्होंने कहा "मुझे समस्या की जानकारी है मैं लोगों की मदद करने के लिए आया हूं।" मगर वह अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बस यही कहा कि लोगों को तेलगू देशम् और तमिलनाडु के पक्ष में नारे लगाने चाहिए। वह इसका लाभ उठा रहे हैं यह एक मानवीय समस्या है। मैं इस अवस्था में अधिक नहीं कहना चाहता। मैं इस पर अलग चर्चा चाहता हूं। तब मैं और अधिक विस्तृत ब्यौरा दूंगा।

मैं सभी राजनैतिक दलों से अपील करता हूं कि इस मामले को राजनैतिक न बनाएं। कृपया इस समस्या को सामाजिक समस्या के रूप में देखें। जो दल वहां पर सत्ता में आया है उसने हरिजनों को तंग करना आरम्भ कर दिया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस (इ) को मत दिए हैं। हरिजन श्रीमती इन्दिरा गांधी के गत्यात्मक नेतृत्व के अधीन जाग्रत हो गए हैं। हम गांधीवाद के सिद्धान्तों पर पले हैं। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसीलिए हम शान्त हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए।

भारत सरकार ने श्रमिकों के हित का संरक्षण करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आन्ध्र प्रदेश में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से 30,000 कर्मचारी प्रभावित

होने जा रहे हैं। सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले सरकारी कर्मचारियों से सलाह नहीं ली। उन्होंने प्रजातन्त्र के किसी भी सिद्धान्त का पालन नहीं किया। यह एक मानवीय समस्या है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक होटल श्रमिक को निकालने के लिए भी आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देनी पड़ती है। परन्तु इतनी अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त करने के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है। जब एन० टी० आर० और मोरारजी देसाई 60 और 80 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष तक कार्य क्यों नहीं कर सकते ? जब भारत सरकार और देश के अन्य राज्यों में सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है तो वही सिद्धान्त आन्ध्र प्रदेश में क्यों नहीं लागू होता ? आन्ध्र प्रदेश अलग देश नहीं है। आखिर वह भी हमारे देश का एक भाग है।

क्योंकि बहुत से सदस्यों ने राष्ट्र की समस्याओं पर विशेष रूप से आसाम और पंजाब की समस्याओं पर अपने मत प्रकट किए हैं अतः मैं श्री राव तथा श्री स्पैरो द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरे मित्र ने अभी जिस तरीके से कहा उससे तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करना चाहेगा अथवा उससे सहमत होगा। लेकिन, दुर्भाग्य से, अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों पर, राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत ही निराशाजनक है। यही कारण है, उन मुद्दों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया गया है कि मुद्रा स्फीति रोक दी गई है। इसे रोका नहीं गया है, यह अभी भी है। मैं जनता पार्टी और कांग्रेस या कांग्रेस (आई) के शासन काल की तुलना करना नहीं चाहता। हमारे देश में निरन्तर पूंजीवादी वर्ग का शासन रहा है। यही वर्ग शासन कर रहा है। जिन कुछ लोगों को दल से निकाल दिया गया था, उन्होंने या तो नया दल बना लिया या वह दल छोड़ कर चले गए। अतः उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुद्रा स्फीति निरन्तर चलती जा रही है। उसका अर्थ यह है कि रुपये की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। यह श्रमिक वर्ग के शोषण करने का और उनकी मजदूरी छीनकर थोक-विक्रेताओं धनी लोगों और बड़े एकाधिकारी गृहों को देने का बड़ा प्रभावशाली तरीका है। वह प्रक्रिया जारी है और इसके कारण कुछ ही वर्षों के बाद हमारी सब योजनाएं, परियोजनाएं पूरी होनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि रुपये की क्रय शक्ति गिरती जा रही है। कभी दर बहुत ऊंची होती है, तो कभी कुछ कम हो जाती है। अतः यह संतोष का विषय नहीं हो सकता। जब तक रुपये का मूल्य अस्थिर है, देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती और इसी कारण हमारी आर्थिक परिस्थितियां स्थिर नहीं है यहां तक कि राजनैतिक परिस्थितियों को भी स्थिर नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि मैंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के अभिभाषण बहुत निराशाजनक है अभिभाषण में कहा गया है कि विश्व के बहुत से देशों में मंदी है। मुझे संतोष है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह नहीं कहा गया कि पूरे विश्व में मंदी है। उस पक्ष के बहुत से मित्रों ने भी ऐसी ही बात कही है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह ठीक ही कहा गया है कि एक-तिहाई समाजवादी विश्व में न तो मंदी है और न ही मुद्रा-स्फीति। चाहे किसी को यह पसंद हो या न हो लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में ठीक ही कहा गया है कि बहुत से देशों में मंदी है। उस पृष्ठभूमि में

हम मुद्रा-स्फीति को कैसे रोकें और साथ ही देश में मंदी को भी आने से भी रोकें क्योंकि देश में यह शोर हो रहा है कि मंदी आ रही है ? इस संदर्भ में, जैसा कि हम जानते हैं विश्व भर में एकाधिकारी और हमारे देश के एकाधिकारी संयुक्त राज्य अमेरीका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के एकाधिकारियों से मिले हुए हैं। इसके साथ ही वे मंदी तथा मुद्रा-स्फीति दोनों जोड़ देते हैं। वे उत्पादन कम कर देते हैं। जब क्रय शक्ति कम होती है, वे उत्पादन के मूल्य बढ़ा देते हैं और इस तरह बहुत लाभ कमाते हैं और इसे वे कम उत्पादन के कारण उत्पन्न स्थिति कहते हैं। अतः वास्तव में हम इसी स्थिति से गुजर रहे हैं जबकि उत्पादन संतोषजनक रूप से नहीं हो रहा है और मूल्य बढ़ रहे हैं, क्रय शक्ति कम हो गई है और उद्योगों को बाजार नहीं मिल रहा है। यह समस्या है। इस स्थिति में, चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, अतः राष्ट्रपति को इसका संतोष है कि जो कुछ आवश्यक है वह किया जा रहा है। इस तरह, आज अतिरिक्त भाड़े और किराये के रूप में 488.90 करोड़ रुपये का कर दिया गया है। यह पैसा आम जनता को देना होगा। उसका अर्थ है लोगों की क्रय शक्ति और कम हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप हमारे औद्योगिक माल की बहुत कम बिक्री होगी। इससे हमारे देश में मन्दी होगी। अगला बजट आने वाला है। हम इन्तजार कर रहे हैं लेकिन यदि धारणा ऐसी ही रही, तो इसका अर्थ होगा हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस ओर विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था हमें ले जाना चाहती है।

एक अच्छी बात, जिसका दुर्भाग्य से राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, है समाजवादी देशों के साथ हमारा बढ़ता हुआ व्यापार, हमारे बढ़ते हुए औद्योगिक सम्बन्ध। यद्यपि राष्ट्रपति ने मुद्रा स्फीति की उच्च दर तथा मन्दी की ओर संकेत किया है, परन्तु एक अच्छी बात जिसके महत्व का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है वह है सोवियत संघ के साथ हमारा बढ़ता हुआ व्यापार।

उस संदर्भ में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है—

"विकासशील देश जिस कच्चे माल का निर्यात करते हैं, उसकी कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, परन्तु जिस तैयार माल को हम आयात करते हैं उनकी कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पश्चिमी देशों में ब्याज की ऊंची दरों ने भारत जैसे देशों के लिए स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है।'

इसमें पश्चिम के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों के बारे में सही बताया गया है क्योंकि वास्तविक स्थिति यही है। लेकिन क्या यह बात समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार पर भी लागू होती है ? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात छोड़ दी गई है। मैं नहीं जानता कि क्या यह अनजाने में ऐसा हुआ है अथवा जानबूझ कर किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाया है। उनके साथ हमारे हुए व्यापारिक तथा औद्योगिक सम्बन्धों के कारण ही हमारी स्थिति कई विकसित देशों और कई विकास शील देशों से कम चिन्ता जनक है।

ऐसी स्थिति में कराधान नीति बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपने भाड़े और किराए बढ़ाये हैं—और यह आशंका है कि आप इसके बाद अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ाने जा रहे हैं—तो इससे हमारे

औद्योगिक उत्पादन पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के सम्पादकीय में ठीक ही कहा गया है कि कुल औद्योगिक उत्पादन में 57 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर लगाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन हो रहा है; जो कि इस समय कर राजस्व में कम वृद्धि का मुख्य कारण है, जिसकी ओर स्वयं इकानामिक सर्वे में ध्यान दिलाया गया है। अतः 57 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर आम आदमी पर कर लगाकर प्राप्त किया जा रहा है जिसके पास इस कर को देने से अलावा और कोई चारा नहीं है। चाहे वह इच्छुक हो या न हो, अप्रत्यक्ष कर को जोर जबरदस्ती से भी वसूल किया जाता है, जबकि सरकार प्रत्यक्ष करों की वसूली के मामले में नरमी बरतती है। यही कारण है कि देश को राजस्व की हानि हो रही है और अर्थ व्यवस्था बिगड़ रही है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष करों को कम किया जाये और प्रत्यक्ष करों की वसूली में सख्ती से काम लिया जाए।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है जिसे मैं अनुत्पादक धन, लेखा बाह्य धन कहता हूं, जो आमतौर पर तस्करी, जमाखोरी और काला-बाजारी के काम आता है और जिससे देश की आय में तनिक भी वृद्धि नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बिना प्रयास किए धनी हो जाता है, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसे समानान्तर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं है। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है ? क्या यह जनता सरकार के $2\frac{1}{2}$ वर्ष के शासन काल में किए गए कार्यों का अनुकरण किया जा रहा है, जबकि जमाखोरों और लेखा, बाह्य धनी लोगों द्वारा अनुत्पादक धन इकट्ठा किया जा रहा था। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उत्पादन कार्यों में पैसा लगाने के लिए प्रेरित नहीं होगा जिससे कि हमें समाजवाद लाने में सहायता मिल सके। स्थिति में देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बल्कि उत्पादन स्थिर हो जायेगा; रोजगार के अवसर नहीं होंगे, बल्कि बेरोजगारी बढ़ेगी। इस स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है तथा इसका व्यापक उपचार करना पड़ेगा।

अप्रत्यक्ष करों के प्रश्न पर, आप कई जगह पर लगने वाला बिक्री कर लीजिये। आप इसे समाप्त करके एक जगह पर लगाने वाला बिक्री-कर क्यों नहीं लगाते। इस सम्बन्ध में राज्यों को शिकायत हो सकती है। लेकिन तब आप उन्हें उनका उचित हिस्सा दे सकते हैं। अब स्थिति यह है कि दुकानदार जनता का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, राज्य को लाभ नहीं हो रहा जबकि उपभोक्ताओं को बहुत अधिक पैसा देना पड़ रहा है। अतः इसका कुछ प्रबन्ध किया ही जाना चाहिए।

मुद्रा स्फीति के रोकने के लिए हमें अपनी कराधान नीति में परिवर्तन करना होगा। जो बहुत अधिक अमीर हैं, जो उत्पादन में पैसा नहीं लगा रहे हैं, उन पर भारी कर लगना चाहिए और जिन लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है उनको कर के मामले में राहत मिलनी चाहिए। इसके लिए एक व्यापाक कराधान नीति का होना आवश्यक है।

मुझे पुनः इस बात पर बहुत दुःख है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अभी-अभी सदन ने उस मामले पर चर्चा की है। गन्ने, लम्बे रेशे की कपास आदि के मामले में किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मूल्यों में गिरावट

आई है। अतः कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने, कृषि उत्पादनों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने, आवश्यक वस्तुओं के थोक—व्यापार का पूरा राष्ट्रीयकरण करके सरकारी कन्ट्रोल मूल्य की दुकानों के द्वारा सार्वजनिक वितरण करने, तथा प्राथमिक उत्पादकों के लिए उचित मूल्य तथा वास्तव में उपभोक्ता से लिए जाने वाले मूल्य के बीच उच्चतम सीमा निर्धारित करने, इन सबके बारे में एक व्यापक नीति अपनानी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह आपको सफलता मिले और दूसरी जगह असफलता, और किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ने को बाध्य होना पड़े। आप उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मेरे अपने क्षेत्र की स्थिति देखिए जहां गन्ना खेतों में ऐसे ही पड़ा है। सरकारी मिलों ने गन्ना लेने से इंकार कर दिया है। और हम यह डर रहे हैं कि किसानों को वह गन्ना जलाना पड़ेगा। गन्ना 9 या 10 रुपये प्रति क्विटल बेचा जा रहा है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि पटसन, जूट, चीनी, खाद्य तेल, औषधियों और चाय आदि कुछ प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। यदि आपके मन में टाटा उद्योगों के लिए अधिक स्नेह है तो उन्हें अपने उद्योग चलाने दीजिए लेकिन इस इस्पात के उद्योग एक समान रहने दीजिए इन्हें अलग-अलग करने की अनुमति न दीजिए।

अभिभाषण में बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और हम जानते हैं कि देश को आज किस तरह सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मुद्दे पर अधिक बोलना नहीं चाहता। मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मेरा सुझाव है कि इस मामले में भी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है—एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही काम वाला सिद्धान्त होना चाहिए। अन्यथा, कोई व्यक्ति 20 एकड़ जमीन का स्वामी भी हो सकता है और फिर बेरोजगार की तरह इधर-उधर मारा-मारा फिर सकता है, वह न तो भूमि को छोड़ेगा, और न नौकरी ही करेगा। अधिकतर वे लोग जो भू-स्वामी हैं और स्वयं वहां नहीं रहते, इसी वर्ग में आते हैं। क्यों? भूमि को वस्तुतः जोतने वाले ही भूमि के मालिक नहीं हैं। मैं बड़ी निराशा से कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूमि सुधार, कृषि सुधार, कृषकों को अतिरिक्त भूमि देना काश्तकारी कानूनों और सूदखोरी आदि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इन सब बातों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। क्या इन बातों को नकार दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनके भविष्य के बारे में तो कहा गया है लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में वह बिल्कुल चुप हैं। अतः क्या सरकार ने भू-स्वामियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। मैं सरकार को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चूंकि हम जानते हैं कि गन्ने के मूल्य अथवा कृषि उत्पादों के मूल्यों के प्रश्न पर हमें पूरे किसान वर्ग के लिए थोक व्यापारियों के विरुद्ध एकाधिकारियों के विरुद्ध लड़ना होगा। लेकिन गांवों में एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है, गांव में रईस लोग गरीब किसानों तथा कृषक मजदूरों को तंग कर रहे हैं। केवल हरिजन ही नहीं, केवल पिछड़ी जाति के ही नहीं बल्कि गांव के गरीबों को भी दबाया तथा परेशान किया जाता है जिसके फलस्वरूप हरिजनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अधिकांश स्थानों में जाति तथा साम्प्रदायिक दंगे स्वर्ण जाति, गांव के उन अमीर लोगों जिनके पुत्र यहां या राज्यों के विधानमण्डलों, प्रशासन, न्यायपालिका तथा देश की राजनैतिक प्रणाली से सम्बद्ध होते हैं, के कृत्यों के कारण होते हैं और वे जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा विघटनकारी ताकतों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। चुनाव केन्द्रों पर कब्जा करना अभी तक उत्तर तक ही सीमित था। लेकिन इस बार यह दक्षिण, आन्ध्र तक भी पहुंच गया है। कई स्थानों पर कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान केन्द्रों

तक जाने नहीं दिया गया और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का अभिभाषण भूमि सुधारों अथवा ऋण-माफी अथवा साहूकारी अधिनियम तथा इसके कार्यान्वयन के बारे में चुप है। इन बातों के बारे में यह बिल्कुल मौन हैं। इसका अर्थ क्या है ? क्या यह त्रुटि है और यदि यह त्रुटि है, तो क्या इच्छापूर्ण है अथवा अनिच्छापूर्ण है ? यह बहुत निराशाजनक है।

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है। कृपया समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया है।

सभापति महोदय : अच्छा, आप दो मिनट और लें और फिर आप समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं केवल छोड़े हुए प्रश्नों को ही लूंगा।

ऐसी स्थिति में मूल्य बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार है। लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, दमन होता है। एक ओर तो आर्थिक दबाव तथा कठिनाइयां बढ़ रही हैं और दूसरी ओर सामाजिक दमन बढ़ रहा है।

जहां भी लोग राज्य सरकारों, जो सत्तारूढ़ दल द्वारा चलाई जा रही हैं, द्वारा पारित भूमि कानूनों को कार्यान्वित करने की कोशिश करते है, तो पुलिस लोगों पर गोलियां चलाती है। हत्यारों के विरुद्ध रिपोर्टें दायर की जाती हैं। पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं कि उनके विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किए जाने चाहिए। राज्य सरकारें आदेश देती हैं कि उन हत्यारों के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र नहीं होने चाहिए। वे सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। वे अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि सार्वजनिक भूमि के लिए लड़ रहे हैं। मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूं। बात काफी आगे बढ़ गई है, और सभी सदस्य यहां हैं। हमारे देश का शान्तिपूर्ण विकास होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दमन और हत्यायें हो रही हैं। इसका समाचारों से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि हमारे समाचार पत्र अपनी आजादी के लिए लड़ते आ रहे हैं। हम उसके लिए लड़ते आ रहे हैं। सारा श्रेय उनको जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार सरकार को आत्म-समर्पण के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाशित करने के लिए वे कितने आजाद हैं, वे अपने मालिकों से कितने आजाद हैं। यह दूसरी कहानी है। अतः मैं चाहता था कि राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई ठोस बात आनी चाहिए थी। सुझावों के कार्यान्वयन के लिए विधायकों की एक स्थायी समिति होनी चाहिए थी अथवा सुझावों के कार्यान्वयन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए थी। निर्वाचित प्रतिनिधि कम से कम अपने चुनाव क्षेत्र के लिए उत्तरदायी तथा जिम्मेदार हैं।

1976 में हमारे दल ने ऐसी समस्याओं को सामने रखा जो आज देश के सामने हैं। आज पंजाब है, किसी दिन आसाम में होता है और किसी समय यह समस्या कहीं और जगह हो सकती है। हमारा देश बहुभाषी, बहु संस्कृति तथा बहु धर्म वाला है और फिर भी एक राष्ट्र है और इस बहुलता को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। हमें मजबूती मिलेगी और हम मजबूत बनेंगे। मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी तथा राजस्थानी भाषाओं को संविधान में शामिल करने की मांग हुई है लेकिन इन मांगों को अस्वीकार किया गया है।

गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन का हमारे मित्रों ने विरोध किया है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि भारत अकेला पड़ गया है। यह बात बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि सारी दुनिया ने एकमत होकर इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का अनुरोध किया है। अतः यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि विश्व गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए हमारा आधार मजबूत है। लेकिन हम इस मामले में तटस्थ नहीं हैं। गलतियां महान् शक्तियों की हैं जिन्हें उक्त पक्ष के मेरे मित्र करते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा : जी, नहीं।

मैं अन्य बातों को छोड़ सकता हूं लेकिन मैं आपका ध्यान बिहार के कानूनों की ओर दिलाऊंगा। बिहार में तीन क़ानून पास किए गए हैं। पहला प्रेस बिल है। जैसे कि मुख्य मंत्री ने कहा है, वह एक तरह से समाप्त हो चुका है। उसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। लेकिन एक दूसरा खतरनाक विधेयक है। दुर्भाग्यवश, प्रेस और राजनीतिज्ञों ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। इस सभा तथा राज्य सभा ने सर्वसम्मति से 1974 में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पारित किया था जिसमें कहा गया था कि कार्यपालिक तथा न्यायपालिक की शक्तियों को पृथक् किया जाए। बिहार में उक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं केवल दो मिनट में समाप्त करूंगा। अतः इस संशोधन विधेयक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट किसी को भी छः महीने तक की कारावास की सजा दे सकता है। अतः यहां अभियोक्ता, न्यायाधीश बन गया है। यह हमारी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है, जो देश भर में एक समान नीति की तरह चलती आ रही है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जो इसका पालन नहीं करता रहा है। मैं इस सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : बिहार में एक तीसरा कानून भी रहा है। जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली वापिस लाई जा रही है। मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस विधेयक का विरोध करें। यदि नहीं, तो हम अपने खून के साथ लड़ रहे हैं और यदि आपको अधिक खून की जरूरत है तो वह भी आपको हमसे मिल जाएगा। मंत्रिमण्डल के निर्णय द्वारा बिहार में जमींदारी प्रणाली को वापिस लाया जा रहा है। मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर श्री रूसी मोदी का एक बहुत ही गोपनीय पत्र रखना चाहता हूं जिसमें कहा गया है....*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कर सकते हैं।

---

*बाद में अध्यक्ष द्वारा अनुमति न दिए जाने पर दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं समझा गया।

श्री भोगेन्द्र झा : आप केवल इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें। मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : इसकी जांच की जाएगी।

श्री भोगेन्द्र झा : यहां वह कहते हैं कि जमींदारी प्रणाली के अन्तर्गत जमीन इन्हें दी जानी चाहिए और इस प्रकार हजारों जमीन तथा मकानों के मालिक वहां के उपकाश्तकार बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर अपनी चिंता प्रकट करे और राष्ट्रपति से अनुरोध करे कि इस विधेयक पर अपनी सहमति न दें।

सभापति महोदय : श्री रामस्वरूप राम।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हार्दिक समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं सरकारी पक्ष का सदस्य हूँ, बल्कि हार्दिक समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने हमारी पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगे की उन्नति के लिए सरकार की नीति के बारे में बताया है।

मैं आपका ध्यान महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 24वें पैरा की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा।

इस बात की हिदायत करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में जो हमारा देश है, यहां पर आर्थिक और राजनैतिक संकटों के कारण जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको हम अपनी उत्पादक क्षमता के उपयोग से ही मीट कर सकते हैं। इन संकटों के बावजूद भी और हमारे अच्छे कार्यक्रमों की वजह से हम दुनिया के सारे देशों के मुकाबले में अपने देश में मूल्य स्थिर रखे हुए हैं। कल विरोधी दल के नेता श्री समर मुखर्जी बोल रहे थे, उन्होंने हमारी सरकार की बड़ी तारीफ की। जितना हिन्दुस्तान ने अपने को स्थिर रखा है, वर्ल्ड की किसी कन्ट्री में इतनी स्थिरता नहीं रही है। यह हमारी उपलब्धी है। **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप पढ़े लिखे हैं। डिस्टार्ट मत कीजिए किसी की स्पीच को। आप अपनी बात बोलिए। डोन्ट कोट।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम : अखबारों में, जो बात आई है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसी बात क्यों बोलते हैं ?

श्री राम स्वरूप राम : हमारी सरकार की जो नीति है उसमें स्वयं प्रधान मंत्री जी काफी सचेष्ट हैं। सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के सर्वोन्नत विकास के लिए प्रधान मंत्री चिंतित हैं। शास्त्री जी आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं मैं आपका ध्यान उन बिन्दुओं पर ले जाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि सारी कठिनाईयों के बावजूद भी हमारी सरकार ने बुनियादी ढांचे और उद्योग के विकास की गति को बनाए रखा है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अप्रैल 1982 से दिसम्बर 1982 तक के

जब आकड़ों में हम जाते हैं तो बिजली का उत्पादन 7.2 परसेन्ट, कोयले का उत्पादन 4.2 परसेन्ट सीमेंन्ट का उत्पादन 10.2 परसेन्ट, फटिलाईजर का उत्पादन 9.6 परसेन्ट, रेल गाड़ियों की माल ढुलाई 3.5 परसेन्ट और कच्चे तेल का उत्पादन 30.6 परसेन्ट हुआ। **(व्यवधान)**

1980-81 में कच्चे तेल का उत्पादन 1.05 करोड़ मीट्रिक टन, 1981-82 में 1.62 करोड़ मीट्रिक टन और 1982-83 में 2.1 करोड़ मीट्रिक टन हुआ। चालू वर्ष के पहले 9 महीने में सार्वजनिक क्षेत्र में 21 प्रतिशत टर्न ओवर बढ़ा है उपयुक्त मोर्चे पर आप और फरमायें।

सभापति महोदय : अब मैं सभा की राय लूगां क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं। उनमें से कुछ कल अपने चुनाव क्षेत्रों को जा रहे हैं। यदि सभा सहमत हों तो हम बैठक स्थापित कर सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कोरम का प्रश्न है। कोरम भी नहीं है। यह मत कीजिए।

एक माननीय सदस्य : कल कीजिए, आज मत बढ़ाइये।

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्य विशेषतौर पर कल जा रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें आज अवसर दिया जा सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : (पोन्नानी) अभी केवल उन्हें अवसर देने के लिए, अन्यथा नहीं। केवल उन्हीं सदस्यों को आज बोलने का अवसर दिया जाए, जो कल जा रहे हैं और उसके बाद सभा स्थगित होगी।

श्री सुनील मैत्रा : (कलकत्ता उत्तरपूर्व) आपने इसे केवल आज ही शुरू किया है। इसका कोई अंत नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : कितने हैं? 10 होंगे तो हम तैयार नहीं होंगे।

सभापति महोदय : केवल छः सदस्य।

श्री रामावतार शास्त्री : आप जो चाहें, कीजिए, हम तो जा रहे हैं।

श्री राम स्वरूप राम : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि उपर्युक्त आर्थिक मोर्चे पर हमने कुछ वृद्धि की है उसको हमने विकासोन्मुखी बनाया है। लेकिन अपनी राजनीति गोटी फेंकने के लिए हमारे विरोधी दल ने कहा है कि आपने एक साल में कुछ नहीं किया। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कह रहे थे, जब वह बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वह उन आकड़ों पर अपने को नहीं ले जा सके जिसमें इस वक्त की गारन्टी की है कि 1982-83 में 21 करोड़ मीट्रीक टन कच्चे तेल की पैदावार है। इतना अहम सवाल है इस पर हमारे देश की भविष्य की इकनामी निर्भर करेगी। मुझे आशा है कि हमारी सरकारी कड़ी मेहनत और इतनी चोकसी रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। विरोधी दलों के लोगों को आलोचना करने का अधिकार है, वह करते हैं, लेकिन हमने सभी क्षेत्रों में ट्रिमैंडस प्रोग्रेस किया है और हमारा इरादा भी है।

हम आपका ध्यान राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 7वें पैरे पर ले जायेंगे जिसमें कहा गया है कि :—

"अनूसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और इसके लिए उसने त्रिमुखी नीति तैयार की है।"

इसी सन्दर्भ में मुझे यह कहना कि हरिजन आदिवासी इस देश में सबसे ज्यादा कमजोर अंग हैं, और हिन्दुस्तान की टोटल आबादी का 15 फीस दी हैं, जितनी उनको आर्थिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है।

आप गांव में जाइए। सभापति महोदय, आप भी गांव से आते हैं, आप एक कार्यकर्ता की जिन्दगी से आकर सभापति के पद पर आए हैं, आप उन हरिजनों के पास गांव में जाइये और देखिये उनकी आर्थिक स्वतंत्रता आज बड़े-बड़े सरमायेदारों के घर में कैद है। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री ने बारबार राज्य सरकारों को हिदायत की कि हरिजनों, आदीवासियों के सवाल पर गरीबों के सवाल पर कड़ी नजर रखी जाय ताकि उनका विकास हो सके। हमारी प्रधान मंत्री का कितना पक्का इरादा है हरिजनों और आदिवासियों के उद्धार के लिए इसका एक उद्धरण है। शेडयूल्ड कास्ट और ट्राइबस कमिशनर की रिपोर्ट से पेश करना चाहता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि हरिजनों, आदिवासियों और गरीबों के प्रति प्रधान मंत्री का क्या मंशा है :—

"अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए छठी योजना की नीति।"

"प्रधान-मंत्री ने भी मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों तथा केन्द्र के मंत्रियों को लिखे अपने 12 मार्च, 1980 के पत्र में भारत सरकार की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस बात पर जोर डाला है कि देश के गरीब वर्ग के बीच अनुसूचित जाति के लोगों का अनुपात अधिक है और उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं। अतः हमारा जोर उनके आर्थिक विकास पर होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उन्हें शोषण से बचाने तथा दूरस्थ स्थानों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने का होना चाहिए। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि राज्य-सरकारों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए और योजनाएं इस तरीके से बनाइ जाएं जिससे राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार थोड़ी अवधि तथा निर्धारित अवधि और सम्भव हो तो उनमें से आधे छठी योजना के अन्दर ही गरीबी रेखा को पार कर सकें। अतः योजना आयोग ने कार्यक्रम बनाते समय अपने छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) के दस्तावेज में "गरीबी हटाने" को पहला स्थान दिया। वर्तमान दस करोड़ (2 करोड़ परिवार) की अनुसूचित जाति तथा 5 करोड़ (1 करोड़ परिवार) जनजाति की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.50 करोड़ परिवारों अर्थात् 1 करोड़ अ० जा० और 0.50 करोड़ अ० ज० जाति के परिवारों के लिए योजनाएं बनानी होंगी ताकि उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जा सकें।"

हमारी सरकार की मंशा साफ है । मैं चाहता हूं प्रधान मंत्री खुद इसकी मोनीटरिंग करें तभी इनकी समस्याओं पर छठी योजना में काबू पा सकते हैं ।

28 अगस्त, 1981 को मैंने एक गैर सरकारी प्रस्ताव पेश किया था । उस समय माननीय मकवाना जी गृह मंत्री थे । हमने कहा था आज देश में हरिजन, आदिवासी के बी० ए० एम० ए० पास बच्चे बेकार फिर रहे हैं और वह कहीं बौन्डेड लेबर के रूप में या एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में जिन्दगी बिता रहे हैं । और जब उनकी जिन्दगी का यह हाल है तो हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों के मन में यह भावना घर कर गई है कि जब पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है तो हम क्यों पढ़ें । यह कारण हो गया हैं उनमें शिक्षित न होने का । तो मैंने प्रस्ताव रखा था । इस प्रस्ताव पर काफी विचार-विमर्श हुआ, पता नहीं इस प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय कोई छानबीन कर रहा है कि नहीं । मैं चाहूंगा कि सरकार को उस प्रस्ताव पर गौर करना चाहिए और स्वयं प्रधान मंत्री को उस प्रोग्राम को मानीटर करना चाहिए

सभापति महोदय : 15 मिनट हो गए हैं, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप राम : अब मैं कृषि पर बोल रहा हूं जो आवश्यक विषय है ।

सभापति महोदय : आपको माननीय सदस्यों का आभारी होना चाहिए । उन्होंने सहयोग दिया है । अब कृपया समाप्त करने की कोशिश करें ।

श्री रामस्वरूप राम : आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 28 दिसम्बर, 1981 का हमारा प्रस्ताव था जिसको हालांकि मैंने वापस ले लिया था, लेकिन हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इसको एग्जामिन करेंगे और कोई भी पौजिटिव पॉइंट्स को निकाल कर इसको इन्ट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ।

कृषि के सम्बन्ध में ही मैं कुछ कहना चाहता हूं । देश के 80 फीसदी लोग गांवों में रहकर कृषि उद्योग में लगे हैं । पिछले साल अधिकांश राज्यों में सुखाड़ पड़ा । 31.2 करोड़ लोग भयंकर रूप से बरबाद हुए । 4.8 करोड़ हेक्टेयर जमीन इस सूखे के चपेट में आई । फिर भी हमारी सरकार ने मूल्यों की गम्भीर स्थिति को काफी स्थिर रखा । शायद दुनिया के किसी भी देश में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी । सूखे से प्रभावित राज्यों में 50 हजार दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खोली गई । जैसा कि मैं पहले कह रहा था, देश कि 81 फीसदी आबादी खेतों में काम करती है और वह खेती पर निर्भर करती है । इस लिए जब तक इस देश में खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा तबतक इस देश के किसानों के साथ और भारत माता के साथ न्याय नहीं हो सकेगा ।

सभापति महोदय, आपने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी होगी । उसमें यह बात कही गई है कि कृषि के क्षेत्र में बैंकों का इन्वेस्टमेन्ट 20 से 25 परसेन्ट तक रहा है और बाकी 80 परसेन्ट इण्डस्ट्री में इन्वेस्ट हुआ है । यह कैसी विडम्बना है ? आप जानते हैं इस देश में एग्रीकल्चर का क्या महत्व है । एग्रीकल्चर के ओर मैं बड़े-बड़े सेमिनार हुए हैं । (व्यवधान) इतना ही नहीं, कृषि कितना महत्वपूर्ण विषय है, इस बारे में आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारी कुल राष्ट्रीय आय का सामयिक वितरण तथा गरीब वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना—यह हमारा आर्थिक

लक्ष्य है लेकिन इस देश की अर्थ-व्यवस्था को नया आयाम दिए बिना इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है—इसके लिए हमें कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को औद्योगिक तथा व्यापारिक अर्थ-व्यवस्था में ढालना होगा। अभी आधी आय कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है जब कि उन्नत देशों में इसका प्रतिशत काफी नीचे है।

सभापति महोदय, हमारे स्पीकर साहब दिसम्बर, 1981 में गया गए थे। उन्होंने गया की जमीन को देखा और उसके बाद वहां की जनता को यह आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में "मैं लोक सभा में आपको मैक्सिमम मदद करूंगा" लेकिन अभी तक वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी है। आज हिन्दुस्तान का किसान आपसे नौकरी नहीं मांगता है, वह सिर्फ चाहता है कि आप उसकी भूमि को सिंचित कर दें। जब तक इस देश की भूमि सिंचित नहीं होगी तब तक न तो इस देश के किसानों को कोई फायदा होगा और न ही उसके साथ खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कोई लाभ मिलेगा।

मैं आपके समक्ष एक उद्धरण देना चाहूंगा। चन्द्रा जोशी ने एग्रीकल्चर नीति के सम्बन्ध में लिखा है : अपने किताब इण्डियन सोसल सीन की :

> "देश की 50 प्रतिशत से अधिक सिंचाई क्षमता के अनुपयुक्त होने की बात को ध्यान में रखते हुए हमारी नीति में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि छोटी सिंचाई परियोजनाएं बड़े पैमाने पर चलायी जा सकें।"

(व्यवधान)

डिसरप्टिव फोर्सेज की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज देश में एक तनाव का वातावरण व्याप्त है। कल जब डा० स्वामी यहां पर बोल रहे थे, नान-एलाइन्मेंट के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वाशिंगटन में बैठा हुआ कोई सिनेटर बोल रहा है, हिन्दुस्तान का मेम्बर पार्लियामेंट नहीं बोल रहा है। शायद डा० स्वामी को मालूम है कि किन परिस्थितियों में इस देश को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं—आसाम में विदेशियों के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। पंजाब में खालिस्तान के नाम पर, आन्ध्र और कर्नाटक में क्षेत्रीयता के नाम पर इस देश को खण्डित करना चाहते हैं। मैं विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान 70 करोड़ लोगों का देश है। देश सबसे बड़ा है और उसके बाद पालिटिकल पार्टियां आती हैं। हम क्षेत्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को तोड़ने नहीं देंगे, हिन्दुस्तान की जनता कभी तोड़ने नहीं देगी।

मैं खालिस्तान के सम्बन्ध में एक अखबार को कोट करना चाहता हूं। जिसमें लिखा है :—

इण्डिया एब्रोड : 18 फरवरी, 1983

इंग्लैण्ड में खालसा पुनर्जीवित।

नई दिल्ली : इण्डियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैण्ड में युवा सिखों के एक समूह द्वारा खालिस्तान समर्थक आन्दोलन में पुनः चेतना डालने के लिए दल खालसा नाम के एक संगठन की स्थापना की गई है। इस दल ने, जो खालिस्तान के स्वयं घोषित राष्ट्रपति

श्री जगजीत सिंह चौहान के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, अपने इस निर्णय की घोषणा की है कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, हिंसा का भी उपयोग करेगा।

भाषाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रान्तीयता के नाम पर देश के तोड़ने वाले लोग अमरीकी भाषा में क्यों बोलते हैं, उनको हिन्दुस्तानी भाषा में बोलना चाहिए। इसलिए मैं इस सम्मानित सदन से विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत को आप खण्डित नहीं कर सकते हैं। तुम लोग रोज खण्डित हो रहे हो, रोज टूट रहे हो। कभी भारतीय जनता पार्टी बनाते हो, कभी राजनारायण को आगे लाते हो। आप लोग रोज खण्डित हो रहे हो, लेकिन भारत कभी खण्डित नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया है तथा देश के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने जो कुछ कहा है उसका हमारे देश के सभी वर्गों द्वारा सराहना तथा अनुसरण किया जाना चाहिए। विपक्षी नेता श्री चन्द्रजीत यादव ने बहुत ही ठोस सुझाव दिए हैं और देश के लोगों द्वारा उनकी सराहना की गई है।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा 600 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से अधिकतर संशोधन अपनी-अपनी पार्टियों के सिद्धान्तों आदर्शों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

गैर-साम्यवादी विपक्षी पार्टियों द्वारा अधिकतर असम आन्दोलन तथा अकाली आन्दोलन के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। इन विषयों पर सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है। उन्हें यह नोट कर लेना चाहिए कि असम समस्या शीघ्र ही हल कर ली जाएगी। असम में चुनाव हो चुके है तथा वहां पर सरकार गठित कर ली जाएगी। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने युवाओं को, विशेष रूप से असम के युवाओं को, शान्ति से कार्य करने की तथा मसलों पर राष्ट्रीय हित में विचार करने के लिए सलाह दी है।

मैं अपने राज्य के बारे में यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 35 वर्षों में, विशेषत: विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई की व्यवस्था करने में भारी प्रगति की है। वहां बहुत मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया है।

अबवर्तमान मुख्य मंत्री कर्नाटक को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु को भी विद्युत की सप्लाई क्यों नहीं की जा रही है? इस समय राज्य इतनी बिजली उत्पन्न करने की स्थिति में है जिससे न केवल हमारे राज्य की आवश्यकताएं ही पूरी होंगी बल्कि हम अन्य राज्यों को भी 400 करोड़ रुपये तक की विद्युत सप्लाई कर सकते हैं। यह समझौता राज्य में इससे पूर्व की सरकार अर्थात् कांग्रेस सरकार द्वारा सम्पन्न किया गया था। लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामा राव पहली सरकार द्वारा अर्जित किए गए सारे धन का अपव्यय कर रहे हैं।

अब वे तमिलनाडु को चावल की आपूर्ति करने जा रहे हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वे इतनी असावधानी से चल रहे हैं कि एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि स्वयं आन्ध्र प्रदेश राज्य ही अकालग्रस्त राज्य बन जाएगा। महोदय, प्रत्येक स्थान पर ईमानदार व्यापारी, अच्छे व्यापारी तथा देशभक्त और राष्ट्रवादी होते हैं। लेकिन कुछ बेईमान व्यापारी भी होते हैं और यदि आप उनको एक लारी चावल सप्लाई करने की अनुमति देते हो तो वे अवैध तरीके से 10 लारियों को भेज देते हैं और काला धन अर्जित करते हैं। ऐसा एक बार हरियाणा में भी किया गया था और उसके परिणामस्वरूप सरकार को धोखा खाना पड़ा तथा राज्य में अभाव का संकट उत्पन्न हो गया। इसी कारण मैं आन्ध्र प्रदेश की सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि उसे इस सम्बन्ध में बहुत ही सावधान रहना चाहिए।

महोदय, गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में काफी चर्चा की गई है। जब तक लेवी के चीनी मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती है तब तक इसका कोई हल नहीं है। हमारी बहुत सी मिलें रुग्ण अवस्था में हैं। उद्योग रुग्ण होने की स्थिति में है तथा चीनी उद्योग को प्रति माह लगभग 40 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। छः महीने की अवधि में उद्योग को 240 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और मंत्री महोदय आज दोपहर पहले यह कह रहे थे "नहीं, नहीं हम चीनी 3 रु० 75 पैसे प्रति किलो के हिसाब से देने के लिए वचनबद्ध हैं।" मान लीजिए यदि लैवी की चीनी का मूल्य 15 पैसे अथवा 20 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया जाता है तो कोई आसमान तो टूट नहीं जाएगा। जनता सरकार को क्या हो गया था? उनकी गलत नीतियों के कारण चीनी का उत्पादन 2½ वर्षों में 65 लाख टन से गिरकर 38 लाख टन हो गया था। लेकिन कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा उचित नीतियों के अपनाये जाने के कारण चीनी का उत्पादन तीन वर्षों में 38 लाख टन का 300 प्रतिशत बढ़ गया है। देश में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन अब दुर्भाग्यवश चीनी के उत्पादन में बड़ी तेजी के साथ गिरावट आ रही है तथा मुझे ऐसा लगता है कि दो वर्षों की अवधि में चीनी का उत्पादन घटकर 38 लाख टन या इसके आसपास आ जाएगा। तब लोगों को 10 रु० अथवा 12 रु० प्रति कि० के हिसाब से चीनी खरीदनी पड़ेगी, जैसा कि इससे पूर्व जनता सरकार की नीतियों के कारण हुआ था जबकि 10 रु० अथवा 12 रु० प्रति कि० की दर से चीनी बेची गई थी। अतः महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि लैवी की चीनी के मूल्य में 15 अथवा 20 पैसे की वृद्धि की जानी चाहिए।

महोदय, इसके अतिरिक्त तीन या चार राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच नहरों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। मैं इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में राजस्थान के हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान के लोगों द्वारा बड़ी कुर्बानियां की गई हैं। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान रहा है। जितना हो सके यथाशीघ्र राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। इससे रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास होगा। जब तक यह कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक राजस्थान के लोग प्रगति करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे।

महोदय, जहां तक देश में मुसलमानों का सम्बन्ध है कुछ क्षेत्रों में ऐसी भावना व्याप्त है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस देश में अच्छी तरह से सलूक नहीं किया जाता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह तो एक आम भावना है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे देश में हिजरी सम्वत 1400 बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया था जिसमें हिन्दुओं तथा मुस्लिमों सहित सभी व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया था तथा उसका आनन्द उठाया था। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है? यहां पर कुरान का पाठ किया गया था, तथा हमने अपने देश में सभी बड़े मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों को कुरान के पाठ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अतः इस धर्म का बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है। भारत के सभी हिन्दू लोग इस्लाम धर्म का बहुत सम्मान करते हैं और मुसलमानों को ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए।

सिख इस देश में बहुत ही सम्मान योग्य व्यक्ति हैं। देश के प्रत्येक क्षेत्र तथा स्थान पर हम सिख लोगों को देखते हैं। उनके साथ बड़े आदर के साथ व्यवहार किया जाता है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अकाली लोग अनावश्यक रूप से अन्य लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न कर रहे हैं कि सिखों के अल्पसंख्यक होने के कारण उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। यदि 20 हजार व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति इस बात पर तुले हुए हैं कि दंगे उत्पन्न किए जाएं, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? अकाली दल के लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। परसों, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने अकाली दल के लोगों को उचित समय पर यह सलाह दी थी कि उन्हें सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए और मुझे आशा है कि वे लोग इस सलाह को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए गम्भीरता से अपनाएंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था।

श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। चूंकि मुझे बहुत ही कम समय में बोलना है इसलिए मैं केरल राज्य से सम्बन्धित कुछ मुद्दों का, विशेषतः केरल सरकार तथा वहां के लोगों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, वही उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार तथा विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी—इसमें दिलचस्पी लेगीं तथा इन कठिनाइयों पर ध्यान देंगी ताकि उन्हें शीघ्र ही दूर किया जा सके।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना नियतन में केरल राज्य के लिए हमेशा ही बहुत अपर्याप्त धनराशि निर्धारित की जाती है जो अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य सी होती है। कुछ राज्यों को अधिक धनराशियां दी जा रही हैं। इस स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है। चावल वसूली के मामले में केरल राज्य गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है। बहुत वर्षों के पश्चात् केरल को सूखे की असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। केरल में हम अन्य राज्यों की तुलना अधिक चावल का उपभोग करते हैं। वहां पर चावल की स्थिति बहुत ही खराब है, तथा इसके लिए केन्द्रीय सरकार को शीघ्र केरल के लोगों के लिए चावल भेजना चाहिए। इसी प्रकार केरल में मिट्टी के तेल, चीनी, तथा सीमेंट तथा कुछ अन्य वस्तुओं का भी अभाव है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इन वस्तुओं को केरल को भेजे तथा इस राज्य के लिए धनराशियों के आवंटन में भी उपयुक्त वृद्धि करे।

इसके अतिरिक्त, केरल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बहुत ही अपर्याप्त है। मैं सरकार से उपयुक्त समर्थन देने तथा केरल के लोगों की सहायता करने के लिए अनुरोध करता हूं।

मैं विशेषतः एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। हम जिन कृषि वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं वे रबड़ नारियल तथा इसी प्रकार की अन्य नकद फसलें हैं। इनको अब बिना किसी संकोच के आयात किया जा रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से कृषकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहां पर कुछ छोटे किसान भी हैं जिनके पास एक अथवा दो एकड़ खेती की भूमि हैं। इस आयात से वे लोग अधिक प्रभावित होते हैं। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इन वस्तुओं के आयात को रोका जाए और गरीब लोगों को कठिनाइयों का सामना करने से बचाया जाये।

जैसा कि मैंने बताया है केरल के लिए चावल की तुरन्त आवश्यकता है। अन्य राज्यों से सीधे चावल प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। मेरा केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन है कि केरल राज्य को अन्य राज्यों से चावल प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि केरल में स्थिति सुधर सके।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया हालांकि कोई सुनने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : *आप तीन मिनट में खत्म कर देंगे। कितना समय आप लेंगे।*

श्री सुन्दर सिंह : *अगर इतना ही वक्त देना है, तो मैं बोलता ही नहीं। मैं कुछ ज्यादा समय लूंगा।*

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डा० करण सिंह ने जो कांग्रेस की पालिसी है, उसको सपोर्ट किया है और श्री चन्द्रजीत यादव ने भी इसको सपोर्ट किया है और कुछ अपने सजेशन्स भी दिए हैं और मुझे अब इसको रोहराने की जरूरत नहीं है। श्री रामस्वरूप राम ने भी बोला है कि देश ने काफी तरक्की की है। इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कह देता हूं।

हमारी सरकार ने जो 24 हजार पानी के मामले में प्राब्लम विलज थे और जहां पानी नहीं मिलता था, वहां पर पानी पहुंचाया है। इसके अलावा लोगों को 2 लाख 25 हजार ड्वलिंग हाऊसेज मिल गए और 2.35 मिलियन हैक्टेयर भूमि में इर्रीगेशन पोटेंशियल पैदा किया है चाहे हरिजनों को उससे कुछ फायदा न मिला हो। 5 लाख 40 हजार साइट्स मिली हैं हरिजनों को रहने के लिए। यह बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा तरक्की के बारे में जो लिखा है, उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपोजीशन के लीडर भी इसकी ताईद करते हैं।

मैं आपको शेड्यूलकास्ट के मुतल्लिक कहना चाहता हूं। कम्पोनेंट प्लान का जिक्र किया गया। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हम जब राज्यों में पूछते हैं कि कम्पोनेन्ट प्लान में कितना पैसा दिया गया तो हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए मैं फाइनांस मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं कि वे राज्यों से पूछें कि उन्होंने कितना पैसा इस प्लान के लिए दिया है।

महात्मा गांधी ने कहा था—

"स्वराज्य शब्द का कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि भारत की 1/5 आबादी को, जोकि निरन्तर दमन से ग्रस्त है, हम राष्ट्रीय संस्कृति के लाभ से वंचित रखते हैं। इस

पवित्रतम आन्दोलन के लिए हम भगवान की सहायता की मांग करते हैं, लेकिन उसके ही बनाये हुए सबसे सुपात्र (मानव) को ही मानवीय अधिकारों से वंचित रखते हैं। अपने आप से अमानुषिक होते हुए, हमें भगवान से यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वह दूसरे की मानवीयता से छुटकारा दिलाये।"

—मोहनदास कर्मचन्द गांधी।

उन्होंने साफ कहा है कि आप शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और अंग्रेजों से मानवीय व्यवहार की अपने प्रति उम्मीद करते हैं, वे आपकी बात कैसे सुन सकते हैं।

डा० अम्बेडकर ने कहा था—

"मैं हिन्दू पैदा हुआ था। यह मेरा कसूर नहीं था। मैं हिन्दू रहकर नहीं मरूंगा।"

हमने महात्मा गांधी का साथ दिया, क्योंकि हमको उनकी आवाज में उम्मीद दिखाई दी। उन्हीं के फालोअर्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर ही मैंने पंजाब और हरियाणा से हरिजनों को जमीनें दिलवाई हैं। वहां का तत्कालीन मुख्यमंत्री भीम सेन सच्चर कहता था कि जमीनें हम नहीं दे सकते, नौकरियां ले लीजिए। हमने पूछा कि क्यों नहीं दे सकते तो कहने लगे कि जमीनें जिनके पास हैं वे ताकतवर हैं और लेने वाले कमजोर हैं। इसके बाद मैं पंडित जी से मिला। उन्होंने प्रताप सिंह कैरो से कहकर जितनी भी सरप्लस जमीन थी वह हरिजनों को दिलवाई। जिसमें ताकत है वह ले सकता है। जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी हैं और उन्हीं से हमको उम्मीद है।

आज दण्डवते जी कहते हैं कि आसाम में बन्दूकें चलाई गई हैं। आप कैसे हुकूमत करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यू० पी० में जब उनकी बन्दूकों के नीचे ट्रायबल्स ने मतदान किया था उस वक्त वे कहां थे। आज इस तरह की बात करते हैं।

पासवान जी भी बहुत कहते हैं। पहले लोकदल में थे अब वे जनता में चले गए हैं। क्या वे वहां रहकर इन मसलों को हल कर पाएंगे? अगर मसलों को हल करना है तो इनको यहां आ जाना चाहिए। इसी तरह से श्री चन्द्रजीत यादव ने भी बड़े अच्छे ख्यालात दिए हैं।

यह जो हमारे पासवान जी हैं, ये हरिजन हैं, ये बहुत बोलते हैं। ये कहते हैं कि गैस की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, जबकि लोग हम से गैस कनैक्शन लेने के लिये मिन्नतें करते हैं, लेकिन कीमत की बात कोई नहीं करता है। इस लिए इस तरह की बातें करने में कोई वजन नहीं है।

अब मैं कुछ आसाम के बारे में कहना चाहता हूं—इनका कहना है कि वहां पर मामले को होश्यारी से टैकल करना चाहिए, उन से ज्यादा टक्कर नहीं लेनी चाहिये। मैं पासवान जी से पूछता हूँ—आप बतलाइये कि क्या करना चाहिए।

ऐ आबरौदे गंगा वह दिन याद है तुझ को
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।

वे जब यहां आये तो उन्होंने आदिवासियों और हरिजनों को मार कर भगा दिया। कुछ को मारा कुछ को निकाल दिया। वहां पर डेमोक्रेसी है, सैकुलरिज्म है, जहां मर्जी कोई रहे, जहां मर्जी कोई जाय।

मैं समझता हूं—वाजपेयी जो हैं, कहां का रहने वाला है, भोपाल का और दिल्ली में बस रहा है, वह भोपाल क्यों नहीं जाता। मैं हैरान हूं—वह कहता है मैंने इस्तीफा दे दिया है, किसको पता नहीं था कि वह पाखण्डबाजी करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान में हैं...

सभापति महोदय : सुन्दर सिंह जी, आप इण्डिविजुअल नाम क्यों लेते हैं।

श्री सुन्दर सिंह : मैं नाम नहीं लेता हूं—लेकिन ये लोग कभी इन्दिरा की बात करते हैं और कभी किसी की। आप मिनिस्टर थे तो क्या हमारे लिये कभी लड़ाई की ? गांव में जाकर किसी ने देखा है कि वहां रहने के लिये भी जगह नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, धन्धा नहीं है। मैं आपको गुजरात के बारे में बतलाना चाहता हूं—हीरालाल परमार रोता है, चीखता है, कहता है कि जो लड़के डाक्टर बनना चाहते थे, उनको मार-मार कर हलाल कर दिया। पंजाब में मार खा रहे हैं और वन-वे ट्रैफिक चल रहा है। वहां किसी हरिजन को हाथ लगा कर बतलाओ, कोई एक मारेगा तो हम दो मारेंगे। यह जो बड़े-बड़े लीडर बने हुए हैं वहां क्यों नहीं जाते। किसी के पास काफी जमीन है, किसी के पास बिलकुल नहीं है। जिसके पास जमीन होती है, उसके पास लाठी भी होती है। देहातों में जमीन के अलावा कोई धन्धा नहीं है, जमीन ही उनका सहारा है लेकिन उनसे जमीनें छीन ली जाती हैं। अभी हाल में दो केस सामने आये हैं, जिनके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर को भी कहा है। लेकिन वहां कोई एस० एस० पी० जाता नहीं है, दूसरे आदमी दखल देते हैं। ऐसे मामलों में सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को एक्शन लेना चाहिए। हम तो हमेशा मरे हैं, कोई जगह नहीं है, कहां जायें ? क्या जनता में जायें ? वह तो आगे ही हमारे बरखिलाफ हैं। मैं समझता हूं कि जमीदारों के पास कोई दिल नहीं है। कई आदमी वहां उससे मिले हुए हैं। मेरे मुकाबले सी० पी० एम० का उम्मीदवार था। यह सी० पी० एम० वाले जो हैं सबसे ज्यादा लैंडलार्ड हैं। हम सबको जानते हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊं, बात करके हम कैसे तरक्की कर सकते हैं ? लीडर का मुकाबला लीडर के साथ होता है, तुम्हारे पास कोई लीडर ही नहीं जिसके साथ मुकाबला करो—

> "जैसा कि कई उदाहरणों में देखा गया है, चरित्र के बिना ज्ञान, बुराई के लिए शक्ति होती है। गुणवान चोर और शरीफ बदमाश, दुनिया में हैं। मैं दूसरों को धोखा देने की बजाय, पसन्द करूंगा कि खुद धोखा खाऊं।"

जो आदमी दूसरों को दखल देता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हैंड मशीनरी को क्यों प्रैफरेंस देते हो। मजदूर मर रहे हैं।

खालिस्तान की क्या बात है। हमारे 15 करोड़ आदमी हैं, 24, 24 आदमी कत्ल होते हैं, यू० पी० में गुजरात में, कत्ल होते हैं, हम कोई रक्यूज नहीं करते। यह जो थोड़े से आदमी हैं ये कहते हैं कि हमारे साथ बेइन्साफी हो रही है। मैं कहूंगा तो अकाली मार देंगे। स्पैरो साहब यहां बोल रहे हैं, जब वहां सरदार प्रताप सिंह थे तो क्या कोई बोल सकता था ? यह कसूर किसका ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है सारे हिन्दू हैं यह हमें वोट नहीं डालने देते हिन्दू कौम समझदार

है। कांग्रेसी सिख जो हैं, इनको लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन ये करते नहीं हैं, इनके साथ कोई नहीं है। उनका फर्ज है कहना। जो उनकी रिलीजस डिमांडज हैं, उनको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो वह मरते हैं, सारी सिचुएशन को खराब करते हैं। लेकिन प्रताप सिंह के सामने कोई नहीं बोल सकता था। इनको देहातों में जाकर कांफीडेंस क्रिएट करना चाहिए कि हमारा पक्ष अच्छा है, ठीक है। इन शर्तों के साथ मैं कहूंगा कि इनको जोर लगाना चाहिए और अकालियों की सही डिमांड को मान लें।

सदस्य की रिहाई और पुनः गिरफ्तारी

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के अध्यक्ष के नाम भेजे गए पुलिस अधीक्षक, सागर, मध्य प्रदेश का 23 फरवरी, 1983 का निम्न आशय का तार आज प्राप्त हुआ है :—

"श्री राम प्रसार अहिरवार, संसद् सदस्य को, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116(3) के अन्तर्गत 22-2-83 को गिरफ्तार किया गया था, 23-2-83 को रिहा कर दिया गया। उन्हें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 448, 153 के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली, सागर, मध्य प्रदेश के अपराध संख्या 490/82 में पुनः गिरफ्तार किया गया और 24-2-83 तक के लिए जेल भेजा गया।"

सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.46 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 फरवरी, 1983/6 फाल्गुन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

खोसला प्रिंटर्स नांगलोई, (दिल्ली-41)।

पी० एल० एस०-48/34/5/83 (एन०)
210

© 1983 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, खोसला प्रिंटर्स, एच-20, रोहतक रोड, इण्डिस्ट्रियल कम्पलेक्स, नांगलोई, दिल्ली-110041, द्वारा मुद्रित